हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही
10 अगस्त, 2022
खण्ड 3, अंक 3
अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 10 अगस्त, 2022

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नगरपालिका रतिया/नगर निगम पंचकूला के पार्षदों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में

'हर घर तिरंगा' से संबंधित सूचना

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

शून्य/व्यवधान काल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों से संबंधित सूचना

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना

वॉक आउट

शून्य काल का (पुनरारम्भ)

बैठक का स्थगन

शून्य काल का (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

शून्य काल का (पुनरारम्भ)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से संबंधित

वक्तव्य–

गृह मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(ii) राज्य में सेम तथा चकबंदी की समस्या से संबंधित

वक्तव्य–

उप मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई बधाइयां/प्रशंसा

मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया संक्षिप्त वक्तव्य

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

विधायी कार्य–

(i) विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक

1. दि हरियाणा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2022
2. दि हरियाणा वाटर रिसोर्सिज (कंजर्वेशन, रेगुलेशन एंड मैनेजमैंट) अथॉरिटी (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 2022
3. दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2022

छुछकवास बाई पास सम्बन्धित मामला उठाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

4. दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2022

(ii) प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक

दि हरियाणा पुलिस (अमैंडमैंट) बिल, 2022

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

भारत की स्वतंत्रता से पूर्व जन्मे सदस्यों का अभिनन्दन

हरियाणा विधान सभा
बुधवार, 10 अगस्त, 2022

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

To Complete the Pending Work of New Grain Market

*41. **Shri Shamsher Singh Gogi** : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the time by which the pending work of New Grain Market in Assandh is likely to be completed ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): नई अनाज मंडी, असंध (विस्तार मंडी) में 3 एकड़ भूमि जोकि असंध–करनाल रोड़ पर मंडी के सामने वाले हिस्से पर पड़ती है उसको छोड़कर सम्पूर्ण विकास कार्य 18.03.2020 को पूर्ण हो गया था। यह कार्य स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण नहीं किया जा सका। 14.01.2021 को अधिसूचित असंध विकास योजना–2031 के अनुसार उपरोक्त तीन एकड़ भूमि व मंडी के बीच से 30 मीटर चौड़ी सैक्टर रोड का प्रावधान है। यह अनाज मंडी रबी सीजन–2022 के दौरान उपयोग में लाई गई थी। असंध विकास योजना–2031 को ध्यान में रखते हुए बकाया कार्य को स्थानीय विवाद के समाधान के बाद पूर्ण कर दिया जाएगा। इसलिए, वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि असंध–करनाल रोड पर मंडी के सामने 3 एकड़ भूमि वाले हिस्से को छोड़कर मंडी शुरू हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है कि यह मंडी कम्पलीट कब होगी? अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल हाइवे पर फ्रंट की जमीन

है उसका नक्शा मेरे पास है इस जगह को लीज करने की प्रोसेस चल रही है जिससे सरकार को करोड़ों–अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से मंडी का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है और मंडी के बीच में से सौ फीट का रास्ता दिया जा रहा है ताकि पीछे प्राइवेट कॉलोनी कट सके और उनको फायदा हो सके। इससे सरकार का नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए फ्रंट से एक कोने से लेकर दूसरे कौने तक 20 फीट का रास्ता क्यों छोड़ा जा रहा है? इसमें सरकार का क्या इंट्रैस्ट है और इसके कारण मंडी का कार्य क्यों लंबित पड़ा है? यहां पर पिछले तीन सीजन से फसल आ रही है लेकिन अन्दर जाने का रास्ता नहीं है। वहां पहले से पीछे जाने का सरकारी रास्ता है तो फिर सौ फीट रास्ता देने की क्या जरूरत है। जिन लोगों की वहां जमीन है उनको पहले से सरकारी रास्ता दिया हुआ है। अगर उनको रास्ता और भी चाहिए तो वे खरीद सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो मंडी के बीच में सौ फीट का रास्ता दिया जा रहा है इसमें सरकार का नुकसान भी न हो और लोगों का भी फायदा हो। इसलिए यह सारी जमीन डिवैलप करके पूरा फ्रंट दिया जाये ताकि लोगों को राहत मिले। मैं यह बात सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि हक में बोल रहा हूं, अगर कुछ लोगों की जेब भरनी हो तो फिर सरकार की अपनी मर्जी है।

श्री जय प्रकाश दलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि 3 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी सारी मंडी विकसित हो चुकी है। इस 3 एकड़ के अन्दर कुछ प्लॉट कटे हुए हैं। जिसका वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार का जमीन छोड़ने का कोई विचार नहीं है। हम बची हुई 3 एकड़ जमीन भी विकसित करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह क्षेत्र माननीय विधायक जी का है। माननीय विधायक जी विरोध करने

वाले लोगों को वहां से हटायें जिससे हम बची हुई 3 एकड़ जमीन को तुरंत विकसित करने का काम कर सकें।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि विरोध करने वाले लोगों को मैं वहां से हटावाने का काम करूं।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार का जमीन छोड़ने का कोई मकसद नहीं है। माननीय सदस्य एक तरफ से तो लोगों का स्पोर्ट करते हैं कि वहां बैठे रहो और दूसरी तरफ सरकार से कह रहे हैं कि आपका जमीन छोड़ने का विचार है। माननीय सदस्य वहां के स्थानीय विधायक हैं इसलिए वहां बैठे हुए लोगों को उठाने में सरकार की मदद करें। जिससे सरकार जल्दी से उस बची हुई जमीन पर मंडी विकसित करने का काम कर सके।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आप यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि सरकार का उस जमीन को छोड़ने का कोई विचार नहीं है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार का जमीन छोड़ने का कोई विचार नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा मेरे ऊपर हाऊस में इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने लोगों को वहां बैठे रहने के लिए स्पोर्ट किया है। मुझे एक भी सरकारी अफसर, मंत्री या मुख्यमंत्री जी बतायें कि मैंने लोगों को कब स्पोर्ट किया है। इसी मामले में एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर पूछा था। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मैं राजनीति करता हूं धन्धा नहीं करता। राजनीति लोगों की सेवा का पर्व है, धन्धे का पर्व नहीं है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। मैंने माननीय सदस्य को जवाब दे दिया कि सरकार का बची हुई 3

एकड़ जमीन पर मंडी विकसित करने का मकसद है तथा जमीन छोड़ने का कोई विचार नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में यह भी स्पष्ट करें कि उस जमीन को लीज पर देने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम सभी प्रकार के डिस्प्यूट्स का जनता के सहयोग से रिज्योल्यूशन करते हैं। हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। हम माननीय सदस्य श्री गोगी जी से भी सहयोग मांगते हैं कि ये इस समस्या के समाधान में हमारा सहयोग करें।

श्री शमशेर सिंह गोगी : स्पीकर सर, मैं तो मंत्री जी के साथ हूं तभी तो मैं यह कह रहा हूं सरकार वहां पर 100 फीट का रास्ता क्यों दे रही है?

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, जिस प्रकार कुलदीप जी सरकार के साथ आये हैं वैसे ही इनको भी सरकार के साथ आना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे। (विघ्न) मैं इनको सरकार के साथ आने का तरीका बता रहा हूं। (विघ्न)

श्री शमशेर सिंह गोगी : स्पीकर सर, मेरा इस मामले में यह कहना है कि न तो वहां पर जमीन रिलीज होनी चाहिए और न ही 100 फीट का रास्ता बनना चाहिए। मैं ऐसा माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, आश्वासन दे दिया गया है कि हमारा उस जमीन को छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इरादे की बात न करें बल्कि यह कहें कि आप उस जमीन को नहीं छोड़ेंगे।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, यह तो मैंने कह दिया है कि हम उस जमीन को नहीं छोड़ेंगे।

श्री शमशेर सिंह गोगी : स्पीकर सर, मंत्री जी इसका भी आश्वासन दें कि 100 फीट का रास्ता भी मंडी के बीच से नहीं दिया जायेगा। वहां पर प्राईवेट कालोनी काटने के लिए 100 फीट का रास्ता काटा जा रहा है। मेरे पास सरकार का नक्शा है जिसमें 100 फीट का रास्ता प्राईवेट कलोनी के लिए देना है। यह सरकारी नक्शा है। इस पर सरकारी अफसरों के साईन हैं। मैं यह नक्शा मंत्री जी के पास भिजवा रहा हूं।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मण्डी के डिजाईन से हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ये पता नहीं कहां से यह नक्शा उठाकर ले आये।

श्री अध्यक्ष : गोगी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो जमीन है वह रिलीज नहीं होगी। सीधी सी बात है कि जब जमीन रिलीज ही नहीं होगी तो 100 फीट का रास्ता कहां से मिलेगा?

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, मण्डी में कोई रास्ता नहीं दिया जाता।

श्री शमशेर सिंह गोगी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

————————

Details of Nodal Agency Designated for Development

*42**. Shri Rakesh Daultabad**: Will the Chief Minister be pleased to state: -

(a) the nodal agency designated by the Government for undertaking integrated infrastructure development along sectoral plan roads, either for the entire development plan or for a group of sectors, same is stated in 7.2 of Policy for Grant and Utilization of TDRs notified as per Memo no. Misc-454/2021/28849 dated 16.11.2021; if not, the time by which the above said agency is likely to be designated;

(b) the details of priority list of projects prepared by a committee constituted under the Chairmanship of Director, Town & Country Planning, Haryana together with the details of total number of projects in

district Gurugram that have been submitted to the Government for approval along with the details of total number of approved projects with the license number, name and other details of colonizers/ developers; and

(c) the details of TDR and PDR Certificates issued by the Government till to date in State?

@ **मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)**: सर, उत्तर विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

उत्तर

(क) गुरूग्राम में सैक्टर सड़कों के ढांचागत एकीकृत विकास हेतु गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। अन्य शहरों के ढांचागत विकास के लिए नोडल एजेंसी की नियुक्ति गुरूग्राम से प्राप्त अनुभवों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

(ख) टी.डी.आर. पालिसी, 2021 के अंतर्गत चिन्हित प्रोजैक्टस की प्रथम प्रथामिकता सूची में गुरूग्राम के अंतिम विकास योजना, 2031 के अंतर्गत आने वाली सैक्टर रोड़/ ग्रीन बेल्ट व 24 मीटर सड़कें, जिनका अधिग्रहण किया जाना है तथा जोकि लाइसेंस भूमि का भाग नहीं है, को शामिल किया गया है।

सैक्टर – 65, गुरूग्राम में पड़ने आने वाली सड़कों को जी.एम.डी.ए. द्वारा पाइलेट प्रोजैक्ट पर विकसित करने हेतू चिन्हित किया गया है। इस प्रक्रिया में न तो कालोनाइजर, न ही लाइसेंस देने की प्रक्रिया शामिल है, इसलिए लाइसेंस नं0 व कालोनाइजरों का नाम व प्रोजैक्ट संबंधित विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है।

@ **Reply given by the Agriculture & Farmers Welfare Minister (Shri Jai Parkash Dalal)**

(ग) टी.डी.आर. पालिसी, 2021 के अंतर्गत केवल एक टी.डी.आर सर्टिफिकेट जारी किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

फाईल नं	टी.डी.आर. सर्टिफिकेट नं0 व तारीख	क्लोनाइजर का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सैक्टर नं0	विकास योजना
1257–डी	01/2022 दिनांक 07.04.2022	मंगलम मल्टिपलैक्स प्राईवेट लिमिटेड	13.736	15	गुरूग्राम – मानेसर अर्बन काम्पलैक्स

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा कोई भी पी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है।

श्री राकेश दौलताबाद : अध्यक्ष जी, एक आम आदमी भी जब घर बनाता है तो वह पानी, बिजली और सड़क की व्यवस्था करता है। गुरूग्राम में टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट ने सैक्टर काट दिये। वहां पर न बिजली है, न पानी है, न सीवर है और ये जो 24 मीटर चौड़े रास्ते का जो क्वैश्चन लगा हुआ है वह आपके सामने है। वहां पर आज तक जो 2100 बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनमें से सिर्फ 93 बिल्डिंग्स के पास कम्पलीशन सर्टीफिकेट है। वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। दाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट ने बिल्डर्ज को यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि वे अपने आप ही सैक्टर्स को डिवैल्प कर लें। लोगों को न बिजली न पानी और न ही 24 मीटर का रास्ता यानी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग और यू.एन. की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हिन्दुस्तान में जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने वाली है वह दिल्ली एन.सी.आर. की है। फाइनेंशियल एक्सप्रैस अखबार के 4 जुलाई 2022 के आर्टीकल में बताया गया है कि भारत में हाउसिंग की डिमांड सबसे ज्यादा एन.सी.आर. में है। रियल इस्टेट की बहुत बड़ी कम्पनी मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट में क्वार्टरली हाउसिंग डिमांड गुरूग्राम की 8.8

है, नोएडा की 20.06 है और दिल्ली की 47.02 है। हाउसिंग कम्पनी प्रोप टिगर की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में एन.सी.आर. में जो इन्वैंट्री ओवरहैंग ह ै वह सबसे ज्यादा गुरूग्राम में 73 महीने है। इन्वैंट्री ओवरहैंग होने के कारण गुरूग्राम में डिमांड नोएडा और दिल्ली के मुकाबले सबसे कम है। बुकिंग करवाने के बाद लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं और वहां पर बिल्डर राज चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 24 मीटर के रास्ते का क्या हल होगा और कब होगा?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता बिल्कुल जायज है। गुरूग्राम में आज से 10–15 साल पहले बहुत सारे बिल्डर्स को लाइसेंस दिये गये लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प नहीं हुआ। 24 मीटर के रोड नहीं बने तथा सीवरेज लाईन भी नहीं डली। इसमें यहां तक हुआ है कि वहां का ई.डी.सी. का पैसा भी किसी दूसरे शहर में लगा दिया गया। जो जमीन एक्वायर की गई थी उसका मुआवजा भी नहीं दिया गया तथा लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी चले गये और उन जमीनों पर इन्हांस्मैंट भी आती रही। अब उन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरूग्राम के विकास के लिए तरह–तरह की नीतियां बनाई हैं, खास कर सड़कों के निर्माण के लिए। 24 मीटर के सैक्टर रोड की यह नीति बनाई है कि जो जमीन उस रोड में आयेगी उसका टी.ओ.डी. (Transit Oriented Development) या एफ.ए.आर. (Floor Area Ratio) बढ़ा कर या जमीन देकर समाधान किया जायेगा। हम फोर्सीबली जमीन एक्वायर नहीं करते हैं बल्कि जमीन देकर 200 प्रतिशत तक का एफ.ए.आर. किसी और जगह पर ले सकते हैं। इस पॉलिसी के बाद हमारे पास लगभग 11 एप्लीकेशन आई हैं जिनमें से एक की हमने सैंक्शन भी कर दी है तथा 10 प्रोसैस में हैं। यह बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसी है और हम उम्मीद करते हैं कि जिसकी भी सड़क में जमीन आती है वह दोगुना एफ.ए.आर.

लेकर सरकार को रास्ता देकर बहुत लाभ उठा सकता है। मैं माननीय सदस्य से पहले भी कहता रहा हूं कि वे कोई ऐसा सुझाव दें जिससे गुरूग्राम का विकास हो। देश में अगर इससे अच्छी पॉलिसी है तो उसके बारे में बतायें ताकि हम उसको लागू कर सकें जिससे सड़कें बनें, सीवरेज डलें तथा गुरूग्राम का विकास हो।

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि वे महाराष्ट्र की तरह टी.डी.आर.(Transferable Development Rights) पॉलिसी हरियाणा में भी लेकर आये हैं। जब यह पॉलिसी वर्ष 2000 में आई थी उसके बाद इसमें बहुत से संशोधन हुए हैं। अभी हाल ही में पुणे के लिए भी इसमें संशोधन हुआ है। हम महाराष्ट्र जा कर आये हैं तथा उस विभाग के अधिकारियों से मिल कर आये हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान होगा। वर्तमान में जो टी.डी.आर. पॉलिसी लागू है यह नवम्बर, 2021 में लागू हुई थी और उसमें 8 महीने में सिर्फ एक टी.डी. आर. हुआ है और पी.डी.आर.(Purchase of Development Rights) तो एक भी नहीं हुआ है क्योंकि इस पॉलिसी में एक प्लॉट पर 2.0 का एफ.ए.आर. मिलता है।

श्री अध्यक्षः राकेश जी, पूरी पॉलिसी यहां पर डिस्कस न करें बल्कि आप अपना स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह टी.डी.आर. पॉलिसी कामयाब नहीं है। यह तब कामयाब हो सकती है जब जो एक प्लॉट पर 2.0 एफ.ए. आर. मिलता है उसके बदले अगर सरकार डीलर को कहे कि आप टी.डी.आर. खरीद लो हम आपसे .64 एफ.ए.आर. के पैसे नहीं लेंगे, आपको .64 एफ.ए.आर. खरीदना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सरकार यह भी नहीं चाहती है कि सरकार को जमीन एक्वायर करनी पड़े और न ही सरकार कोई इमरजेंसी क्लॉज लाना चाहती है जैसे नैशनल हाईवे पर इमरजेंसी क्लॉज 3–ए लगाई जाती है।

श्री अध्यक्षः राकेश जी, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लिखित में मंत्री जी के पास भिजवा दें।

श्री राकेश दौलताबादः अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है और इसका समाधान तभी निकलेगा जब इस पर डिस्कशन होगा।

श्री अध्यक्षः राकेश जी, यह प्रश्नकाल है और इसमें दूसरे सदस्यों के भी प्रश्न लगे हुए हैं, उनको भी अपने प्रश्न पूछने हैं। यह डिबेट का मंच नहीं है, आप अपने सुझाव मंत्री जी को लिखित में दे दीजिए।

———

To Open a Trauma Centre

*43. **Shri Deepak Mangla** : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Trauma Center in Palwal on Faridabad to Mathura National Highway; if so, the details thereof?

Health Minister (Shri Anil Vij): No, Sir.

श्री दीपक मंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पलवल के अन्दर पलवल से मथुरा और मथुरा से फरीदाबाद तक सारा नेशनल हाई–वे है और दिन प्रतिदिन उस नेशनल हाई–वे पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। पलवल से के.एम.पी., के.जी.पी. और बहुत सारी कनैक्टिविटी हो रही हैं। उस नाते से पलवल पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा भार बढ़ा है। जिस पर आए दिन एक्सीडैंट्स भी होते रहते हैं लेकिन हमारे इस हाई–वे पर कोई भी ट्रॉमा सैंटर नहीं है। अगर वहां पर एक ट्रॉमा सैंटर बना दिया जाए तो आए दिन जो एक्सीडैंट्स होते हैं उससे लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए हमारे सिविल होस्पिटल के सी.एम.ओ. साहब की तरफ से भी डी.जी. हैल्थ को एक लैटर गया हुआ है। उस लैटर के मुताबिक

वहां हर महीने 300 से 400 एक्सीडैंट होते हैं जिनको यहां से दूसरे होस्पिटल्ज के लिए रैफर किया जाता है। आगे आने वाले समय को देखते हुए वहां एक ट्रॉमा सैंटर बनाना बहुत जरूरी है उसके लिए पलवल के सिविल होस्पिटल के अन्दर जगह भी है और उसका साईट प्लान भी बनाकर भेजा हुआ है। अगर उसमें ही एक ट्रॉमा सैंटर बन जाएगा तो उससे सारे पलवल जिले और आस–पास के नैशनल हाई–वे से गुजरने वाले लोगों को बहुत सुविधा होगी। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा बृज का क्षेत्र है जिससे मथुरा–वृन्दावन जाने वाले बहुत से देश–विदेश के सैलानी यहां से होकर जाते हैं। आगरा जाने वाले देश–विदेश के सैलानी भी यहीं से होकर जाते हैं। वहां आए दिन एक्सीडैंट्स होते हैं उनको देखते हुए यह ट्रॉमा सैंटर सब के लिए सुटेबल रहेगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो यह हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सैंटर खोला जाता है। पलवल के सिविल होस्पिटल में भी सारी फैसिलिटीज हैं और फरीदाबाद के सिविल होस्पिटल में भी सारी फैसिलिटीज हैं। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में सात प्राईवेट ट्रॉमा सैंटर हैं। फरीदाबाद में अभी मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा 2400 बैड का अमृता होस्पिटल बना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी 24.08.2022 को करेंगे। मैं भी खुद उस होस्पिटल को देखकर आया हूं। उस होस्पिटल में बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक और लेटेस्ट फैसिलिटीज मुहैया कराई गई हैं लेकिन फिर भी माननीय सदस्य की चिन्ता को तरजीह देते हुए पिछले सदन में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि पलवल में एक मैडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। अतः वहां जो मैडिकल कॉलेज बनेगा उसमें हम ट्रॉमा सैंटर भी बनाएंगे।

श्री दीपक मंगला : धन्यवाद, मंत्री जी।

.....

Claim of Damaged Cotton Crops

*44. **Smt. Kiran Choudhry**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that the compensation of damaged Cotton Crops of 2021 has not been paid to the farmers of different villages of Tosham Assembly Constituency like Miran, Dhani Miran, Mandhan, Devavas, Jainawas, Bushan, Sahlewala, Alampur, Chhapar Jogian, Chhapar Rangran, Pinjokhara, Dadam, Bidola, Dhani Mahu, Nigana Kalan, Jhulli, Kharkri Sohan and Tosham;

(b) the details of the action taken by the Government against the erring private insurance companies; and

(c) the time by which the compensation of abovesaid effected farmers are likely to be paid together with the details thereof?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):

(a) No Sir, the claim of compensation for damaged Cotton Crop of 2021 has been distributed to the farmers of different villages of Tosham Assembly Constituency like Miran, Dhani Miran, Mandhan, Devavas, Jainawas, Bushan, Sahlewala, Alampur, Chhapar Jogian, Chhapar Rangran, Pinjokhara, Dadam, Bidola, Dhani Mahu, Nigana, Jhulli, Kharkri Sohan and Tosham, who had not insured their crop under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The details are as under :-

Sr. No.	Name of Tehsil	Name of Village	Sanctioned Amount	Disbursed Amount	Remaining Amount
1	Tosham	Miran (Dhani Miran)	29921500	4959992	24961508

2		Mandhan	6483500	2657539	3825961
3		Devavas	5944000	3761295	2182705
4		Jainawas	3771500	1982541	1788959
5		Bushan	4428500	706108	3722392
6		Sahlewala	4122500	1076221	3046279
7		Alampur	11903500	4933373	6970127
8		Chhapar Jogian	3001500	1462286	1539214
9		Chhapar angran	4729500	1581081	3148419
10		Pinjokhara	7063500	1961894	5101606
11		Dadam	3779500	1485580	2293920
12		Dhani Mahu	3495500	1358314	2137186
13		Niagan Kalan	2096500	743881	1352619
14		Jhulli	1936000	1152022	783978
15		Kharkri Sohan	7127000	4635971	2491029
16		Tosham	11962000	3011805	8950195
17		Bidola	6421500	2655748	3765752
Total			118187500	40125651	78061849

ii) Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana claim amount of Rs. 14.62 crore has been given to 3472 eligible insured farmers in 12 villages i.e. Pinjokhera, Chhapar Jogian, Chhapar Rangran, Dadam, Bidola, Jainawas, Mandhan, Bushan, Sahlewala, Nigana Kalan, Alampur and Dhani Mahu. No claim was made in Jhulli, Devavas, Tosham, Kharkri Sohan and Miran as per scheme parameter/norms.

(b) Agriculture and Farmers Welfare Department organized regular meetings with the insurance company to process claims. The Government of India also intervened to expedite the matter whenever necessary.

(c) The compensation has been transferred to all the beneficiaries who have provided details of their bank accounts. The rest of the farmers, who have not provided details of their account, will be given compensation after their account details are received.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उप मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया अपने प्रश्न का सारा उत्तर पढ़ा है। मैं अपने उस उत्तर से पहले एक बात रिकॉर्ड पर रखना चाहती हूं कि वर्ष 2020 में खरीफ की कोटन की फसल के समय हिसार और भिवानी को पूरा सूखा ग्रस्त घोषित किया गया था। हिसार के किसानों को तो आपने कम्प्नसेशन के पैसे दे दिये थे परंतु भिवानी के किसानों को अभी तक भी वे कम्पन्सेशन पैसे नहीं मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह विषय आपके इस प्रश्न का नहीं है। आप अपने प्रश्न के बारे में पूछिये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इसी प्रश्न पर आ रही हूं। मैंने उप मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई में सारी बातें पढ़ी हैं और उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से रिप्लाई दिया है कि कौन–कौन से गांवों में कितना–कितना डिस्बर्समैंट हो गया है। अगर मैं इस सारे को पढूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे मैं पढ़ सकती हूं। हर एक गांव के अन्दर जैसे ढाणी मिरान, मंढान, देवावास, जैनावास, भूसान, सालेवाला, आलम्पुर, छपार जोगियान, छपार रांगड़ान, पिंजोखड़ा, डाढम, ढाणी मोऊ, निंगाना कलां, झुली, खटरी, सोहान, तोशाम और बिढोला आदि। इन गांवों के किसानों को जितना कम्पनसेशन देना था उसका एक तिहाही भी अभी तक नहीं दिया गया है। वह रिमेनिंग अमाउंट अभी तक पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि किसानों के इस अमाउंट को कब तक दे दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna claim amounting of Rs. 14.62 crore has been given to 3472 eligible insured farmers in 12 villages i.e. Pinjokhera, Chhapar Jogian, Chhapar Rangran, Dadam, Bidola, Jainawas, Mandhan, Bushan, Sahlewala, Nigana Kalan, Alampur and Dhani Mahu but no claim was made in Jhulli, Devavas, Tosham,

Kharkari Sohan and Miran as per scheme parameter/norms. अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि मैं मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूँ कि 6 विलेजिज Tosham, Miran, Dhani Miran, Devavas, Kharkari and Jhulli ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन किया था। मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने एज पर नार्म्ज ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम में आवेदन नहीं किया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि इन गांवों ने नार्म्ज के मुताबिक आवेदन किया है। इन गांवों के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। बीसों बार डी.सी. के पास भी जाकर आये हैं। मैं आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यह कहना चाहती हूँ कि सरकार को डी.सी. को गांवों के अंदर भेजना चाहिए। अगर गांव वाले यह कह दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन नहीं किया है तो फिर मैं झूठी और मंत्री जी सच्चे। अध्यक्ष महोदय, जब यह बोला जाता है कि जिन गावों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपने आपको रजिस्टर्ड करवाया है, उनको क्लेम की राशि दे दी गई है तो बहुत दुख होता है क्योंकि जिन गांवों ने अपने आपको इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करवाया है, उनको भी अभी तक क्लेम की राशि नहीं दी गई है। आखिरकार सच्चाई क्या है ? मैंने तो बीमा कंपनियों के मैनेजर से बात करके उनको भी नाम भिजवाये हैं। ये जो बीमा कंपनियां हैं, वे ऐसे काम करती हैं जैसे सरकार ने पूरी की पूरी तोशाम तहसील में डिक्लेयर कर दिया कि यहां पर 31 परसेंट से लेकर 57 परसेंट तक फसल खराबा हुआ है लेकिन क्राप कटिंग वाली कंपनियां जो हैं, वे खराबा नहीं दिखाती हैं। यह बहुत बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। पार्लियामैंट के अंदर भी जब यह प्रश्न उठा तो वहां पर आनरेबल मंत्री जी ने जवाब दिया था कि कितने–कितने मुआवजे के कितने क्लेम्ज नहीं दे पा रहे हैं। सच्चाई यह है कि सरकार को इस चीज के उपर ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से यह धांधलेबाजी हो रही है और सदन में कहा जा रहा है कि लोगों ने मुआवजे के लिए क्लेम ही नहीं

किया है। मैं चैलेंज से कह रही हूँ कि मंत्री जी को वहां गावों में डी.सी. को भेजना चाहिए और डी.सी. की इस रिपोर्ट आ जाने के बाद मेरे झूठे होने या सच्चे होने का पता चल जायेगा।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन 17 गांवों की बात रखी है, सरकार द्वारा उनके क्लेम्स वेरिफाई किए गए है। लगभग 11 करोड़ 80 लाख के क्लेम्स उस सीजन के बने थे और 11 करोड़ रूपया प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और आगे सब डिवीजन की ट्रेजरी में भेज दिए है। पिछले साल यह निर्णय लिया गया था कि अब चैक काटकर नहीं दिए जायेंगे बल्कि डी.बी.टी. किया जायेगा क्योंकि अब फार्मर्ज रेगुलरली अपनी डिटेल अपडेट कर रहे हैं। लगभग 4 करोड़ रूपया आलरेडी फार्मर्ज के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है और बचा हुआ रूपया है, वह भी जल्द से जल्द फार्मर्ज को दे दिया जायेगा। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बैनीफिसीरिज किसान हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फार्मर्ज का जो क्लेम बनता है जैसाकि माननीय सदस्या ने बताया क्योंकि वह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया और बैंकिंग सैक्टर का एक कंसोलिडेटिड प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्राप कटिंग एक इंर्पोटेंट पार्ट है और उसके साथ 48 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और 12 दिन के अंदर वेरिफिकेशन का काम कंपनी के लोग जाकर करते हैं और वह रिपोर्ट पब्लिक प्रोफाइल पर डाल दी जाती है। माननीय सदस्या कह रही हैं कि उस समय क्लेम नहीं डले। उस समय क्लेम नहीं डले तो प्राइवेट कंपनी आज उनको क्लेम कैसे दे सकती है। जहां तक इस संदर्भ में सरकार की बात कही जा रही है, हरियाणा सरकार इस कार्य के लिए लायेबल नहीं है।

श्री अध्यक्षः दुष्यंत जी, माननीय सदस्या तो कह रही हैं कि किसानों ने जो क्लेम डाले हैं, वे क्लेम एंटर ही नहीं किए गए हैं।

श्री दुष्यंत चौटालाः स्पीकर सर, अगर पोस्टडेटिड, आज रेन फाल हुआ है और उसके 48 घंटे तक क्लेम नहीं डले तो वो भी कानूनी तौर पर प्रावधान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी की पूरी लिमिटेशन के अंदर है। माननीय सदस्य अगर ऐसी कोई बात कह रही है कि डिले है और वेरिफिकेशन हुई है तो मैं चाहूंगा उसका रिकॉर्ड मेरे को भी मुहैया करवा दिया जाये। मैं तुरंत डिप्टी कमिश्नर और वहां जो एल.डी.एम. है उनकी एक कमेटी बनाकर इन सबको रिवेरिफाई करवाने का काम करूंगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, भिवानी के अंदर जो कलस्टर–वन है, उसको देखती है, तुरंत उनके साथ इस मैटर को टेक अप करके मैटर को रिजोल्व करने का काम करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है कि डी.सी. मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना करेंगे । इससे सरकार को असलियत भी पता चल जाएगी । मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोशाम के किसानों का लगभग 7 करोड़ रुपये का पैंडिंग क्लेम कब तक दे देगी? इसके अलावा मैं बताना चाहती हूं कि फसल बीमा कम्पनियों ने पूरा गदर मचाया हुआ है । इसको ठीक करने के लिए फसल के मुआयने के समय उनके साथ सरकार का कोई नुमाइन्दा अवश्य होना चाहिए ताकि गरीब किसानों के साथ अन्याय न हो और उनको अपनी फसल का पूरा मुआवजा मिले । अतः सरकार एंश्योर करे कि फसल के मुआयने के समय उनके साथ कोई तहसीलदार या पटवारी को अवश्य जाना चाहिए ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन बीमा कम्पनियों का कृषि विभाग के साथ परव्यू है । माननीय सदस्या ने सुझाव दिया है कि बीमा कम्पनियों के साथ सरकार का भी कोई अधिकारी/कर्मचारी जाना चाहिए । इसके साथ–साथ पिछले सत्र में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि किसान की फसल की रिपोर्टिंग सही

नहीं होती है । इस पर मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले सत्र के खत्म होने के 15 दिन के अंदर–अंदर 'क्षतिपूर्ति पोर्टल' बना दिया था । राजस्व विभाग तो फसल के नुक्सान को वैरीफाई करेगा ही लेकिन हमने किसान को भी पावर दी है कि अगर किसी किसान की फसल आगजनी, ओलावृष्टि, ज्यादा बारिश आदि के कारण खराब हो जाती है तो वह अपनी फसल का फोटो खींचकर जियो टैग कर सकता है । मैं सदन के साथ यह जानकारी भी सांझा करना चाहता हूं कि अभी तक हरियाणा के 160 से अधिक किसानों ने अपनी फसल की खराबी की इस पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट की है । मैं सदन के माध्यम से भी पूरे प्रदेश के किसानों को बताना चाहता हूं कि अगर किसी किसान की फसल आगजनी, ओलावृष्टि, ज्यादा बारिश आदि के कारण फसल खराब हो जाती है तो वह अपनी फसल का फोटो खींचकर सरकार के 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' के अंतर्गत आने वाले 'क्षतिपूर्ति पोर्टल' पर जियो टैग कर सकता है । इससे सरकार को तत्काल पता चल जाएगा कि फलां किसान की फसल खराब हुई है ।

.....

The Present Status of Jagmag Yojna

*45**. Shri Mamman Khan:** Will the Power Minister be pleased to state: -

(a) the present status of pending works under Jagmag Yojna in district Nuh togetherwith the time by which the abovesaid works are likely to be completed; and

(b) the details of villages where Jagmag Yojna works have been completed alongwith the number of feeders still pending in Ferozpur Jhirka Assembly Constituency?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान जी, (क) जिला नूंह में 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है –

जिला नूंह में 58 घरेलु फीडर हैं जिनमें 441 गांव हैं ।

34 फीडरों पर आने वाले 263 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है ।

19 फीडर ऐसे हैं जिनमें 152 गांवों में काम चल रहा है ।

14 फीडरों पर आने वाले 101 गांवों का कार्य प्रगति पर है ।

5 फीडरों पर आने वाले 51 गांवों का कार्य ठेकेदार को दिनांक 24.05.2022 को आबंटित किया जा चुका है ।

शेष 5 फीडरों पर आने वाले 26 गांवों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है ।

यह पूरा कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।

ख) फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना की स्थिति निम्नानुसार है –

माननीय सदस्य के अपने निर्वाचन क्षेत्र में 20 ग्रामीण घरेलु फीडर हैं जिन पर 161 गांव हैं ।

7 फीडरों पर आने वाले 53 गांवों का कार्य पूरा हो चुका है ।

8 फीडर ऐसे हैं जिन पर 82 गांवों में काम चल रहा है ।

4 फीडरों पर आने 36 गांवों का कार्य प्रगति पर है ।

4 फीडरों पर आने वाले 46 गांवों का कार्य ठेकेदार को दिनांक 24.05.2022 को आबंटित किया जा चुका है ।

शेष 5 फीडरों पर आने वाले 26 गांवों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है ।

यह पूरा कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 'म्हारा गांव जगमग गांव योजना' की शुरूआत जुलाई 2015 में कुरूक्षेत्र के दयालपुर गांव से हुई थी । इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी गांवों को 24

घण्टे बिजली मुहैया करवाना था । मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। सदन में नूँह और पुन्हाना के भी दो विधायक बैठे हुए हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मामन जी, आप अपने हल्के की बात कीजिए ।

श्री मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पूरे जिले की बात कर रहा हूं । यह समस्या हमारे पूरे जिले में है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत टैण्डर देने के संबंध में जो बात कही है उसके बारे में मेरा कहना है कि यह बात सुनते हुए हमें एक साल हो चुका है कि इनका टैण्डर दे दिया गया है । मेरे पास जनता के रात को भी इस समस्या के संबंध में फोन आते हैं । जब 55 साल पहले पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा राज्य बना है तब से जितना बुरा हाल मेवात जिले में बिजली की सप्लाई का है, उतना शायद कहीं पर नहीं होगा। चूंकि हमें उम्मीद थी कि मेवात जिले में पिछले 55 सालों से जितनी भी बिजली की पुरानी तारें हैं, वे सभी बिजली की तारें 'म्हारा गांव, जगमग गांव योजना' के तहत बदली जाएंगी। लेकिन आज तक वहां पर 441 गांवों में से मात्र 150 गांवों के ही बिजली के तार बदले गये हैं। उदाहरण के तौर पर अभी भी मेरे फिरोजपुर झिरका हल्के के 161 गांवों में से 91 गांवों की बिजली की तारें बदली जानी बाकी हैं। वहां पर 20 फीडर्ज में से 11 फीडर्ज पर कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर इस संबंध में अधिकारियों से पूछते हैं तो यह कहा जाता है कि अभी उनके पास मैटिरियल नहीं आया है या तारें नहीं आयी हैं। मेवात के प्रति सरकार की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिसको सही तरह से बताया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन गांवों में 'म्हारा गांव, जगमग गांव योजना' के तहत पूरा काम हो चुका है, उन गांवों में कब तक 24 घंटे बिजली दी जाएगी ? इसके साथ ही साथ ढ़ाणियों की बात भी रखना चाहूंगा कि जब सरकार के पास संबंधित ढ़ाणियों में बिजली की सप्लाई देने की बात

करने के लिए जाते हैं तो सरकार कहती है कि पहले अस्टिमेट्स तैयार करवाकर पैसे डिपॉजिट करवाएं तब जाकर बिजली की सप्लाई करवायी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताए कि जो गरीब आदमी ढ़ाणियों में रहते हैं, वे कहां से पैसे डिपॉजिट करवाकर बिजली की सप्लाई लेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन गांवों में 'म्हारा गांव, जगमग गांव योजना' के तहत पूरा काम हो चुका है, उन गांवों में कब तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो जाएगी और संबंधित ढाणियों को कब तक 'म्हारा गांव, जगमग गांव योजना, के तहत जोड़ा जाएगा ?

श्री रणजीत सिंह अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह डिपार्टमैंट मेरे कार्यकाल से पहले 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था और अब अढ़ाई साल से मेरे पास है। भारत सरकार की फाईनैंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी चीफ मिनिस्टर्ज के साथ वी.सी. के दौरान कहा था कि I congratulate the Chief Minister Haryana and the Government of Haryana for performing much much better power system and will send a team from the Central Government to study the management of Haryana power system. इसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के 5,628 गांव ऑन रिकार्ड हैं। मैं यह बात ऑन रिकार्ड कह रहा हूं और गलत बात नहीं कह रहा हूं। हमारे प्रदेश में टोटल 6,703 गांव हैं और उनमें से 5,628 गांव इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना में हो सकता है कि माननीय सदस्य के हल्के के कुछ गांव आते हों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर उनके हल्के के कुछ गांव रह गये हैं तो उनको मेरे नोटिस में लाएं। मेरे ख्याल में विभाग के ऑफिशियल्ज ने 5 बार साइमलटेनियसली रेड की है। जिसमें 500 टीमों में 4,000 ऑफिशियल्ज की संख्या के हिसाब से बांटकर ड्यूटी लगायी थी जो अलग–अलग हिस्सों में चैक करने

के लिए गये हैं। इसके बाद पॉवर डिपार्टमैंट का लाईन लॉसिज 31.17 प्रतिशत से घटकर 13.46 प्रतिशत पर आ गये हैं। इस प्रकार बिजली की चोरी लगभग बन्द हो गयी है। अगर कहीं पर बिजली की चोरी होती है तो उसको चैक भी करना पड़ता है। अगर कहीं पर घरों के बाहर मीटर नहीं लगाने देते हैं तो वहां पर संबंधित योजना लागू नहीं हो पा रही है। वहां पर इस तरीके का काम हो सकता है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके बारे में बता दें। हम उस पर विचार करेंगे।

श्री मामन खान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 16 सितम्बर, 2021 को एडिशनल चीफ सैक्रेटरी साहब ने संबंधित तीनों विधायकों के साथ मेवात जिले में विजिट की थी। उस दौरान एडिशनल चीफ सैक्रेटरी साहब ने कहा था कि 10 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर्ज एज पर शैड्यूल लग जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारी एक मेंन दिक्कत है। विभाग का रूल है कि खंभे से लेकर घर पर लगे कनैक्शन की दूरी 30 मीटर की डोरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि हमारे मेवात जिले में 300–400 मीटर तक की डोरी खींचकर लगाते हैं जिससे प्रोपर बिजली नहीं मिलती है। मैं पूछना चाहूंगा कि वहां पर संबंधित रूल/स्कीम के तहत खंभे से लेकर घर तक कनैक्शन की 30 मीटर की डोरी सरकार कब तक पूरा करेगी ?

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार के पास समय– समय पर सुझाव आते रहते हैं। जहां पर पोल पर मीटर लगना संभव होता है, वहां पर पोल पर मीटर लगवा देते हैं और जहां पर यह काम संभव नहीं होता है, वहां पर केबल लगायी जाती है। चूंकि गांवों में ऊंची/नीची जगहों पर मकान बनने के कारण संभव नहीं होता कि पोल पर मीटर लगाएं तो फिर अगले मकान पर केबल से लगा दिया जाता है। यह बात सिच्यूएशन पर डिपैंड करती है। इसके अलावा हमने अभी ढ़ाणियों के लिए 500 पैट ट्रांसफार्मर्ज लिये हैं जिनको

डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जब ट्यूबवैल पर बिजली चली जाती है तो इनसे भी घरों में बिजली की सप्लाई चलती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पर बिजली की सप्लाई पहुंचायी जाए।

श्री मामन खान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन 500 पैट ट्रांसफार्मर्ज की बात की है, उनको एग्रीकल्चर परपज के लिए लगा रहे हैं। ये आम ढ़ाणियों में बिजली सप्लाई करने के लिए नहीं हैं। विभाग जो ए.पी. से डी.पी. बिजली सप्लाई कर रहा है, मैं तो उनके लिए कह रहा हूं। सरकार एग्रीकल्चर परपज के लिए पैट ट्रांसफार्मर्ज लगा रही है, उसके लिए तो मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने मेवात जिले में पैट ट्रांसफार्मर्ज लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि जिन ढ़ाणियों में ट्रांसफार्मर्ज नहीं हैं, उनके लिए अलग से कोई ऐसी स्कीम बनाएं जिसमें उन लोगों को अस्टिमेट्स बनवाकर पैसे डिपॉजिट न करवाने पड़ें और उन गरीब लोगों को रिलिफ मिले तथा उनके घरों में बिजली की सप्लाई भी पहुंच सके। हमारे एरिया में कुछ पैट ट्रांसफार्मर्ज केबल की वजह से रूके हुए हैं, इसलिए वहां पर स्टोर रूम्ज में केबल उपलब्ध करवा दी जाए तो उन बन्द पैट ट्रांसफार्मर्ज को भी चालू किया जा सकता है।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां के लोग ढ़ाणियों में जाकर रहने लग गये हैं। आदमपुर हल्के में सदलपुर गांव में आधे से ज्यादा लोग ढ़ाणियों में रहने लग गये हैं। ऐसी स्थिति में यह बात संभव नहीं है क्योंकि एक –एक ढ़ाणी में बिजली की सप्लाई के लिए गवर्नमैंट का बहुत पैसा लगता है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि लाल डोरे से 1 किलोमीटर तक के एरिया में बिजली की सप्लाई की जाए।

————————————

To Construct the Road

*46. **Shri Praveen Dagar**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the present status of construction of road to connect the Palwal-Nuh State Highway No. 13 with K.M.P. and Delhi Mumbai-Baroda Green Highway Interchange in village Mandkola togetherwith the time by which the construction work of abovesaid road is likely to be completed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, for construction of new road to connect the Palwal-Nuh State Highway No. 13 near village Mandkola with interchange of K.M.P. and Delhi-Vadodara-Mumbai Greenfield Expressway, NHAI was requested to provide land within existing ROW of Delhi-Vadodara-Mumbai Expressway. However, Project Director, NHAI, PIU Sohna has intimated that there is no extra space available to accommodate proposed PWD road in the ROW of Delhi-Vadodara-Mumbai Expressway. Now the land for proposed alignment is being finalized for purchasing the same through e-bhoomi portal. Construction work of above said road can be taken up only after purchase of requisite private land. Hence no time frame can be given.

श्री प्रवीण डागर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो ई–भूमि पोर्टल पर जमीनें एक्वायर करने की बात की गई है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी और हमारे संबंधित विभाग एच.एस.आई.आई.डी.सी. के उच्च अधिकारियों से भी बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी ड्यूटी भी लगाई थी कि अगर आपके पास इसका कोई और ऑप्शन है तो उस बारे में अवगत करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका नक्शा है जो मैंने श्री उमा शंकर जी को दे दिया था। एक हमारा पुराना हाईवे है। उसके पास से डी.एन.डी. रोड निकलता है और पलवल–नूंह राज्य मार्ग संख्या–13 को के.एम.पी. इंटरचेंज और दिल्ली–वडोदरा–मुम्बई ग्रीन फील्ड

एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण किया जाना है। यह रोड इन दोनों को जोड़ रहा है। उपमुख्यमंत्री जी, यह भी एक ऑप्शन है, अगर उसका सर्वे करवा लिया जाये तो वहां पर सरकार को जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बातना चाहूंगा कि यह जो लिंक बनवाना चाहते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है। पिछले दिनों मेरी मुलाकात श्री नितिन गडकरी जी से हुई थी और मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमें एन.एच.ए.आई. के राईट ऑफ वे के अनुसार परमीशन दे दी जाये। मगर एन.एच.ए.आई. future expansion के लिए राईट ऑफ वे रखती है इसलिए उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। अगर हम अढ़ाई किलोमीटर रोड बनायेंगे तो हमें 15 एकड़ लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी इसलिए हम इसको ई–भूमि पोर्टल पर डालेंगे ताकि यह लिंक रोड बन जायें। अगर इसके अलावा इनके पास कोई अल्टरनेट जगह है तो हमें इस बारे में भी सुझाव दे दें। उसको भी हम टेकअप करेंगे। इसके अलावा मैं एक अपडेट और देना चाहूंगा कि कल मैंने सदन में माननीय विधायक श्रीमती गीता भुक्कल जी ने झज्जर की झुझकवास वाली रिप्लाई के बारे में कहा था। आज की अपेडट इसमें यह है कि 10 करोड़ 71 लाख रुपये में टोटल झुझकवास की पेरीफेरी में जो फॉर्मर थे, उनको ई–भूमि पोर्टल पर ऐक्सेप्ट कर लिया गया है परन्तु मैं इनसे यह भी रिक्वैस्ट जरूर करना चाहूंगा कि वहां पर रजिस्ट्री के लिए लोग जल्दी–जल्दी लोकल ट्रेस आउट हो जायें। अगर रजिस्ट्री हो जायेगी तो हम इसका निर्माण भी जल्दी शुरू कर देंगे।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, यह मांग हमारे पूरे जिले की है क्योंकि इससे सारा जिला लिंक होता है। अगर यह जल्दी ही बनकर तैयार हो जायेगा तो हमारे पूरे जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, तीनों एक्सप्रेस वे का जंक्शन जहां पर बन रहा है उससे हमारे स्टेट हाईवे को कनैक्ट करेंगे तो हमारे वहां पर उद्योग और अन्य धंधे महत्पूर्णता के साथ जुड़ेंगे। हम इसको प्रॉयरटी के आधार पर करने का काम करेंगे।

———————

नगरपालिका रतिया/नगर निगम पंचकूला के पार्षदों का अभिनंदन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में नगरपालिका रतिया के नवनिर्वाचित पार्षद श्री विजय कुमार, श्री रमेश कुमार, श्री धीरज कुमार, श्री गौरव शर्मा, श्री गुरप्रीत सिंह, श्री अजमेर सिंह, श्री अजय गुप्ता, श्री करनैल सिंह, श्री जोगिन्द्र कुमार और पंचकूला से पार्षद श्री नरेन्द्र पाल सिंह जी वी.आई.पी. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

———————

तरांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To Provide Reservation in the Promotion to SC Employees

*47**. Shri Bishamber Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that an announcement to provide reservation in the promotion to the scheduled castes employees (class-I and II) in State on the pattern of Central Government has been made by Hon'ble Chief Minister in the State level Kabir Jayanti function in the year 2022; and

(B) if so, the time by which the abovesaid announcement is likely to be implemented togetherwith the details there?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, (क) एवं (ख) केन्द्रीय अधिसूचना एवं प्रासंगिक निर्णय के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए 12 जून 2022 को रोहतक में एक घोषणा की गई थी। मामला सरकार के परीक्षणाधीन है जिसमें व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी सलाह की आवश्यता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसके ''क'' भाग का उत्तर हां श्रीमान जी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 12 जून, 2022 को रोहतक में एक घोषणा की थी कि केन्द्र के तर्ज पर क्लास–वन और क्लास–टू के अधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण दिया जायेगा। माननीय सदस्य के प्रश्न के ''ख'' भाग के उत्तर में कहा गया है कि केन्द्रीय अधिसूचना एवं प्रासंगिक निर्णय के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए 12 जून 2022 को रोहतक में एक घोषणा की थी। उसमें ए.जी. हरियाणा की राय ली जायेगी। अगर ए.जी. हरियाणा की राय पॉजिटिव आती है तो उसके बाद एक कमेटी बनाई जायेगी। वह कमेटी काडर वाइज देखेगी कि किस काडर में कितना शॉर्ट फाल है। उसी के हिसाब से कमेटी का जो निर्णय आयेगा उस हिसाब से कार्रवाई करने का काम करेंगे।

श्री बिशम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि एक ऐतिहासिक फैसला 12 जून, 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि इसकी

एक समय सीमा का आश्वासन दिया जाये क्योंकि हमें जनता के बीच में जाना पड़ता है और जनता हम से इस बारे में सवाल जवाब करती है।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे पास ए.जी. हरियाणा की राय आ जायेगी तो हम 3 महीने के अंदर कमेटी बना देंगे।

.....

@Reply given by the Co-operative Minister (Dr. Banwari Lal)

श्री सत्य प्रकाशः माननीय स्पीकर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है कि इन्होंने वर्ष 2015 में एक कैबिनेट मीटिंग में यह स्वीकार किया था कि यह 85वां संविधान संशोधन लागू हो जायेगा और इसकी इंस्ट्रैक्शन भी जारी हो गई, परन्तु इसी विधान सभा में माननीय एस.सी., एस.टी. मंत्री डॉ. बनवाली लाल जी ने भी एक वर्ष पूर्व घोषणा कर दी थी। इसके बावजूद यह किस अदृश्य शक्ति से अटका हुआ है, यह समझ से बाहर की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले भी हैं और उन्होंने बार–बार आदेश दिये हैं कि इसको लागू करो। जब रोस्टर की बात आई कि रोस्टर को ठीक करो। तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिये थे। एक मामला पीडब्ल्यूडी विभाग का सामने आता है कि हम सिनियोरिटी रोस्टर के अनुसार नहीं बल्कि एच.पी.एस.सी. द्वारा तैयार मैरिट के अनुसार तय करते हैं। एच.एस.एस.सी. और एच.पी.एस.सी. मैरिट तैयार करती है जबकि एक वर्ष पहले इसी सदन में कहा गया था की एच.एस.एस.सी. और एच.पी.एस.सी. मैरिट तैयार करती है सिनियोरिटी तैयार नहीं करती। अब कह रहे हैं सिनियोरिटी भी एच.एस.एस.सी. और एच.पी.एस.सी. तैयार करती है। जो प्रमोशन का 85वां संविधान संशोधन है वह पूरे देश में लागू हो गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एस.सी., एस.टी. को न्याय देने के लिए 85वां संविधान संशोधन लागू किया था। उस पर कोर्ट का भी कोई स्टे नहीं है, लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि एक बार इसकी कोई विशेष कमेटी बनाकर एक निश्चित समयावधि के अन्दर यह काम करवाया जाये। मैरिट और सिनियोरिटी के बीच में अन्तर डाल रखा है। एक तरफ कहा जाता है कि मैरिट के अनुसार सिनियोरिटी बनाते हैं जबकि रिक्विजेशन रोस्टर के हिसाब से भेजी जाती है। इसलिए सिनियोरिटी भी रोस्टर के हिसाब से होनी चाहिए। आज लाखों शिड्यूल कास्ट के कर्मचारियों का हरसमैंट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा

आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर इसे पूरा करवाये।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि यह क्लास–I क्लास और क्लास–II दोनों में रिजर्वेशन का मामला है। जिसकी हम ए.जी. ऑफिस की राय लेकर एक कमेटी बनायेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा विधान सभा में एस.सी., एस.टी. और बी.सी. वर्ग की एक कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी ने पहले ही रिकमंडेशन दे रखी है और इस कमेटी में ए.जी. हरियाणा, वित्त विभाग, और एस.सी., एस.टी विभाग स्पेशल सेक्रेटरी को भी बुलाया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब एक और अलग कमेटी बन जायेगी तो विधान सभा की एस.सी., एस.टी. कमेटी ने जो रिकमंडेशन दी है उसका क्या होगा? यह 85वां संविधान संशोधन एस. सी., एस.टी. कर्मचारियों की जीवन रेखा है। जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो कमेटी की क्या वैल्यू है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा से ऊपर तो कोई कमिटमैंट हो ही नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसको कब तक लागू किया जायेगा।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं उनके बारे में लीगल ओपिनियन ए.जी. हरियाणा से लेनी है कि हम इसे लागू कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही हम कुछ कह पायेंगे।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमने कमेटी की मीटिंग में ए.जी. हरियाणा को भी बुला लिया था और प्रोसिडिंग भी हो गयी थी फिर इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः ईश्वर सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो कोर्ट के अन्दर केस चल रहे हैं उनकी लीगलिटी क्या है उसके अन्दर क्या विषय हैं क्या नहीं हैं ये सारी चीजें देखने के बाद ही इस पर कुछ किया जा सकता है।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, फिर कमेटी की रिकमंडेशन का क्या होगा?

श्री मनोहर लाल (मुख्यमंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि मैंने रोहतक में घोषणा की थी परन्तु साथ में उस घोषणा में मैंने दो बातें और भी कही थी कि केंद्रीय अधिसूचना और प्रासंगिक निर्णय यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। उन दोनों को मिलाकर के जो केंद्रीय स्तर पर यह क्लास 'ए' और 'बी' की पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, वैसा हम करेंगे। लेकिन अब स्थिति यह बनी हुई है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें एक निर्णय यह दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन एक विषय यह भी है कि उसमें पहले से जो दो निर्णय हो रखे हैं। उसमें यह था कि यह रिजर्वेशन क्लास के हिसाब से किया जायेगा या कैडर के हिसाब से किया जाएगा। ये दो निर्णय अलग–अलग हुए हैं। इसका अंतिम निर्णय अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर पर होना शेष है। एक तो यह है कि क्लास या ग्रुप as a whole उसका रिजर्वेशन किया जाये कि टोटल एस.सी. की इतनी रिजर्वेशन बाकी हैं और वह मिलाकर टोटल रिजर्वेशन बढ़ा दी जाये। दूसरी बात यह है कि हर विभाग का जो कैडर है उस कैडर के हिसाब से जो रिजर्वेशन में कमी है उसको पूरा किया जाये। अध्यक्ष महोदय, ये निर्णय होने अभी शेष हैं। इसको हमने पहले एल.आर. के पास भेजा कि क्या हम केन्द्र सरकार के हिसाब से इस बारे में अधिसूचना जारी कर सकते हैं? एल.आर. मैडम ने कहा कि नहीं, जब तक इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का बाकी निर्णय नहीं हो जाता तब तक इसको लागू करना कठिन है लेकिन हमने इस बारे में फिर भी विचार किया कि एक बार ए.जी. साहब से हम पूछ लें कि क्या इसका उतना ही नोटिफिकेशन जो सैंट्रल गवर्नमैंट का पार्ट है यदि हम उसको अधिसूचित करेंगे तो क्या उसका लाभ होगा? अगर इस बारे में ए.जी. साहब की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसको तीन महीने के अंदर–अंदर लागू किया जायेगा। इसके विपरीत अगर उनकी रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि नहीं अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आयेगा उसके हिसाब से

नोटिफिकेशन की जाये। उसके बाद हम इस मामले में जो 17.08.2022 की डेट लगी हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है उसके हिसाब से उस पर हम आगे निर्णय करके हम नोटिफाई भी करेंगे और यह हमारा वायदा है कि सैंट्रल गवर्नमैंट के ऑफिसिज में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे।

————————————

To Declare Gohana as District

*48. **Shri Jagbir Singh Malik:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state: -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Gohana as district; and

(b) if so, the time by which it is likely to be declared?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, there is no proposal under consideration to declare Gohana as a district.

श्री जगबीर सिंह मलिकः स्पीकर सर, उप मुख्यमंत्री जी ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है कि 'नहीं श्रीमान् जी' इस संबंध में रेा यह कहना है कि जे.जे.पी. ने गोहाना के लोगों को वर्ष 2019 के विधान सभा इलैक्शन में आश्वासन दिया था कि आपके गोहाना को जिला बनाया जायेगा। इसी प्रकार से बी.जे.पी. ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के विधान सभा इलैक्शन के अपने मैनीफैस्टों में कहा था कि गोहाना को जिला बनाया जायेगा। इस प्रकार से जे.जे.पी. और बी.जे.पी. दोनों पार्टियों ने गोहाना में गोहाना को जिला बनाने के नाम पर लोगों से वोट मांगी लेकिन आज उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोहाना को जिला नहीं बनाया जायेगा। जिस प्रकार से गोहाना के लोगों को बरगलाकर वोट मांगी गई गोहाना की जनता जरूर हिसाब लेगी। अध्यक्ष

जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि वे बतायें कि गोहाना को जिला क्यों नहीं बनायेंगे?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मामलों को एग्जामिन करने के लिए हरियाणा सरकार की कैबिनेट द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में तीन मिनिस्टर्ज थे। जब उस कमेटी के पास गोहाना को जिला बनाने का परपोजल गया था उस समय गोहाना को जिला बनाने के लिए जितने गांव, जितनी जनसंख्या, जितनी सब–डिवीजन और जितनी तहसीलें होनी चाहिएं थी गोहाना उस क्राईटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था। उसके बाद सैंटर की सैंसस की एक नोटिफिकेशन आई जो बार–बार because of Covid-19 डैफर हुई। हमने सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर को वह चिट्ठी भेज दी थी कि डिप्टी कमिश्नर इसको रि–वैरीफाई करें और यह पता लगाया जो कि क्या हम साथ लगते दूसरों जिलों से पॉपूलेशन, तहसील और सब–डिवीजन इसके अंदर एड कर सकते हैं? जो नया जिला बनाने के लिए निर्धारित क्राईटेरिया है अगर गोहाना उस क्राईटेरिया को फुलफिल कर पायेगा तभी गोहाना को नया जिला बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार का मामला हांसी का भी है। गोहाना और हांसी दोनों की कंसर्ड डिप्टी कमिश्नर्ज के पास रिपोर्ट भेजी गई है वे कंसीडर करके दोबारा फ्रैश रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

————————

To Start Works Under Mahagram Yojana

*49. **Shri Amit Sihag:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the time by which the works under Mahagram Yojana in village Ganga of Dabwali Assembly Constituency are likely to be started/ completed;

(b) the details of the progress made by the Government so far; and

(c) whether any inconvenience has been faced by the residents of village Ganga during the execution of the abovesaid works; if so, the steps taken by the Government in this regard?

@ मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान, (क) गांव गंगा में महाग्राम योजना के तहत कार्य 19.08.2019 को शुरू किया गया था और इसके 31.12.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) गंगा में जलापूर्ति योजना के विस्तार का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है और सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। मल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए निविदाएं 01.09.2022 तक आमंत्रित करने की संभावना है।

(ग) हां, कार्य के निष्पादन के दौरान निवासियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा। कार्य करने के दौरान खंडित की गई सड़कों की मरम्मत का काम विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है और इसे बरसाती मौसम के बाद अर्थात् 31.10.2022 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

श्री अमित सिहाग: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अगस्त, 2019 में महाग्राम योजना के तहत गांव गंगा का काम शुरू हुआ था। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि लगभग 18 महीनों में काम पूरा कर दिया जायेगा। उसके बाद मुझे ऐस्टीमेट कमेटी में भी लिखित में यह आश्वासन मिला था कि 31.12.2021 तक यह काम पूरा कर दिया जायेगा। आज अगस्त, 2022 आ गया है लेकिन अभी बहुत का बकाया है। मंत्री जी ने स्वयं माना है कि अभी एस.टी.पी. नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार से अभी तक वाटर वर्क्स को नहर से नहीं जोड़ा गया है। आज की तारीख में उस गांव की अधिकतर गलियां पूरी तरह से टूटी पड़ी हैं। यह महाग्राम योजना पूरे हरियाणा में चलाई जा रही है और मुझे लगता है कि लगभग हर जगह यही स्थिति होगी इसलिए पिछले तीन सालों से वहां के लोगों की क्या हालत है यह देखने की आवश्यकता है। मैं यह एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें

.....

@ Reply given by Co-operative Minister (Dr. Banwari Lal)

धूल ही धूल उड़ रही है और इसी हालात में वहां के नागरिक पिछले 3 साल से जीवन यापन कर रहे हैं। मैं उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं और उन्होंने बताया है कि बहुत से लोगों को सांस की बीमारी हो गई है। वहां पर जो सीवरेज की लाईन डाली जा रही है उसके गड्ढों के कारण लोगों की गाड़ियों का सस्पैंशन खराब हो रहा है। इस दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि बरसात के मौसम में एक स्कूल वैन धंस गई है तथा एक ट्रक धंस गया है। इस प्रकार से वहां के लोगों का सामान्य जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। जिस योजना को महाग्राम बता रहे हैं सही मायने में तो वह तीन साल के लिए उन लोगों के लिए महासंग्राम बन कर रह गई है। मेरे विचार से जब इसका टैंडर किया गया तब शायद यह प्रावधान नहीं किया गया कि जब सीवरेज डालने के लिए ये गलियां उखाड़ी जायेंगी तो उनको दोबारा बनाया जायेगा। जो ठेकेदार था उसने गलियों से ब्लॉक निकाल दिये और जब लोगों ने दबाव बनाया तो उसने कहा कि पैच वर्क करेंगें। उसने बगैर मिट्टी को दबाए पैच वर्क कर दिया। जब बरसात आई तो वह मिट्टी नीचे बैठ गई और सारी गलियां दोबारा से टूट गई जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त जहां पर आर.सी.सी. की गलियां थी उनमें सीवरेज डालने के बाद पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट का कहना था कि यह ठीक करना पंचायतीराज का काम है और पंचायतें पिछले एक डेढ़ साल से निष्क्रिय हैं इसलिए उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब मुझे पता चला है कि आप चौटाला गांव को भी महाग्राम बनाने जा रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि जब भी टैंडर किया जाये तो उसमें गलियों को बनाने का

प्रावधान भी किया जाये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 31.10.2022 तक इस कार्य के पूर्ण होने का आश्वासन दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी आश्वासन चाहता हूं कि पैच वर्क नहीं हमें पूरी गलियां दोबारा बनी हुई चाहिएं और अगर यह काम 31.10.2022 तक पूरा नहीं हुआ तो क्या माननीय मंत्री जी उस गांव का दौरा करेंगे और इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार होगा क्या उसके खिलाफ एक्शन लेंगे?

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि जब भी विकास का कोई काम होता है तो लोगों को कुछ समय के लिए असुविधा तो होती है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह कही है कि क्या टैंडर में गलियों को बनाने का कोई प्रावधान है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अब पानी की लाईन या सीवरेज की लाईन डालने के लिए पूरे हरियाणा में जहां भी सड़कें या गलियां टूटती हैं तो पब्लिक हैल्थ ही उस काम को करायेगा। इस प्रकार का प्रावधान टैंडर में किया गया है।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, जब हमने पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि यह हमारे विभाग का काम नहीं है और ठेकेदार से पूछा तो उसने भी यही कहा कि हम सिर्फ पैच वर्क करेंगे क्योंकि टैंडर में इन गलियों को बनाने का प्रावधान नहीं है।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कह रहा हूं कि हम इस काम को करवायेंगे। अब हमने टैंडर में ही यह प्रावधान कर दिया है तथा पूरे हरियाणा में जहां भी इस तरह का काम होगा उसको पब्लिक हैल्थ करेगा।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों के आधार पर यह बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः अमित जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि वे पब्लिक हैल्थ विभाग के माध्यम से करवायेंगे।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक गांव की बात नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी तरह से काम हो रहा है।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पहले यह प्रावधान नहीं था लेकिन अब हमने यह प्रावधान कर दिया है और हम पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के माध्यम से यह काम करवायेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां–जहां नहीं हुआ क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : ठीक है।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ एक आश्वासन चाहता हूं। अगर सरकार सही मायने में गंभीर हैं तो इसमें जिसकी भी जिम्मेवारी है अगर वह इस काम को 31.10.2022 तक नहीं करता है तो आप एक बार इस गांव में आने का कष्ट जरूर करें।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम इसको 31.10.2022 से पहले करवा देंगे इसलिए माननीय सदस्य चिन्ता न करें।

————————————

Practice of Electropathy System of Medicine

*50. **Shri Sudhir Singla**: Will the Ayush Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that the doctors of electropathy/electrohomeopathy system of medicine are practicing in the State;

(b) if so, the number of the doctors who are practicing electropathy system of medicine in the State;

(c) whether any scheme has been formulated by the Government for promoting the abovesaid system of medicine in State togetherwith the details thereof; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to implement any law regarding the practice and registration of doctors of electropathy system of medicine in State togetherwith the details thereof?

Health and AYUSH Minister (Shri Anil Vij): (a) & (b) Electrohomoeopathy is not a recognized system of medicine. Hence, no such record available in this office.

(c) & (d) Electrohomoeopathy is currently not a recognized system of medicine. However, the issue of recognition of Electrohomoeopathy as a system of medicine is currently under examination of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, (Department of Health Research).

श्री सुधीर सिंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां सिविल होस्पिटल नहीं है क्योंकि अभी तक वहां नई बिल्डिंग ही नहीं बनी है और वह बनेगी भी कैसे क्योंकि अभी तक वह पहले वाली पुरानी बिल्डिंग ही नहीं टूटी है तो फिर नई बिल्डिंग कब बनेगी? मैं तीन साल से प्रश्न लगा रहा हूं और मंत्री जी ने भी मुझे दो–तीन महीने का आश्वासन तीन बार दिया है लेकिन वह अभी तक नहीं बनी है। हमारे गुरूग्राम में काफी इलैक्ट्रोहोमोपैथिक डॉक्टर्ज हैं और उनसे आम लोग भी इलाज करवा रहे हैं। यह सारी बातें सरकार की जानकारी में भी हैं लेकिन सरकार उनको रिकोग्नाईज नहीं कर रही है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि

इन इलैक्ट्रोहोमोपैथिक डॉक्टर्ज को रिकोग्नाईज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री अनिल विज : सर इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास इलैक्ट्रोहोमोपैथिक के लिए कुछ रिप्रजैंटेशन आई हैं जिनको हमने केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है लेकिन अभी केन्द्र सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया है। जो रिसर्चविंग है– केन्द्र का डिपार्टमैंट ऑफ हैल्थ रिसर्च जो केन्द्र सरकार की मिनिस्टरी ऑफ हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर के अण्डर है, उसे दिया हुआ है क्योंकि this is a new concept. This is not Homeopathy started by Dr. Hahnemann. This is not that, this is a new concept. होमोपैथिक को हम रिकोग्नाईज करते हैं। हमारे पास उसके डॉक्टर्ज भी हैं और उनको हम हस्पतालों में रखते भी हैं लेकिन इलैक्ट्रोहोमोपैथिक का अभी तक कहीं कोई रिसर्च पेपर नहीं बने हैं। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया जब तक इसको रिकोग्नाईज नहीं कर देती है तब तक हम इनको मान्यता नहीं दे सकते हैं।

.....

To Allocate the Funds

*51. **Shri Dharam Pal Gonder**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state: -

(a) the extent of funds allocated for the Nilokheri Municipal Committee by the Government since the formation of the present Government; if not, whether there is any proposal under consideration of the Government to allocate the funds in future; and

(b) whether it is a fact that a list of the development works worth rupees 14 crore was sent by me to the Director General's office; if

so, the reasons for which the funds have not been released by the Government for the abovesaid works so far?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके (क) भाग का उत्तर है–हां श्रीमान जी, वर्तमान सरकार के गठन के बाद नगरपालिका नीलोखेड़ी को 1244 लाख 91 हजार रुपये की राशि अलोट की जा चुकी है। जिसकी डिटेल में 847 लाख 22 हजार रुपये एस.एफ.सी. का है और 383 लाख 87 हजार रुपये सी.एफ.सी. का है और 13 लाख 82 हजार रुपये स्वच्छ भारत मिशन विभाग का है। इस तरह से ये 1244 लाख 91 हजार रुपये बांटे गये हैं।

(ख) इसमें इन्होंने जो विकास कार्यों की लागत सूची भेजी थी वह 17.03.2022 को 1395 लाख रुपये के विकास कार्यों की सूचि प्राप्त हुई थी जोकि 30.03.2022 को जिला नगर आयुक्त, करनाल को कार्यों के होने की संभावना एवं राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अनुमान तैयार करने के लिए भेजी गई थी।

(ग) इसके बाद सचिव, नगर पालिका, नीलोखेड़ी द्वारा उनके पत्र दिनांक–22.06.2022 के माध्यम से 1393 लाख रुपये की लागत के 10 कार्यों की अनुमान आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति लेने के लिए और राशि के आबंटन के लिए जिला नगर आयुक्त करनाल को भेजे गये हैं। जिला नगर आयुक्त, करनाल से मामला प्राप्त होते ही इस पर विचार किया जाएगा। एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ कि सभी नगरपालिकाओं के लिए वर्ष 2022–2023 के सी.एफ.सी. तथा एस.एफ.सी. के भाग की अनुमानित राशि को देने के लिए क्वार्टर कंसंर्ड को निर्देशित कर दिया गया है। यह भाग जल्द से जल्द मिल जायेगा। जहां तक नीलोखेड़ी की बात है, इसके लिए 3 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि एस.एफ.सी. के लिए और 88 लाख रूपये की राशि

12:00 बजे

सी.एफ.सी. के लिए अर्थात कुल मिलाकर इनको एरियर के रूप में 4 करोड़ 68 लाख रूपये की राशि वर्ष 2022–2023 के दौरान मिलेगी।

श्री धर्मपाल गोंदरः अध्यक्ष महोदय, महानिदेशक कार्यालय द्वारा हमें 14 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सूची भेजी गई थी, जिसके एस्टिमेट्स बनाकर भेज दिए गए थे तो अब मैं केवल यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह राशि हमें कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इस राशि की स्वीकृति के लिए हमने केस डी.एम. सी. को भेज दिया था। वेरिफिकेशन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद यह राशि तुरंत प्रभाव से जारी कर दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हम इनको अभी तक क्रमशः 1244 लाख रूपये तथा 91 हजार रूपये की राशि एलोकेट भी कर चुके हैं और जो यह 4 करोड़ और 68 लाख रूपये की राशि बची है, इसका भी 25 परसेंट इनको भेजा जा चुका है और शेष राशि बाकी की तीन किस्तों में इनको मिल जायेगी।

श्री धर्मपाल गोंदर : अध्यक्ष महोदय, यह राशि वर्तमान सरकार बनने से पहले की है या वर्तमान सरकार बनने के बाद की है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह राशि वर्तमान सरकार बनने के बाद की है। मैंने सदन में वर्ष 2019 के बाद का ही ब्यौरा दिया है।

श्री धर्मपाल गोंदर : अध्यक्ष महोदय, यह राशि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। आज नीलोखेड़ी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। नीलोखेड़ी तो ऐसा हलका है जिसका हर सरकार में एक अहम रोल होता है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ऑन रिकार्ड ये सारी बातें बता रहा हूँ और अगर ये बातें गलत हुई तो ऐसी अवस्था में कंसंर्ड आफिसर की जिम्मेवारी तय करते हुए, उसको सजा दे दी जायेगी।

श्री धर्मपाल गोंदर : अध्यक्ष महोदय, हम 14 करोड़ रूपये की राशि का पिछले छह महीने से इंतजार कर रहे हैं इसलिए हमें जल्द से जल्द यह राशि दे दी जाये।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह 14 करोड़ रूपये की राशि नहीं है क्योंकि 1245 लाख रूपये की राशि इनको पहले ही एलोकेट हो चुकी है।

श्री धर्मपाल गोंदर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, वास्तव में महानिदेशक कार्यालय ने हमसे 14 करोड़ रूपये के विकास कार्यो के एस्टिमेट्स मांगे गए थे।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 17.3.2022 को एप्लाई किया था और इसके बाद 22.6.2022 को इस राशि की स्वीकृति के लिए हमने डी.एम.सी. को मैटर भेज दिया था। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें हम दो–तीन महीने की समयावधि में जल्द से जल्द यह काम कर देंगे।

श्री धर्मपाल गोंदर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही आपसे एक अनुरोध यह भी करना चाहूंगा कि हमें बोलने का थोड़ा ज्यादा समय दिया जाये। हम इस सदन में अपने हल्के की जनता की समस्याओं को लेकर आते हैं। हल्के वाले चाहते हैं कि हम यहां पर उनकी आवाज को उठायें और उनकी समस्याओं का कोई न कोई समाधान निकालकर लाये लेकिन हमें सदन में तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के लगभग तीन साल के कार्यकाल में मुझे महज दो बार ही बोलने का मौका मिला है।

श्री अध्यक्षः गोंदर जी, अब भी तो आप सदन में बोल रहे हैं। यह मौका आपको किसने दिया ? अब जैसा कि आपने कहा कि आपको तीन साल मे दो बार ही बोलने का मौका दिया गया है, के प्रत्युतर में आपको बताया जाता है कि एक घंटे के अंदर सदन का पिछले सालों का रिकार्ड निकालकर आपको बता दिया जायेगा कि आप सदन में कितनी बार बोले हैं।

श्री धर्मपाल गोंदर : अध्यक्ष महोदय, ठीक है लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात के लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि मुझे सदन में पिछले लगभग तीन सालों में जो बोलने का मौका मिला और उस दौरान मैंने जो भी काम सदन में रखे उनमें मेरा बस एक काम पूरा हुआ कि मेरे द्वारा जो सदन में लगी माइक को बढ़ाने की बात कही गई थी, केवल उसी को पूरा किया गया है बाकी मेरा कोई काम नहीं हुआ। (हंसी)

श्री अध्यक्षः गोंदर जी, काम तो सरकार ने करवाने हैं। मैं तो केवल आप सभी माननीय सदस्यों की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब आप प्लीज बैठिए।

श्री धर्मपाल गोंदर : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

————————————

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Increase the Drug De-addiction Centres

*52. **Shri Shishpal Singh Keharwala:** Will the Health Minister be pleased to state: -

(a) the number of death occurred in district Sirsa due to intoxication from March, 2020 upto June, 2022;

(b) the number of drug de-addiction centers in district Sirsa togetherwith the number of the beds therein;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the beds in the present drug de-addiction centers or to increase the number of drug de-addiction centers in district Sirsa; and

(d) the steps taken or likely to be taken by the Government to prevent the increasing effects of drug/intoxication abuse in district Sirsa including the Kalanwali?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

कथन

(क) रिकॉर्ड अनुसार मार्च 2020 से जून 2022 तक तीव्र नशीली दवाओं के नशे से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है।

(ख) अनुलग्नक के अनुसार।

(ग) जिला सिरसा में नशामुक्ति केंद्रों की संख्या और उनकी बिस्तर क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की घोषणा के अनुसार सिरसा जिले में एक अतिरिक्त नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा।

(घ) जिला जेलों, स्कूलों, कॉलेजों, बाल देखभाल संस्थानों और वृद्धाश्रमों जैसे प्रभावित स्थानों पर गहन आईईसी गतिविधियां और विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

Annexure

Sr. No.	Name of Centre	Location	Govt./Private	Beds
1	General Hospital, Sirsa	Sirsa	**Government**	10
2	Sub Divisional Hospital, Mandi Dabwali	Mandi Dabwali	**Government**	10
3	Laghu Bal bhawan, Odhan Road Kalanwali, Sirsa(IRCA)	Kalanwali	**Government**	15

4	Nirmal manorog, Kalanwali	Kalanwali	Private	6
5	Bansal Mentality disease & Drug De-Addiction hospital, Mandi Dabwali, Sirsa	Sirsa	Private	6
6	Rori Manorog Hospital Evam Nasha mukti kender, near bus stand, Rori, tehsil kalanwali, Distt. Sirsa	Rori	Private	6
7	Jiwan Nagar Manorog Hospital Evam nasha mukti kender, jiwan nagar, tehsil Rania, Distt. Sirsa	Jiwan Nagar	Private	10
8	Vishwas Psychiatric & De-addiction Hospital, Sangwan chowk, near sharma petrol pump, Sirsa	Sirsa	Private	10
9	Prerna Health care, psychiatric & De-addiction Hospital, Nagar Parishad, unit no 854, ward no 21, gali no 9, St. joseph's high school, Dabwali Distt. Sirsa	Mandi Dabwali	Private	10
10	Narang neuropsychiatric Hospital, Opp. HDFC Bank, Sangwan Chowk, Sirsa.	Sirsa	Private	10
11	Holy Nursing Home, Sirsa	Sirsa	Private	10
12	Sain Manorog & Nashamukti Hospital, Sirsa	Sirsa	Private	6

To Sanction Government Aided Science Faculty Seats

*53. **Smt. Naina Singh Chautala**: Will the Education Minister be pleased to state: -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to sanction Government Aided Science faculty seats in Women College in Jhojhu Kalan; if so, the time by which these are likely to be sanctioned; and

(b) the time by which the N.C.C unit is likely to be established in Women College in Jhojhu Kalan?

शिक्षा मंत्री, (श्री कंवर पाल): (क) नहीं श्रीमान जी,

(ख) महिला महाविद्यालय झोझू कलां में एन0सी0सी0 प्रारंभ करने का आवेदन पत्र बटालियन, 2 हरियाणा कन्या एन0सी0सी0 बटालियन रोहतक द्वारा बनाई गई प्रतिक्षा सूची में 5वें स्थान पर है। जैसे ही एन0सी0सी0 में रिक्ति उपलब्ध होती है, इस महाविद्यालय में वरिष्ठता के आधार पर एन0सी0सी0 प्लाटून/कम्पनी आवंटित कर दी जाएगी। इस बारे कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

————————

To Complete the Construction Work of Bus Stand

*54**. Shri Jogi Ram Sihag**: Will the Transport Minister be pleased to state the time by which the construction work of Bus Stand of Barwala in Barwala Assembly Constituency is likely to be completed togetherwith the details thereof?

परिवहन मंत्री (पण्डित मूलचंद शर्मा): श्रीमान् जी, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा बस अड्डे बरवाला के मौजूदा 3 बेज भवन को जर्जर घोषित किया जा चुका है। सरकार द्वारा बस अड्डा बरवाला के मौजूदा भवन खण्ड और चारदीवारी को तोड़ने के लिए दिनांक 16.06.2022 को 6,14,237/– रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बस अड्डे के मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करने के पश्चात् नये बस अड्डे का निर्माण करवा दिया जाएगा।

————————

To Start Installation Work of New Street Lights

*55. **Shri Surender Panwar**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that the new street lights are not being installed by the Municipal Corporation under the area falling under the Municipal Corporation, Sonipat; if so the details thereof; and

(b) the time by which the installation work of new street lights is likely to be started?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): (क) हाँ, श्रीमान जी। यह तथ्य है कि नगर निगम सोनीपत के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में नगर निगम द्वारा फिलहाल नई स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई जा रही हैं। यद्यपि, सरकार द्वारा राज्य की सभी नगर पालिकाओं में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट लगवाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एलईडी लाइटों के साथ–साथ अन्य सहायक आवश्यक आधारभूत वस्तुओं का रेट कॉन्ट्रैक्ट तय करने तथा विशिष्टताओं (स्पेसिफिकेशन्स) की एकरूपता बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत निविदा तैयार करने की प्रक्रिया अम्ल में लाई जा रही है। इसके परिणामस्वरूप खर्च की किफायत भी होगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो संबंधित जिले की नगर पालिकाओं में एलईडी स्ट्रीट लाइट के कामकाज को केंद्रीय रूप से नियंत्रित/विनियमित करेगा।

(ख) इस कार्य हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने व धनराशि की आवश्यक व्यवस्था उपरांत आगामी आवश्यक कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

————————————

To Construct a New Building of School

*56. **Shri Ram Kumar:** Will the Education Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that the building of Primary School of village Budhanpur Bangar of the Tehsil Indri is dilapidated; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of the abovesaid school togetherwith the time by which it is likely to be constructed?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): (क) हां, श्रीमान जी

(ख) इस विद्यालय में कक्षा पहली से पॉचवी तक कुल 28 विद्यार्थी है। भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कक्षाओ को विद्यालय के बरामदे में लगाया जा रहा है। दिनांक 03.06.2022 को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा 13,29,300/– रूपये की राशि जारी की गई थी और 86,70,500/– रूपये की राशि भी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् को जारी कर दी गई है। कुल 99,99,800/– रूपये की लागत से 5 कमरे बनवाए जाएगे, इसके अतिरिक्त चारदीवारी, मिट्टी भरत, इंटरलॉकिंग पेवर पाथ, 02 शौचालय, 01 पानी का टैंक आदि भी बनवाए जाएगे।

————————————

To Formulate Law regarding Shamlat Land

* 57. **Smt. Renu Bala**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state: -

(a) whether it is fact that the farmers are cultivating on the land Deh Shamlat, Mustarka Malkan and Jumla Malkan since many years in the State;

(b) whether it is also a fact that after the decision of the Hon'ble Court the Government has ordered to get vacated such types of land and handover it to the Panchayats;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to return the said land to the abovesaid farmers by formulating any law; and

(d) if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) हां श्रीमान जी, कुछ मुस्तरका मालकान भूमि किसानों के कब्जे में है।

(ख) श्रीमान जी, राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए उपायुक्तों को दिनांक 21.06.2022 को सामान्य दिशा–निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, उक्त निर्देशों पर उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2022 द्वारा रोक लगा दी गई है। तदानुसार उपायेक्तों को पत्र दिनांक 05.08.2022 द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(ग) मामले में कानूनी राय प्राप्त की जा रही है और हरियाणा विलेज कॉमन लैण्ड एक्ट, 1965 में कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

To Metal the Unmetalled Tracks

*58. **Shri Subhash Gangoli**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled tracks on both sides of canal passing through Safidon City togetherwith the time by which the above said tracks are likely to be metalled?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): मुख्यमंत्री हरियाणा ने दिनांक 03.04.2022 को कोड संख्या नं0 25931 द्वारा सफीदो शहर में से गुजरने वाली हांसी ब्रांच की बुर्जी संख्या 66125 से 80200 तक, के दोनों तरफ सर्विस रोड़ के पुर्ननिर्माण के लिए घोषणा की। नगरपालिका समिति सफीदों द्वारा हांसी ब्रांच की बुर्जी संख्या 72200 से 77500 (5300 फीट) बाएं तरफ एवं बुर्जी संख्या 70300 से 77250 (6900 फीट) दाएं तरफ को पेवर ब्लॉक लगाकर पहले ही पक्का किया जा चुका है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा शेष कार्य करने के लिए नगरपालिका समिति सफीदों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।

———————————

Total Number of Unemployed Youth

*59. **Shri Balraj Kundu**: Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state: -

(a) the unemployment rate in State togetherwith the total number of unemployed graduate, post graduate and professional degree holders in State as on date alongwith the total number of youth who have committed suicide due to unemployment in the State since 2014 till to date; and

(b) the district wise details of data/figures of unemployment in the State?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक): श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्रीमान जी,

(क) हरियाणा में बेरोजगारी दर (यू.आर.) लगभग 8.3% होगी जिसका अनुमान विभागीय पोर्टल *https://hrex.gov.in* के आंकड़ों से लगाया जा सकता है| जैसा कि हरियाणा विजन 2030 दस्तावेज में 86 लाख श्रम शक्ति कि भविष्यवाणी की गई है और कुल 8.3 लाख आवेदक विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत हैं, लेकिन सभी नौकरी की तलाश में नहीं हैं, उनमें से कुछ काम कर रहे हैं और कुछ भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए पोर्टल पर पंजीकृत हैं| बेरोजगारी दर को "बेरोजगार, काम करने के इच्छुक और सक्रिय रूप से नौकरी चाहने वाले कुल श्रम बल में से उम्मीदवारों का प्रतिशत" के रूप में परिभाषित किया गया है| उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुमानित बेरोजगारी दर 8.3% है:-

(ख)

स्नातक	137666
स्नातकोत्तर	37220
पेशेवर डिग्री धारक	65974

हरियाणा पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार 2014 से 2022 की अवधि के दौरान राज्य में बेरोजगारी के सम्भावित कारणों से आत्महत्या के कुल 08 मामले संज्ञान में आये हैं|

(क) राज्य में 31.07.2022 को बेरोजगारी के आंकड़ो का जिलेवार विवरण इस प्रकार है:-

जिला	कुल पंजीकृत आवेदक
अम्बाला	33237
पंचकूला	11508
यमुनानगर	52045
कुरुक्षेत्र	42233
कैथल	67318
करनाल	64372
पानीपत	33204
रोहतक	51845
झज्जर	30771
सोनीपत	43506
जींद	77511
भिवानी	54411
चरखी दादरी	22235
गुरुग्राम	9176
फरीदाबाद	8889
पलवल	21577
नूंह	13240

नारनौल	37209
रेवाड़ी	19039
हिसार	71496
फतेहाबाद	35045
सिरसा	39875
कुल	839742

.....

To Release the Funds for Development Works

*60**. Shri Indu Raj**: Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that an announcement was made by the Hon'ble Chief Minister to construct streets, choupals and drains under the HRDF scheme during the bye election of Baroda Assembly Constituency for which half the installment has been released by the Government but all development works are lying incomplete due to pending second installment worth approximately 10 crore rupees sent vide letter no. HDRF/2020/1817 dated 24.09.2020 to the Haryana Gramin Vikas Nidhi Prashasan Board; and

(b) if so, the steps taken by the Government in this regard togetherwith the time by which the said amount is likely to be released?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेंद्र सिंह बबली): श्रीमान, बड़ौदा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में किए जा रहे 40 विकास कार्यों के संबंध में शेष राशि जारी करने की मांग प्राप्त हुई थी। उक्त 40 विकास कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरी किस्त के रूप में मु010,50,43,000/– रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

The details of Total Estimated Budget Amount

78. **Shri Abhay Singh Chautala:** Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) the extent of total estimated budget amount allocated by the Government during the financial year 2019-20, 2020-21 and 2021-22 to various departments respectively togetherwith the total extent of amount actually incurred by the departments out of the said amount alongwith the department wise details thereof;

(b) the extent of total estimated budget amount allocated by the Government to each department during the financial year 2022-23 togetherwith the department wise details thereof; and

(c) the details of total estimated budget amount and total amount actually incurred for the respective financial year 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23 in tabular form?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान विभागों को आबंटित बजट अनुमान एवं खर्च की गई राशि का विवरण अनुलग्नक 'प्रथम' पर दिया गया है।

(ख) वित्त वर्ष 2022–23 में विभागों को आबंटित बजट अनुमान का विवरण अनुलग्नक 'द्वितीय' पर दिया गया है।

(ग) वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23 का कुल बजट अनुमान एवं खर्च अनुलग्नक 'तृतीय' पर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 का विभागवार बजट अनुमान तथा व्यय

अनुलग्नक'प्रथम'

(करोड़ में)

	विभाग का नाम	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**

क्रमांक		बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	अस्थायी व्यय
1.	महाधिवक्ता	42.17	41.11	53.37	49.08	63.81	47.72
2.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	2,210.51	1,469.80	3,364.90	2,011.93	2,997.66	2,376.22
3.	महाप्रशासक तथा सरकारी व्यायधारी	29.61	13.29	21.71	19.28	25.82	19.34
4.	पशुपालन	1,026.68	828.44	1,157.41	875.16	1,224.84	906.47
5.	वास्तु-कला	11.18	9.18	11.24	9.59	12.27	10.98
6.	पुरातत्व व संग्रहालय	30.33	5.34	119.25	24.62	70.42	63.98
7.	अभिलेखागार	2.70	1.96	2.63	1.85	2.67	1.93
8.	आयुष	337.20	207.57	353.29	233.33	315.29	199.64
9.	लोक निर्माण विभाग (भवने एवं सड़कें)	3,616.21	4,064.57	3,541.32	2,536.55	2,984.63	3,662.23
10.	पिछड़ा वर्ग आयोग हरियाणा	2.23	0.99	1.86	0.56	1.17	0.65
11.	मुख्य विद्युत निरीक्षक	5.13	3.78	4.50	4.41	5.88	5.22
12.	नागर विमानन	214.10	15.21	173.07	107.53	184.36	20.13
13.	नागरिक संसाधन सूचना विभाग		-		6.44	36.04	44.10
14.	चकबंदी	11.97	11.26	12.91	11.19	13.66	11.74
15.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति हरियाणा	1,396.21	1,227.14	1,343.94	937.81	1,274.05	1,314.23
16.	मुख्य सचिवालय स्थापना	312.94	307.30	411.61	276.74	373.04	186.39
17.	सांस्कृतिक मामले	19.14	5.73	15.50	4.75	19.38	12.74
18.	विकास और पंचायत	4,377.25	3,589.47	5,415.73	3,834.78	4,964.88	1,814.98
19.	अग्निशमन सेवा निदेशालय	31.73	1.26	66.50	1.44	136.01	13.01
20.	स्वास्थ्य	2,901.92	2,896.51	3,899.61	3,587.75	4,313.89	3,991.35

21.	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	3,994.95	3,195.11	4,916.51	3,546.87	3,970.09	4,553.87
22.	भू अभिलेख	510.13	240.45	283.78	262.12	296.88	369.96
23.	उच्चतर शिक्षा	2,076.68	2,235.44	2,936.20	2,075.39	2,792.58	2,412.23
24.	प्राथमिक शिक्षा	7,774.80	7,417.25	9,081.39	7,187.71	9,013.53	7,426.85
25.	माध्यमिक शिक्षा	4,532.66	4,030.00	6,916.55	4,366.00	5,898.65	5,050.19
26.	चुनाव	166.46	128.25	39.34	52.09	72.44	52.60
27.	सूचना प्रौद्योगिकी , इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग	152.75	54.50	103.46	71.86	102.74	46.63
28.	रोजगार	365.20	403.91	416.02	422.54	884.50	722.39
29.	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	13.09	11.61	12.64	9.17	14.15	7.05
30.	न्यायमूर्ति इकबाल जांच आयोग	-	-	0.22	-	-	-
31.	आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग	459.84	269.73	349.56	526.11	1,269.84	359.43
क्रमांक	विभाग का नाम	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**	
		बजट अनुमान	**व्यय**	**बजट अनुमान**	**व्यय**	बजट अनुमान	**अस्थायी व्यय**
32.	कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल	172.49	208.50	237.85	193.00	238.10	271.16
33.	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला	-165.42	4,607.63	-38.28	-914.65	-1,299.33	-62.85
34.	परिवार कल्याण	224.62	222.58	301.55	223.93	291.75	185.94
35.	राजस्व	825.63	771.45	1,217.45	1,201.17	983.25	965.31
36.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	45.67	24.10	39.94	25.45	42.19	31.00
37.	वित्त विभाग	10,786.50	9,050.96	9,297.50	10,714.75	18,710.49	12,645.00
38.	मत्स्य	73.26	51.75	122.42	66.32	124.60	75.12

39.	वन	415.39	334.50	336.70	269.21	443.38	528.86
40.	गुरुद्वारा चुनाव	0.51	0.66	0.94	0.59	0.95	0.75
41.	गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा	32.49	24.68	32.12	26.01	73.59	44.23
42.	बागवानी	523.88	204.04	492.82	455.17	489.01	341.84
43.	सभी के लिए आवास		-		-	358.56	157.83
44.	सत्कार संगठन	27.00	23.51	29.09	22.22	29.79	25.34
45.	हरियाणा विधान सभा	79.50	78.57	88.71	68.35	83.64	64.33
46.	संस्थागत वित तथा साख	0.61	0.25	0.61	0.24	30.39	0.39
47.	निदेशक उद्योग	406.72	319.32	349.30	215.81	302.32	217.38
48.	सिंचाई एवं जल संसाधन	3,324.51	2,853.86	4,960.48	2,882.30	5,081.09	2,823.91
49.	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	680.06	501.27	847.97	528.30	867.97	562.36
50.	श्रम	58.57	50.96	65.73	58.39	71.31	56.62
51.	स्थानीय निधि लेखा	29.82	29.75	32.67	29.43	43.83	31.97
52.	विधि तथा विधायी	7.64	6.62	8.01	7.16	8.56	7.68
53.	लोकायुक्त हरियाणा	3.96	3.18	10.43	3.22	20.94	17.25
54.	कानूनी सेवा प्राधिकरण	47.58	33.44	42.45	40.73	55.37	36.76
55.	खान एवं भू विज्ञान	101.55	76.94	111.02	104.40	130.61	141.57
56.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	1,358.75	1,235.74	1,701.50	1,585.89	2,135.53	1,837.48
57.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-	16.49	213.98	118.56
58.	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग	475.91	47.30	256.54	232.94	270.09	387.98
59.	मुद्रण एवं लेखन	41.09	26.90	38.69	23.92	38.06	26.53
60.	आबकरी एवं कराधान	223.08	211.28	257.26	259.75	285.34	372.38
61.	उच्च न्यायालय	1,022.91	626.83	1,127.05	611.92	829.99	549.11
62.	पुलिस	5,058.61	4,664.32	5,595.59	4,786.45	5,779.37	5,205.81
63.	बिजली	12,988.61	12,964.03	7,302.86	6,144.98	7,089.33	8,886.45

64.	कारागार	398.47	271.98	411.66	316.19	390.02	342.60
65.	अभियोजन	80.96	79.21	94.84	92.39	116.03	88.35
66.	हरियाणा लोक सेवा आयोग	15.62	24.54	22.46	24.43	22.50	36.29
67.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	3,605.32	2,988.05	3,591.27	3,179.22	3,401.86	3,536.68
क्रमांक	विभाग का नाम	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**	
		बजट अनुमान	**व्यय**	**बजट अनुमान**	**व्यय**	बजट अनुमान	**अस्थायी व्यय**
68.	लोक सम्पर्क	216.96	264.99	280.85	208.06	281.07	279.85
69.	पुनर्वास	7.69	6.37	8.22	8.15	8.65	7.46
70.	हरियाणा राज भवन	24.67	16.72	23.09	14.54	20.70	15.41
71.	सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	211.30	108.19	142.05	113.16	142.86	199.64
72.	सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा	3.51	1.73	2.93	1.03	2.15	1.52
73.	ग्रामीण विकास	816.91	373.80	879.06	741.08	1,015.07	385.34
74.	निदेशालय पूर्ति तथा निपटान	4.38	4.15	5.09	4.55	7.35	4.41
75.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	45.30	19.10	51.75	39.31	45.69	16.73
76.	राज्य निर्वाचन आयोग	9.18	5.67	6.53	7.06	47.80	14.05
77.	राज्य वित्त आयोग	-	-	-	0.50	2.37	1.46
78.	राज्य सूचना आयोग	17.80	7.87	20.26	17.37	30.26	27.25
79.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	6,682.91	6,644.34	8,770.18	7,709.84	7,827.75	7,685.87
80.	अल्प बचते एवं लोट्रीज	1.58	2.69	1.94	1.41	1.99	1.82
81.	हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग	45.83	100.16	73.11	94.83	73.26	152.58
82.	परिवहन आयुक्त हरियाणा	103.77	57.69	87.08	95.56	106.58	81.12
83.	खेल एवं युवा कल्याण	401.17	328.86	394.09	190.63	394.09	317.04

84.	खजाना तथा लेखा	57.68	49.95	58.52	50.31	60.03	70.55
85.	नगर तथा ग्राम आयोजना	1,873.79	980.33	1,561.80	623.05	1,120.98	2,147.06
86.	तकनीकी **शिक्षा**	512.72	539.74	705.04	582.88	705.04	640.43
87.	पर्यटन	48.92	51.62	59.93	79.21	112.93	71.85
88.	परिवहन	2,501.23	1,994.98	2,307.44	1,658.30	2,405.61	2,053.31
89.	शहरी सम्पदा	9.23	9.08	11.10	11.09	13.76	10.38
90.	ब्याज अदायगिया	16,636.12	15,588.01	18,137.58	17,114.67	19,776.42	18,135.00
91.	कर्ज़ भुगतान	20,257.15	15,775.51	22,591.81	29,497.60	28,161.19	25,449.00
92.	राज्य चौकसी बयूरो	58.34	36.75	43.28	38.70	45.73	42.95
93.	चौकसी	1.07	0.95	1.15	1.04	1.20	0.97
94.	महिला एवं बाल विकास	1,504.98	1,034.60	1,587.35	1,209.05	1,621.00	1,257.78
95.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण	514.18	287.71	519.34	375.93	524.34	276.49
	कुल योग	132,166	119,596	142,344	127,040	155,645	135,610

नोटः बजट दस्तावेजो के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20,2020-21 व 2021-22 बजट अनुमान एवं वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 के व्यय के आंकड़े

वित्त विभाग की ऑनलाइन बजट आबंटन निगरानी व विश्लेषण प्रणाली के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के व्यय के अस्थायी आंकड़े

वित्त वर्ष 2022-23 का विभागवार बजट अनुमान

अनुलग्नक 'द्वितीय'

(करोड़ में)

क्रमांक	विभाग का नाम	बजट अनुमान 2022-23
1.	महाधिवक्ता	64.12
2.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	3,606.55
3.	महाप्रशासक तथा सरकारी व्यायधारी	24.79
4.	पशुपालन	1,357.25
5.	वास्तु-कला	12.96
6.	पुरातत्व व संग्रहालय	41.99

7.	अभिलेखागार	4.06
8.	आयुष	315.61
9.	लोक निर्माण विभाग (भवने एवं सड़कें)	4,752.02
10.	पिछड़ा वर्ग आयोग हरियाणा	1.19
11.	मुख्य विद्युत निरीक्षक	8.08
12.	नागर विमानन	886.37
13.	नागरिक संसाधन सूचना विभाग	67.58
14.	चकबंदी	15.37
15.	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति हरियाणा	1,537.35
16.	मुख्य सचिवालय स्थापना	454.94
17.	सांस्कृतिक मामले	75.88
18.	विकास और पंचायत	5,670.38
19.	अग्निशमन सेवा निदेशालय	120.81
20.	स्वास्थ्य	4,947.66
21.	निदेशक शहरी स्थानीय निकाय	5,759.24
22.	भू अभिलेख	479.01
23.	उच्चतर शिक्षा	3,358.08
24.	प्राथमिक शिक्षा	9,404.63
25.	माध्यमिक शिक्षा	7,066.28
26.	चुनाव	63.64
27.	सूचना प्रौद्योगिकी , इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग	109.87
28.	रोजगार	988.27
29.	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.69
30.	आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग	1,301.16
31.	कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल	315.89
32.	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला	6.11
33.	परिवार कल्याण	290.61
34.	राजस्व	1,253.45

35.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	41.75
36.	वित्त विभाग	12,818.01
37.	मत्स्य	200.55
38.	वन	508.25
39.	गुरुद्वारा चुनाव	1.28
40.	गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा	89.63
41.	बागवानी	824.41
42.	सभी के लिए आवास	383.11
43.	सत्कार संगठन	40.36
44.	हरियाणा विधान सभा	93.74
45.	संस्थागत वित तथा साख	32.18
क्रमांक	विभाग का नाम	बजट अनुमान 2022-23
46.	निदेशक उद्योग	208.85
47.	सिंचाई एवं जल संसाधन	6,136.36
48.	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण	683.10
49.	श्रम	221.97
50.	स्थानीय निधि लेखा	168.35
51.	विधि तथा विधायी	9.39
52.	लोकायुक्त हरियाणा	11.50
53.	कानूनी सेवा प्राधिकरण	45.43
54.	खान एवं भू विज्ञान	148.66
55.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	3,014.00
56.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	389.35
57.	नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग	444.48
58.	मुद्रण एवं लेखन	38.46
59.	आबकरी एवं कराधान	378.43

60.	उच्च न्यायालय	963.96
61.	पुलिस	6,383.01
62.	बिजली	6,758.83
63.	कारागार	463.26
64.	अभियोजन	118.72
65.	हरियाणा लोक सेवा आयोग	50.35
66.	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी	4,554.39
67.	लोक सम्पर्क	348.41
68.	पुनर्वास	10.59
69.	हरियाणा राज भवन	22.46
70.	सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	136.90
71.	सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा	2.76
72.	ग्रामीण विकास	1,155.75
73.	निदेशालय पूर्ति तथा निपटान	8.46
74.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	131.28
75.	राज्य निर्वाचन आयोग	54.90
76.	राज्य सूचना आयोग	18.61
77.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	9,339.40
78.	अल्प बचते एवं लोट्रीज	3.54
79.	हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग	152.48
80.	परिवहन आयुक्त हरियाणा	128.60
81.	खेल एवं युवा कल्याण	540.50
82.	खजाना तथा लेखा	77.68
83.	नगर तथा ग्राम आयोजना	2,190.36
84.	तकनीकी **शिक्षा**	421.59
85.	पर्यटन	188.32
86.	परिवहन	2,693.23
87.	शहरी सम्पदा	15.32

88.	ब्याज अदायगिया	20,994.48
89.	कर्ज़ भुगतान	35,052.21
90.	राज्य चौकसी बयूरो	52.28
91.	चौकसी	1.36
92.	महिला एवं बाल विकास	2,017.24
93.	अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण	889.33
	कुल योग	177,256

स्त्रोतः बजट दस्तावेज

वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 का

कुल बजट अनुमान तथा व्यय (अब तक)

अनुलग्नक 'तृतीय'

(करोड़ में)

क्रमांक	बजट वर्ष	बजट अनुमान	व्यय
1.	2019–20	1,32,166	1,19,596
2.	2020-21	1,42,344	1,27,040
3.	2021-22	1,55,645	1,35,610
4.	2022-23	1,77,256	55,259

नोटः बजट दस्तावेजों के अनुसार वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 व 2022–23 बजट अनुमान एवं वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 के व्यय के आंकड़े

वित्त विभाग की ऑनलाइन बजट आबंटन निगरानी व विश्लेषण प्रणाली के अनुसार वित्त वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के व्यय के अस्थायी आंकड़े

————————

To Open Municipal Clinics/Dispensaries

79. **Shri Rakesh Daultabad**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state: -

(a) whether there is any proposal under consideration of the MCG to open Municipal Clinics or Dispensaries in each Municipal Ward of Gurugram; if so, the details thereof togetherwith the criteria and procedure

for selecting the location for opening abovesaid clinics or dispensaries: and

(b) whether any survey has been conducted by the MCG for this purpose; if so, the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): नहीं, श्रीमान जी।

(क) नगर निगम गुरूग्राम में प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में नगरपालिका क्लीनिक अथवा औषधालय खोलने का ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नही है।

(ख) नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इस उद्देश्य के लिये कोई सर्वे नही किया गया है।

———————————————

Total Number of Discontinued Old Age and Widow Pensions

80. **Shri Balraj Kundu**: Will the Minister of State for Social Justice and Empowerment be pleased to state: -

(a) the total number of old age and widow pensions discontinued in the State from the year 2019 till to date togetherwith the criteria adopted by the Government for it; and

(b) the reasons for which the old age and widow pensions have been stopped for months again and again?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश यादव): श्रीमान जी,

राज्य में वर्ष 2019 में अब तक कुल 2,92,789 नागरिकों से संबंधित वृद्वावस्था सम्मान भत्ता/पेंशन रोकी गई है, जिसमें से कुल 2,77,115 नागरिकों की वृद्वावस्था सम्मान भत्ता/पेंशन उनकी मृत्यु होने के कारण बंद की गई हे। उपर्युक्त समयावधि में कुल 56,338 लाभार्थियों की विधवा पेंशन रोकी गई, जिसमें से 52,479 लाभार्थियों की पेंशन उनके निधन होने के परिणामस्वरूप बंद की गई।

जैसा कि विदित है कि विभिन्न कारकों जैसे मृतक, लापता, त्रुटिपूर्ण आधार संख्या, वार्षिक आय सीमा 2 लाख से अधिक, परिवार पहचान पत्र में मृतक दर्शाये जाने के कारण, परिवार पहचान पत्र में पूर्व सैनिक दर्शाये जाने के कारण, परिवार पहचान पत्र में सरकारी पेंशन दर्शाये जाने के कारण, एच0आर0एम0एस0 में कर्मचारी दर्शाये जाने के कारण और सक्षम कर्मचारी द्वारा मृतक दर्शाये जाने के कारण एवं विधवा पेंशन में परिवार पहचान पत्र में पति का नाम आने पर पेंशन अस्थाई रूप से रोकी

जाती है, जिसे क्षेत्रीय कार्यालयों से सत्यापन के उपरांत पुनः प्रारम्भ अथवा स्थाई रूप से बंद, जैसा लागू हो, कर दी जाती है।

उपरोक्त वर्णित कारकों के आधार पर पेंशन अस्थाई तोर पर रोक दी जाती है जोकि सत्यापन उपरांत पुनः पात्र पाए गए लाभार्थियों की पेंशन प्रारम्भ कर दी जाती है।

To Construct the Road

81. **Shri Deepak Mangla**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state: -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from Kithwari Chowk to Sallagarh School upto right side of railway line; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be constructed togetherwith the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला): (क) एवं (ख) नहीं श्रीमान जी।

To Provide Transport Facility

82. **Shri Ram Kumar** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the transport facility for the students belonging to the nearby villages studying in Sanskriti Model Schools of State; if so, the time by which the abovesaid facility of transport is likely to be provided ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल): नहीं, श्रीमान जी ।

Projects for Development of Rohtak

83. **Shri Bharat Bhushan Batra**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that an announcement of projects of worth 700 crore was made by the Hon'ble Chief Minister in Pragti rally on 04.05.2022 for the development of Rohtak district togetherwith the extent of amount announced for all projects of Rohtak Municipal Corporation; and

(b) the name of the projects of Rohtak Municipal Corporation under the abovesaid announcement togetherwith the time by which said amount is likely to be spent alongwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): (क) श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 04.05.2022 को रोहतक में आयोजित रैली में विभिन्न विभागों से संबंधित कई घोषणाएँ की गईं थी। इस स्तर पर उक्त घोषणा के तहत परियोजनाओं की कुल लागत तक नहीं पहुंचा जा सकता है। नगर निगम, रोहतक को सौंपी गई परियोजनाओं के लिए किसी विशेष राशि की घोषणा नहीं की गई है।

(ख) दिनांक 04.05.2022 को रोहतक में आयोजित रैली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के तहत नगर निगम, रोहतक को सौंपी गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	घोषणा कोड	कार्य का नाम	स्थिति
1	26353 04.05.2022	नगर निगम रोहतक के एच एस वी पी सेक्टर–1, 2, 3 और 4 क्षेत्रों में गंदे बारिश के पानी के निस्तारण के लिए पाइप लाइन बिछाना।	इस घोषणा को एच एस वी पी को स्थानांतरित करने के लिए मामला माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया गया है।
2	26354 05.05.2022	जाट शिक्षण संस्थानों को विभाजित करने वाली दिल्ली रोड पर ओवर ब्रिज का निर्माण, ताकि सड़क के दोनों ओर सभी संस्थानों को जोड़ा जा सके।	एम सी रोहतक उक्त कार्य की योजना, डिजाइन और डी पी आर की तैयारी के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। डी पी आर तैयार होने के बाद परियोजना की लागत का पता चलेगा।

Allotment of Shop in New Grain market

84. **Shri Dharam Pal Gondar**: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that the shops had been allotted to the approximately 180 Commission Agents in the New Grain Market, Nissing in the year 2014 according to new policy rate fixed by the Government on which the CLU was imposed as well as the 35 percent profit amount was also imposed; and

(b) if so, the reasons for which CLU has been imposed on the abovesaid shops even after the CLU has not been implemented in this block?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): (क) जी हां श्रीमान् ;

(ख) पात्र व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानों के आबंटन हेतू अनुमोदित सूत्र दिनांक 25.06.2022 के अनूरूप आरक्षित मूल्य निर्धारित करने हेतू सी.एल.यू. शुल्क यानी की लाइसैंस शुल्क व रुपांतरण शुल्क लिया गया है। हालांकि, सी.एल.यू. व बिक्री योग्य क्षेत्रफल को निर्धारित करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

Norms for Posting Staff

85. **Shri Jagbir Singh Malik:** Will the Health Minister be pleased to state that: -

(a) whether it is a fact that the Doctors and Paramedical Staff posted in the Nagrik Hospital, Gohana and CHCs, PHCs and Sub Health Centers of Gohana Constituency are as per Norms; and

(b) if not, the time since when the abovesaid posts are vacant togetherwith the time by which these are likely to be filled-up?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) श्रीमान् जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा है।

(ख) चिकित्सकों और पैरामेडिकल की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

कथन

गोहाना निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सकों तथा पैरा मेडीकल अमले बारे स्थिति निम्न अनुसार हैः—

नागरिक अस्पताल, गोहाना

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2	चिकित्सा अधिकारी	7	3	4
3	दन्तक सर्जन	1	1	0
4	ऑपरेशन थियेटर सहायक	1	1	0
5	दन्तक मैकेनिक	1	1	0
6	नेत्र सहायक	1	1	0
7	औषधाकारक	3	1	2
8	रेडियोग्राफर	1	1	0
9	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	1	0
10	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	1	1	0
11	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	5	5	0
12	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	3	2	1
13	नर्सिंग सिस्टर	1	1	0
14	स्टाफ नर्स	17	17	0
15	लैब तकनीशियन (सामान्य)	2	1	1
16	लैब तकनीशियन (मलेरिया)	2	2	0
कुल		**49**	**40**	**9**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुंआ

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	0

2	चिकित्सा अधिकारी	7	1	6
3	दन्तक सर्जन	1	1	0
4	ऑपरेशन थियेटर सहायक	1	1	0
5	दन्तक मैकेनिक	1	0	1
6	नेत्र सहायक	1	0	1
7	औषधाकारक	2	1	1
8	रेडियोग्राफर	1	1	0
9	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	1	0
10	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	1	1	0
11	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	1	0
12	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1	0
13	नर्सिंग सिस्टर	1	0	1
14	स्टाफ नर्स	8	8	0
15	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	0	1
16	लैब तकनीशियन (मलेरिया)	2	1	1
कुल		**31**	**19**	**12**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुबेटा

क्रम सं0	**पद का नाम**	**स्वीकृत**	**भरे हुए**	**रिक्त**
1	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	2	0
4	औषधाकारक	1	0	1
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	0	0	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	1	1	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	0	1
8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	0	0	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	1	0
कुल		**9**	**6**	**3**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोई माजरा

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	2	0
4	औषधाकारक	1	1	0
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	1	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	0	0	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	0	1
8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	1	0
कुल		**10**	**8**	**2**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खानपुर कलां

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	2	0
4	औषधाकारक	1	1	0
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	1	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	0	0	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	1	0
8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	1	0
कुल		**10**	**9**	**1**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाठ

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त

1	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	2	0
4	औषधाकारक	1	1	0
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	1	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	1	1	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	1	0
8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	1	0
कुल		**11**	**10**	**1**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरगथल

क्रम सं0	**पद का नाम**	**स्वीकृत**	**भरे हुए**	**रिक्त**
1	चिकित्सा अधिकारी	2	1	1
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	1	1
4	औषधाकारक	1	1	0
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	0	0	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	0	0	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	1	0
8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	0	0	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	0	1
कुल		**8**	**5**	**3**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माहरा

क्रम सं0	**पद का नाम**	**स्वीकृत**	**भरे हुए**	**रिक्त**
1	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	2	0

4	औषधाकारक	1	1	0
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	1	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	0	0	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	1	0
8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	1	0
कुल		**10**	**10**	**0**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बटाना जफराबाद

क्रम सं0	**पद का नाम**	**स्वीकृत**	**भरे हुए**	**रिक्त**
1	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	2	0
4	औषधाकारक	1	1	0
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	1	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	0	0	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	1	0
8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	1	0
कुल		**10**	**10**	**0**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटगांव

क्रम सं0	**पद का नाम**	**स्वीकृत**	**भरे हुए**	**रिक्त**
1	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	2	0
4	औषधाकारक	1	0	1
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	1	1	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	0	0	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	1	0

8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	1	0
कुल		**10**	**9**	**1**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना

क्रम सं0	**पद का नाम**	**स्वीकृत**	**भरे हुए**	**रिक्त**
1	चिकित्सा अधिकारी	2	2	0
2	दन्तक सर्जन	1	1	0
3	स्टाफ नर्स	2	2	0
4	औषधाकारक	1	1	0
5	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (पुरुष)	0	0	0
6	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निरीक्षक (महिला)	0	0	0
7	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)	1	1	0
8	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1	0
9	लैब तकनीशियन (सामान्य)	1	1	0
कुल		**9**	**9**	**0**

उप स्वास्थ्य केन्द्र

क्रम सं0	**उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम**	**बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकता (पुरुष)**			**बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)**		
		स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	सीतावाली	1	1	0	1	1	0
2	मोई माजरा	1	1	0	1	1	0
3	गामड़ी	1	1	0	1	1	0
4	एस.एन. गढी	1	1	0	1	1	0
5	बीढल	1	1	0	1	1	0
6	खेडी दमकान	1	1	0	1	1	0
7	जोली	1	1	0	1	1	0
8	नायत	1	1	0	1	1	0
9	खण्डरियां	1	1	0	1	1	0

10	भोला	1	1	0	1	1	0
11	करावडी	0	0	0	1	1	0
12	जाट माजरा	1	1	0	1	1	0
13	पीनाना	1	1	0	1	1	0
14	गुहना	1	1	0	1	1	0
15	एस.एस. माजरा	1	1	0	1	1	0
16	बागडू	1	1	0	1	1	0
17	महलाना	1	1	0	1	1	0
18	बडवासनी	1	1	0	1	1	0
19	हुलेरी	1	1	0	1	1	0
कुल		**18**	**18**	**0**	**19**	**19**	**0**

To complete the Land Selection Process

86. **Smt. Naina Singh Chautala**: will the Education Minister be pleased to state the time by which the process of land selection for the proposed Jawahar Navodaya Vidyalaya in district Dadri is likely to be completed?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल): श्रीमान् जी, छप्पार की ग्राम पंचायत ने गांव की शामलाती भूमि पर जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए 47 एकड़ भूमि देने के लिए सहमति जताई है। नवोदय विद्यालय समिति से आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार भूमि स्थानातंरण की प्रकिया आरम्भ की जाएगी।

Detail of Unauthorized Colonies

87. **Shri Amit Sihag**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state: -

(a) the details of the unauthorized/unapproved colonies falling under Dabwali Assembly Constituency;

(b) the process adopted togetherwith the steps taken by the Government to regularize the abovesaid unapproved colonies; and

(c) the time by which the abovesaid colonies are likely to be regularized?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता) :श्रीमान, (क) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किए गए संर्वेक्षण के अनुसार डबवाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 अनधिकृत/अस्वीकृत कॉलोनियां आती हैं;

(ख) नगर पालिका सीमा के अन्दर अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में, सरकार ने हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरीय क्षेत्र (विषेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 में अधिसूचना दिनांक 10.09.2021 द्वारा संषोधन करके 2021 का अधिनियम संख्या 24 अधिसुचित किया है। संषोधित अधिनियम की धारा 3 के तहत नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों को अधिनियम के तहत "घोषित क्षेत्र" के रूप में अधिसुचित करने की कार्रवाई के लिए मानदंड/नीति दिनांक 14.02.2022 जारी की गई है। नगर निगम सीमा के बाहर अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में, सरकार ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधा एवं आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र प्रबंधन (विषेष प्रावधान) अधिनियम, 2022 में अधिसूचना दिनांक 17.01.2022 द्वारा 2022 का अधिनियम संख्या 05 अधिसुचित किया है। अधिनियम की धारा 3 के तहत, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों को अधिनियम के तहत "घोषित क्षेत्र" के रूप में अधिसुचित करने की कार्रवाई के लिए मानदंड/नीति दिनांक 19.07.2022 जारी की गई है।

(ग) अब तक नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग से डबवाली की नगर पालिका सीमा के अंतर्गत आने वाली 6 कॉलोनियों के ले–आउट प्लान प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हे अधिनियम के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार तत्काल कार्रवाई के लिए नगर परिषद डबवाली को भेज दिया गया है। अधिनियम के तहत अवैध कॉलोनियों को "घोषित क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया संबंधित नगर निकाय से संकल्प प्राप्ति के बाद और यदि कॉलोनी अधिसूचना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो की जाएगी।

.....

The Extent of Compensation

88. **Shri Abhay Singh Chautala**: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state: -

(a) whether the assessment has been made by the Government for the Kinnu crops damaged due to high temperature during the year 2020-21 and 2021-22 in State; if so, the details thereof; and

(b) the extent of per acre compensation provided and likely to be provided by the Government for the abovesaid crops; if not, the reasons thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (श्री जय प्रकाश दलाल): श्रीमान जी,

(क) नहीं, 2020–21 के दौरान कोई गर्मी की लहर नहीं थी। उच्च तापमान मार्च, 2022 में पाया गया।

(ख) नहीं, मार्च, 2022 में उच्च तापमान पाया गया था। सरकार द्वारा किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं से हाने वाले नुकसान का मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.) पहले ही शुरू की जा चुकी है परन्तु इसमें उच्च तापमान/गर्मी की लहर शामिल नहीं थी। सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई है और दिनांक 19.07.2022 को फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति

(एस.एल.सी.सी.सी.आई.) की हुई बैठक के दौरान अब उच्च तापमान/गर्मी की लहर को भी योजना में शामिल कर लिया गया है।

————————————

To Complete the Work of Smart Grid Project

89. **Shri Rakesh Daultabad**: Will the Power Minister be pleased to state: -

(a) whether it is fact that the 'Smart Grid' project in Gurugram was launched in 2016 by the Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd (DHBVNL) and had a deadline of June, 2019, is still incomplete;

(b) If so, the time by which it is likely to be completed togetherwith the present status thereof;

(c) the details of total feeders laid and operational in Gurugram togetherwith the sector wise details of feeders;

(d) the details of total smart meters installed in Gurugram district; and

(e) the total funds sanctioned and expenditure incurred for abovesaid works in Gurugram district togetherwith the copy of such budget?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): (क) हां श्रीमान जी, कार्यक्रम के अनुसार स्मार्ट ग्रिड परियोजना, गुरूग्राम को 2019 के दौरान पूरा किया जना था, लेकिन कुछ तकनीकी/अपरिहार्य कारणों से परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका।

(ख) परियोजना पर कार्य प्रगति पर है और इसके 30.06.2023 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) 11 के.वी. के कुल 340 फीडर (भूमिगत) बिछाए जा चुके हैं, जिनमें से 306 को चालू किया जा चुका है।

(घ) जिला गुरुग्राम में अब तक कुल 1,92,209 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ये जिला गुरुग्राम में आने वाले आठ आप्रेशन सब–डिवीजन में लगाए गए हैं।

(ड़) परियोजना के लिए स्वीकृत राशि रु0 840,39 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- पी.एस.डी.एफ. फंड के तहत एम.ओ.पी. (भारत सरकार) द्वारा स्वीकृत 94 करोड़ रुपये।
- आई.पी.डी.एस. फंडिंग के तहत पी.एफ.सी. से प्राप्त 46.39 करोड़ रुपये।
- सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हिसार द्वारा 13 साल की अवधि के लिए जोड़ा गया ऋण 700 करोड़ रुपये।

किया गया खर्च:- 559.26 **करोड़।**

To Supply Adequate Potable Water

90. **Shri Balraj Kundu**: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of potable drinking water in Meham City and the water supply pipe lines are also required to be replaced as these have became obsolete; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply adequate potable water in Meham togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized;

(b) whether it is also a fact that the sewerage system in most of the colonies of Meham City has been obsolete; and

(c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the abovesaid obsolete sewerage system

togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) (क) व (ख) के दृष्टिगत (ग) लागू नहीं है।

To Shift the Judicial Complex

91. **Shri Bharat Bhushan Batra**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Judicial Complex, Mini Secretariat Part-1 and Part-2 of district Rohtak togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): नहीं, श्रीमान जी।

To Reconstruct the Roads

92. **Shri Deepak Mangla** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:- a) whether it is a fact that the following village roads are damaged:- i) Ghughera to Patli Khurd; ii) Bamariyaka to Amroli; iii) Amroli Canal to Chovan ka Nangla; iv) Raidaska to Bamariyaka via Dungarwas; v) Billochpur to Hafjabad via Peeragarhi; vi) Palwal–Ghori road to Sihol via Pelak; vii) Palwal to Alawalpur upto Mohna road; viii) Bata to Amroli; ix) Deeghot to Raidaska; x) Delhi –Mathura road to Agwanpur; and b) if so, the time by which the abovesaid roads are likely to be reconstructed?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): महोदय, सड़कवार उत्तर इस प्रकार है:

(क) महोदय, सड़कवार उत्तर इस प्रकार है:-

(i) **घुघेरा से पाटली खुर्द (रोड आईडी 10733, बी एंड आर):**
इस सड़क की लंबाई 2.42 कि.मी. है और 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। इस सड़क का अंतिम उपचार 2009 के दौरान किया गया था और दोष दायित्व अवधि से बाहर है। यह सड़क एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा स्थानांतरित की गई है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पैचवर्क के द्वारा नियमित रूप से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है। इस सड़क के सुधार के लिए कच्चा लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है और इसे धन की उपलब्धता और सड़क रखरखाव नीति के अनुसार जांचा जाएगा।

(ii) **बामरियाका से अमरोली (HSAMB) :**
यह सड़क एच.एस.ए.एम.बी. से संबंधित है। इस सड़क की लंबाई 2.00 कि.मी. है और 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(iii) **अमरोली कैनल से चोवन का नंगला:**
यह एक कच्चा मार्ग है और 6 करम का चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 0.80 कि.मी. है। फिलहाल उक्त नई सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(iv) **रायडस्का से बमरियाका वाया इंगरवास (रोड आईडी 3467, बी एंड आर):**
इस सड़क की लंबाई 2.93 कि.मी. है और 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। उपचार की अंतिम तिथि 08/2012 है और दोष दायित्व अवधि से बाहर है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है। पैचवर्क के द्वारा नियमित रूप से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है। इस सड़क के सुधार के लिए कच्चा लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है और इसे धन की उपलब्धता और सड़क रखरखाव नीति के अनुसार जांचा जाएगा।

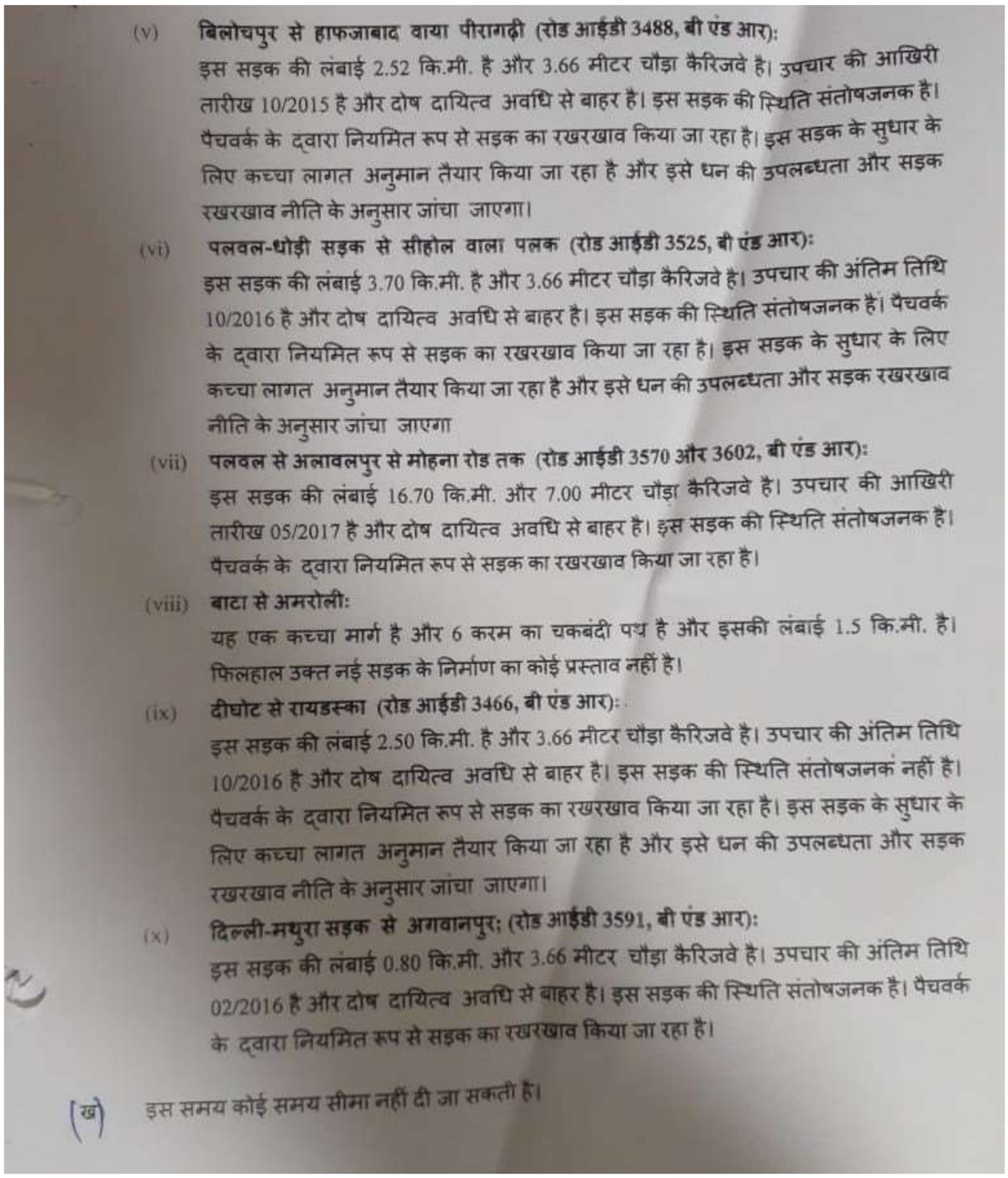

(v) **बिलोचपुर से हाफजाबाद वाया पीरागढ़ी (रोड आईडी 3488, बी एंड आर):**
इस सड़क की लंबाई 2.52 कि.मी. है और 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। उपचार की आखिरी तारीख 10/2015 है और दोष दायित्व अवधि से बाहर है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है। पैचवर्क के द्वारा नियमित रूप से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है। इस सड़क के सुधार के लिए कच्चा लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है और इसे धन की उपलब्धता और सड़क रखरखाव नीति के अनुसार जांचा जाएगा।

(vi) **पलवल-धोड़ी सड़क से सीहोल वाला पलक (रोड आईडी 3525, बी एंड आर):**
इस सड़क की लंबाई 3.70 कि.मी. है और 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। उपचार की अंतिम तिथि 10/2016 है और दोष दायित्व अवधि से बाहर है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है। पैचवर्क के द्वारा नियमित रूप से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है। इस सड़क के सुधार के लिए कच्चा लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है और इसे धन की उपलब्धता और सड़क रखरखाव नीति के अनुसार जांचा जाएगा

(vii) **पलवल से अलावलपुर से मोहना रोड तक (रोड आईडी 3570 और 3602, बी एंड आर):**
इस सड़क की लंबाई 16.70 कि.मी. और 7.00 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। उपचार की आखिरी तारीख 05/2017 है और दोष दायित्व अवधि से बाहर है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है। पैचवर्क के द्वारा नियमित रूप से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है।

(viii) **बाटा से अमरोली:**
यह एक कच्चा मार्ग है और 6 करम का चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 1.5 कि.मी. है। फिलहाल उक्त नई सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ix) **दीघोट से रायडस्का (रोड आईडी 3466, बी एंड आर):**
इस सड़क की लंबाई 2.50 कि.मी. है और 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। उपचार की अंतिम तिथि 10/2016 है और दोष दायित्व अवधि से बाहर है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पैचवर्क के द्वारा नियमित रूप से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है। इस सड़क के सुधार के लिए कच्चा लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है और इसे धन की उपलब्धता और सड़क रखरखाव नीति के अनुसार जांचा जाएगा।

(x) **दिल्ली-मथुरा सड़क से अगवानपुर: (रोड आईडी 3591, बी एंड आर):**
इस सड़क की लंबाई 0.80 कि.मी. और 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। उपचार की अंतिम तिथि 02/2016 है और दोष दायित्व अवधि से बाहर है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है। पैचवर्क के द्वारा नियमित रूप से सड़क का रखरखाव किया जा रहा है।

(ख) इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

To Appoint Drawing Teachers under Kaushal Rozgar Nigam

93. **Shri Ram Kumar**: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint drawing teachers in the schools of State under the Kaushal Rozgar Nigam; if so, the time by which the said teachers are likely to be appointed?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): नहीं, श्रीमानजी। शिक्षकों के पदों के वैज्ञानिकीकरण तथा सामान्य स्थानांतरण प्रक्रिया के पश्चात जो पद रिक्त रह जायेंगें, उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सेवानिवृत शिक्षकों से भरा जाएगा।

Report of the inquiry

94. **Shri Jagbir Singh Malik**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state: -

(a) Whether it is a fact that Sunil R/O Murthal (Sonipat) filed grievance No.CMOFF/N/2020/036046 and inquiry was made by Sh.Rajesh Seth, an eminent person who has found some officials guilty and report was sent to the Hon'ble Chief Minister ; and

(b) If so, the copy of the report togetherwith the action taken by the Government on that report?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) हां यह तथ्य है कि गांव मुरथल (सोनीपत) के निवासी सुनील ने शिकायत संख्या **CMOFF/N/2020/036046** दायर की थी परन्तु प्रमुख व्यक्ति श्री राजेश सेठ द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी। सी.एम. विंडो पोर्टल पर श्री राजेश सेठ, प्रमुख व्यक्ति द्वारा केवल एक ब्यान अपलोड किया गया था। बल्कि उक्त शिकायत की विभाग द्वारा जांच करवाई गई और सरकार के स्तर पर इस शिकायत को फाईल कर दिया गया।

(ख) उपरोक्त (ए) के मद्देनजर उत्तर को शून्य समझा जाए।

To Start Construction Work in General Hosital Dadri

95.Smt. Naina Singh Chautala: Will the Health Minister be pleased to state the time by which the construction work of proposed

Eye Check-p Centre, peration Theater and ealth Employees Training Centre in General Hospital, Dadri is likely to be started?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, पूर्व में नागरिक अस्पताल दादरी में एक नेत्र जांच केन्द्र, ऑपरेशन थियेटर तथा जिला प्रषिक्षण केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव था, परन्तु अब एम.सी.एच अस्पताल चरखी दादरी की भूमि पर एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रस्तावित है।

To Check the Havoc Caused due to Overflow of Rain Water

96. **Shri Amit Sihag**: Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or likely to be taken by the Government to check the havoc caused by the overflow of Lasada-Nala and Kotla Branch due to excess rain water coming from Punjab in the monsoon season/unseasonal rains together with the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, मानसून के मौसम में/बरसात के मौसम/बेमौसम बारिश में, पंजाब से आने वाले अतिरिक्त बारिष के पानी के कारण, न तो लिसारा नाला और न ही कोटला षाखा से अतिप्रवाह के कारण कोई तबाही हुई हैं। हालांकि, पंजाब द्वारा कोटला षाखा में कभी कभार छोड़े गए ज्यादा पानी से बचाव के लिए, अस्थाई तौर पर निवारक कदम उठाए जाते है और अब कोटला शाखा के माध्यम से पंजाब द्वारा कभी कभार छोड़े गए ज्यादा पानी को समायोजित करने के लिए डबवाली रजबाहा की बुर्जी संख्या 65000 से अंतिम छोर का पुनर्निर्माण करके इसका स्थायी समाधान भी प्रक्रिया में है।

.....

Number of Registered Criminal Cases

97.Shri Abhay Singh Chautala: Will the Home Minister be pleased to state the number of cases of murder, rape, gang rape, kidnapping,

robbery, crime against women and crime against scheduled castes registered in the State from 1st January, 2021 to 31st December, 2021 and 1st January, 2022 to 30th June, 2022 according to the State Crime Record Bureau togetherwith the details thereof?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

(1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021)

अपराध के शीर्ष	**दर्ज मामलों की संख्या**
हत्या (धारा -302 भा0 दं0 सं0)	1112
बलात्कार (धारा -376 भा0 दं0 सं0)	1716
सामूहिक बलात्कार (धारा-376डी भा0 दं0 सं0)	171
अपहरण (धारा -363, 363 ए, 364, 364 ए, 366, 366 ए, 366 बी और अन्य अपहरण और व्यपहरण-365, 367, 368 और 369 भा0 दं0 सं0)	3554
लूट (धारा- 392, 394 और 397 भा0 दं0 सं0)	692
महिलाओं के विरुद्ध अपराध (धारा -302, 302 के साथ 376, 304 बी, 305/306, 313 और 314, 326ए, 326बी, 498ए, 363, 363ए, 364, 364ए, 366, 366ए, 366बी, 365, 367, 368, 369, 370, 370ए, 372, 373, 376, 376/511, 354, 509 भा0 दं0 सं0 और स्थानीय एवं विशेष कानून - दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम - धारा 5,6,7,8 और अन्य अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम-2005, साइबर अपराध/सुचना प्रौधोगिकी अधिनियम - धारा 67ए, 67बी, सुचना प्रौधोगिकी अधिनियम और अन्य साइबर अपराध, पॉक्सो अधिनियम धारा- 4 और 6, 8 और 10, 12, 14 और 15, 17 से 22 और पोक्सो अधिनियम के साथ धारा - 377 भा0 दं0 सं0, स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम-1986, जादू टोने की रोकथाम / जादू टोना क्रिया - कलाप अधिनियम (राज्य और केंद्र)	16658
अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध (अ0ज0/अ0ज0जा0 अत्याचार निरोधक अधिनियम के साथ भा0 द0 स0 और स्थानीय एवं विशेष कानून)	1628

मामले दर्ज

(1 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022)

अपराध के शीर्ष	दर्ज मामलों की संख्या
हत्या (धारा -302 भा0 दं0 सं0)	487
बलात्कार (धारा -376 भा0 दं0 सं0)	903
सामूहिक बलात्कार (धारा-376डी भा0 दं0 सं0)	75
अपहरण (धारा -363, 363 ए, 364, 364 ए, 366, 366 ए, 366 बी और अन्य अपहरण और व्यपहरण-365, 367, 368 और 369 भा0 दं0 सं0)	2114
लूट (धारा- 392, 394 और 397 भा0 दं0 सं0)	525
महिलाओं के विरुद्ध अपराध (धारा -302, 302 के साथ 376, 304 बी, 305/306, 313 और 314, 326ए, 326बी, 498ए, 363, 363ए, 364, 364ए, 366, 366ए, 366बी, 365, 367, 368, 369, 370, 370ए, 372, 373, 376, 376/511, 354, 509 भा0 दं0 सं0 और स्थानीय एवं विशेष कानून - दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम - धारा 5,6,7,8 और अन्य अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम-2005, साइबर अपराध/सुचना प्रौधोगिकी अधिनियम - धारा 67ए, 67बी, सुचना प्रौधोगिकी अधिनियम और अन्य साइबर अपराध, पॉक्सो अधिनियम धारा- 4 और 6, 8 और 10, 12, 14 और 15, 17 से 22 और पोक्सो अधिनियम के साथ धारा - 377 भा0 दं0 सं0, स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम-1986, जादू टोने की रोकथाम / जादू टोना क्रिया - कलाप अधिनियम (राज्य और केंद्र)	8602
अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध (अ0ज0/अ0ज0जा0 अत्याचार निरोधक अधिनियम के साथ भा0 द0 स0 और स्थानीय एवं विशेष कानून)	812

****

Details of De-notified Land

98. **Shri Rakesh Daultabad**: Will the Chief Minister be pleased to state: -

(a) the total area of land which has been de-notified by the State under Section 101-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Act, 2017 in district Gurugram togetherwith its coordinates, land revenue records and other details thereof;

(b) the formula or rule /regulation/law applied to take back the compensation given to the land owners in the event of de-notification of land where the compensation had been given to land owners;

(c) the criteria and process to give back the possession of land and damages in the event where the land was acquired by the Government but the compensation was not given / disbursed to the land owners; and

(d) the total amount of compensation on account of damages, sustained by the land owners due to land acquisition, paid to such owners in district Gurugram from the year 2019 till to date?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल): (क) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–101 क के अर्न्तगत अभी तक राज्य द्वारा जिला गुरूग्राम में कोई भूमि डी–नोटिफाई नहीं की गई है।

(ख) क्योकि, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–101–क के अर्न्तगत राज्य द्वारा कोई भूमि डी–नोटिफाई नहीं है इसलिए भूमि मालिको से कोई मुआवजा राशि वापिस नहीं ली गई है।

(ग) क्योकि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–101क के अर्न्तगत राज्य

द्वारा कोई भूमि डी–नोटिफाई नहीं की गई है इसलिए भूमि मालिको को कोई कब्जा वापिस नहीं दिया गया है।

(घ) क्योकि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–101क के अर्न्तगत राज्य द्वारा कोई भूमि डी–नोटिफाई नहीं की गई है अतः इसलिए भूमि मालिको को कोई क्षतिपूर्ति मुआवजा वितरित नहीं किया गया है।

.....

To Repair the Road

99. **Shri Balraj Kundu**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that the Meham to Beri via Kalanaur road in village Behalba has been damaged completely; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the abovesaid road togetherwith the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) सरकार ने इस सड़क खंड की विशेष मरम्मत के लिए 61.85 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। विस्तृत अनुमान एवं डीएनआईटी के अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।

The Total Area of Police Line and Staff Quarters

100. **Shri Bharat Bhushan Batra**: Will the Home Minister be pleased to state the total area in which the district Police Line and Staff Quarters are situated in Rohtak togetherwith the details thereof?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

रोहतक में जिला पुलिस लाईन एवं कर्मचारी आवास का कुल क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है:–

पुलिस लाईन, रोहतक:	पुलिस लाईन रोहतक का कुल क्षेत्रफल 13 एकड है और इसमें 144 कर्मचारी आवास उपलब्ध हैं जिसमें से 81 आवास नकारा है और वर्तमान में 63 आवास (अन्य रैंक = 39 एवं चतुर्थ श्रेणी =24) पुलिस लाईन रोहतक मे उपलब्ध हैं।

पुलिस लाईन रोहतक से बाहर:-

1. थाना सदर शुखपुरा चौंक, रोहतक	48 कर्मचारी आवास पुलिस थाना सदर में उपलब्ध हैं।
2. पी0टी0सी0 सुनारिया	227 कर्मचारी आवास (अराजपत्रित अधिकारी= 32 + अन्य रैंक = 195) सुनारिया में रोहतक पुलिस के लिए आवंटित है।
3. पुलिस थाना महम	20 कर्मचारी आवास पुलिस थाना महम में उपबल्ध हैं।

To Construct the Roads

101. **Shri Deepak Mangla**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that all the following 6 karam roads in Palwal Assembly Constituency are unmetalled: -

(i) Lalgarh to Tikri Gujar; (ii) Rahimpur to Rahimpur Nangla; (iii) Kakrali to Lalwa; (iv) Tappa to Peeragarhi; (v) Sihol to Chandhat via Village Ghori; and

(b) if so, the time by which the construction work of said roads is likely to be started togetherwith the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

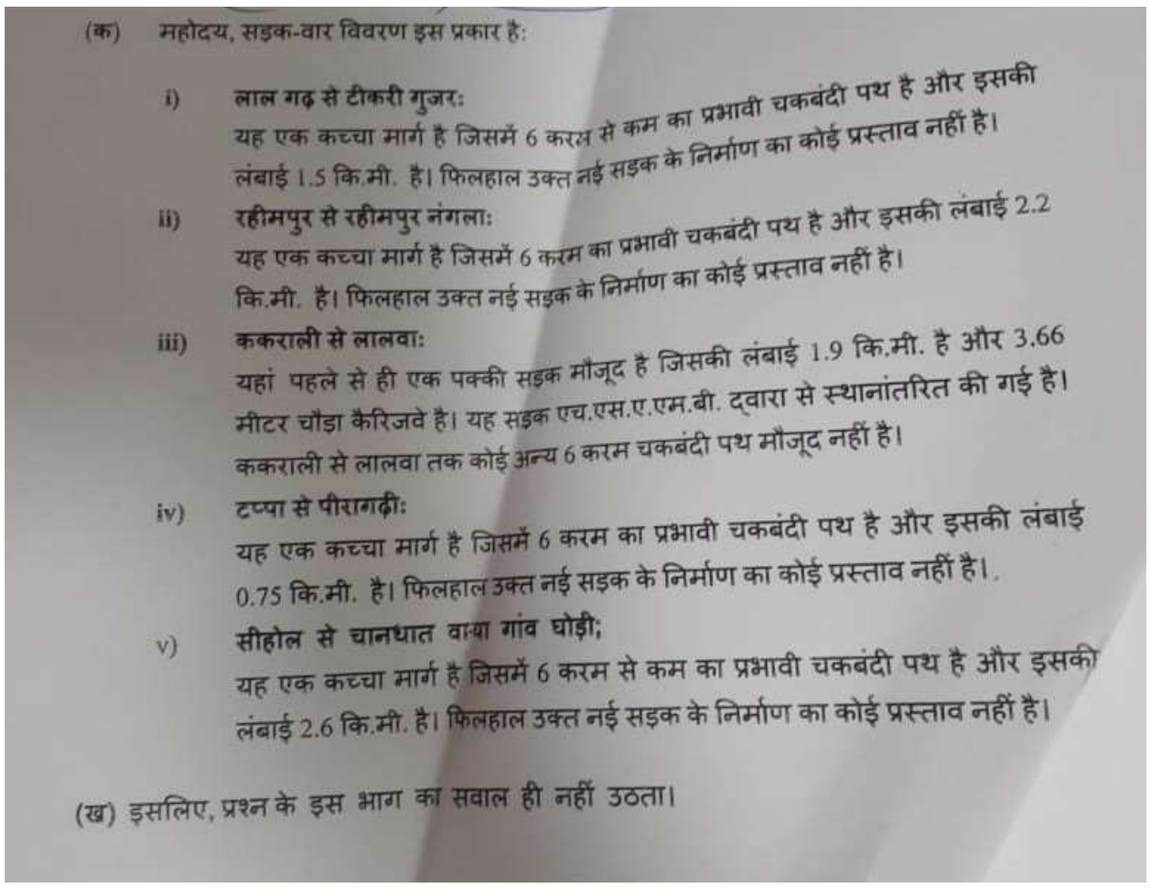

(क) महोदय, सड़क-वार विवरण इस प्रकार है:

i) **लाल गढ़ से टीकरी गुजर:**
यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम से कम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 1.5 कि.मी. है। फिलहाल उक्त नई सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ii) **रहीमपुर से रहीमपुर नंगला:**
यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 2.2 कि.मी. है। फिलहाल उक्त नई सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

iii) **ककराली से लालवा:**
यहां पहले से ही एक पक्की सड़क मौजूद है जिसकी लंबाई 1.9 कि.मी. है और 3.66 मीटर चौड़ा कैरिजवे है। यह सड़क एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा से स्थानांतरित की गई है। ककराली से लालवा तक कोई अन्य 6 करम चकबंदी पथ मौजूद नहीं है।

iv) **टप्पा से पीरागढ़ी:**
यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 0.75 कि.मी. है। फिलहाल उक्त नई सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

v) **सीहोल से चानधात वाया गांव घोड़ी;**
यह एक कच्चा मार्ग है जिसमें 6 करम से कम का प्रभावी चकबंदी पथ है और इसकी लंबाई 2.6 कि.मी. है। फिलहाल उक्त नई सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इसलिए, प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

To Construct the Road

102. Shri Ram Kumar: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from village Gheed to Shergarh Tapu upto Uttar Pradesh Border; if so, the time by which the abovesaid road is likely to be constructed?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं श्रीमान् जी।

Details of School Buildings

103. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Education Minister be pleased to state whether the building of all schools of Gohana Assembly Constituency are safe as per PWD norms; if not, the details of the schools having unsafe buildings togetherwith the details of Schools having insufficient rooms?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): (क) हां, श्रीमान् जी।

गोहाना विधानसभा क्षेत्र में 86 विद्यालय भवनों में से 74 विद्यालय लोक निर्माण विभाग मानदंड के अनुसार सुरक्षित हैं; केवल 12 विद्यालयों के भवन असुरक्षित हैं और 5 विद्यालयों में अपर्याप्त कक्षा–कक्ष हैं। सूचि निम्न प्रकार हैः–

क्रमाक	असुरक्षित भवनों वाले विद्यालय	
1.	रा0उ0वि0	कटवाल
2.	रा0क0प्रा0पा0	जसराना
3.	रा0व0मा0वि0	ऑवली
4	रा0प्रा0पा0	पुठी
5	रा0प्रा0पा0	रूखी
6	रा0प्रा0पा0	केलाना
7	रा0प्रा0पा0	रामगढ
8	रा0प्रा0पा0	वजीरपुरा
9	रा0प्रा0पा0	तिहाड़ मलिक
10	रा0प्रा0पा0	खानपुर कला
11	रा0प्रा0पा0	खानपुर कलां (वी0डी0)
12	रा0उ0वि0	कासंडी

क्रमाक	अपर्याप्त कक्षा–कक्ष वाले विद्यालय	कक्षा–कक्ष की अवश्यकता	
1	रा0प्रा0पा0	जसराना	
2	रा0प्रा0पा0	रबहड़ा	
3	रा0व0मा0वि0	गढी यू0के0	
4	रा0व0मा0वि0	लाठ	
5	रा0मा0वि0	खानपुर (वी0डी0)	

To Construct the Stadium

104. **Smt. Naina Singh Chautala**: Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state the time by which the construction work of Sports Stadium to be constructed under the Hon'ble Chief Minister announcement in village Pichopa Kalan is likely to be started?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह): जी श्रीमान। गांव पिचोपा कलां में खेल स्टेडियम बनाने हेतु ड्राईंग तैयार की जा रही है। तत्पश्चात, अनुमानित लागत तैयार की जाएगी तथा संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा निर्माण शुरू किया जाएगा।

To Construct Libraries and Gyms

105. **Shri Amit Sihag**: Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state the details of villages identified by the Government in Block Dabwali and Block Odhan for construction of libraries and gyms togetherwith the time by which the abovesaid libraries and gyms are likely to be constructed?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेंद्र सिंह बबली): हां श्रीमान्। विकास एवं पंचायत विभाग ने पुस्तकालय एवं जिम की स्थापना के लिए पूरे राज्य में मौजूदा भवनों का सर्वेक्षण किया है। खण्ड डबवाली में 38 मौजूदा भवनों को पुस्तकालय स्थापित करने के लिए और एक भवन को जिम स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है। खण्ड औढा में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए ऐसे नौ भवनों की पहचान की गई है। हालांकि, जिम स्थापित करने के लिए कोई मौजूदा इमारत उपलब्ध नहीं है। विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी गई है।

Sr. No.	Name of Block	Name of Village	To setup library	To setup Gym	Remarks
1	2	3	4	5	6
			District-Sirsa		
1	Dabwali	Abub Shahar	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
2	Dabwali	Ahmadpur Darewala	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
3	Dabwali	Alika	Community Hall	-	-
4	Dabwali	Bharu Khera	Community Hall	-	-
5	Dabwali	Bijuwali	Community Hall	-	-
6	Dabwali	Chakjalu	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
7	Dabwali	Dabwali	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
8	Dabwali	Dewan Khera	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
9	Dabwali	Ganga	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
10	Dabwali	Giddar Khera	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
11	Dabwali	Godeka	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
12	Dabwali	Habuana	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
13	Dabwali	Joge Wala	Panchyat Ghar	-	-
14	Dabwali	Jottanwali	Panchyat Ghar	-	-
15	Dabwali	Kaluana	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
16	Dabwali	Khuyan Malkhana	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
17	Dabwali	Lakhuana	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
18	Dabwali	Lambi	Panchyat Ghar	-	-
19	Dabwali	Lohgarh	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
20	Dabwali	Mangiana	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
21	Dabwali	Masitan	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
22	Dabwali	Matdadu	Community Hall	-	-
23	Dabwali	Maujgarh	Community Hall	-	-
24	Dabwali	Panna	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
25	Dabwali	Modi	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
26	Dabwali	Moonanwali		Community Hall	-
27	Dabwali	New Rajpura	Choupal	-	-
28	Dabwali	Nillanwali	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
29	Dabwali	Panniwala Ruldu	Community Hall	-	-

30	Dabwali	Phullo	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
31	Dabwali	Rajpura	Community Hall	-	-
32	Dabwali	Ramgarh	Community Hall	-	-
33	Dabwali	Rampura Bishnoian	Community Hall	-	-
34	Dabwali	Ratta Khera	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
35	Dabwali	Risalia Khera	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
36	Dabwali	Sanwant Khera	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
37	Dabwali	Shergarh	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
38	Dabwali	Sukhera Khera	Community Hall	-	-
39	Dabwali	Teja Khera	Rajiv Gandhi Seva Kendra	-	-
40	Odhan	Dadu	Village Knowledge Centre	-	
41	Odhan	Desu Malkana	Village Knowledge Centre	-	
42	Odhan	Jandwala Jattan	Gram Sachivalya	-	
43	Odhan	Kheowali	Panchayat Ghar	-	
44	Odhan	Nuhianwali	Gram Sachivalya	-	
45	Odhan	Paniwala Motta	Village Knowledge Centre	-	
46	Odhan	Pipli	Village Knowledge Centre	-	
47	Odhan	Singhpura	Village Knowledge Centre	-	
48	Odhan	Tigri	Panchayat Ghar	-	
No. of Buildings identified for setup of library in block Dabwali					38
No. of Buildings identified for setup of Gym in block Dabwali					1
No. of Buildings identified for setup of library in block Odhan					9
No. of Buildings identified for setup of Gym in block Odhan					0
Total					**48**

Rule Regarding Work Order Allotment

106. **Shri Rakesh Daultabad**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state: -

(a) whether the work order of any work of more than Rs. 1 crore can be allotted by the Municipal Corporation, Faridabad to such company/contractor who have no experience of 15 years for executing the same work as mentioned in work order;

(b) if so, the rule under which the said work order can be allotted; and

(c) the basis on which the works of door to door survey and topography have been allotted to the Yasni Consulting and the Dmrk Infocade Services in the ward bandi of the year 2021-22 of Municipal Corporation Faridabad whereas 10 the said companies have no experience regarding such work for the last 15 years togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (डा0 कमल गुप्ता): (क) हां, श्रीमान् जी। वार्डबन्दी के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण और स्थलाकृति सर्वेक्षण के कार्यों को निष्पादित करने के लिए 15 वर्षों के वाँछित अनुभव के मापदण्ड का सम्बन्धित कार्य आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है। निविदा सूचना के अनुसार निविदा आबंटन के लिए केवल 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक था।

(ख) ज्ञापन संख्या 12/143/2017–5सी1 दिनांक 07.05.2018 के तहत जारी सरकारी आदेष के अनुसार, नगर निगम 250.00 लाख रूपये की राषि तक के अनुमानों के प्रषासनिक अनुमोदन तथा उसके रेट के अनुमोदन के लिए सक्षम है **(अनुबन्ध–I)**।

आदेश संख्या एम.सी.एफ./सी.एस./2017/49 दिनांक 06.06.2017 **(अनुबन्ध–II)** के तहत नगर निगम, फरीदाबाद की वित्त तथा अनुबन्ध समिति (एफ. एण्ड.सी.सी.) का गठन पहले ही किया हुआ है, जिसके द्वारा उक्त अनुमान और उसके रेट का अनुमोदन किया गया है।

(ग) आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा इस कार्य हेतु पात्रता के मापदण्डों सहित निविदा दस्तावेजों को अन्तिम रूप देने के लिए निगम सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश वित्त एवं अनुबन्ध समिति को प्रस्तुत की गई थी, जिसके द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। निविदा में उल्लेखित

मापदण्ड के अनुसार, केवल तीन वर्ष का अनुभव वाँछित था। अतः निविदा दस्तावेजों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एजेंसियों को कार्य आबंटित किया गया।

इस बारे कार्यकारी अभियन्ता–1, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा निविदा सूचना संख्या 2021_एच.आर.वाई_195633_1 दिनांक 12.11.2021 के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की। इस निविदा में 04 एजेंसियों ने भाग लिया तथा तकनीकी एवं वित्तीय बिड की योग्यता को पूर्ण किया।

Annexure - I

From

The Principal Secretary to Govt. Haryana,s

Urban Local Bodies Department.

To

1. The Director General,
   Urban Local Bodies, Haryana.

   Bays No. 11-14, Sector – 4, Panchkula.
2. All Deputy Commissioners in Haryana.
3. All Municipal Commissioners in Haryana.

Memo No. 12/143/2017-5C-1

Dated, Chandigarh the 07/05/2018

Subject:- Delegation of powers for Administrative Approvals of estimates for development works in Municipal Corporation.

*****

Reference to O/o DGULB single file system diary no. DLB-4174 dated 09-04-2018 on the subject noted above.

2. In order to expedite the approval process in the municipalities, the following powers in respect of Administrative Approval of the estimates are prescribed as under:-

Sr. No.	Description	Financial Limit for according Administrative approval to the estimate		Financial Limit for rate approval of tenders	
		Existing	Proposed	Existing	Proposed
1	2	3	4	5	6
1	Municipal Corporations				
i.	Commissioner, Municipal Corporation	50.00 Lakhs	Upto 100.00 Lakhs	50.00 Lakhs	Upto 100.00 Lakhs
ii.	Municipal Corporation	100.00 Lakhs	above 100.00 to 250.00 Lakhs	above 50.00	above 100.00 Lakhs to 250.00 Lakhs

iii.	Director, ULB	100.00 Lakhs	above 250.00 Lakhs to 300.00 Lakhs	---	above 250.00 Lakhs to 300.00 Lakhs
iv.	Administrative Secretary, ULB	above 100.00 Lakhs	above 300.00 Lakhs	----	above 300.00 Lakhs
2	Municipal Council				
i.	Municipal Council	10.00 Lakhs	Upto 25.00 Lakhs	Full powers within HSR+ latest premium	Upto 25.00 (*within celling rates)
ii.	Deputy Commissioner of the District	25.00 Lakhs	above 25.00 Lakhs to 100.00 Lakhs	As per Municipal Accounts Code, 1930 above HSR + latest premium	Upto 100.00 Lakhs (As per Municipal Accounts Code, 1930 above HSR+ latest Premium
iii.	Director, ULB	100.00 Lakhs	above 100.00 to 300.00 Lakhs	---	above 100.00 lakhs to 300.00 Lakhs
iv.	Administrative Secretary, ULB	above 100.00 Lakhs	above 300.00 Lakhs	---	above 300.00 Lakhs
3.	Municipal Committee				
i.	Municipal Committee	5.00 Lakhs	Upto 15.00 Lakhs	Full powers within HSR+latest premium	Upto 15.00 Lakhs (*within celling rates)
ii.	Deputy Commissioner of the District	25.00 Lakhs	above 15.00 Lakhs to 100.00 Lakhs	As per Municipal Accounts Code, 1930 above HSR+ latest premium	Upto 100.00 Lakhs (As per Municipal Accounts code, 1930 above HSR+ latest premium)
iii.	Director,ULB	100.00 Lakhs	above 100.00 Lakhs to 300.00 Lakhs	---	above 100.00 Lakhs to 300.00 Lakhs
iv.	Administrative Secretary, ULB	above 100.00 Lakhs	Above 300.00 Lakhs	---	above 300.00 Lakhs

- Ceiling rates = HSR rates+ latest ceiling premium

Sd/-

Superintendent Committee-I
for Principal Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Annexure-II

फरीदाबाद नगर निगम

बी.के. चौंक, एन.आई.टी. फरीदाबाद – 121001, हरियाणा – इंडिया।

Tel रू 0129.2411649ए 2411664ए 2415549

Fax रू 0129 दृ 2416465

विषय : <u>निगम की वित्त एवं संविदा समिति के गठन बारे।</u>

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा–40 में निहित प्रावधान एवं निगम सदन द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये महापौर, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा निगम की वित्त एवं संविदा समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1.	श्रीमति सुमन बाला, महापौर	चेयरमैन
2.	श्री देवेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ उप महापौर	वाईस चेयरमैन
3.	श्री मनमोहन गर्ग, उप महापौर	मैम्बर
4.	श्री धनेष अदलखा, पार्षद वार्ड नं0–33	मैम्बर
5.	श्री राकेष डागर, पार्षद वार्ड नं0–35	मैम्बर

हस्ता0

महापौर

<u>कार्यालय निगम सचिव, नगर निगम, फरीदाबाद।</u>

पृ0 क्र0 : न0नि0फ0/नि0स0/2017/49 दिनांक : 6–6–2017

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. आयुक्त एवं प्रधान सचिव, षहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा।

2. आयुक्त, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम।

3 .आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद।

4. सभी सदस्यगण, नगर निगम, फरीदाबाद।

हस्ता0

निगम सचिव

To Construct the Bye-Pass

107. **Shri Balraj Kundu**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye- pass in east side of Meham towards Lakhan Majra road keeping in view of expansion of Meham town; if so, the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं श्रीमान् जी।

To Repair the Building of PHC

108. **Shri Deepak Mangla** : Will the Health Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the building of PHC in village Rampur Khor of Palwal Assembly Constituency was constructed 7-8 years ago but the said building has not been handed over to the Health Department till to date; if so, the reasons thereof; and

(b) whether it is also a fact that the abovesaid building has been dilapidated; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said building togetherwith the time by which the said building is likely to be repaired and handed over to the Health Department.

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) हां श्रीमान जी, रामपुर खोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थान पर एक उप–स्वास्थ्य केन्द्र है। दिनांक 13.08.2009 को 21.16 लाख रूपये की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त भी लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) द्वारा भवन पूर्ण नहीं किया गया है तथा न ही इसे सुपुर्द/हस्तांतरित किया गया है।

(ख) हां श्रीमान जी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) से विवरण प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन निर्माण बारे विचार किया जायेगा।

.....

The number of beneficiaries under Antyodaya Mela

109. **Shri Ram Kumar:** Will the Chief Minister be pleased to state the block wise details of the beneficiaries under the Antyodaya Mela in district Karnal?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): महोदय, जिला करनाल में लाभार्थियों का क्षेत्र अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्षेत्र	**सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत**
असंध बी0एल0	757
असंध एम0सी0	207
घरौंदा बी0एल0	869
घरौंदा एम0सी0	21
इंद्री बी0एल0	791
इंद्री एम0सी0	76
करनाल बी0एल0	1013
करनाल एम0सी0	308
कुंजपुर बी0एल0	479
मुनक बी0एल0	402
नीलोखेडी बी0एल0	969
नीलोखेडी एम0सी0	81
नीसींग एट चिराओ बी0एल0	749
नीसींग एम0सी0	142
तरावड़ी एम0सी0	128
कुल	**6992**

————————

Details of Forged Ration Cards

110. **Shri Jagbir Singh Malik**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state: -

(a) the details of the forged ration cards cancelled by the Government in district Sonipat from the year 2019 till to date togetherwith the grounds

on which these were cancelled; and

(b) the persons/officials responsible for issuance of such ration cards

togetherwith the action taken by the Government against such officials?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) वर्ष 2019 से अब तक जिला सोनीपत में ऐसा कोई फर्जी राशन कार्ड नहीं पाया गया और निरस्त नहीं किया गया;

(ख) उपरोक्त (क) अनुसार इस संबंध में सूचना शुन्य है।

To Regularize the Colonies

111. **Smt. Naina Singh Chautala:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the steps being taken by the Government in the direction to regularize the various unapproved colonies under the periphery of Municipal Council Dadri togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): महोदया, सरकार ने एक्ट 2021 का

नं 24 के तहत हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुंविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरीय क्षेत्र (विषेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 में संषोधन अधिसूचना दिनांक 10.09. 2021 द्वारा लागू किया है।संषोधित अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, नागरिक सुविधाओं और बुनियादि ढांचे की कमीवाले क्षेत्रों को अधिनियम के तहत घोषित क्षेत्र अधिसूचित करने की कार्रवाई के लिए मानदंड/नीतिदिनांक 14.02.2022 जारी की

गई है। अधिनियम के तहत अवैध कॉलोनियों को "घोषित क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित करने की प्रकिया संबंधित नगरनिकाय से संकल्प प्राप्ति के बाद और यदि कॉलोनी अधिसूचना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो की जाएगी।

.....

To Provide infrastructure to Schools

112. **Shri Amit Sihag:** Will the Education Minister be pleased to state whether it is fact that Primary School number 18802 working/operational from Nagar Sudhar Mandal Park with just one room and Primary School Chauhan Nagar number 18801 operational in Khel Stadium of Dabwali did not have their own buildings; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide adequate infrastructure to the abovesaid schools togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): श्रीमान जी, जब से राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04 मंडी डबवाली (18802) खुला था तब से यह पार्क के एक कमरे मे चल रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौहान नगर (18801) आरम्भ में 1986 में एक धर्मशाला में खोला गया था। वर्ष 2017 मे यह विद्यालय गुरू गोबिन्द सिंह खेल स्टेडियम मंडी डबवाली में स्थानांतरित किया गया था क्योंकि धर्मशाला की इमारत वर्षा के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। दोनों विद्यालय पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित है जहॉ भवनों के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है तथा भूमि उपलब्ध होने पर इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण का कार्य किया जाएगा।

————————————

अनुपस्थिति की अनुमति से संबंधित सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि–

(क) श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक ने मुझे ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे पारिवारिक समारोह के कारण आज दिनांक 10 अगस्त, 2022 को विधान सभा के सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते।

(ख) इसी प्रकार श्री बलराज कुंडू, विधायक ने भी ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे अति आवश्यक कार्य एवं व्यक्तिगत कारणों की वजह से आज दिनांक 10 अगस्त, 2022 को विधान सभा के सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते।

(ग) इसी प्रकार श्री प्रदीप चौधरी, विधायक ने भी ई–मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे किसी कारणवश आज दिनांक 10 अगस्त, 2022 को विधान सभा के सत्र में उपस्थित नहीं हो सकते।

"हर घर तिरंगा" से संबंधित सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 13 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया जाएगा । इस अवसर पर मेरे द्वारा 13 अगस्त, 2022 को प्रातः 10:00 बजे हरियाणा एम.एल.ए. होस्टल, सैक्टर–3, चण्डीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा । इस अवसर पर आप सभी सदस्यगण आमन्त्रित हैं ।

————————————————

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक 'नियम सभा की बैठकों' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक 'नियम सभा की बैठकों' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक 'नियम सभा की बैठकों' के उपबंधों से मुक्त किया जाए ।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

शून्य/व्यवधान काल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों से संबंधित सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जीरो आवर में बोलने के लिए ड्रॉ ऑफ लोट्स के माध्यम से जिन माननीय सदस्यों के नाम की लॉटरी निकली है, उनके नाम निम्न प्रकार से है :–

श्री वरूण चौधरी, श्रीमती शकुंतला खटक, श्री भारत भूषण बतरा, श्री विनोद भ्याना, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री आफताब अहमद, श्री अभय सिंह चौटाला, श्री बलबीर सिंह, श्री राजेश नागर, श्री जोगी राम सिहाग, श्री राम कुमार गौतम, श्री मोहम्मद इलियास, श्री लीला राम, श्री शीशपाल सिंह, श्री अमरजीत ढांडा, श्री राम करण काला, राव दान सिंह और श्री लक्ष्मण नापा और श्री लक्ष्मण सिंह यादव । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में बोलने के लिए अभी तक समय नहीं दिया गया है । अतः आप जीरो आवर में बोलने के लिए मुझे भी समय अवश्य दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

.....

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जीरो आवर में माननीय सदस्य के बोलने हेतु जो प्रोसीजर तय किया गया था मैंने उसी प्रोसीजर के तहत कार्य करके उपर्युक्त माननीय सदस्यों को जीरो आवर में बोलने के लिए समय दिया है ।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जीरो आवर के लिए एक घण्टे का समय निश्चित किया था । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, मैंने जीरो आवर के लिए आज भी एक घण्टे का ही समय निश्चित किया है । (विघ्न) जिन माननीय सदस्यों को जीरो आवर में बोलना था उन्होंने मुझे अपने नाम दिये थे । मैंने उन सभी के नामों की पर्ची बॉक्स में डाल दी और ड्रॉ ऑफ

लोट्स के माध्यम से जिन माननीय सदस्यों के नामों की लॉटरी निकली उनको मैंने जीरो आवर में बोलने के लिए समय दे दिया है । (विघ्न) जो माननीय सदस्यगण कल सदन में बोल चुके हैं उनका नाम जीरो आवर में बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट में नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) अब माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी ही जीरो आवर में बोलेंगे ।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या है मैं सदन का ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । आज प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि प्रदेश में कोई समस्या भी है । अतः जब तक सरकार यह नहीं मानेगी कि कोई समस्या है तो फिर उस समस्या का समाधान कैसे होगा ? मेरा प्रश्न है कि समस्या का समाधान कौन निकालेगा ? मामला चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे कानून–व्यवस्था का हो, चाहे अवैध माइनिंग का हो सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई समस्या है। सरकार को यह बात मामने की आवश्यकता है तभी इन सभी बातों के समाधान निकालेंगे और हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढेगा। वर्ष 2022 तक सरकार द्वारा ही लक्ष्य निर्धारित किये गये थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी और हर सिर पर छत होगी, लेकिन आज उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उल्टा एफ.सी.आर. की तरफ से चिट्ठी निकली है कि संबंधित सारी जमीन को शामलात देह में बदल दिया जाए। इससे लाखों किसान बिना जमीन के हो जाएंगे और लाखों हरियाणावासी जिनके सिर पर आज छत है, वे बेघर हो जाएंगे। मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया था, लेकिन वह रिजैक्ट कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और कोई नीति बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो आज लाखों हरियाणावासी परेशानी में खड़े हैं और उनकी परेशानी को दूर करने की जिम्मेवारी सरकार की है, इसलिए उनकी परेशानी को दूर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बात रखी है कि आजादी के 75वें वर्ष पर अनेकों कार्यक्रम किये जा रहे हैं

जोकि हमारे लिए हर्ष का विषय है। लेकिन जिनके कारण आज हम यह झंडा लहरा रहे हैं, हम उन्हें क्यों भूले बैठे हैं ? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यहां पर बार–बार आवाज अठायी गयी कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति बनायी जाए, लेकिन इसको भी नहीं बनाया जा रहा है। सचिवालय के अन्दर तिरंगे के लिए काउंटर बनाया गया, लेकिन उसी सचिवालय में यह फैसला नहीं लिया जा रहा है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान समिति का भी गठन हो। अभी बात चल रही है कि अनुसूचित जाति आयोग बनाना था, लेकिन वह नहीं बन रहा है। स्पैशल कम्पोनैंट प्लान अथॉरिटी बननी थी, वह नहीं बन रही है। ये क्यों नहीं बन रही हैं और इनको बनाने से कौन रोक रहा है ? एस.सी. कैटेगरी के इम्पलायीज के प्रमोशन की बात हो रही थी, लेकिन यह काम भी नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आदेश दिये गये थे कि विधेयक 5 दिन पहले विधान सभा में आ जाना चाहिए और वह भी नहीं आ रहा है, लेकिन वह क्यों नहीं आ रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आप इस बात पर भी संज्ञान लेते हुए एक्शन लें क्योंकि इससे प्रदेश का नुकसान है। चूंकि इसी कारण जितने भी विधेयक आये हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पायी और बिना चर्चा के ही पास हो रहे हैं।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्या श्रीमती शकुंतला खटक जी अपनी बात रखेंगी।

श्री बिशन लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः बिशन लाल जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्या श्रीमती शकुंतला खटक जी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती शकुंतला खटक (कलानौर)(अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से

माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहती थी कि मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या बताने से पहले जब ट्रैक्टर खींचा था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दयालुता दिखायी थी। आज मैं अपने हल्के की समस्या रख रही हूं तो उनका समाधान करने के लिए भी उतनी ही दयालुता दिखाएं। जब मैं जीरो ऑवर में अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई तब माननीय शिक्षा मंत्री जी उठकर चले गये क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे हल्के के 3 स्कूल्ज का काम नहीं करवाया है। जिसमें कलावड़ कन्या स्कूल और कलानौर का गर्ल्ज स्कूल भी शामिल है। इस स्कूल में एम.पी. साहब भी गये थे और हमने यहां पर काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज तक वहां पर कोई काम नहीं करवाया गया है। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के बनियानी गांव के स्कूल का भी कोई काम नहीं करवाया गया है। माननीय पी.डब्ल्यू. डी (बी. एंड आर) मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि मेरे हल्के में गरनावठी मोड से लेकर गरनावठी गांव तक रोड नहीं बनाया गया है। मार्केटिंग बोर्ड के मिनिस्टर भी उठकर चले गये हैं। वे हर बार हर समस्या को हंसी में उड़ा देते हैं। उनसे संबंधित आई. एम.टी. से लेकर नोन्द रोड, कन्हैली से लेकर वृद्धाश्रम रोड, गढ़ी से लेकर निगांना रोड नहीं बनाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपके माध्यम से एक मेजर समस्या के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती थी कि हमारे ठेकेदारी प्रथा के थ्रू भर्ती क्लास–4 इम्पलायीज को टाईम पर तनख्वाह नहीं मिलती है। उनको यह तनख्वाह 6 महीनों के बाद मिलती है और उनको 6 महीने तक काम चलाने के लिए ब्याज पर पैसे लेने पड़ते हैं। इनको 6 महीने के बाद एक तनख्वाह मिलती है जिसमें से आधी तनख्वाह ब्याज में चली जाती है तो उस आधी तनख्वाह से उनका घर कैसे चलेगा ? अध्यक्ष महोदय, मेरी स्पैशल रिक्वेस्ट है कि उनको समय पर तनख्वाह अवश्य मिले। मेरे इलाके में जल भराव की समस्या है उसका परमानेंट

सॉल्यूशन निकालने का काम किया जाये परन्तु माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, पता नहीं है वे कहां पर चले गये? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 5 करोड़ रुपये की ग्रांट दिये जाने की अनाउंसमैंट की थी। हमने 1 महीने के अंदर–अंदर 5 करोड़ रुपये के ऐस्टीमेट्स तैयार करके संबंधित विभाग को भेज दिये थे लेकिन हमें अभी तक 5 करोड़ रुपये की ग्रांट नहीं मिली है। मुझे इस बारे में पता नहीं है कि इसमें क्यों ढील बरती जा रही है और इसके पीछे क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि मेरे इलाके की समस्याओं को देखते हुए 5 करोड़ रुपये की ग्रांट टाइम पर भेजी जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार मेरे कलानौर में सब–डिवीजन बनाने का काम करे। सदन में हैल्थ मिनिस्टर साहब उपस्थित नहीं हैं। मेरे हल्के में अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाने का काम किया जाये। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। इसके अलावा मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय मंत्रियों से कहना चाहूंगी कि मेरे इन कामों को अदरवाइज न लेकर इनको पूरा करने का काम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जीरो ऑवर और रिसैस ऑवर के लिए जो ड्रा निकाले जाते हैं तो इसमें एक विधायक केवल एक ही पर्ची डालें। कई विधायकों ने दो–दो, तीन–तीन पर्चियां डाली हुई हैं। अगर दो–दो पर्चियां डाली जायेंगी तो उनको कैंसिल कर दिया जायेगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विधायक अपने सिग्नेचर के साथ पर्ची डालें। आज हमें यह देखने को मिला है कि किसी की पर्ची दूसरे विधायक ने डाल दी और किसी विधायक ने पर्ची पर साइन ही नहीं किये तो इस बात का आगे से ध्यान रखा जाये।

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ड्रा वाला सिस्टम खत्म करो क्योंकि जिन सदस्यों का इसमें नाम नहीं आता है वे सदस्य अपने हल्के की समस्याओं को उठाने से वंचित रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर आप सब माननीय सदस्य यह बात कहेंगे तो हम जीरो ऑवर पर चर्चा करना ही बंद कर देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई न कोई सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि देश हमेशा संविधान के मुताबिक ही चलता है और एक रूल ऑफ लॉ का सिस्टम होता है। अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर डॉ कमल गुप्ता जी सदन में बैठे हुए हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक नोटिस गांधी कैम्प में लोगों को इशू किया जाता है कि यहां से 15 फीट चौड़ा रोड बनाया जाना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सड़क का मालिक कारपोरेशन नहीं है और ऑर्डर होता है कि जे.सी.बी. से आपके घर, आपके प्लॉट, आपकी दुकानें डिमोलिश कर दी जायेंगी। यह बात मैं प्रजातंत्र में पहली बार सुन रहा हूं। वहां मौके पर सी.एम. साहब भी गये थे। अभी वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने 15 फीट चौड़ा रोड बनाये जाने के लिए सी.एम. अनाउंसमैंट की थी और एक तरफ रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ 30 फीट का चौड़ा रास्ते बनाने के लिए अनाउंसमैंट भी की थी। वहां पर पहले से ही रेलवे ट्रैक बना हुआ है जो काफी पुराना है, उसको उखाड़कर चौड़ा रास्ता बनाया जायेगा और उसके लिए जगह पड़ी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि रोहतक में कौन से कानून के तहत जे. सी.बी. चलवा रहे हैं। क्या वह जमीन सरकार की है? क्या सरकार उस जमीन की मालिक है? माननीय मंत्री अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो आप इस बात को संज्ञान में लेकर दोषियों पर एक्शन लेने का काम करें। I know that it may not be in your knowledge वैसे तो मैंने नोटिस दिया था परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ने

इसको अलाउ नहीं किया। माननीय मंत्री जी मैं वह नोटिस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसमें सबसे बड़ी रिक्वैस्ट यह है कि इसका टोटल कोंग्निजैंस देखकर जो वहां पर कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं। इस नोटिस की कॉपी आप कहेंगे तो पढ़ने के बाद मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। इस नोटिस के विषय में लिखा हुआ है कि गोहना–रोहतक रेलवे ऐलिवेटिड ट्रैक के साथ बनाई जानी वाली सड़क में आने वाले भवनों को हटाने बारे। यह बात मैंने पहली बार सुनी है और मुझे पढ़कर यह बात बड़ी अजीब लगी इसलिए मैंने आपसे कल इस बारे में रिक्वैस्ट की थी। उसको ई–भूमि पोर्टल पर डाल दो या इसके लिए अलग से पोर्टल खोल दो। अगर सरकार चाहे तो इसकी एक्विजिशन करने के प्रोसैस को प्रोसीजर में ले ले। यह बात नहीं होनी चाहिए कि सरकार उनके घरों को मशीनों से उजाड़ने का काम करे। मैं मंत्री जी को इस नोटिस की कॉपी पढ़कर सुना देता हूं। उपरोक्त के संबंध में मंत्री जी से अनुरोध है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि गोहाना रेलवे ऐलिवेटिड ट्रैक के साथ 15 फीट चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। जिसकी निशानदेही तहसील कार्यालय के स्तर पर की जा चुकी है। उक्त रास्ता बनाने में आपकी दुकान/मकान का रकबा 15 वर्ग गज के मध्य आता है। जिसको हटाया जाना है। प्रस्तावित सड़क बनाने में जिस किसी भी व्यक्ति का कमर्शियल एरिया आता है उसको दिल्ली रोड पावर हाउस पर नगर निगम द्वारा बनाई गई दुकान अलॉट की जानी है व जिस व्यक्ति का रिहायशी एरिया आता है उसको चिन्योट कॉलोनी में रिहायशी प्लॉट दिया जाना है। एक नोटिस दिया गया है कि कृप्या आप रास्ते के मध्य आने वाले अपने रकबे को जिसमें दुकान/मकान या चारदिवारी है। उसे 15 दिनों के अंदर–अंदर स्वयं हटा लें क्योंकि कार्यालय के द्वारा यदि जे.सी.बी. से उस रकबे को हटाया जायेगा, जो 15 फीट चौड़े रोड हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन इस जगह की मालिक नहीं है। मंत्री जी उसको प्रोसेस कीजिये। How you can compel कि कोई वहां पर

दुकान ले या मकान ले। आप कैसे किसी को कैम्पेल कर सकते हैं। लोगों की पॉपर्टी है। सारे के सारे अगर केसैंट देते हों तब तो ठीक है कि कलेक्टर रेट पर एग्रीमेंट करके इसको आप ले सकते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला (उप मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जीरो हावर की प्रथा शुरू की यह बहुत अच्छी बात है। इसमें संबंधित सदस्यों को अपनी विधान सभा क्षेत्र तथा अर्जेंट टाईप के मुद्दे उठाने का मौका मिलता है। लेकिन जो नोटिस आपके पास सर्व होते हैं अगर उसकी कॉपी संबंधित मिनस्टिर को दी जाये तो उसके फैफ्चुअल फिगर टाइमली वह रिप्लाई भी कर पायें। जैसे माननीय सदस्य बतरा जी ने बात कही अगर इस नोटिस की कापी हमारे पास होती तो शायद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर इस पर टाइमली रिप्लाई कर सकते थे।

श्री अध्यक्षः ठीक है, चौटाला जी। अगर हमारे पास नोटिस आयेगा तो संबंधित मिनस्टिर के पास भेज दिया जायेगा।

श्री विनोद भ्याना (हांसी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हांसी में भारी बरसात होने के कारण लगभग 15 गांवों के अन्दर चाहे उसमें कपास की फसल हो या धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था। पिछले वर्ष जब फसल बर्बाद हुई तो पानी की निकासी इतनी देर से हुई थी कि अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अबकी बार फिर से वही हाल हुआ किसान की तीन–तीन फसल लगातार बर्बाद हो जाये तो हम समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो फसल बर्बाद हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसान को उसका पूरा मुआवजा दिलवाया जाये और साथ ही साथ भविष्य में पानी की निकासी के लिए ऐसे

प्रबन्ध किये जायें जिससे बार–बार फसल खराब न हो। अध्यक्ष महोदय, आज पूरा भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है इसमें हमारे लाखों वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई। अगर मैं हांसी का जिक्र करूं तो हांसी भी आजादी के संघर्ष में पीछे नहीं था जिसमें हांसी की लाल सड़क, पुट्ठी मंगल खां तथा रौनाद में हजारों की संख्या में आजादी की लड़ाई लड़ते हुए लोग शहीद हुए थे। 1857 से पहले हांसी जिला हैडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन हांसी के लोग आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ लौहा ले रहे थे जिसके कारण अंग्रेजों ने हांसी को जिला हेडक्वार्टर से सब डिविजन बना दिया था। आज पूरा भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि हांसी को उसका खोया हुआ गौरव व सम्मान वापस मिलना चाहिए और हरियाणा सरकार हांसी को एक बार फिर से जिला बनाये ताकि जो लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे वे स्वर्ग से देखें कि हांसी को उसका खोया हुआ मान–सम्मान वापस मिल गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवदेन है कि हांसी को जिला बनाया जाये ताकि हांसी के जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया उसका उन्हें पूरी तरह से सम्मान मिल सके।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर, अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारी खानपुर यूनिवर्सिटी का एक रिजनल सैंटर गांव लूलाअदीर में 8–9 साल पहले जब हमारी सरकार थी उसे बनाने का अनाउंस किया गया था। अब मुझे जानकारी मिली है कि उस रिजनल सैंटर को बनाने की बजाय उसे कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। शिक्षा के साथ इतनी बड़ी दुर्गती हो रही है इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी संज्ञान लें। दूसरा विषय मेरे विधान सभा क्षेत्र झज्जर के अन्दर एक सैनिक बोर्ड का रैस्ट हाऊस है वह बहुत बुरी हालत में था जिसे नया बनाने के लिए हमने

मांग की थी। अब जानकारी मिली है कि उसे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है जिसके विरोध में लोग बार–बार ज्ञापन दे रहे हैं कि उसे वहां से न हटाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब सरकार झज्जर जिले में कुछ दे नहीं रही है तो वहां से सैनिक कल्याण बोर्ड को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम भी न किया जाये। मेरे हल्के के खानपुर गांव में थर्मल पॉवर प्लांट बना जिसमें लैंड ऑस्टीज को सरकार की ओर से जॉब ऑफर की गई थी। प्रभावित परिवार हाई कोर्ट तक से केस जीत चुके हैं लेकिन आज तक भी उनको उनकी जॉब नहीं मिली है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हाई कोर्ट ऑर्डर को इम्पलीमैंट करवाकर जल्द से जल्द उनको जॉब देने का काम किया जाये। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें शिडयूल्ड कॉस्ट और बैकवर्ड क्लॉस के बच्चे वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021 और अब वर्ष 2022 आ गया है लेकिन उनको स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं हुई है। इससे पहले शिडयूल्ड कॉस्ट एवं बैकवर्ड वैलफेयर डिपार्टमैंट इसको देखता था लेकिन अब इसको अलग–अलग विभागों में बांट दिया गया है। जब से किया गया है तब से उनके खातों में स्कॉलरशिप का पैसा नहीं जा रहा है। इससे उनको एडमीशन नहीं मिल पा रहे हैं। इसका बुरा प्रभाव यह हो रहा है कि ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहे हैं। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी सहित बहुत से बच्चों ने हमें ज्ञापन दिये हैं। जो एक अपैक्स कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें शामलात देह को पंचायत विभाग को ट्रांसफर किये जाने बारे कहा गया है। मेरा यह कहना है कि इस मामले में सरकार संज्ञान लेते हुए यह फैसला दे। गांवों में इस समय माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है क्योंकि इस प्रकार की जमीनों पर उनके 100–100 वर्षोंष्से कब्जे हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के एच .टैट और सी. टैट लाखों युवा अपने खून से पत्र लिख चुके हैं। जो अपने आपको भावी अध्यापक कहते थे, उनकी भर्ती नहीं हुई जबकि

खाली पद पड़े हैं। वे भावी अध्यापक बिना भर्ती के ही रिटायर होकर भूतपूर्व अध्यापक हो जायेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ ज्ञापन आये हुए हैं। खेल नीति, 2021 के हिसाब से जो पैरा–ओलम्पिक के खिलाड़ी हैं, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद उनको ओलम्पिक के खिलाड़ियों के बराबर ही मानदेय दिया जाना चाहिए। हमें एक मांग पत्र विकलांग उत्थान समिति की ओर से प्राप्त हुआ है जोकि उसके बैकलॉग से सम्बन्धित है। मैं उनका यह ज्ञापन आपको सौंपना चाहूंगी। मेरा यह भी कहना है कि जल भराव की वजह से न केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में बल्कि पूरे हरियाणा में जो तालाब ओवरफ्लो हो गये हैं उनके पानी की निकासी का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाये। भारी बारिश की वजह से इस बार तो गांवों और खेतों दोनों जगहों पा पानी भर गया है। जो तालाब थे वे बैक मार गये। जहां–जहां पर मोटर लगाई गई हैं वहां पर यह सुनिश्चित किया जाये कि 24 घंटे बिजली दी जाये ताकि जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं शामलात देह के बारे में यज सिंह के केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आई उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ही खतरनाक जजमैंट है। वो लोग पहले ही उस जमीन को बांट चुके हैं और बेच चुके हैं। वह सारे का सारा रिकॉर्ड दोबारा से रिस्टोर होगा। यह भी पता लगाया जायेगा कि कौन कितना फायदा उठा गया। इससे हरेक गांव में बड़ी भारी तकलीफ होगी। इसको स्टडी करके वी.सी.एल. एक्ट में सरकार अमैंडमैंट लेकर आये और इस समस्या का समाधान करे। इसी प्रकार से जो अग्निपथ योजना केन्द्र सरकार लेकर आई है वह हरियाणा प्रदेश के विशेषकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ ही साथ यह देश की सुरक्षा के साथी भी खिलवाड़ है। इसमें हमें यह प्रस्ताव पास करना चाहिए और उसे केन्द्र सरकार के पास भेजना चाहिए कि यह नीति ठीक नहीं है। मेरे हल्के में 6 से 7 दिन पहले मंत्री जी गये थे

और वहां पर जिन गांवों में जल भराव की समस्या थी वहां पर यह कहकर आये थे कि मैं दो दिन में पानी निकलवा दूंगा। मेरे हल्के के रतनगढ़, गढ़ी हकीकत, जाजी, नैना, लाठ, जोली और खानपुर इत्यादि गांवों में तीन–तीन फसलें नहीं हुई हैं। इस बार की फसल लगातार तीसरी फसल है। इन गांवों की फसलों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। एक गांव में तो 700 एकड़ फसल खराब हुई है। (**इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए**) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध है कि इन गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाये। बिजली की एक भी मोटर स्पेयर नहीं है। इन गांवों में बिजली की पर्याप्त मोटरें उपलब्ध करवाई जायें। अभी वी.एल.डी.ए. का धरना चल रहा है। उनकी डिमाण्ड जो सरकार ने पहले मान ली थी लेकिन अब सरकार उनसे बैकआऊट कर रही है। वो मैमोरण्डम मैं पेश करता हूँ। खेलों में गोल्ड मैडल लाने वाले खिलाड़ियों को जिस प्रकार से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में पुलिस विभाग में डी.एस.पी. की नौकरी और इंसपैक्टर की नौकरी इत्यादि नौकरियां दी जाती थीं उसी प्रकार से नौकरियां दी जायें। अगर सरकार यह चाहती है कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी आने वाले खेलों में और अधिक मैडल लायें तो यह जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक ईनाम और नौकरी दी जाये। मेरे हल्के के एक लड़के सुधीर ने पैरा–ओलम्पिक में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मैडल जीता है। मेरी सरकार से यह मांग है कि उसको भी वही सुविधाएं दी जायें जो दूसरे गोल्ड मैडलिस्ट्स को दी जाती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिन स्कूल्ज, कॉलेजिज और मैडीकल कॉलेजिज में पूरा स्टाफ नहीं है उनकी कमी को नई भर्ती करके जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। दादरी के लड़कियों के एक कॉलेज में तो कुल 14 पोस्टें हैं लेकिन वहां पर एक भी रेगूलर पोस्टिंग नहीं है। इसी प्रकार से खानपुर कलां गांव में मेडिकल कॉलेज की ओर जाने वाले रास्ते पर सारा साल पानी भरा रहता है इसलिए मेरा आपके माध्यम

से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से अनुरोध है कि मेडिकल कॉलेज में जाने वाली सड़क को ठीक करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव बिधल से गांव जौली तक की सड़क बनवाई जाये ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री आफताब अहमद(नूंह): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक अत्यन्त ही आवश्यक और जरूरी विषय की ओर इस महान् सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सेहत सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके मद्देनजर शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज 700 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल पर बोल रहा हूं और संबंधित मंत्री हाउस में ही उपस्थित नहीं हैं तो हमारी बात को कौन नोट करेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, हाउस में 4 मंत्री बैठे हुए हैं आप अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, यह हॉस्पिटल वर्ष 2012 में शुरू हुआ था लेकिन आज तक वह हॉस्पिटल 50 प्रतिशत फैकल्टी पर चल रहा है। अब तक न तो उसकी रिकॉग्निशन हुई है और डॉक्टर्स को मिलने वाला स्पेशल अलाउंस भी बंद कर दिया गया है जिसके कारण चाहे सर्जरी हो, चाहे मेडिसन हो, चाहे गाइनी हो, चाहे पैडियोट्रिक्स हो, ऑर्थोपैडिक्स हो या अनेसथीसिया हो, कोई भी विभाग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। यह हॉस्पिटल हमारी जीवन रेखा है इसलिए यहां के डॉक्टर्स को स्पेशल अलाउंस दिया जाये। खानपुर मेडिकल कॉलेज में इस स्पेशल अलाउंस के लिए एक ही बार सैंक्शन हो गई थी और उनको हर साल अपने आप यह अलाउंस मिल जाता है जबकि हमारे शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में हर साल सैंक्शन करवानी पड़ती है। अभी अगस्त में फिर से ड्यू हो जायेगी इसलिए इसके लिए एक बार ही हिदायतें जारी कर दी जायें। जहां तक रिक्रुटमैंट की बात है

तो वह भी समय पर नहीं हो रही हैं। वहां पर मुख्यमंत्री जी स्वयं मीटिंग करके फरवरी, 2022 में कह कर आये थे कि हम यहां पर रेडियोलॉजिस्ट लगायेंगे लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया है इसलिए यथाशीघ्र रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती की जाये। आज वहां की हालत यह है कि न तो हॉस्पिटल में दवाइयां हैं और न ही ईलाज हो रहा है। इसी तरह से अगर शिक्षा की बात की जाये तो हरियाणा प्रदेश में अध्यापकों की बहुत भारी कमी है। कुल 36 हजार वैकेन्सीज में से 30 हजार पद तो टी.जी.टी. और पी.जी.टी. के ही खाली पड़े हुए हैं। हमारे मेवात के लिए कहा गया था कि शिक्षक दिये जायेंगे लेकिन अभी तक केवल 500 सहायक शिक्षक दिये गये हैं। अभी भी 2691 पद तो मिडल और प्राइमरी स्कूलों के खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह से मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज (वक्फ) वर्ष 2010 में शुरू हुआ था। यह वक्फ नाम से पूरे देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है लेकिन 2022 से उस कॉलेज के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी गई है जबकि वहां से 2000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके इंजीनियर बन चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए अब आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः सर, मुझे एक मिनट का समय और दे दीजिए मैं अपनी बात समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, सभी सदस्यों के लिए 3 मिनट बोलने का नियम बनाया हुआ है इसलिए अगर आप लिख कर देना चाहें तो लिख कर दे सकते हैं। अब आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, वे मैं लिखित में दे देता हूं उनको आप सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दें।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, आप लिखित में दे दीजिए उनको सदन की आज की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

***श्री आफताब अहमदः** उपाध्यक्ष महोदय, नैशनल हाईवे नं. 248–ए सोहना–अलवर को फोरलेन किया जाये तथा इस पर गांव कंवरसीका, रेवासन, घासेड़ा तथा मलब गांव में सड़क में गड्ढे हो गये हैं जिससे एक्सीडैंट्स होने का खतरा बना रहता है तथा लोगों को असुविधा भी होती है इसलिए इसकी रिपेयर करवाई जाये। इसी प्रकार से होडल–पाटौदा सड़क भी नूंह शहर में टूटी हुई है, उसकी भी रिपेयर करवाई जाये। इसके अतिरिक्त बीबीपुर से देवला नंगली, रोजका मेओ से खर्क बसई तथा उजीना से कैराका तथा सुडाका रोड की हालत बहुत खराब है इसलिए इनकी रिपेयर करवाई जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मानसून का सत्र है और इस मौनसून सत्र में अबकी बार हरियाणा प्रदेश में 30 प्रतिशत बारिश अधिक हुई है। जिसके कारण आठ से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों की नरमा, कपास, बाजरा, गुवार और मुंगफली की फसल 100 प्रतिशत खराब हो गई है। आज भी बहुत सारा इलाका ऐसा है जो बारिश के पानी से भरा हुआ है। सरकार ने उस पानी को निकालने के लिए अपनी तरफ से कहीं कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे उन गांवों से बारिश के पानी को निकाला जा सके। जीन्द, हिसार और सोनीपत जिले के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सिरसा जिले में भी मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गांव बकरियांवाली, बुढ़ियाखेड़ा, भूकड़ा, लुदेसर, नाथुसरी चौपटा, खरकांवाली, शाहपुरिया, शुकरमंदोरी, रूपाणा बिश्नोइयान, रूपाणा गंजैब, माकोसरानी, दड़बां कलां और दड़बां

————————————————————

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनाया गया।**

दुकाणा आदि गांवों के अन्दर आज भी बारिश का पानी खड़ा है जिससे किसानों की नरमा और कपास की फसल खत्म हो गई है। किसानों ने अपनी तरफ से उन फसलों की बुआई करके अगली फसल के लिए प्रयास शुरू कर दिये हैं लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी स्पेशल गिरदावरी या उन लोगों को कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया कि इसका आपको कोई मुआवजा दिया जाएगा या हम इस पानी को निकालने का काम करेंगे। जिन लोगों ने अपने ट्रैक्टर में अपना तेल जलाकर उस पानी को निकाला है उनको बी.डी.पी.ओ. ऑफिस से तेल उपलब्ध नहीं कराया गया लेकिन बी.डी.पी.ओ. ऑफिस ने अपने रिकॉर्ड में दूसरे आदमियों के नाम से दूसरे ट्रैक्टर दिखा दिये कि पानी निकालने में इन आदमियों के ट्रैक्टर चले हैं और इनके ट्रैक्टर के तेल का इतना पैसा बनता है, उन आदमियों को पैसा दे दिया जाए। जहां पानी निकालने के लिए एक ट्रैक्टर लगाया था वहां रिकॉर्ड में तीन–तीन ट्रैक्टर दिखाए गये थे। ये सारे के सारे नाथुसरी चौपटा ब्लॉक के गांव हैं। बाकायदा तौर पर तरकांवाली गांव के अन्दर हिसार से पानी आता है उस पानी को निकालने के लिए तीन ट्रैक्टर लगे हुए थे और वे तीनों ट्रैक्टर्ज गांव के लोगों के थे। उन तीनों ट्रैक्टर्ज वालों ने अपने ट्रैक्टर्ज में अपना खुद का तेल डालकर उस पानी को निकालकर और उस पर मिट्टी डालकर बांध को मजबूत किया था। उन्होंने मुझे यह शिकायत की है कि बी.डी.पी.ओ. ऑफिस ने अपने रिकॉर्ड में एक जे.सी.बी. और तीन–चार ट्रैक्टर्ज दिखाए हुए हैं जिनकी पेमेंट हो रही है लेकिन यहां धरातल पर वे कहीं पर भी नहीं हैं इसलिए इस पर जरूर कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अन्दर एक नया काम शुरू हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अभय जी आपका टाईम हो चुका है।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो–चार सैकेंड ही लूंगा। सरकार ने पशु मेले लगाए हुए हैं उस पशु मेले का ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सड़कों के ऊपर बैरियर लगा दिये हैं। मेरा इलाका राजस्थान और पंजाब दोनों से सटा हुआ है। डबवाली से लेकर ऐलनाबाद तक 1500 रुपये प्रति पशु टैक्स वसूल किया जाता है। वहां इस तरह की लूट की जा रही है।

श्री इंदूराज : उपाध्यक्ष महोदय,––––(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इंदूराज जी, प्लीज आप बैठिये। जिनका नम्बर आ रहा है वही बोलेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये अपने समय के 10 साल में एक भी इस तरह का प्रयास दिखा दीजिए कि इनके समय में किसी स्पीकर ने सभी मैंबर्स को बुलवाने का प्रयास किया हो। जबकि स्पीकर साहब ने तो यह जिद कर रखी है कि मैंने सभी मैंबर्स को बुलवाना है उसके बावजूद भी ये एतराज कर रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह (इसराना)**:** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के इसराना के गांव नारा व गांव मतलोडा की बशासत के अंदर एक तालाब है और उस तालाब में इतना पानी भर गया है कि उसकी वजह से यहां घरों और गलियों में पानी खड़ा हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर तीन स्कूल हैं। करीब–करीब एक हजार बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। इन बच्चों में 600 के करीब तो लड़कियां ही हैं जिनको पानी से निकलकर स्कूल में जाना पड़ता है। कितनी अजीब बात है कि आज तक सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा इस समस्या का जल्द से जल्द हल करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी तथा सरकार से एक निवेदन यह भी है कि मेरे हलके इसराना के गांव बांध में एक स्कूल है जोकि गांव से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। इस स्कूल में जाने के लिए भी हमारी छोटी–छोटी

बच्चियों और बच्चों को पानी से निकलकर स्कूल जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कूल के अंदर न तो लड़कियों के लिए और न ही लड़कों के लिए किसी प्रकार के शौचालय की कोई व्यवस्था की गई है। मैंने इस बारे में अभी शिक्षा मंत्री जी से आग्रह भी किया है और दो महीने पहले भी मैंने बात की थी और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि इस गांव के स्कूल के अंदर रास्ता भी बनाया जायेगा और शौचालय भी बनवाया जायेगा परन्तु इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक यहां पर कुछ नहीं बना है और शौचालय की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसी सदन के अंदर मैंने पिछली बार एक प्रश्न लगाया था कि पानीपत से वाया इसराना होते हुए जो रोहतक हाइवे जाता है, यहां इसराना फ्लाईओवर के दोनों तरफ पानी खड़ा रहता है जिसकी वजह से लोगों को आने–जाने में दिक्कत होती है। पानी की वजह से यहां पर सड़क पर गढ्ढ़े बन गए हैं। जब लोग यहां से गुजरते हैं तो छोटे व्हीकल्ज गिर जाते हैं। कारें भी नहीं निकलती हैं। लोगों का सामान इन गढ्ढ़ों में गिर जाता है और खराब भी हो जाता है। इस समस्या का भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है जबकि इस बारे में मैं सरकार से कई बार अनुरोध कर चुका हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से सरकार को यह भी बता देना चाहता हूँ कि जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस वक्त गांव मतलोडा के अंदर इन्होंने कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, आई.टी.आई. बनवाई थी। यही नहीं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मतलोडा को तहसील बनवाने का काम भी किया था और यहां पर पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त बड़ा पावर हाउस बनवाने का काम भी माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। इसके अतिरिक्त दूसरे विकास कार्यों के लिए भी दिल खोलकर बहुत प्रकार की ग्रांट्स को चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान देने का

काम किया था लेकिन यह सरकार गांव मतलोडा में और इसराना में 8 साल के अपने कार्यकाल के दौरान एक बस स्टैंड तक का निर्माण नहीं करवा पाई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मतलोडा में बस स्टैंड बनाने के बारे में तीन–चार बार आवाज उठा चुका हूँ लेकिन आज तक यह बस स्टैंड नहीं बन पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर करीब–करीब 50 गांवों के लोगों का आना जाना लगा रहता है बावजूद इसके यहां पर कोई महिला शौचालय तक भी उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि यहां पर जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण किया जाये और इसके साथ ही जितना जल्दी हो सके मतलोडा बस स्टैंड का निर्माण किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

.....

वाक आउट

श्री बिशन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः राजेश नागर जी आप अपनी बात रखिए।

श्री बिशन लालः उपाध्यक्ष महोदय, आज सत्र का तीसरा दिन है लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूँ।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री बिशन लाल सैनी सदन में बोलने न देने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।)

.....

शून्यकाल (पुनरारम्भ)

श्री राजेश नागर (तिगांव): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक फोरलेन की बल्लभगढ–तिगांव–मंझावली रोड की हालत बहुत खराब है। मेरा निवेदन है कि इन

रोड्ज का जल्द से जल्द टैंडर करके निर्माण करवाया जाये। एक बुडैना से तिगांव फोरलेन रोड है जिसका टैंडर हो चुका है परन्तु फारेस्ट डिपार्टमैंट की एन.ओ.सी. पिछले एक साल से नहीं आ पा रही है जिसकी वजह से इस काम में रूकावट आ गई है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही हमारे तिगांव के लिए बाईपास रोड जो सैक्टर 8 मिर्जापुर–निमका होते हुए तिगांव के लिए जाता है, इसकी टी.पी.आर. रिपोर्ट बनाई जाये जिससे हमारे गांव तिगांव में जो जाम लगता है उससे लोगों को निजात मिल सके। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ गांव जैसे पल्ला, शैदपुर, बसंतपुर की कालोनियां हैं जोकि नगर निगम में आती हैं उनमें रोड, सीवरेज और पीने के पानी की पाइप डालने का काम रूका पड़ा है उसको भी पूरा किया जाये। इसके अतिरिक्त जो हमारे सैक्टर हैं, जैसे सैक्टर 37, 30, 31, अशोका विहार, इन्द्रप्रस्थ कालोनी इनमें सीवरेज ब्लाकेज की समस्या बनी हुई है। यहां पर सीवरेज लाइन वर्षो पहले डाली गई थी अतः यहां पर तुरंत प्रभाव से नई सीवरेज लाइनें डाली जायें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सराय स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन इसमें 6000 बच्चे पढ़ रहे है। अतः निवेदन है कि जल्द से जल्द इस स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जाये। ग्रेटर फरीदाबाद जोकि हमारा एक तरह से नया शहर बसने जा रहा है उसकी रोड्ज, सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए अलग से फंड दिया जाये। इसके अतिरिक्त मेरी विधान सभा क्षेत्र में कुछ पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर.) की रोड्ज भी आती हैं, इनके टैंडर भी जल्द से जल्द करवा दिए जायें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के कुछ गांव नगर निगम में गए हैं, उनका जो एफ.डी. का पैसा था अर्थात जो पंचायत का पैसा था, इस पैसे को इन गांवों के विकास कार्यों में लगाया जाये । इन गांवों में सीवरेज, बारात घर, सड़कों और पानी निकासी के काम के लिए यह पैसा खर्च किया जाये। सभी गांवो में जोहड़ जो ओवर फलो हो रहे हैं उनके लिए भी पानी की निकासी के लिए अलग से फंड

दिया जाये ताकि वहां से पानी को निकाला जा सके । इसके अतिरिक्त हमारे गांव तिगांव से भी पानी की निकासी के लिए अलग से फंड दिया जाए क्योंकि वह एक बहुत बड़ा गांव है जोकि अब एक कस्बे का रूप ले चुका है । हमारे क्षेत्र के 2 गांवों बड़ौली और पहलादपुर को नगर निगम में कवर कर लिया गया है । इन गांवों के 200–300 घर जोकि आज से 20–30 साल पहले के बने हुए हैं, को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है । उन घरों में काफी लोग रहते हैं । वे घर सैक्शन–4 की नोटिफिकेशन से पहले के बने हुए हैं । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद नागर जी, आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । मैं सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । चौधरी देवी लाल जी ने वृद्धावस्था सम्मान पैंशन शुरू की थी । उन से पहले प्रदेश में चौधरी बंसी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे । उस समय तक हम राजनीति में नहीं आये थे लेकिन जब भी वृद्धावस्था सम्मान पैंशन की बात आती थी तो निवर्तमान सरकार यह कहती थी कि यदि वृद्धावस्था सम्मान पैंशन बननी संभव होती तो चौधरी बंसीलाल जी काफी पढ़े–लिखे व्यक्ति थे, इसे वे ही बना देते । ऐसी बातें हम सुना करते थे । उस समय चौधरी देवी लाल जी अधिकारियों को एक ही बात कहा करते थे कि आप वृद्धावस्था सम्मान पैंशन की फाइल तैयार कर देना और उसके नीचे लिख देना 'चौधरी देवी लाल' । उस पर मैं हस्ताक्षर कर दूंगा और फिर वृद्धों की पैंशन बन जाएगी और वृद्धों की पैंशन बनी भी । वृद्धों की पैंशन कई सालों तक ज्यों की त्यों सुचारू रूप से चलती रही । उसके बाद प्रदेश में इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। उस समय सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पैंशन पर कंडीशन लगाने की कोशिश की । वृद्धावस्था सम्मान पैंशन का दोबारा सर्वे हुआ और उस पर कंडीशन लगाई कि

वर्ष 2012 में जिनकी इनकम 50 हजार रुपये से अधिक है उनकी वृद्धावस्था सम्मान पैंशन बंद कर दी जाएगी । उसके बाद हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2014 में भाजपा की सरकार बनी और तत्कालीन सरकार ने भी उसी पैटर्न को अपना लिया और कंडीशंज को बढ़ा दिया । सरकार भूल गई कि चौधरी देवीलाल जी ने जो वृद्धावस्था सम्मान पैंशन शुरू की थी उसका मकसद केवल अर्थ से संबंधित नहीं था । मैं कहना चाहता हूं कि वृद्धावस्था सम्मान पैंशन केवल वृद्धों को पैसे देने से संबंधित नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य वृद्धों को सम्मान देने से भी है । आज प्रदेश की वर्तमान सरकार भी वृद्धावस्था सम्मान पैंशन पर कंडीशन लगा रही है कि जिनकी इनकम 2 लाख रुपये से ज्यादा हो उनकी पैंशन काट ली जाए । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल वृद्धों को पैसे देने से संबंधित नहीं है बल्कि इससे वृद्धों का परिवार में सम्मान बना रहता है और वृद्धों को हौंसला मिलता है कि हर महीने मेरी जेब में इतने पैसे तो अवश्य आएंगे । अगर वृद्धों को पैंशन मिलती है तो जब उनके पास उनकी बेटी–जमाई आदि आते हैं तो वे उनका अच्छी तरह से मान–सम्मान कर पाते हैं । इसके अलावा अब 2 लाख रुपये इनकम की जो कंडीशन लगाई गई है इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार उनकी इनकम को कैसे तय करेगी ? ऐसी स्थिति में किसान तो मारा जाएगा । सरकार ने किसान पर यह कंडीशन लगा दी कि जिस किसान के पास इतनी जमीन होगी उसकी पैंशन काट दी जाएगी । अभी माननीय सदस्य भ्याना साहब ने बताया था कि पिछले 3 साल में किसान की 3 फसल भी अच्छी नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा ? अतः जिस मंशा के साथ चौधरी देवीलाल ने वृद्धावस्था सम्मान पैंशन बनाई थी मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसमें किसी भी प्रकार का किन्तु–परन्तु किये बगैर उसको उसी तर्ज पर लागू किया जाए । अभी मेरे अपने हल्के की मांगे उठानी बाकी हैं लेकिन यह बात मेरे हल्के की मांगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । अब मैं जमींदार की बात करूंगा । सब्जी की खेती

कहां होती है ? सब्जी वहां पर पैदा होती है जहां पर जमीन में पानी मीठा हो । मेरा कहना है कि जो किसान गेहूं और धान की खेती करता है उसको उसमें बहुत ही कम मुनाफा मिलता है । अतः किसी भी किसान की वृद्धावस्था सम्मान पैंशन नहीं काटी जानी चाहिए । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद जोगी राम जी, आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री राम कुमार गौतम : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सवा तीन साल पहले लिखकर फैसला किया था कि पंचकुला शहर के सैक्टर–23 से सैक्टर–28 में घग्गर नदी की जमीन पर आने वाली एनहांसमैंट का भार सैक्टरवासियों पर नहीं डाला जाएगा । इस बात को 5 महीने का समय हो चुका है। इससे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को कोई ऑफिसर नहीं मानता है। इसके बारे में सवा 3 साल पहले लिखित में दिया गया था और 5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑन दी फ्लार ऑफ दी हाउस भी कह दिया था, परन्तु एक– एक ऑफिशियल संबंधित फाईल को दबाकर बैठ जाता है। इसके अतिरिक्त आज से 16 साल पहले हुड्डा साहब की सरकार के समय में तीन– तीन हजार रुपये में पानी की सप्लाई देने के लिए पानी की डिग्गियों पर कर्मचारियों को भर्ती किया गया था। इसमें फर्ज तो हुड्डा साहब का बनता था कि इनकी सरकार के समय में ही इनको पक्का किया जाता। लेकिन आज इनको 16 साल काम करते हुए होने के बावजूद भी कौशल रोजगार निगम में डालने की बात कर रहे हैं। इनको 16 साल का समय हो चुका है, इसलिए अब इनको कौशल रोजगार निगम में डालने की बजाए पक्का किया जाना चाहिए। जहां पर पानी से ट्यूबवैल्ज डूब गये हैं, उन सभी जगहों पर सरकार ने फ्री में बोर करने की बात कही है। लेकिन नारनौंद, बास और सिसाय के बारे में कह रहे हैं कि इनमें फ्री में बोर नहीं करेंगे। सरकार को इनमें

भी फ्री में बोर करना चाहिए क्योंकि इन गांवों में भी पानी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त आरोही स्कूल्ज में टीचर्ज की भर्ती हुई थी तो यह कहा गया था कि इनको 5 सालों बाद पक्का कर देंगे, लेकिन उनको भी आज तक पक्का नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 1500 जे.बी.टी. टीचर्ज के बाकायदा माननीय कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार इन्टरव्यू हुए थे और अब माननीय कोर्ट ने ही अपने फैसले में कह दिया है कि ये नाजायज भर्ती हुए हैं। ये टीचर्ज माननीय कोर्ट के फैसले के आधार पर ही भर्ती हुए थे, इसलिए अब सरकार को ही इनकी पैरवी करनी चाहिए। इन टीचर्ज ने अपनी– अपनी जमीनें बेचकर शहरों के स्कूल्ज में बच्चों को दाखिल करवा दिया है। अगर इनको हटा दिया गया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज, रोहतक में वर्ष 2017 में स्टॉफ नर्स की भर्ती के लिए पेपर हुआ था, परन्तु आज वर्ष 2022 के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं निकाला गया है। जबकि इनके साथ ही एम.ओ. का पेपर भी हुआ था, परन्तु उनका रिजल्ट निकाल दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारनौंद रैली के दौरान 3 सड़कों की अनाउंसमैंट की थी जिसमें नारनौंद बाईपास, नारनौंद से हिसार सड़क और जींद रोड से हिसार सड़कों को बनाने की घोषणा की थी। इन सड़कों की टैक्नीकल सैंक्शन भी आ गयी थी, लेकिन इस विभाग के मंत्रालय को ऐसे खोगर में फंसा दिया है कि इन पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और सिर्फ पैसे खाने के अलावा कोई काम नहीं है। इनको एडवांस कमीशन चाहिए, यह बड़े जुल्म की बात है। मेरे हल्के की जितनी भी सड़कें हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। यह सैशन बुलाने का फायदा तभी होगा जब सही बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्षः गौतम जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

मोहम्मद इलियास (पुन्हाना): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि अभी माननीय

सदस्य श्री वरुण चौधरी जी ने कहा था कि पूरा प्रदेश बेरोजगारी, कानून एवं व्यवस्था और महंगाई के बारे में जितना परेशान और त्रस्त है, उसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है। माननीय सदस्य ने इसका समाधान भी कर दिया है कि जब सरकार सुनती ही नहीं है तो इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा ? चलिए, इस बात को तो सरकार ने देखना है कि इन समस्याओं का समाधान करना है या नहीं करना है। हमारा काम तो सरकार की आंखें खोलना है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 3 सालों में कई सैशंज हो चुके हैं। मेरे हल्के में सिंगार गांव बहुत बड़ा गांव है और इसकी आबादी लगभग 30,000 है और यहां पर 15000–16,000 वोट हैं। यहां की जमीन की तरफ किसी ने नहीं देखा है और यह जमीन पानी न मिलने के कारण प्यासी तरस रही है। मैंने इस हाउस में नयी गांव के लिए पम्प हाउस बनाने की गुजारिश की थी। नयी गांव, बढा गांव और सिंगार गांवों में नहर का पानी पम्प हाउस के द्वारा आना था, लेकिन वह नहीं आया है। इसके अतिरिक्त मैंने मेरे हल्के के शाह चौखा, हिंगनपुर, बिकती गांवों में पम्प हाउस बनाने के बारे में भी क्वैश्चन लगाया था। मैं इस बात के लिए सरकार का शुक्रिया तो अदा करता हूं कि इन गांवों में पम्प हाउस तो बनवा दिये हैं, लेकिन मेरी आपके आध्यम से सरकार से गुजारिश है कि केवल पम्प हाउस बनवाने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि वहां पर जल्दी से जल्दी पम्प भी लगवाये जाएं ताकि प्यासी भूमि से जमीदारों को राहत मिल सके। मैंने एक गुजारिश की थी और मैंने इस विषय पर अपना सवाल भी सदन में लगाया था। मेरे हल्के के पास राजस्थान लिंक पर आर.डी. है और 216 आर.डी. पर एक कुतकपुर गांव है। वहां पर पुल बनाये जाने के लिए मैंने सवाल लगाया था और इस पुल को बनाने के लिए माननीय मंत्री जी ने हां भी भरी थी। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पुल को जल्द से जल्द बनवाने का काम किया जाये इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसी तरीके से मेरे हल्के में बादली गांव पड़ता है वहां से जात

गांव में जाने के लिए रास्ते में पुल पड़ता है। उस पुल को जल्द से जल्द बनवाया जाये क्योंकि बादली गांव के किसानों की जमीन जात गांव की तरफ पड़ती है। वहां से जब जमींदार अपने खेत में काम करने के लिए जाता है तो पुल न होने के कारण वहां पर कई किसानों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस पुल को जल्द से जल्द बनवाया जाये। जब से मैं विधायक चुनकर आया हूं तब से मैं पिनगवा और पुन्हाना बाइपास के लिए हमेशा से ही अनुरोध करता आया हूं। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझे बोलते हुए कम समय हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : इलियास जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

मो. इलियास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी स्पीच लिखित में दे देना उसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बना लिया जायेगा।

श्री लीला राम : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल के लिए तीन चार घोषणाएं की थी और उन्होंने अनाउंसमैंट भी की थी। जहां तक सरकार के काम करने का तरीका है। मैं कहता हूं कि सरकार की नीति और नियत में कोई खोट नहीं है और न ही कोई फर्क है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विभागीय अधिकारियों की बात है तो वे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की जाती है उन पर अमलीजामा नहीं पहनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल शहर में ऐलिवेटिड रेलवे ट्रैक के लिए घोषणा की थी परन्तु आज अमर उजाला अखबार में आया हुआ है कि इस पर संकट के बादल छाये हुए हैं। मेरी आपसे अनुरोध है कि हमारे कैथल शहर के 31 के 31 नव नियुक्त पार्षद और कैथल की जनता की मांग है कि कैथल में ऐलिवेटिड रेलवे ट्रैक बनाया जाये। मैंने पिछले विधान सभा सेशन में

भी इस ऐलिवेटिड रेलवे ट्रैक की आवाज उठाई थी। कैथल में एक ग्योंग लिंक ड्रेन है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषित कर दिया है परन्तु आज तक भी इस ड्रेन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैंने इस विषय को अपनी सब्जैक्ट कमेटी ऑन पब्लिक हैल्थ, ईरीगेशन, पावर एंड पब्लिक वर्क्स (बिल्डिंग एंड रोडज) कमेटी में उठाया था और हमारे पब्लिक हैल्थ विभाग के अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह जी ने मुझे आश्वासन दिया था परन्तु उनकी पिछले दिनों रिटायरमैंट हो गई है। यह ड्रेन कैथल शहर के बीचों बीच गुजरती है इसलिए इस ड्रेन ने सभी शहर के लोगों का जीवन नर्क बनाया हुआ है। मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस ड्रेन का कोई समाधान किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले सेशन में मैंने एक बड़ी सब्जी मंडी को लेकर मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की थी कि कैथल जैसे शहर में एक बड़ी सब्जी बनाई जायेगी। हमारे पास इसके लिए जमीन उपलब्ध है। मेरी सरकार से मांग है कि कैथल के अंदर नई सब्जी मंडी बनाई जाये। इसी प्रकार से मैं क्योड़क ड्रेन के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त इस पर अमलीजामा पहनाकर के दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी और पैसे भी आ गये थे। क्योड़क से मेरे गांव उजीयाना तक बीच में दो किलोमीटर की पटरी छोड़ दी गई। मेरे गांव से जगदीशपुरा गांव है दो किलोमीटर सड़क बना दी गई और दूसरी साइड से 1 किलोमीटर सड़क बना दी गई परन्तु बीच में दो किलोमीटर पटरी को कच्चा छोड़ दिया गया। मैंने उस समय संबंधित विभाग के एस.ई. की शिकायत माननीय ढेसी साहब से की थी परन्तु इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव पाड़ला से गांव बाबा लदाना तक मार्केटिंग बोर्ड से सड़क बनवाने का काम किया जाये। कैथल शहर से वाया कुतुबपुर गांव सजुमा तक ड्रेन की पटरी पर सड़क बनाने का काम किया जाये। गांव क्याड़क को सब तहसील बनाने का काम किया जाये। कैथल शहर में राजकीय

कन्या महाविद्यालय बनाने का काम किया जाये। कैथल शहर में प्रताप गेट से पाड़ला रोड बाइपास तक सड़क को चारमर्गीय बनाने का काम किया जाये। कैथल शहर में कार पार्किंग बनाने का काम किया जाये। गांव नौच से कुलतारण माईनर की पटरी पर कैथल शहर तक सड़क बनाने का काम किया जाये। गांव क्योड़क से कैथल शहर माईनर की पटरी पर सड़क बनाने का काम किया जाये। धन्यवाद।

13:00बजे

श्री शीशपाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसलिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, इस बार के मानसून सीजन में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। जिसके कारण मेरे हल्के कालावाली के काफी गांवों में ग्वार तथा नरमा की बहुत सारी फसल खराब हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसकी तुरन्त गिरदावरी हो और किसानों को इसका मुआवजा दिलाया जाये। इसी कड़ी के अन्दर सिरसा जिले की बात करूं तो वहां पर एक महत्वपूर्ण हिसार घघर ड्रेन है। इसका नाम तो हिसार घघर ड्रेन है, परन्तु उसका लिंक घघर नदी से नहीं होने के कारण यह बरसात के समय हर वर्ष टूट जाती है। अभी दड़बा कला व दूसरा क्षेत्र बकरियां वाली गुढ़िया खेड़ा गांव में इसके टूटने के कारण हजारों एकड़ फसल खराब हो चुकी है और वहां पर सात फीट तक पानी भर चुका है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस ड्रेन को घघर नदी से लिंक करवाया जाये जिससे इस तरह की समस्या न आये। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक ओवरब्रिज बन रहा है जिसका निर्माण 29 जुलाई, 2018 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण काम बीच में ही रूक गया था। इसके निर्माण की समय सीमा 31 दिसम्बर, 2021 थी, लेकिन यह अभी तक नहीं बन पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब 2022 भी जाने वाला है और हालात वहीं के वहीं हैं। इस रास्ते से 61 गांवों का आवागमन होता है। जिसके कारण आमजन बहुत ज्यादा परेशान है सरकार इस पर भी संज्ञान ले। अध्यक्ष महोदय,

आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है उसके उपलक्ष्य पर हमारा प्रदेश भी तयारियों में लगा हुआ है। इसमें तिरंगा फहराने की मुहिम चलायी जा रही है मैं भी इसका स्वागत करता हूं, यह सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि मुझे न्यूज पेपर्स और बहुत सी जगह से सूचना मिली है कि प्रदेश में राशन डिपो के अन्दर 20 रुपये देकर तिरंगा लेने के बाद राशन दिया जा रहा है। जो पेट से भूखा हैं तन से नंगा हैं उससे 20 रुपये लेकर तिरंगा दिया जा रहा है यह बहुत गलत बात है।

श्री अमरजीत ढांडाः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा जुलाना बहुत ही पिछड़ा हल्का है जिसमें फ्लड पानी की बहुत बड़ी समस्या है जिस पर सरकार द्वारा पिछले दो वर्ष में पाइप लाइन दबाने आदि का बहुत सारा काम किया गया है। मैं सरकार की कोई कमी नहीं निकालता मैंने सरकार से विकास के लिए जो भी मांगा वह मुझे दिया गया। लेकिन इरिगेशन विभाग द्वारा जो फ्लड एजेंडा बनाया जाता है वह अक्टूबर में बनाया जाता है। उसके बाद उसे अप्रैल–मई में पास किया जाता है और जब तक इसका टैंडर होता है तब तक बारिश का समय आ जाता है। अध्यक्ष महोदय मेरा कहना यह है कि फ्लड एजेंडा अगर लगते ही पास हो जाये और फरवरी–मार्च में उसका 10 या 20 दिन में टैंडर पास हो जाये। जब तक गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है तब इस पर काम शुरू कर दिया जाये। जुलाना ब्लॉक में 38 ऐसे गांव हैं जहां पर कोई फसल नहीं होती है। जमींदार देश का अन्नदाता है अगर किसान खुश होगा तो पूरा प्रदेश खुश होगा और 36 बिरादरी भी खुश हो जायेगी। गतौली, जजवंती सिरसा खेड़ी तथा गढ़वाली गांवों में सेम की समस्या है जिसके कारण वहां बोर भी पास हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनके टैंडर नहीं लगे पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बरौदा तथा सफीदों से जो पानी जुलाना आता वह इक्ट्ठा

होकर नारनौंद में चला जाता है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि मेरे जुलाना को जल्दी से जल्दी फ्लड से मुक्त करवाया जाये। मेरे जुलाना के जो एजेंडे लग रहे हैं उनको पास करवाया जाये। इसके अलावा मेरे जुलाना के जो 35 से 40 एजेंडे और भी आ रहे हैं अगर वे भी पास हो जायें तो मेरा जुलाना विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से फ्लड से मुक्त हो जायेगा। मेरा यह भी कहना है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी मेरे जुलाना को सब–डिवीजन बनाने की घोषणा करके आये थे। इस मामले से सम्बंधित प्रस्ताव को मंत्री जी से एप्रूवल मिल चुकी है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी सहमति दे दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे जुलाना को जल्दी से जल्दी सब–डिवीजन बनाया जाये। मेरे जुलाना में अंग्रेजों के समय का थाना है। अगर जुलाना सब–डिवीजन बन जायेगा तो वहां की फ्लड की समस्या का समाधान भी हो जायेगा। वहां डी.एस.पी., एस.डी.एम. के साथ ही साथ सभी अधिकारी बैठने लग जायेंगे। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि जुलाना के थाने की बिल्डिंग में 3–3 फुट पानी भर जाता है इसलिए जुलाना के थाने के लिए नई जगह पर नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाये। वहां पर मेन रोड के ऊपर पुरानी तहसील की जमीन पड़ी है वहां पर जुलाने के थाने के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा सकता है। इससे अधिकारियों सहित आम जनता को भी सुविधा होगी। इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा मेरे गांव में उप मुख्यमंत्री जी एक महिला कॉलेज बनाने की घोषणा करके आये थे। यहां पर कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में प्रति 10 किलोमीटर की दूरी पर महिला महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। मेरे गांव से जुलाना से जींद की दूरी 20 किलोमीटर है और जुलाना की दूरी 10 किलोमीटर है। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे

जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री धर्मसिंह छौक्कर : उपाध्यक्ष जी, मुझे पूरे सैशन के दौरान एक मिनट भी बोलने का समय नहीं मिला है इसलिए मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हमारे सदन में जो जीरो ऑवर की नई परम्परा डाली गई है इसमें 20 मैम्बर्ज एक घंटे में तीन–तीन मिनट बोल सकते हैं। कल केवल मात्र 10 ही माननीय सदस्यों ने जीरो ऑवर में बोलने के लिए इच्छा जाहिर की थी। इसके अलावा कल 10 मैम्बर्ज और बोल सकते थे लेकिन केवल 10 माननीय सदस्यों ने ही बोलना चाहा। यह पहले ही बता दिया गया था। अब बीच में इसके लिए सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करना किसी भी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता क्योंकि इस प्रकार से सदन की कार्यवाही में बाधा डालना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आज जिन 20 माननीय सदस्यों ने जीरो ऑवर के दौरान बोलने की इजाजत मांगी है आज उनका नम्बर आ रहा है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यही अनुरोध है कि किसी भी माननीय सदस्य को जीरो ऑवर के दौरान बोलने समय डिस्टर्ब न किया जाये। उनको बिना किसी बाधा के बोलने दिया जाये। मैं कहना चाहूंगा कि एक परम्परा यह भी है कि जो 20 माननीय सदस्य आज जीरो ऑवर के दौरान बोल चुके होंगे, कल उनको बोलने के लिए समय नहीं दिया जायेगा। (विघ्न) छौक्कर जी, मेरा विशेष रूप से आपसे अनुरोध है कि जो मैम्बर्ज बोल रहे हैं उनको बोलने दें।

श्री राम करन (शाहबाद) (अ.जा) : डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। शाहबाद में रेलवे स्टेशन के पास एक बाजीगर कालोनी है। उसमें 36 बिरादरी के गरीब आदमी रहते हैं। यह कालोनी वहां पर पिछले 70 साल से अस्तित्व

में है। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा इस कालोनी को खाली करने सम्बंधी आदेश जारी किये गये हैं। मेरा हरियाणा सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार से यही अनुरोध है कि या तो हरियाणा सरकार/केन्द्र सरकार के द्वारा उनको कहीं दूसरे स्थान पर रहने के लिए जमीन दी जाये या फिर उन्हें वहीं पर रहने दिया जाये। इसके अलावा सरकार यह भी कर सकती है कि वे जहां पर बैठे हैं उस जमीन की उचित कीमत वसूल कर ले। मेरा यही कहना है कि वहां पर हजारों आदमी बैठे हैं। वे अपने बने बनाये मकानों को छोड़कर कहां जायें। इस समय हरियाणा प्रदेश और केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है इसलिए इस समस्या का एक मात्र समाधान यही है कि रेलवे स्टेशन के पास बसी बाजीगर कालोनी को वहीं रहने दिया जाये। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी डेरे (ढाणियां) हैं उन सभी में भी 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान जल्दी से जल्दी किया जाये ताकि उनको 24 घंटे बिजली ने होने के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सके। इसके लिए जो भी खर्च आये वह बिजली विभाग के स्तर पर ही वहन किया जाये। इसके अलावा मैंने विधान सभा के प्रत्येक सैशन में बार–बार यही मांग उठाई है कि शाहबाद में बस स्टैण्ड के पास जी.टी. रोड पर अण्डर पास का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाये क्योंकि इसके अभाव में आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत से बेकसूर इंसानों को मौत का शिकार होना पड़ रहा है। इसी प्रकार से मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि मेरे विधान सभा हल्के के साथ–साथ्ज्ञ पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में वॉटर रिचार्जिंग बोरवैल लगाये जायें ताकि पूरी हरियाणा में तेजी से नीचे आ रहे जल स्तर को रोका जा सके। ऐसा होने से स्कूलों में पानी भी खड़ा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मेरी सरकार से यह भी मांग है कि दादूपुर–नलवी नहर का निर्माण कार्य 100 परसैंट पूरा किया जाये। यह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे हल्के के भूमिगत जल

स्तर को सुधारने के लिए इस प्रोजैक्ट को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू किया था। कुछ समय पहले सरकार द्वारा इस नहर के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन को डि–नोटिफाई किया गया था लेकिन अभी तक न तो भूमि मालिकों को उनकी भूमि वापिस की गई और न ही इस नहर की आगे खुदाई ही हो रही है। मेरा यही कहना है कि अगर दादूपुर–नलवी नहर फंक्शनल हो जाये तो इससे मेरे पूरे हल्के का भूमिगत जलस्तर सुधर जायेगा। इतना ही नहीं इससे मेरे पूरे हल्के के सभी जमींदार भी बहुत खुश हो जायेंगे। अंत में, कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि या तो भूमि किसानों से पैसे वापिस लेकर उन्हें जमीन वापिस की जाए या फिर इस नहर की 100 प्रतिशत खुदाई करके इसको फंक्शनल किया जाये। इसके अलावा मेरी सरकार से एक मांग यह है कि शाहबाद–लाडवा रोड को फोर लेन बनाया जाये। इस सड़क पर शाहबाद शुगर मिल भी है जिस कारण इस रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है जिससे जगह–जगह पर ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं इसलिए मेरा सरकार से बार–बार यही अनुरोध है कि शाहबाद–लाडवा रोड को जल्दी से जल्दी फोर लेन बनाया जाये। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड. आर.) की सड़कें ठीक हैं लेकिन एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड की सड़कें खराब हैं। इससे प्रदेश के सभी जमींदार और मजदूर बहुत परेशान हैं। इसके लिए मेरा सरकार को सुझाव है कि या तो सरकार एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड को सड़कों की मुरम्मत के लिए पैसा दे या फिर एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड की सभी सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड.आर) को स्थानांतरित किया जाये। इसके अलावा सरकार से मेरी एक यह डिमाण्ड है कि मेरे गांव त्यौड़ा में एक सामान्य हॉस्पिटल का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये। मेरे गांव के आस–पास बहुत से गांव लगते हैं अगर मेरे गांव में जनरल हॉस्पिटल खुल जायेगा तो इससे मेरे गांव के साथ लगने वाले बहुत से गांवों को भी बहुत फायदा होगा। मेरा गांव जी.टी. रोड पर

स्थित है। अगर मेरे गांव में जनरल हॉस्पिटल खुल जायेगा तो इससे जी.टी. रोड पर होने वाले हादसों के घायलों को भी सही समय पर पूरा ईलाज मिलने की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। उपाध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से बार–बार यही अनुरोध है कि मैंने सरकार के समक्ष जो भी मांगें रखी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात को समय से पहले पूरा कर दिया है इसलिए अगर आप मेरे से बचे हुए समय में किसी दूसरे माननीय सदस्य को बुलवाना चाहते हों तो कृपया आप उनको बुलवा लें। आपको एक बार फिर से बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

राव दान सिंह(महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। किसी भी प्रदेश और देश की तरक्की का पैमाना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से मापा जाता है। स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा को मुख्य मानक के रूप में देखा जाता है। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि सरकार इन तीनों चीजों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। मेरे क्षेत्र में महेन्द्रगढ़ बहुत पुराना शहर है। उस पूरे शहर की सड़कों की दशा बहुत जर्जर है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन सभी सड़कों की हालत को ठीक किया जाये। साथ ही साथ मैं पिछले 3–4 सत्रों से लगातार जिक्र करता रहा हूं कि पहले जो एन.एच. 148–बी था जिसे आज एस.एच.–17 कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप–मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में बार–बार आश्वासन देने के बावजूद भी कभी कहा जाता है कि सिंगल टैंडर आया है और कभी कहा जाता है कि टैंडर टैक्निकली क्वालीफाई नहीं कर पाया तथा कभी कहा जाता है कि हाई बिड थी इसलिए उसको नैगोशिएशन पर रखा हुआ है। स्थिति आज भी वहीं की वहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में सबसे बदत्तर मुख्य मार्ग अगर कोई है तो वह दादरी से नारनौल की सड़क है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार

तुरन्त प्रभाव से संज्ञान लेकर उसको ठीक करवाये। इसी तरह से एक और सड़क जो सतनाली से रेवाड़ी फोरलेन का सरकार ने वायदा किया था, उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर भी ध्यान दे। इसके अतिरिक्त 6 करम के रास्ते सरकार की नीति के अनुसार बनाने की बात सरकार ने कही थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र महेन्द्रगढ़ में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो 6 करम के हैं इसलिए उनको यथाशीघ्र बनाया जाये। इसी तरह से महेन्द्रगढ़ से सतनाली रोड की वाइडनिंग की सख्त जरूरत है इसलिए उसको चौड़ा किया जाये ताकि लोगों को असुविधा न हो क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसके अतिरिक्त नांगल सिरोही से खेड़की वाया पल–पाल–बैरावास यह एक ऐसा रोड है जो हमें सीधा राजस्थान से जोड़ता है इसलिए इसकी वाइडनिंग और स्ट्रैंथनिंग का काम यथाशीघ्र किया जाये। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से लोग ढाणियों में रहते हैं जिनको बिजली के सिंगल फेस कनैक्शन के लिए पैट ट्रांस्फार्मर की जरूरत पड़ती है इसलिए कम से कम 15 पैट ट्रांस्फार्मर हमारे क्षेत्र के लिए दिये जायें ताकि लोगों को बिजली मिल सके। इसी प्रकार से अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो महेन्द्रगढ़ में 100 बैड के हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है उसको यथाशीघ्र बनवाया जाये ताकि लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधायें बहाल हो सकें। इसके अतिरिक्त सी.एच.सी. सतनाली में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है जिससे लोग परेशान रहते हैं इसलिए वहां पर सभी जरूरी सुविधायें प्रदान करें ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। इसी तरह से सतनाली से सैंट्रल यूनिवर्सिटी की सड़क जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है इसलिए उसको यथाशीघ्र बनवाया जाये। अब मैं एक अति महत्वपूर्ण बात अग्निपथ के बारे में कहना चाहता हूं। यह देश और प्रदेश, किसान और जवान की नींव पर चल रहा है। जिस प्रकार से किसान अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है वही हालत आज इस सरकार ने जवान की भी

कर दी है। जवानों की भावनाओं का ध्यान रखा जाये अन्यथा वह 4 साल में वापिस आने के बाद अवसाद में चला जायेगा।

श्री उपाध्यक्षः दान सिंह जी, यह केन्द्र सरकार का विषय है।

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र का विषय है इसलिए सरकार को जवानों की बात केन्द्र सरकार तक पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण नापा(रतिया अ.जा)ः उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली–डबवाली नैशनल हाईवे पर फतेहाबाद में हांसपुर रोड पर एक खतरनाक क्रॉसिंग है जिस पर बहुत एक्सीडैंट्स होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बारे में केन्द्र सरकार को पत्र लिख कर पैरवी करके वहां पर एक ओवरब्रिज बनवाया जाये। इसके अलावा हमारे रतिया के हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है इसलिए हमें ब्लड की जरूरत पड़ने पर अग्रोहा या सिरसा जाना पड़ता है। वहां पर कुछ समय पहले हैपेटाइटिस–सी की बीमारी चली थी उसी वजह से विभाग उसको टाल रहा है। मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि रतिया में ब्लड बैंक बनाया जाये ताकि लोगों को सुविधा हो सके। इसी प्रकार से रतिया में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है जिसके कारण लोगों को असुविधा होती है इसलिए वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाये। इसी प्रकार से रतिया नगरपालिका के विकास कार्यों के लिए 6.5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था। नगरपालिका ने कार्यों के लिए टैंडर भी लगा दिये थे लेकिन वह पैसा अभी तक नहीं आया इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह पैसा यथाशीघ्र जारी करवाया जाये। इसी प्रकार से हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों के निशुल्क बस पास बनते हैं जो केवल एक बार में ही पूरे साल के लिए बनते हैं। अगर किसी बच्चे का पास गुम हो जाता है तो वह दोबारा नहीं बनता है इसलिए मेरा

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इनको 3 या 6 महीने में रिन्यू किया जाये तथा जिसका पास गुम हो जाता है उसका पास दोबारा से बनाया जाये। अभी श्री बिशम्बर जी ने भी एक प्रश्न लगाया था जिसमें मुझे सप्लीमैंट्री पूछने का समय नहीं मिला। जो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की प्रमोशन की बात आ रही थी उस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि एच.पी.एस.सी. और एस.एस.सी. की जो सिलैक्शन लिस्ट बनाई जाती है उसमें हर पांचवे नम्बर पर अनुसूचित जाति का बच्चा होना चाहिए क्योंकि जो सिलैक्शन लिस्ट बनाई जाती हैं उनमें अनुसूचित जाति के बच्चों का नम्बर सबसे आखिर में होता है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि नौकरी की हर लिस्ट में अनुसूचित जाति के बच्चे का पांचवा नम्बर बनता है और उसके बाद एक्स सर्विसमैन का नम्बर आता है। अगर सरकार इस प्रकार से लिस्ट जारी करेगी तो जो प्रमोशन का मामला है वह यहीं ठीक हो जाएगा और सीनियोरिटी भी उस लिस्ट के मुताबिक ही बनेगी जिससे यह प्रमोशन का मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही पीछे सैंट्रल गवर्नमैंट की तर्ज पर एम.एस.एम.ई. का गठन हुआ था लेकिन उसमें माननीय सैंट्रल गवर्नमैंट ने एम. एस.एम.ई. में अनुसूचित लोगों के इन्टर पैनॉर को फॉलो नहीं किया है। जहां तक आरक्षण की बात है सैंट्रल गवर्नमैंट में एम.एस.एम.ई. के जितने टैंडर होते हैं उनमें 5 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सैंट्रल गवर्नमैंट की एम.एस.एम.ई. की entrepreneur पॉलिसी को यहां भी लागू किया जाए। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। कल लूला अहीर को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने बारे मेरा एक प्रश्न लगा था जोकि भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का रिजनल सैंटर है। हम उसमें यह चाह रहे थे कि उस रिजनल सैंटर का ट्रांसफर यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी को हो

जाए लेकिन जब कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के twitter पर एक मैसेज गया कि हम उस रिजनल सैंटर को महाविद्यालय का दर्जा देंगे जबकि क्षेत्र के लोगों में इसका बहुत ज्यादा विरोध है। मेरा भी उसमें विरोध है कि उस रिजनल सैंटर को यथावत भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी के साथ ही लगा कर रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस रिजनल सैंटर को कॉलेज डिक्लेयर न किया जाए। मेरा दूसरा सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट का शामलात देह भूमि पर फैसले के कानून में संशोधन करके मालकाना हक कास्तकारों को देने के बारे में है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2014 की एक जजमैंट के संबंध में दिनांक 07 अप्रैल 2022 के फैसले में एक्ट नम्बर–9 वर्ष 1992 के अन्तर्गत पाना शामलात देह भूमि और दोहलीदार भूमि का मालिक ग्राम पंचायत को बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पाना शामलात देह भूमि को पीढ़ी दर पीढ़ी पाना शामलात देह भूमि को दोहलीदार भूमि के किसान बिना किसी कानूनी अड़चन के कास्त कर रहे हैं परन्तु उपरोक्त फैसले के अनुसार भूमि का मालिक ग्राम पंचायत को बनाया जाएगा जो कि गरीब किसान के हित में नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप भी खेती किसानी से जुड़े रहे हैं तथा किसान के दर्द को भलि भांति समझ सकते हैं। किसान अपनी जमीन को मां की तरह पूजता है तथा उसी जमीन को पुरखों के समय से जोतता आ रहा है। शामलात देह की जमीन को उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार हरियाणा सरकार ने एफ.डी.आर. और ए.सी.एस. चण्डीगढ़ के पत्रांक डी.एल.आर. 7202 दिनांक–21.06.2022 के अनुसार ग्राम पंचायत के नाम करने का फरमान जारी किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तथ्य भी आपके ध्यान में लाया जाता है कि शामलात पाना का रकबा है यह पाना के बिश्वेदार की जदी जायदाद से उनकी मलकियत भूमि से काटा गया है और शामलात पाना की भूमि जो सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग में

लाई जाती है कि बिश्वेदार शामलात पाना भूमि को शुरू से ही कास्त करते आ रहे हैं तथा ज्यादातर शामलात पाना की जमीन में सिंचाई के लिए ट्यूबवैल लगा रखे हैं और उनमें रिहायशी मकान भी बना रखे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का शामलात देह भूमि पर फैसले के कानून में संशोधन करके मालकाना हक कास्तकारों को देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री राकेश दोलताबाद(बादशाहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गुडगांव में वर्ष 2010 के बाद मैट्रो का काम एक बार शुरू हुआ था और 7 किलोमीटर तक मैट्रो का रूट बनाकर, काम वहीं पर रोक दिया गया। सैंटर गवर्नमैंट में मैट्रो से संबंधित फाइल पांच चरणों अर्थात अर्बन डिवेल्पमैंट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री तथा पब्लिक इंवेस्टमैंट बोर्ड से होकर गुजरती है लेकिन हमारी मैट्रो से संबंधित फाईल अभी तक पहले चरण अर्थात अर्बन डिवेल्पमैंट मिनिस्ट्री के अधीन ही खड़ी है। आज सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अगर सरकार की तरफ से किसी स्पेशल आफिसर की ड्यूटी केवल मात्र मैट्रो के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए लगा दी जाये तो मैट्रो चलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे यहां एयरफोर्स स्टेशन के 300 मीटर एरिया के अंदर कोई रजिस्ट्री नहीं होती है जबकि फरीदाबाद में यह शुरू हो चुकी है। अतः निवेदन है कि गुड़गांव में भी तुरंत प्रभाव से ये रजिस्ट्रियां शुरू करवा दी जायें क्योंकि यहां पर आए दिन रजिस्ट्री न होने की वजह से लोगों के बीच लड़ाई–झगड़े होते रहते है। इसी प्रकार एच.एस.वी.पी. की वह लैंड जोकि एच.एस.वी. पी. के किसी काम नहीं है अर्थात जिसके उपर आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, ऐसी जमीन को उन गरीब लोगों को देने का काम किया जाये जोकि 50–60 वर्ग गज के मकानों में रहने को मजबूर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अनएप्रूव्ड कालोनियों के विषय पर बात रखूंगा। वैसे इसके बारे में मैंने कंसंर्ड मिनिस्टर से क्लीयर कर ही

लिया है। हमारे जो होम बायर्ज हैं, उनके मुतल्लक मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट को होम बायर्ज की परेशानियों के संदर्भ में कोई निर्देश दे दिया जाये ताकि ये लोग परेशान न हो। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री धर्म सिंह छोक्कर (समालखा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यमुना के साथ लगते 600 एकड़ जमीन के वे किसान जिनकी मलकियत की जमीन जोकि यमुना में पानी के बहाव के कारण खुर्दबुर्द होकर शामलात देह में आ जाती थी, के संदर्भ में निवेदन है कि चूंकि इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से आदेश भी पारित कर दिए गए हैं, के ध्यानार्थ सरकार को भी इस संदर्भ में नया बिल पेश कर देना चाहिए ताकि यहां के किसानों को राहत के तौर पर इस जमीन का मालिकाना हक मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, एफ.सी.आर. का जो 21.6.2022 का आदेश जारी हुआ है, के ध्यानार्थ शामलात देह की जमीन को इन किसानों की मालिकाना हक के तौर पर इंतकाल चढ़ा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में यमुना के साथ लगते समालखा, गन्नौर, राई, जगाधरी व रादौर एरिया के लगभग 5 विधायक साथी बैठे हुए हैं, से भी मेरा निवेदन है कि वें भी मेरी बात की तसदीक करने का काम करें। आज किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। अतः जो किसान काबिज है, उनके मालिकाना हक के संदर्भ में सरकार को रिव्यू पैटीशन डालने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, इस 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी को समालखा में ध्वाजारोहण करना है। नियम के मुताबिक ध्वजारोहरण करने वाले व्यक्ति को ध्वाजारोहण से पहले रात को उस स्थान पर रूकना होता है लेकिन कितने अफसोस की बात है कि समालखा में ठहरने के लिए न तो पी.डब्ल्यू.डी (बी.एंड.आर) , न इरिगेशन और न ही मार्केटिंग बोर्ड का कोई रैस्ट हाउस है। अतः आज सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार

को इस दिशा में ध्यान देते हुए यहां पर भी रैस्ट हाउस बनाने का काम जल्द से जल्द करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

.....

बैठक का स्थगन

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटे के लिए *स्थगित किया जाता है।

*13.24 बजे

(तत्पश्चात् सदन मध्याहन पश्चात 14.24 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

.....

शून्यकाल का पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जीरो आवर में सभी 20 विधायकों ने सदन में अपने विचार रखे थे लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनको इस सत्र में अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला । अतः जिन विधायकों को इस सत्र में अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला है वे हमें पर्ची पर अपना नाम लिखकर दे दें । हम उनको सदन में 2–2 मिनट्स के लिए बोलने का समय दे देंगे ।

श्री दुड़ाराम (फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे फतेहाबाद जिले में खासतौर से फतेहाबाद हल्के में बरसात से जल भराव के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरे फतेहाबाद हल्के में पानी का लेवल उंचा होने की वजह से खासतौर से नरमा और अन्य फसलों को बहुत नुकसान होता है। मेरे हल्के के शेखुपुर दड़ौली, सुलीखेड़ा, ढाण्ड, बनावाली, बन मंदोरी चिन्दड़, बड़ोपल, काजल हेड़ी, भट्टू कलां, गोरखपुर,

दहमान, खाबड़ा, ठुईयां, ढाबी, कुम्हारिया और खाराखेड़ी गांवों में बरसात का पानी खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके मार्फत सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। जब भी आगे बरसात आये तो उस पानी को निकालने के लिए भी प्रमानैंट इन्तजाम किया जाए क्योंकि पिछले साल भी यहां पर पानी भरने से फसलें खराब हुई थी और अबकी बार भी पानी भरने से फसलें खराब हुई हैं। मैंने यह मेरे हल्के में बरसात से हुए नुकसान की बात बतायी है। इसके अतिरिक्त मेरी बहुत सी दूसरी मांगे भी हैं, लेकिन आपने मुझे 2 मिनट ही बोलने के लिए समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले विधान सभा सैशन के दौरान भी बात रखी थी कि हुड्डा सैक्टर, अल्फा सिटी और सौमा सिटी में मकान बने हुए हैं, लेकिन वहां पर लोगों को पीने के लिए नहरी पानी नहीं है। वहां पर वॉटर वर्क्स बनने में कुछ टाईम लगेगा, इसलिए जब तक वहां पर वॉटर वर्क्स नहीं बनते हैं तब तक वहां पर नहरी पानी का प्रबन्ध किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भट्टू कलां के अन्दर पंचायत समिति की जमीन पर धक्का मस्ती से काफी सालों से लोग रह रहे हैं और वहां पर उनके मकान बन चुके हैं, सड़के बन चुकी हैं और बिजली के कनैक्शंज दिये जा चुके हैं। वह जगह पंचायत समिति की है। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को ठीक पैसों में संबंधित जमीन देकर उसका मालिक बनाया जाए। इसके अलावा किसानों के लिए पक्के खालों के लिए 20 साल की बात थी जिसको 15 साल कर दिया गया था, लेकिन यह बात भी लागू नहीं हुई है। इसके अलावा इनकी शाखाएं नहीं बढायी गयी हैं, इसलिए शाखाएं भी बढाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्षः दुड़ा राम जी, आपको बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया था। आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री दुड़ारामः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण नापा जी ने हासपुर रोड से मोहम्मदपुर तक बाईपास बनाने की बात रखी है।

श्री अध्यक्षः दुड़ा राम जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्रीमती शैली (नारायणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार से बड़ी गम्भीरता से यह कहना चाहूंगी कि जो शामलात भूमि, जुमला– मालकाना की जमीनों को सरकार ने ले लिया है, इससे गांवों के अन्दर भाईचारा खत्म होगा और बहुत से परिवार 70–70 सालों से इन जमीनों पर काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि विधान सभा के अन्दर ऐसा प्रस्ताव लेकर आएं जिससे इस कानून को रद्द कर सकें। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपने हल्के नारायणगढ के शुगर मिल की बात करूं तो बार– बार सदन के अन्दर यह मुद्दा उठाती हूं कि हमारे वहां पर किसानों की गन्ने की करोड़ों रुपये की पेमैंट सालों तक बकाया पड़ी रहती है। इस बात पर भी सरकार ध्यान दे। इस बात को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरा नारायणगढ हल्का सबसे पुरानी सब– डिवीजन है और यह हमारी मुख्य मांग है कि नारायणगढ को जिला बनाया जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर इस बारे में बात की थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मेरे नारायणगढ हल्के को जिला बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं इस बारे में हर बार सदन में सवाल उठाती हूं। मैं इस बारे में कल माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से भी मिली थी और उनसे इस बारे में बात की थी। मैंने कहा है कि मेरे नारायणगढ हल्के की सड़कों की हालत बहुत खराब है। मेरे हल्के के एक गांव फहेतपुर अस्सी में तो गांव के लोगों ने बाहर बोर्ड लगा दिया है कि यहां पर कोई भी पार्टी का नेता घुस नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी पूरी जानकारी है क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस गांव में भी गये थे और उस दौरान लोगों ने उनके सामने अपनी समस्या

भी रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से अनुरोध है कि मेरे हल्के की संबंधित सड़कों को जल्दी से बनवाया जाए। चूंकि वहां पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और एक्सीडैंट्स भी होते रहते हैं। इनसे काफी लोगों की जानें जा चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था का बुरा हाल है। हमारे विधायकों को धमकी दी जा रही हैं। आज प्रदेश में पुलिस ऑफिसर्ज सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों का क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बुजुर्गों की पैंशन काट दी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उन बुजुर्गों की दोबारा से पैंशन दी जाए।

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरा ऑवर में बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पास अपनी बात रखने के लिए बहुत से विषय हैं, लेकिन मैं अपनी बात सड़कों के बारे में रखना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र से ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा जाती है और करोड़ों यात्री वहां से गुजरते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिनों से सदन में इस ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा की बात करता आ रहा हूं, लेकिन इस बात को इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं। यानी इस बात को सीरियसली नहीं लिया जाता है। वहां करोड़ों यात्रियों की गाड़ियां गुजरने से हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आज राजस्थान की सरकार ने सभी सड़कों को ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा में दुरूस्त कर दिया है। मेरी बात माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि लिखी चौक से हसनपुर और जटौली चौक से हसनपुर तक यह सड़क जाती है और मैं जब इन सड़कों से गुजरता हूं तो मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है। मैं खुद इन सड़कों पर नहीं जा सकता हूं क्योंकि सड़कों की बहुत बुरी हालत है। हमें डर लगा रहता है कि लोग हमें पकड़ न लें। आज विभाग द्वारा होडल से लेकर हसनपुर रोड और उड़की खिरबी रोड पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। मैं सरकार से अनुरोध

करता हूं कि विभाग के अधिकारियों की खिंचाई की जाये। आज सड़कों की बहुत बुरी हालत बनी हुई है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि सरकारी अधिकारियों को निर्देश दें कि खराब हुई सड़कों को सुधारने का काम जल्द से जल्द किया जाये। अरे भाई मैं विधान सभा में यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मंत्रालय मुझे दीजिए, मैं देखता हूं कि कौन सा ऑफिसर मेरी बातों को नहीं सुनता है और मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि वे हमें अनुभवहीन समझते हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैं वर्ष 1996 में पहली बार विधायक चुनकर आया था और मुझे सभी विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में काफी अनुभव है कि किस विभाग की क्या कार्यप्रणाली होती है और किस विभाग की क्या कार्यप्रणाली नहीं होती है। हमारी बात को विभागीय अधिकारी सीरियसली से नहीं लेते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज सड़कों की किस तरीके की हालत है, यह मैं ब्यान नहीं कर सकता हूं। मैं सभी विभागों की बात कर रहा हू मैं केवल एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी विधायकगणों की बातों पर संज्ञान लिया जाये क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। हरियाणा विधान सभा चुनाव के दो साल रहे गये हैं इसलिए सरकार के पास काम करने के लिए सिर्फ 1 साल का समय बचा है। अगर सरकार ने 1 साल के अंदर काम नहीं किये तो मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे वो पक्ष के विधायक हों और चाहे विपक्ष के विधायक हों। धन्यवाद।

श्री सोमवीर सांगवान (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे दादरी जिले को मैडीकल कॉलेज की बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि दादरी की शान कहलाने वाला सीमेंट कारपोरेशन

ऑफ इंडिया की सीमेंट फैक्टरी वर्तमान में अपना अस्तित्व खो चुकी है। पिछले अढ़ाई दशक से यह फैक्टरी बंद होने के कारण सी.सी.आई. की करीब 250 एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी है। मेरा अनुरोध है कि इस जमीन को दोबारा से उपयोग में लाने के लिए कोई योजना बनाई जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा खिलाड़ियों के विषय पर भी अपनी बात रखना चाहूंगा कि हमारे दादरी जिले से सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं, चाहे वे कुश्ती के खिलाड़ी हों और चाहे वे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हों इसलिए मेरी मांग है कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दादरी में दी जाये। गीता और बबीता बहनों ने रेसलिंग के खेल में भी गोल्ड मैडल जीता था और कॉमनवैल्थ गेम्ज में भी हमारी दादरी जिले की एक लड़की गोल्ड मैडल लेकर आई है। मैं समझता हूं कि हमें आगे आने वाले गेम्ज में भी बहुत अधिक गोल्ड मैडल मिलने की संभावना है। हमारे दादरी जिले के ऐसे 25 गांव है जहां पर जल भराव की समस्या आ जाती है। बिलोटा, बागी, स्वरूपगढ़, सांतौर, संसपुर, भैरवी, चरखी, जयसिरी, मिश्री और भाग्यश्री गांवों में पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था करने का काम किया जाये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम एच.एस.आई.आई.डी.सी. को 138 प्लॉट्स की पेमैंट्स दे चुके हैं लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमें एच.एस.आई.आई.डी.सी. से प्लॉट दिलवाने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे चौधरी निहाल सिंह जी हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हुए हैं। कोई एक संस्था चाहे मैडीकल कॉलेज हो या फिर कोई अन्य संस्थान हों उनके नाम से भी बनाने का काम करें। हम चाहते हैं कि किसी संस्थान का नाम इतने बड़े महापुरूष के नाम से रखा जाये। दादरी दिल्ली के नजदीक है और इसके चारों तरफ कनैक्टिविटी बढ़िया होने के कारण वहां पर कमर्शियल सैक्टर डिवैल्पमैंट किया जाये ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री नयन पाल रावत (पृथला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारा पृथला विधान सभा क्षेत्र 104 गांवों से मिलकर बना है। जिसमें सभी ग्राम पंचायतें लगती हैं और इन सभी पंचायतों को 25 हजार रुपये ही बी.डी.पी.ओ. के माध्यम से खर्च करने की पावर है। आपको भी इस बात का पता है कि 25 हजार रुपये में तो एक जोहड़ भी खाली नहीं हो सकता है। अगर मैं टैंडर के परमीशन की बात करूं तो केवल 2 लाख रुपये तक की ही परमीशन मिलती है। जब तक ग्राम पंचायतें चुनी नहीं जायेंगी तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बी.डी.पी.ओ. या एस.डी.ओ. को कम से कम 5 लाख रुपये तक के कार्य करवाने की पावर दी जाये। इसी के साथ एस. एफ.सी. और सी.एफ.सी. का पैसा सैंटर और स्टेट फंड से जाता है। अध्यक्ष महोदय, स्कीम्ज बंद होने के कारण गांवों के काम अधूरे पड़े हुए हैं और गांवों में नर्क जैसे हालात बने हुए हैं। जहां तक स्कूलों की बात है तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान स्कूलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2021 की जो पॉलिसी है चाहे वह केन्द्र सरकार की है या राज्य सरकार की है वह बहुत अच्छी पॉलिसी है। बैग लैस स्कूल, सैनिक स्कूल और अन्य संसाधन आदि हैं वे सरकार ने पूरे कर दिये हैं लेकिन इनमें स्वीपर, चौकीदार, पीयन और माली इत्यादि कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण छात्रों के बाथरूम की सफाई करने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। तीसरा मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बॉम्बे से दादरी रेलवे कॉरिडोर की तरफ दिलाना चाहूंगा कि इस कॉरिडोर के नीचे तीन से चार फीट तक गढ्ढे बने हुए हैं क्योंकि जो रेलवे लाइन है उसका लेवल नीचा है। वहां बरसात के समय निकलना मुश्किल हो जाता है और आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इस समस्या का निदान किया जाये। अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज जो हमारी

सरकार ने दी है उसमें एम.बी.बी.एस. एडमिशन की परमिशन मिल गयी है। उसमें प्रवेश की प्रकिया शुरू करवायी जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सके। धन्यवाद।

श्रीमती रेणु बाला (सढ़ौरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अभी जो एक ताजा मामला शामलात देह, जुमला, मुश्तरका, मालकान भूमि का चल रहा है उस पर दिलाना चाहूंगी। जिन पर प्रदेश के किसान आजादी के समय से खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। उन किसानों के नाम जमीन की गिरदवारी, इंतकाल व रजिस्ट्री जो 50–60 वर्ष से थी। उन किसानों से आज प्रदेश की सरकार जमीन छीनने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि किसानों की जमीन उनके पूरे हक के साथ वापस दी जाये ताकि वे अपने परिवारों का गुजर बसर आराम से कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का सढ़ौरा है उसकी सारी सड़कें खराब हैं लेकिन मैं उनमें से कुछ सड़कों का नाम बताना चाहूंगी जिनमें मुसिम्बल अड्डे से लेकर गांव तक की जो सड़क है वह बहुत खस्ता हालत में है। दूसरी सड़क रणजीतपुर और एक सड़क मेरे गांव गंधापुरा की हैं। अध्यक्ष महोदय मैं, उस गांव की बेटी हूं वहां के लोग कहते हैं कि विधायक अपने गांव की सड़क ठीक नहीं करवा सकती तो हल्के का क्या विकास करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी की मेरे हल्के की जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त करवाया जाये ताकि वहां आने जाने वाले लोगों को कोई नुकसान न हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी निवेदन सरकार से मेरे हल्के थाना छप्पर के कस्बा में एक फ्लाई ओवर बनाने की है, जिसकी मांग मैं कई दिनों से करती आ रही हूं। फ्लाई ओवर न होने की वजह से वहां पर आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अतः फ्लाई ओवर बनवाकर इस समस्या का निदान करवाया जाये।

श्री बिशन लाल (रादौर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र से युमनानगर स्टेट हाइवे है। इस हाइवे पर रादौर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, रादौर शहर के अन्दर सड़क की स्थिति बहुत बद से बद्तर हालत में है। सरकार की बहुत मेहरबानी होगी उसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का कार्य करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, 2015 के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी जगाधरी मंडी के अन्दर घोषणा करके आये थे कि यमुनानगर से दिल्ली तक एक्सप्रेस–वे हाइवे बनाया जायेगा मेरा अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, किसानों के खेतों के अन्दर जो टॉवर सरकार और बिजली बोर्ड़ लगाती है उसके नीचे की जमीन का मुआवजा तो किसानों को दिया जाता है, लेकिन तार खिंचती है उनके नीचे की जमीन का कोई मुआवजा किसान को नहीं मिलता, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसका भी मुआवजा किसानों को दिलवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, शामली से अंबाला एक्सप्रेस हाइवे पर जिस भी किसान की जमीन आ रही है उन किसानों को जमीनों का उचित मुआवजा सरकारी रेट के हिसाब से न दिलाकार बाजार रेट से दिलवाये जाने का अनुरोध करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम निवेदन वृद्धावस्था पेंशन पर है। जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गयी है उसको वापस से रिकंसीडर किया जाये तथा बुजुर्गों की इंकम को उनके बच्चों की इंकम के साथ न जोड़ा जाये।

.....

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, श्री राजदीप फौगाट, भूतपूर्व सदस्य, हरियाणा विधान सभा आज विशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही को देखने के लिए उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

———————————

शून्यकाल (पुनरारम्भ)

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरा विधान सभा क्षेत्र अम्बाला शहर अमृतसर–कोलकात्ता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर (ए.के. आई.सी.) के ऊपर पड़ता है। इस प्रकार से अम्बाला हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट से वैल कनैक्टिड है। उड़ान योजना के अंतर्गत अम्बाला कैंट के अंदर भी एयरपोर्ट आ रहा है। अगर हम चण्डीगढ़ रोड से नये बने हिसार हाईवे की बात करें तो उस पर तीस किलोमीटर लम्बा स्ट्रैच 152–डी से अम्बाला को जयपुर से वाया नारनौल होकर कोटपुतली तक बने नये हाईवे से जोड़ता है। इस 30 किलोमीटर के स्ट्रैच से ऊपर आई.एम.टी. के लिए एक बहुत अच्छा पैच उपलब्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं कि ई–भूमि पोर्टल पर उसके प्रोसैस को स्टार्ट किया जाये। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि उस फाईल को जल्दी चलवाकर उस आई.एम.टी. की स्थापना के लिए जो भी होना है उसको जल्दी से जल्दी करवाया जाये। मैं सरकार को दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे अम्बाला शहर में बिल्कुल शहर के अंदर लगभग 150 साल पुरानी जेल है। यह जेल अब शहर के अंदर आ गई है। सिक्योरिटी के ध्यानागत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जेल को किसी दूसरी जगह स्थानांतरण के आदेश दिये हैं और ई–भूमि पोर्टल के ऊपर उस जेल के लिए 100 एकड़ जमीन की मांग सम्बन्धी सूचना डाली जा चुकी है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वीटा मिल्क प्लांट की कैपेसिटी को एक लाख लीटर से बढ़ाकर पांच लाख लीटर करने की मंजूरी दी है। वीटा मिल्क प्लांट के लिए जमीन संबंधी सूचना को ई–भूमि

पोर्टल पर डालने के लिए आदरणीय मंत्री डॉ. बनवारी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे अम्बाला में आई.एम.टी. को स्थापित करने की कार्यवाही को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किया जाये। आपका पुनः धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र गुप्ता (फरीदाबाद): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी विधान सभा की जो दिक्कतें हैं उन्हें आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्बन्धित मंत्रियों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा स्लम एरिया है। करीब 80 हजार से ज्यादा लोग स्लम में रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते हुए उनकी ओवरऑल डिवैल्पमैंट के लिए घोषणा की थी। उनकी डिवैल्पमैंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा पैसा दिया है लेकिन वहां पर जो एस्टीमेट्स बनाये गये हैं उनके बारे में नगर निगम के स्तर पर कोई भी ऑफिस तक भी कोई जानकारी नहीं भेजी गई है जिससे कि हम यहां से उस बजट को पास करवा सकें और स्लम में रहने वाले परिवारों को ज्यादा से ज्यादा बुनियादी सुविधायें करवा सकें। वहां पर पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है और इनके अतिरिक्त अनेकों समस्याएं हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे आदेश दें और उन एस्टीमेट्स को हैड ऑफिस में मंगवाकर उनकी एप्रूवल जल्दी से जल्दी करवायें। मेरे हल्के में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी अनाउंसमैंट्स की थी और उसके बाद ये आदेश जारी किये थे कि नगर निगम अपने फण्ड्ज के द्वारा उन विकास कार्यों को करवायें लेकिन मेरे बार–बार कहने के बावजूद भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल वहां के अधिकारी नहीं देते हैं। इस कारण से मेरे फरीदाबाद की जनता बहुत ही नारकीय जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। मेरे फरीदाबाद की बहुत सी सड़कें टूटी पड़ी हैं। वहां पर पीने के पानी की भी बड़ी भारी

दिक्कते हैं। वहां पर लगभग सारे के सारे ट्यूबवैल्ज खराब पड़े हैं। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मामले का जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और वे तुरंत प्रभाव से आदेश दें कि फरीदाबाद में विकास के लम्बित कामों को जल्दी से जल्दी किया जाये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एच.एस.वी.पी. के इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स को एच.एस.आई.आई.डी.सी. को ट्रांसफर करने की पॉलिसी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई लेकिन दोनों डिपार्टमैंट्स की पॉलिसीज में बहुत ज्यादा अंतर होने की वजह से सभी इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को अपने प्लॉट्स को ट्रांसफर करवाने व दूसरे कार्य करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के मामलों में मेरे फरीदाबाद में व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी पॉलिसी बनाकर जो एच.एस.वी.पी. के नॉर्म्ज हैं उनके अनुसार ही उन कामों को आगे बढ़ाया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री प्रवीण डागर(हथीन): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह समस्या पूरे प्रदेश की ही है लेकिन मेरा हथीन निर्वाचन क्षेत्र इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। सरकार ने जो 4 करम के रास्ते मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाये जाते थे उस पॉलिसी में बदलाव कर दिया तथा अब मार्केटिंग बोर्ड 5 करम से कम के रास्तों को नहीं बनाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 118 गांव हैं और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते चकबंदी में कम छोड़े गये थे जिससे वे इस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं जिसके कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते कच्चे हैं जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से तथा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि दोबारा से 4 करम की पॉलिसी ला कर हमारे 4 करम के रास्ते मार्केटिंग बोर्ड से पक्के करवाये जायें ताकि लोगों को आने वाली परेशानी दूर हो सके। इसके लिए चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र को विशेष हल्का समझते हुए या

पिछड़ा हल्का समझते हुए यह काम करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मेरी एक मांग यह है कि हथीन नगरपालिका को विकास कार्यों के लिए कम से कम 10 करोड़ की ग्रांट जारी की जाये ताकि वहां पर विकास कार्य हो सकें। इसके अतिरिक्त पलवल में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और उप–मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके लिए जमीन का इंतजाम करने के लिए ग्राम पंचायतों से रैजोल्यूशन मांगे गये थे। इस बारे में मेरा एक निवेदन है कि पलवल में शुगर मिल के पास लगभग 60 एकड़ जमीन शुगर मिल की पड़ी हुई है उसमें से जितनी जमीन चाहिए वे देने के लिए तैयार हैं। यह जमीन हैडक्वार्टर के बिल्कुल नजदीक है इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक बार उस जमीन का सर्वे करवाया जाये ताकि इस मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो सके। इसी प्रकार से हथीन बाई–पास का निर्माण कार्य 60 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हो चुका है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा उप–मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री महिपाल ढांडा(पानीपत ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं मगर वास्तव में बहुत बड़ी है। हमारे यमुना नदी के साथ के जितने भी गांव हैं उनकी जमीन यमुना में बह कर चली जाती है। बरसात के बाद जब वह जमीन निकलती है तो उस जमीन को पहले बुर्दी शामलात में लिया जाता है। कोई केस सुप्रीम कोर्ट में किसी ने किया होगा उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सारी शामलात जमीन है और इसका इंतकाल पंचायत के नाम कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो शामलात जमीन में ही हैं लेकिन वह जमीन तो बुर्दी शामलात है। बहुत समय पहले से यमुना एक्शन प्लान के तहत कोई मामला चला हुआ है जबकि पंजाब कॉमन लैंड एक्ट की धारा 2(जी) अपवाद 1 रूल में हमारी जमीन पंचायत में वैस्ट नहीं करती है। हमारे

पूरे के पूरे गांव शामलात के हैं लेकिन हमारी मलकियत जमीन को शामलात बना दिया गया है। अब गांव वालों का कहना है कि हमारी इस जमीन को छीनने की नियत से सरकार इस जमीन का इंद्राज पंचायत के नाम करवाना चाहती है जो कि पंजाब लैंड एक्ट की धारा 2 (जी) अपवाद–1 में साफ जाहिर है कि हमारी जमीन का पंचायत से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है क्योंकि पूरे के पूरे गांव शामलात जमीन में हैं। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन जमीनों को शामलात में दिखाना तथा उनको नोटिस देना बहुत गलत है। पानीपत में तो ऐसे कई गांव हैं जो शामलात जमीन में बसे हुए हैं। एक गांव तो ऐसा है जिसमें एक एकड़ भी जमीन नहीं है और गांव बसा हुआ है। वह बुर्दी बरामदगी का मामला है और उसको बाकी शामलात से अलग रखा जाये तथा यमुना एक्शन प्लान के तहत इस पर कार्यवाही की जाये। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा मामला है इसलिए मेरा आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए हमारे क्षेत्र के लोगों की इस समस्या का समाधान किया जाये। धन्यवाद।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला, अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी जो म्यूनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए थे उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वैसे तो सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि अबकी बार डायरैक्ट चेयरमैन के चुनाव करवाए हैं जिनको जनता ने चुना है। अब मुझे मालूम हुआ कि सरकार उन चेयरमैनों की डी.डी. पावर लेना चाहती है फिर तो इस चुनाव का कोई मायना ही नहीं रहा। अबकी बार तो वे जनता के द्वारा चुने गये हैं इसलिए अबकी बार तो उनको ज्यादा पावर देनी चाहिए। उनसे डी.डी. पावर लेने के बाद उनके पास क्या बचेगा? इस चुनाव से एक काम तो अच्छा हुआ है कि पहले जो एम. सी. को बनाने के जोड़–तोड़ में पांच साल निकल जाते थे अबकी बार वह नहीं हुआ। इससे करप्शन भी खत्म हुआ है, ऐनर्जी भी बची है और टाईम भी बचा है। इसमें

हमारा तो यह कहना है कि इन चेयरमैन्स की डी.डी. पावर वापिस न लेकर इनको और ज्यादा दूसरी पावर भी दी जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैंने चीका में बस स्टैंड बनाने के बारे में कई बार कहा है जिसके लिए हमने डेढ साल से जमीन भी दे रखी है और वह सरकार की जमीन है। उसके लिए किसी से जमीन भी मोल नहीं लेनी, किसी को जमीन का कोई मुआवजा भी नहीं देना, कोई जमीन एक्वायर भी नहीं करनी। उसमे कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। इसके लिए मैंने मंत्री जी से भी कई बार कहा है और मंत्री जी ने कई बार आश्वासन भी दिया है लेकिन अभी तक उस बस अड्डे का काम ही शुरू नहीं हुआ है। वहां बस अड्डे का एक अहम मुद्दा है क्योंकि वहां 40 हजार की आबादी है लेकिन वहां कोई बस अड्डा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आप हमें जमीन मुहैया करवाइये हम वहां बस अड्डा बनवा देंगे। हमने जमीन भी दे दी है लेकिन अभी तक वहां बस अड्डे की शुरूआत ही नहीं की गई। मेरा निवेदन है कि वहां पर उस बस अड्डे की शुरूआत की जाए। तीसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे एरिया के अन्दर सबसे ज्यादा ऐसे अलोटी हैं जो पाकिस्तान से माईग्रेट होकर आए हुए हैं। उनको जो जमीन अलोट हुई है वह जमीन उनसे वापिस न ली जाए। उस जमीन को उनके पास ही रहने दिया जाए। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश (पटौदी, अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, प्रकृति के अन्दर जो भी प्राणी आया है उसका इन पांचों तत्वों पर पूरा अधिकार है। जमीन पर पैर रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है। देश की आबादी के बारे में कहा जाए तो हरियाणा की आबादी का 40 प्रतिशत अर्थात अढ़ाई करोड़ की आबादी में से 50 लाख लोग चाहे वह भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति के हैं जो शामलात भूमि पर रह रहे हैं। मेरा सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करके

हमारे देश की संसद को भेजा जाए कि माननीय उच्चतम न्यालय का जो निर्णय है उसको रद करके संविधान में संशोधन किया जाए और जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको रहने का अधिकार दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके की बात करूं तो मेरे हल्के में पिछले तीन साल से सड़कों पर एक रोड़ी भी नहीं लगी है। मेरे वहां हेलीमंडी फलाइऑवर से उतरते ही इतने बड़े गड्ढे हैं कि कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जाती जिसका वहां एक्सिल न टूटा हो। मोटर साइकिल वाले भी आए दिन वहां गिरते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस रोड को बनवाया जाए। इसी के साथ मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पी.डब्ल्यू.डी. को 25 करोड़ रुपये देने पर धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ अनुरोध करता हूं कि उस 25 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जाए। इसी तरह से मार्किटिंग बोर्ड के जो 5 करम के रास्ते हैं उनको बनाने की राशि को भी 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक अनुरोध यह भी है कि हमारे एरिया में 46 स्कूल्ज ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में हैं और कुछ स्कूल्ज ऐसे हैं जहां पर स्टाफ बिल्कुल न के बराबर है। जो सफाई कर्मचारी रिटायर हो गये हैं उनकी जगह कोई दूसरा सफाई कर्मचारी नहीं आया है, चौकीदार की जगह चौकीदार नहीं आया हैं। कहीं पर पूरे अध्यापक नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारे एरिया में स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग को दोबारा बनाया जाए और उनमें अध्यापक, सफाई कर्मचारी और चौकीदारों की नियुक्ति की जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री इंदूराज (बरौदा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में सरकार ने शहरों में प्रोपर्टी आई.डी. लागू की है। जैसे मेरे पास 400 गज का प्लॉट था तो उसकी प्रोपर्टी आई.डी. बन गई। किसी कारणवश मैंने वह प्लॉट आधा बेचना पड़ा तो कोई भी तहसीलदार उस आधे प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं

कर रहा है। आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह मांग है कि उस पर ध्यान देकर उस आधे प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई जाए। दूसरी बात मेरा बरौदा हल्का पूरा ग्रामीण और कृषि पर निर्धारित है। कुछ दिन पहले कृषिमंत्री जी ने भी मेरे हल्के के कुछ गांवों का दौरा किया था जिसमें उन्होंने भी मौके पर जाकर देखा है कि मेरे हल्के के बहुत से गांवों में बारिश का पानी भरा हुआ है। हमारे गांवों में कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने बारिश के पानी के भराव के कारण अपने खेतों में लगातार चार फसलों की बुआई नहीं कर पाए। वहां कृषि मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि दो दिन के अन्दर हम इस सारे पानी को साफ करवा देंगे। उनके आश्वासन से मुझे भी इस बात की खुशी मिली कि सरकार ने हमारे हल्के की सुध ली। हमने सोचा कि मंत्री जी हमारे हल्के में आए हैं तो वे किसानों के खोतों में भरे बारिश के पानी को निकलवाने का काम भी करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें तो उन लोगों के पास कोई संसाधन भी नहीं हैं। उनके पास न कोई मोटर है, न कोई पम्प है, न कोई पाईप लाईन है, न 24 घंटे बिजली मिल रही है तो ऐसे कैसे काम चलेगा। जब मंत्री जी के आदेश भी नहीं माने जा रहे हैं तो फिर हमारी कौन सुनेगा। इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन तो पानी तब निकालेगा जब उनके पास संसाधन होंगे। सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है लेकिन आज हालत यह है कि बिजली देने के लिए एक्सियन को कहना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। उसके बाद 24 घंटे बिजली की मंजूरी मिलती है इसलिए इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मैं हल्का बरौदा ही नहीं पूरे हरियाणा के बारे में कहना चाहूंगा कि जहां–जहां भी बारिश के कारण जल भराव हो रहा है वहां सरकार ने किसानों को मुआवजा देने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री बिशम्बर सिंह (बवानी खेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ । अध्यक्ष

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव तालू, धनाना, मुंढाल कलां, खुर्द खरक कलां व खुर्द, मिथाथल, बडेसरा, तिगड़ाना, कलिंगा, पुर, सिवाड़ा, जताई, धुरूकानी, कुचपड़ ढाणी (धनाना), सैय, गुजरानी, कुंगड़ आदि गावों में हाल ही में जो भारी बारिश हुई है, उसकी वजह से यहां के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मेरा आज इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन गांवों के किसानों की खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी कराकर, यहां के किसानों को मुआवजा देने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बैठे हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे यहां खरककलां गांव की पी.एच.सी. में एक ट्रॉमा सैंटर खोलने की घोषणा की है और इसके साथ ही मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि खरककलां गांव की पी.एच.सी. में पिछले काफी समय से डाक्टर्ज की कमी बनी हुई है जिसकी वजह से यहां के लोगों को इलाज के लिए दूर–दूर जाना पड़ता है। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे खरककला गांव की पी.एच.सी. में जल्द से जल्द डाक्टर्ज की व्यवस्था की जाये ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदा पहुंच सके और उन्हें इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरा एक निवेदन यह भी है कि हमारे यहां जो भिवानी से लेकर हांसी तक का मात्र 40 किलोमीटर का रोड है, उसको भी जल्द से जल्द फोरलेन करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन का ध्यान मेरे क्षेत्र की एक बहुत पुरानी मांग की ओर भी दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां कलिंगा गांव से सैपल तक एक रास्ता बनाये जाने की एक बहुत पुरानी मांग रही है। इस सदन के पूर्व में सदस्य रहे चौधरी लहरी सिंह के समय में भी यहां के लोगों की यह डिमांड रही है। अतः मैं आज सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से कलिंगा गांव से लेकर गांव सैपल तक का रास्ता बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इन सबके अतिरिक्त मेरी एक डिमांड यह

भी है कि कलिंगा से बलम्भे तक का रास्ता भी जल्द से जल्द बनवाया जाये। बलम्भे गांव में मेरे मामा हैं। मैं वहां का भांजा हूँ। मैं वहां पर जब भी जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि भांजे तेरा कोई फायदा नहीं हमारा कलिंगा से बलम्भा रोड आज तक नहीं बन पाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से यह भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे मामा के गांव के लोगों की मेरे प्रति भावना को समझते हुए, कलिंगा से बलम्भा तक का 18 फीट का रास्ता जल्द से जल्द बनवााया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका फिर से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री दीपक मंगला (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे यहां पलवल में बहुत पहले सैक्टर–12 बना था। इसके लिए जो जमीन एक्वॉयर हुई थी वह कुछ ऐसे क्षेत्रों की जमीन एक्वॉयर की गई थी जहां पर आज भी बहुत आबादी है। बांस मोहल्ला, हथीन रोड तथा सरकारी अस्पताल के साथ लगते रोड पर मकान बने हुए हैं लेकिन सैक्टर 12 के अंतर्गत यह जगह आज तक विकसित नहीं हो पाई है। पिछली सरकार के समय में बदले की भावना से इस क्षेत्र को एक्वॉयरमैंट क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसका दोबारा से सर्वे कराया जाये क्योंकि अब भी वहां बहुत से लोग रह रहे हैं। जिन मकानों में यहां लोग रह रहे है और साथ ही जो सैक्टर 12 का क्षेत्र है, वर्तमान हालात में यहां पर कुछ भी विकसित नहीं हो सकता क्योंकि यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस जगह का दोबारा से सर्वे कराया जाये ताकि जो वहां आलरेडी आबादी है उनको यहां पर कुछ रियायत मिल सके। एक और मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना है कि हमारे यहां पलवल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के फलस्वरूप रसूलपुर आर.ओ.बी.

और एक बामणीखेड़ा आर.ओ.बी. बन रहा है। इन दोनों आर.ओ.बीज. का काम बड़ा स्लो चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि चूंकि यहां से बहुत बड़ी आबादी का रोज निकलकर आना–जाना लगा रहता है, स्लो काम की वजह से इन लोगों को हर रोज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः इन आर.ओ.बीज. के काम में जल्द से जल्द तेजी लाने का काम किया जाये। इसके अतिरिक्त मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन है कि पलवल के अंदर धीरे–धीरे जल स्तर नीचे जाता जा रहा है जिसकी वजह से हमारे पलवल शहर के एरिया में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत हो गई है। यहां का मीठा पानी धीरे–धीरे खारा होता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि पलवल शहर को रेनीवैल योजना के तहत शामिल किया जाये क्योंकि 10–12 गांव और भी पलवल के अंदर आ गए है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे

15: 00 बजे

बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राम निवास (नरवाना, अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र नरवाना के दो गांवों बैट्टा और धनौरी को कैथल जिले में जोड़ दिया गया है । इससे उन गांवों के लोगों को काफी समस्या आ रही है । सरकार अगर चाहे तो वहां का दोबारा सर्वे करवाकर देख सकती है । वहां की 80 प्रतिशत जनता जीन्द जिले के तहत नरवाना निर्वाचन क्षेत्र और उजाना ब्लॉक के साथ ही संबद्ध रहना चाहती है । दूसरी बात, अब की बार हरियाणा में जितनी बारिश हुई है उससे मेरे क्षेत्र की बहुत ज्यादा फसल नष्ट हुई है । उसका प्रशासन ने सर्वे भी किया था । वहां पर अब भी जल–भराव की समस्या है । मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां पर एक ड्रेन का निर्माण करवा दिया जाए ताकि वहां की फसल नष्ट न हो । वहां के किसानों की फसलों का पिछले कई सालों से काफी

ज्यादा नुक्सान हो रहा है । तीसरी बात, मेरे क्षेत्र के निवासियों की नरवाना में एक नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने की बहुत जरूरी और पुरानी मांग है । अतः वहां पर उसका निर्माण करवाया जाए । चौथी बात, सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाया है और उसके तहत बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रावधान किया गया है या नहीं ? अगर उसमें रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया हो तो उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन अवश्य रखा जाए ताकि एस.सी. कैटेगरी के बच्चों को भी रोजगार प्राप्त करने का मौका मिल सके । शिक्षा के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में अनेक पद खाली पड़े हुए हैं । मेरे क्षेत्र नरवाना के कई स्कूल्ज में एक–एक या सिर्फ दो–दो अध्यापक ही नियुक्त हैं । मेरा अनुरोध है कि उस बैकलॉग को भरकर स्कूल्ज में अध्यापकों की कमी को दूर किया जाए। पांचवी बात, मेरे क्षेत्र नरवाना में जलभराव होने की वजह से फसल खराब हो गई है । इसके अलावा कपास की फसल में सुण्डी लग गई है जिसके कारण किसानों को काफी नुक्सान हुआ है । अतः मेरा अनुरोध है कि वहां की स्पैशल गिरदावरी करवाकर उन किसानों को मुआवजा दिया जाए । धन्यवाद ।

श्री राम कुमार (इन्द्री) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं अपने हल्के की कुछ सड़कों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरे हल्के में करनाल से लाडवा की सड़क का फॉरलेनिंग का काम केवल 3 किलोमीटर के एरिया को छोड़कर पूरा हो चुका है । यह सड़क अंत में जाकर 2 हल्कों इन्द्री और लाडवा को आपस में मिलाती हैं । इस सड़क के बारे में लाडवा हल्के के माननीय सदस्य ने भी सदन में जिक्र किया है । इस सड़क का 3 किलामीटर का रास्ता बनने से रह गया है । यह समझ से परे है कि इसको किसलिए छोड़ा गया है । इसके बनाए बगैर इस सड़क का कोई फायदा नहीं होगा । जब तक इस बचे हुए रास्ते को फॉरलेन नहीं किया जाएगा तब तक इस सड़क का कोई फायदा नहीं होगा । अतः इस बचे हुए रास्ते को भी

फॉरलेन किया जाए ताकि इस सड़क का पूरा फायदा हो सके । दूसरी बात, इंद्री के साथ जैनपुर रोड से खेड़ा गांव तक डेढ़ किलोमीटर का एक रास्ता है । अगर इस रास्ते को एक बाइपास का रूप दे दिया जाए तो इन्द्री शहर में जो ट्रैफिक काफी बढ़ गया है उससे होने वाली भीड़–भाड़ से निजात मिल जाएगी । मेरा निवेदन है कि इस 1.5 किलोमीटर के रोड को बाइपास बनाने का काम किया जाए । इसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा । इसके अलावा बीड़ से लेकर टापू गांव तक 2.5 किलोमीटर की एक साधारण सड़क बनी हुई थी । टापू गांव के साथ यमुना नदी लगती है और उसके दूसरी ओर उत्तर प्रदेश है । वहां पर एक पुल का निर्माण हो चुका है । पुल के बन जाने के बाद वह सड़क साधारण सड़क नहीं रह गई है बल्कि अब वह एक इंटर स्टेट सड़क बन गई है । अब वह सड़क दो प्रदेशों को मिलाने का काम कर रही है और उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलता है तथा खनन का सामान भी वहीं से आता–जाता है । इस कारणवश अब वह सड़क जर्जर हो चुकी है । इसके अलावा अब वह सड़क चलने लायक भी नहीं रह गई है । अतः मेरा निवेदन है कि इस सड़क का भी पुनर्निर्माण किया जाए ताकि आने–जाने वालो को सुविधा मिल सके । इस संबंध में मैं आज माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से मिला था । उन्होंने उस सड़क को पास तो कर दिया लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको हल्के के विकास के लिए जो 25 करोड़ रुपये मिलेंगे उस 25 करोड़ रूपये में से ही इस सड़क के खर्च को काटा जाएगा । अतः मेरा माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि जब यह सड़क एक इंटर स्टेट सड़क बन गई है तो उसको मुझे मिलने वाली ग्रांट में से न काटकर अलग से बनाया जाए । धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

***श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ मांगें सदन के पटल पर रखना चाहता हूं जोकि निम्नलिखित प्रकार से हैं :–

1. एन.एच. 709 ई सड़क न्यू बस स्टैंड से लाहारू रोड आर.ओ.बी. तक लगभग 3 साल से टूटी पड़ी है । यह सड़क शहर की प्रमुख सड़क है । इस बारे में हम अधिकारियों से बार–बार अनुरोध कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमें इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सड़क को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ।

2. तोशाम बाइपास पर निर्माणाधीन आर.ओ.बी. का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए ताकि बाहरी वाहन शहर के अन्दर प्रवेश न कर सकें । इसके कार्य की धीमी गति होने का कारण ठेकेदारों को समय पर पेमेंट न करना है । अतः इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए ।

3. कृष्णा कॉलोनी के आर.ओ.बी. का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है । इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । अतः इस कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए ।

4. भिवानी के शहरी क्षेत्रों जैसे हलवास गेट, हनुमान ढांणी, कृष्णा कॉलोनी, पतराम गेट, त्रिवेणी, जोहड़ी आदि की लगभग आधी आबादी में सीवर युक्त पेयजल की सप्लाई हो रही है जिसे तुरंत ठीक किया जाए ।

5. भिवानी के शहरी क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम का कोई मास्टर प्लान बनाया जाए ताकि सीवरेज की व्यवस्था को ठीक किया जा सके ।

.....

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया ।**

6. कचरा प्लांट को शहरी और ग्रामीण आबादी से दूर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार निर्धारित की गई जगह पर स्थापित किया जाए ।

(i)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से संबंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–15 प्राप्त हुई है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है । इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या –25 जोकि श्री अमित सिहाग, विधायक एवं 3 अन्य विधायकों श्री शीशपाल सिंह, श्री मेवा सिंह तथा श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा दी गयी है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 15 के साथ जोड़ दी गयी है। श्री अमित सिहाग, विधायक तथा 2 अन्य विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 41 जोकि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गयी है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 15 के साथ जोड़ दी गयी है। श्री नीरज शर्मा, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश में बढ़ते नशे बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी और प्रदेश के अधिकतर जिलों में तदनुसार नशे का कारोबार में तेजी से बढना चिंता का विषय है । पंजाब सीमा से लगते जिलों में बड़ी संख्या में युवा वर्ग सिंथेटिक नशे की चपेट में आ चुका है । प्रदेश सरकार बढ़ते नशे के कारोबार के प्रति गम्भीर नहीं दिखाई देती। सिरसा,

रोहतक, हिसार , फतेहाबाद, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला और नूंह नशे के गढ़ बन चुके हैं । सिरसा जिले में लगभग 20 फीसदी युवा नशे की चपेट मे आ गए हैं। तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों को महिलाओं के माध्यम से पैसों का लालच देकर अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। हाल ही में सोनीपत में एक महिला से 11 किलो गांजा पकड़ा गया है। इस वर्ष के मई माह में उड़ीसा से हांसी लाया गया लगभग 101 किलो गांजा पकड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि 2000 किलोमीटर से इतनी बड़ी खेप एक निजी वाहन से हांसी तक पहुंच जाना अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है और नार्कोटिक्स स्टाफ की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े करता है । बढ़ते नशे को लेकर प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है । अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे ।

CALLING ATTENTION NOTICE NO. 25

CLUBBED WITH ADMITTED CALLING ATTENTION NOTICE NO. 15

Shri Amit Sihag, MLA & three others MLAs wants to draw the kind attention of this August House on issue of urgent public importance that the drug menace is on the rise in the State and the youth of the State are constantly getting caught in the grip of drugs and crime, while the BJP- JJP Government is sitting as a mute spectator. Report from Sirsa District alone shows that 20% of the people here are in the grip of drugs. There have been 7 deaths due to overdose in the month of May, 2022 alone. What is even more worrisome that even young children have not been left untouched from this menace. In Sirsa during the last 8 years, more than 1.25 lakh people have visited the Civil Hospital for drug de-addiction. While this figure has come to the fore, many drug addicts are uncounted for since they do not come out because of fear of shame. Reports of the Government itself are indicating that the situation has gone out of hand. The NCRB report had revealed that Haryana has overtaken Punjab in the death toll due to drug overdose. It seems that those behind the spread of narcotics have the protection of the Administration and Government. This illegal business could not have flourished so much if it wasn't so. If these are either false then why has the Government not been able to catch the big fish and weed out the drug menace. Unemployment is further acting as a catalyst for the youth of Haryana take to drugs.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 के द्वारा श्री नीरज शर्मा, विधायक हरियाणा में बढ़ता नशे का व्यापार बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा में दिन प्रति दिन नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि आज जो युवा पीढ़ी खराब होती जा रही है, बढ़ते नशे के कारण अपराधो में वृद्धि होती जा रही है। फरीदाबाद में शराब के ठेकों के आगे से शाम के समय निकलना मुश्किल होता है। शराब के ठेकों के बाहर ही सरेआम शराब पी जा रही है और यह सब प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। ऐसे ही फरीदाबाद की मछली मंडी जोकि बल्लभगढ़ विधान सभा में आती है उसमें हर तरह का नशों का व्यापार हो रहा जिसपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सरकारी जगह पर वार्ड-6 नगर निगम के बूस्टर बैठ कर शराब पी जा रही है कोई कार्यवाही नहीं हुई, मेरे घर के पड़ोस में अवैध शराब बेची जा रही है उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं। डबुआ सब्जी मंडी में शाम होते ही शराब का अड्डा बन जाता है। सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

वक्तव्य–

गृह मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी–

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से अवगत है। हरियाणा सरकार त्रिस्तरीय रणनीति के साथ समस्या का समाधान कर रही है:

ए. मादक पदार्थों/अवैध दवाओं की आपूर्ति में कमी।
बी. नशे पर आश्रित / नशा करने वालों का प्रबंधन, उपचार और उनका पुनर्वास।
सी. मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम/मांग में कमी लाना।

2. वर्ष 2020 में, हरियाणा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2982 मामले दर्ज किए और 4477 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 221.672 किलोग्राम अफीम, 230.764 किलोग्राम चरस, 12725.672 किलोग्राम चूरा पोस्त, 8641.6 किलोग्राम गांजा, 35.9935 किलोग्राम हेरोइन, 1.10 ग्राम कोकीन, 1297485 गोलियाँ और 206970 कैप्सूल बरामद किए।

2021 के दौरान हरियाणा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2745 मामले दर्ज किए, 3975 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 345.496 किलोग्राम अफीम, 157.259 किलोग्राम चरस, 8550.077 किलोग्राम चूरा पोस्त, 11368.07 किलोग्राम गांजा, 29.13586 किलोग्राम हेरोइन, 1304530 गोलियां और 45280 कैप्सूल बरामद किए।

इस कलैण्डर वर्ष में 02 अगस्त तक राज्य पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत 2334 मामले दर्ज कर 3209 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 181.287 किलोग्राम अफीम, 145.093 किलोग्राम चरस, 7435.38 किलोग्राम चूरा पोस्त, 10193.482 किलोग्राम गांजा, 20.311436 किलोग्राम हेरोइन, 13 ग्राम कोकीन, 27.236 ग्राम एम.डी.एम.ए., 427920.54 गोलियां और 271769 कैप्सूल बरामद किए।

3. जिला सोनीपत में 12.790 किलोग्राम गांजा की जब्ती से संबंधित मामले में अभियोग संख्या 406 दिनांक 18.07.2022 धाराधीन 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना शहर सोनीपत के मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि मादक पदार्थ को ट्रेन से सोनीपत लाया गया था और उसने दिल्ली के सदर बाजार में रहने वाले हैंडलर का ब्योरा दिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

4. दूसरे मामले में अभियोग संख्या 351 दिनांक 17.05.2022 धाराधीन 20,29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना शहर हांसी से संबंधित, हरियाणा पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 101.70 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि इस अवैध मादक पदार्थ की खेप कई राज्यों से होते हुए सड़क मार्ग से ओडिशा से हरियाणा आई थी। मुख्य आपूर्तिकर्ता आरोपी को पहले ही 23.05.2022 को ओडिशा से गिरफ्तार किया जा चुका है। जो आरोपी अन्य राज्य पुलिस बलों से बचने में सफल रहे थे, उन्हें हरियाणा पुलिस द्वारा इन्टरसैप्ट करके गिरफ्तार कर लिया।

5. अध्यक्ष महोदय, हमने नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एच.एस.एन.सी.बी.) का गठन किया और पूरे देश में हमारा पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया क्योंकि मैं समझता था कि पुलिस की और बहुत सारी रैगुलर जिम्मेवारियां होती हैं। कई प्रकार की ड्यूटीज होती हैं और वह नियमित तौर पर एन.डी.पी.एस. के केसिज का पीछे नहीं कर सकते हैं। मैंने इसके लिए अलग से एक ब्यूरो गठित किया जिसे अगस्त 2020 में स्थापित किया गया था, ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम और पी.आई.टी. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत दोषियों की संपत्ति की जब्ती के संबंध में सभी जिलों के एंटी-नारकोटिक्स सेल (ए.एन.सी.) के साथ ही इस ब्यूरो के अनुसंधान अधिकारियो को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप 25,09,21,300.48/- रुपये की

संपत्ति को जब्त किया गया है तथा 6,82,94,967.89/- रुपये की संपत्ति की जब्ती प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय, हमने हिदायते दी हुई हैं कि जितने भी ऐसे नशाखोर पकड़े जाते हैं उन्होंने इससे जितनी भी संपित्त अर्जित की है उसको एक्वायर करके सरकार अपने कब्जे में ले। इस दिशा में हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है जिसमें 25,09,21,300.48/– रुपये की एक संपत्ति को जब्त किया है और 6,82,94,967.89/– रूपये की संपत्ति की जब्ती प्रक्रियाधीन है।

6. नशीली दवा के अधिक सेवन/दुष्प्रयोग के कारण कुछ मौतें हो सकती हैं। ऐसे सभी मामलों में जांच चल रही है और ऐसी घटनाओं में मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए एफएसएल की रिपोर्ट, अंतिम चिकित्सा राय, मृत्यु के कारण आदि की प्रतीक्षा की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आज 52 नंबर एक प्रश्न लगा हुआ था, जिसे प्रश्न काल समाप्त होने के कारण टेकअप नहीं किया जा सका। उसमें भी हमने यही जवाब दिया था कि कोई मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पर जब सिरसा के एस.पी. से बात की तो मुझे बताया गया कि जनवरी, 2021 से लेकर जुलाई, 2022 तक 19 मामले धारा 174 के तहत नशे के कारण मृत्यु होने की एफ.आई.आर. दर्ज की गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, जब तक विसरा रिपोर्ट न आये, तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सिद्ध न किया जाये तब तक मैं सदन में खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि किसकी मृत्यु नशे के कारण हुई है और किसकी मृत्यु नशे के कारण नहीं हुई है और प्रदेश में ऐसी प्रक्रिया अभी बनी भी नहीं हुई है जिससे पता चल सके। नशा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जिसमें कोई शराब पीने से, कोई नींद की गोली खाने से, कोई ड्रग खाने से, कोई अफीम खाने से, कोई गांजा खाने से और किसी को ड्रग की आपूर्ति न हो तब भी मर सकता है। इसकी अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं की गयी है कि कौनसी मृत्यु

किस कारण से हुई है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मैंने अधिकारियों से कहा है कि हमारा इससे सम्बन्धित एक्ट है उसमें इसका प्रावधान किया जाये, जिससे आगे से पता लग सके कि कौनसी मृत्यु किस कारण से हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाये। लेकिन अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता कि नशीली दवाओं के कारण कितनी मृत्यु हुई हैं।

7. एचएसएनसीबी ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और पता लगाने और नशीले पदार्थों के बारे में संग्रह के लिए एक व्यापक राज्य कार्य योजना तैयार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26.06.2022 को निम्नलिखित तीन उद्देश्यों के साथ नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना का क्रियान्वयन किया है।

ए. मांग में कमीः– एनडीपीएस को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र के निर्माण की दृष्टि से राज्य स्तर तक पांच स्तरीय संरचना तैयार की गई है।

257 132

~~RS 03.20 RK 10.08.2022~~

जिसमें गांव से लेकर स्टेट लैवल तक ये कमेटियां बनाई जा रही हैं। टियर- I के स्तर पर लगभग 6538 ग्राम मिशन टीमें (VMT) और 1710 वार्ड मिशन टीमें (WMT) गठित की जा रही हैं। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों की पहचान करना है। डाटा एचएसएनसीबी द्वारा विकसित "प्रयास ऐप" पर अपलोड किया जाएगा। हमने "प्रयास" नाम की एक ऐप बनाई है जिसमें यह सारा डाटा दर्ज किया जायेगा कि कौन आदमी ड्रग लेता है। उसके कौन–कौन सम्पर्क में हैं। कहां–कहां से वह ड्रग लेता है। इस प्रकार की जितनी भी जानकारी है इसके लिए हमने एक ऐप तैयार की है। जिसका नाम "प्रयास" है। उसमें यह डाटा अपलोड किया जायेगा। जो भी इनफर्मेशन नशा करने वाले से सम्बंधित होगी उसे हम इसमें अपलोड करेंगे। यह जानकारी आगे टियर- II क्लस्टर मिशन टीमों (CMT-532) के साथ सांझा की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का भी प्रतिनिधित्व है। टियर- III (72 सब डिवीजन मिशन टीमें-एसडीएमटी), टियर- IV (22 जिला मिशन टीमें-डीएमटी) और टीयर-V (राज्य मिशन टीम-एसएमटी जिसमें 18 विभाग प्रमुख शामिल हैं) पर्यवेक्षी होंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 जिलों हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला में कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

बी. <u>आपूर्ति में कमी</u>: - "प्रयास" और "साथी" नामक दो एंड्रॉइड मोबाइल

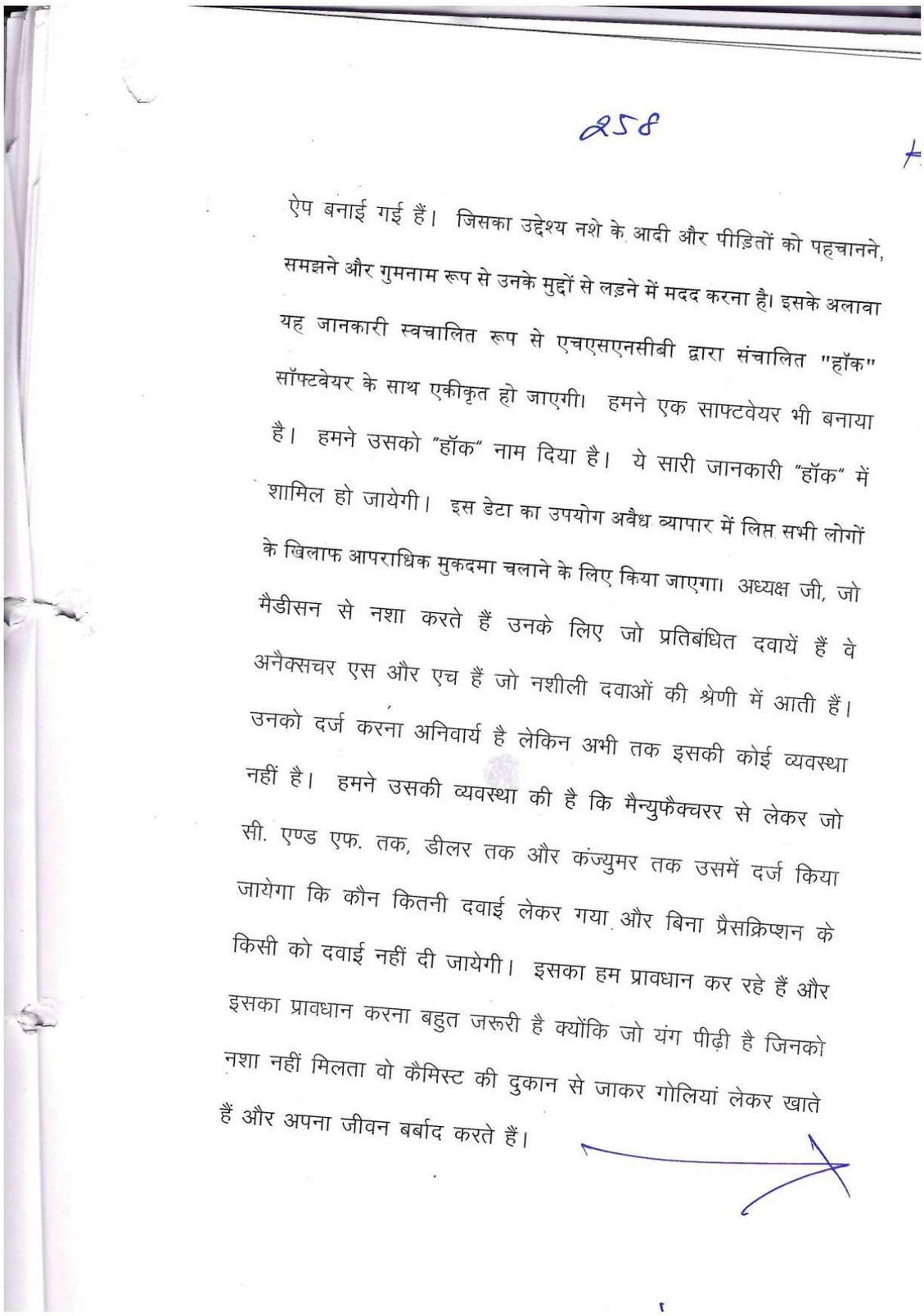

258

ऐप बनाई गई हैं। जिसका उद्देश्य नशे के आदी और पीड़ितों को पहचानने, समझने और गुमनाम रूप से उनके मुद्दों से लड़ने में मदद करना है। इसके अलावा यह जानकारी स्वचालित रूप से एचएसएनसीबी द्वारा संचालित "हॉक" सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत हो जाएगी। हमने एक साफ्टवेयर भी बनाया है। हमने उसको "हॉक" नाम दिया है। ये सारी जानकारी "हॉक" में शामिल हो जायेगी। इस डेटा का उपयोग अवैध व्यापार में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा। अध्यक्ष जी, जो मैडीसन से नशा करते हैं उनके लिए जो प्रतिबंधित दवायें हैं वे अनैक्सचर एस और एच हैं जो नशीली दवाओं की श्रेणी में आती हैं। उनको दर्ज करना अनिवार्य है लेकिन अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने उसकी व्यवस्था की है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर जो सी. एण्ड एफ. तक, डीलर तक और कंज्युमर तक उसमें दर्ज किया जायेगा कि कौन कितनी दवाई लेकर गया और बिना प्रैसक्रिप्शन के किसी को दवाई नहीं दी जायेगी। इसका हम प्रावधान कर रहे हैं और इसका प्रावधान करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो यंग पीढ़ी है जिनको नशा नहीं मिलता वो कैमिस्ट की दुकान से जाकर गोलियां लेकर खाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित फार्मास्युटिकल दवाओं और पूर्ववर्तियों की जानकारी निर्माताओं, स्टॉकिस्टों खुदा विक्रेताओं और कैमिस्टों द्वारा "साथी" ऐप पर अपलोड की जाएगी। उनके लिए अनिवार्य होगा कि "साथी" ऐप पर अपलोड करें कि किस–किस को कौन सी प्रतिबंधित दवा दी है। इसके अलावा, यह जानकारी स्वचालित रूप से कोर ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर "हॉक" के डेटाबेस में शामिल

हो जाएगी। यह फार्मास्युटिकल दवा के निर्माण, आपूर्ति और बिक्री की, वास्तविक समय की निगरानी में मदद करेगा। इसका क्रियान्वयन जिला सोनीपत में पायलट प्रोजैक्ट के रूप में शुरू कर दिया गया है।

(सी) **जन जागरूकता :–** अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ा काम जनजागरूकता का है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि इसके नशे में न फसें। इसके लिए भी हमने एक योजना बनाई है। जन जागरूकता के लिए "धाकड़" कार्यक्रम को किशोरों और युवाओं, विशेष रूप से छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। लगभग 25 लाख छात्रों और उनसे सम्बन्धित परिवारों को कवर किया जाएगा, जो राज्य की लगभग आधी आबादी को कवर करेगा। जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक, गैर सरकारी संगठनों, संगठनों और व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। उपरोक्त के अलावा, एच.एस.एन.सी.बी. ने पूरे राज्य में शैक्षिक संस्थानों और समाज में 883 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में 3,58,390 व्यक्तियों/युवाओं ने भाग लिया और 1,10,236/– ने ई–प्रतिज्ञा ली है।

एच.एस.एन.सी.बी. ने एक डोजियर/पूछताछ फॉर्म तैयार किया है जिसमें एन. डी.पी.एस. मामलों के सभी विवरण जांच अधिकारियों द्वारा भेजे जाने हैं। इसके अलावा, वह जानकारी "हॉक" सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जा रहासी है। यह सॉफ्टवेयर एक सर्वर पर एन.डी.पी.एस. मामलों के डेटा को समेकित करने में मदद करता है, जो विशेष जिलों में आरोपी व्यक्तियों की स्वतः रिपोर्ट, जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी, दवाओं के रुझान का वर्तमान परिदृश्य आदि उत्पन्न कर सकता है।

एच.एस.एन.सी.बी. ने आम जनता के लिए टोल फ्री नं. 9050891508 स्थापित किया है। टोल फ्री नंबर शुरू करने का मकसद एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें आम जनता नशा तस्करों के खिलाफ जानकारी द सके, नशामुक्ति के लिए मदद ले सके। यह, यह भी सुनिश्चित करेगा कि सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति/सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रहे।

24.08.2018 को सभी उत्तरी राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क, सूचना सांझा करने और समन्वय के लिए एक अंतरराज्यीय एंटी–ड्रग सचिवालय राज्य अपराध शाखा, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में स्थापित किया गया है। नॉर्थ जोन की सभी स्टेटों का एक सचिवालय, ताकि हम आपस में डाटा सांझा कर सकें।

8. मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों को उपचार प्रदान करने और उनका प्रबंधन करने के लिए, सरकार 2018 में संशोधित हरियाणा नशामुक्ति नियम, 2010 के माध्यम से नशामुक्ति केन्द्रों और परामर्श केन्द्रों के काममकाज को विनियमित कर रही है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने राज्य में आज तक 132 लाइसेंस/पंजीकरण जारी किए हैं, जिसमें से 15 नशामुक्ति केन्द्र का संचालन जिला अस्पतालों में, 3 मैडीकल कालेजों में, 102 का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाया जाता है। वास्तव में नशामुक्ति केन्द्र को सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट लाईसैंस देता है। वही इसको फॉलो करता है लेकिन हमने सभी डिपार्टमैंटों से इन्फॉरमेशन कलैक्ट की है इसलिए इल 102 का संचालन गैर सरकार संगठन करते हैं। जिला रैडक्रास सोसयटी एवं जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाईसेंस प्राप्त 15 मनोरोग नर्सिंग होम भी नशामुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत है। मैं अब वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक पंजीकृत रोगियों की संख्या को

पढ़कर सुनाता हूँ। वर्ष 2015 में 44,643 पंजीकृत रोगियों की संख्या थी जोकि वर्ष 2016 में 57,995, वर्ष 2017 में 70,082, वर्ष 2018 में 1,01,599, वर्ष 2019 में 1,16,311, वर्ष 2020 में 1,08,426, वर्ष 2021 में 1,15,587 तथा वर्ष 2022 में (31 जुलाई तक) पंजीकृत रोगियों की संख्या 97,474 हो गई। यानि रोगियों की संख्या बढ़ रही है।

9. राज्य कार्य योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2019 में सरकार द्वारा मादक द्रव्यों के उपयोग की रोकथाम के लिए हरियाणा स्टेट सोसाइटी का गठन किया गया है, जो नशामुक्ति और पुनर्वास के मुद्दों को संबोधित करेगा और जागरूकता पैदा करने और क्षमता निर्माण के लिए स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय के साथ आगे समन्वय करेगा। कारागारों एवं निगरानी गृहों में नशामुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा राज्य कारागारों में अब तक 2 ऐसे केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं जो शीघ्र ही प्रारंभ किये जायेंगे। इसके साथ एक हमारे विधायक साथी का आपने क्लब कर दिया। उन्होंने इसमें फरीदाबाद की स्पेसिफिक इंफारमेशन मांगी थी।

10.(i) जिला फरीदाबाद मे मादक पदार्थ व अवैध शराब की मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए पुलिस लगातार कदम उठा रही है। फरीदाबाद में वर्ष 2022 में आबकारी अधिनियम के तहत अब तक दर्ज 732 मामलों में कुल 753 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 20374.50 बोतल वैध शराब, 80 लीटर अवैध शराब, 9545.50 बोतल अंग्रेजी शराब और 4512 बोतल बीयर की बरामदगी की गई है। वर्ष 2022 के दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत कुल 221 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 240 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1.2 किलो चरस, 556 ग्राम स्मैक, 362 किलो गांजा, 7.55 किलो चूरा पोस्त और 576 किलो भांग की जब्ती की गई है। मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के संबंध में कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

(ii) मछली मंडी थाना मुजेसर, फरीदाबाद में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को लेकर भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2022 में अब तक आबकारी अधिनियम के

तहत 06 मामले दर्ज किए गए हैं और 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

(iii) फरीदाबाद में वर्ष 2022 में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने के 38 मामले आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गये हैं, जिसमें 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(iv) दिनांक 28.06.2021 को माननीय विधायक श्री नीरज शर्मा, एन.आई.टी. फरीदाबाद ने अपने साथियों एवं मीडियाकर्मियों के साथ एम.सी.एफ बूस्टर स्टेशन, वार्ड नंबर 06 पर छापा मारा था। इस सूचना की प्राप्ति पर थाना सारण में एक दैनिक डायरी प्रविष्टि की गई और घटना के तथ्यों का सत्यापान सहायक पुलिस आयुक्त, बड़खल, फरीदाबाद के माध्यम से किया गया, जिन्होंने पाया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।

(v) फरीदाबाद के माननीय विधायक श्री नीरज शर्मा की रिहायश मकान नम्बर 1623, मेन रोड, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद है और उनके मोहल्ले में अवैध शराब की बिक्री की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है। हालांकि इस संबंध में लगातार निगरानी की जा रही है। डबुआ सब्जी मंडी के संबंध में भी क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त व निगरानी की जा रही है ताकि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध शराब की बिक्री व शराब पीने की घटनाओं को रोका जा सके।

11. राज्य सरकार अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी ऊंचा या शक्तिशाली हो, को बख्शने के लिए तैयार नहीं है और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी।

.....

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनंदन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज श्री नरेश शर्मा, पूर्व विधायक वी.आई.पी. दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटालाः स्पीकर सर, मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया है कि सरकार ने नशे की समस्या पर रोक लगाने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो बनाया है। यह जवाब नहीं झूठ का पुलिंदा है और इसी कारण मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। स्पीकर सर, यह भी एक सच बात है कि जवाब अच्छा हो तो उसका स्वागत भी किया जाता है। जैसा कि मंत्री जी ने जोर लगाकर कहा कि उन्होंने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो बनाया है और इसलिए बनाया है ताकि पुलिस विभाग पर ज्यादा लोड न रहे, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इस ब्यूरो में जिसको हैड बनाया गया है, वह ए.डी.जी.पी. रैंक का आफिसर है और उसके पास इस तरह से दो चार्ज हो जायेंगे। एक तो वह अम्बाला रेंज के आई.जी. का चार्ज संभालेगा और दूसरा नारकोटिक्स ब्यूरो के हैड का काम संभालेगा तो ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठेगा कि वह अपने अंबाला रेंज को संभालेंगे या फिर इस डिपार्टमैंट को देखने का काम करेंगे। यही नहीं इस ब्यूरो के अंदर अलग–अलग 380 पद रखे गए हैं और कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक की जिम्मेवारियां लगाई गई हैं लेकिन इन पदों में से भी 178 पद खाली पड़े हुए हैं जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है ? अगर सरकार सीरियस होती तो वर्ष 2019 में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के अंदर सारी बातें डिटेल के साथ बताई गई थी कि किस तरह से नशा, हरियाणा प्रदेश के अंदर पांव पसार रहा है। विशेष रूप से

सिरसा, फतेहाबाद, हिसार तथा गुड़गांव इन जिलों का मैंने जिक्र भी किया था और एक एक बात का विवरण दिया था कि कहां–कहां और कौन–कौन से लोग नशे के व्यापार में शामिल हैं तथा उनको किसका प्रोटेक्शन है। कोन लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे है। इसके बावजूद केवल मात्र एक 4–5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक पंचकुला जिले में करवाई गई जिसका अभी सदन में जिक्र भी किया गया। इन 4–5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करके, पंचकुला में एक आफिस भी बना दिया गया। आफिस बनाने के बाद सरकार की नशे की समस्या के प्रति सीरियसनेस इसी बात से साफ जाहिर हो जाती है कि जिस अधिकारी को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसको रेंज का भी आई.जी. लगाया हुआ है। आई.जी. रेंज के अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उसके पास 4–5 जिले होते हैं और उसके साथ–साथ जो पद सरकार ने इस ब्यूरो में रखे हैं उनमें भी 178 पद खाली पड़े हुए हैं। यह सरकार की तरफ से खुद की दी हुई जानकारी है। मैंने जो वर्ष 2019 में नशे की समस्या के उपर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसका जवाब आज तक नहीं मिला है। सरकार की सीरियसनेस पर इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह और दूसरा कौन सा हो सकता है। सदन में इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और यहां बड़े विस्तार के साथ बताया गया था कि किन–किन जिलों में किस तरह से नशे की तस्करी की जाती है और यहां सदन में आश्वासन दिया गया था कि सरकार इसके उपर रोक लगाने का काम करेगी लेकिन रोक लगाने की बजाय नशा और ज्यादा बढ़ा है। अभी मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने इस बात को माना भी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नशे की रोकथाम करने की बजाय इसको बढ़ाने का ही काम किया है। सिरसा जिले में नशे की ओवरडोज से अनेक लोगों की मृत्यु हुई हैं । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि नशे की ओवरडोज से किस स्थान पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है यह उनकी जानकारी में नहीं है । पोस्टमार्टम के माध्यम से जिनके बारे में पता चला है

कि उनकी मृत्यु नशे की ओवरडोज से हुई है ऐसे 33 लोग तो अकेले सिरसा जिले के हैं । 18 से 30 साल के ऐसे बहुत–से बच्चे हैं जो नशे की ओवरडोज से अकाल मृत्यु के शिकार हो गये और उनके परिवार ने उनका पोस्टमार्टम बदनामी के डर की वजह से नहीं करवाया । अकेले सिरसा जिले के सैकड़ों बच्चे नशे की ओवरडोज से मरे हैं । अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे माननीय मंत्री जी ने भी माना है कि सिरसा और हिसार जिलों के सिविल अस्पताल के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार सरकारी नशा मुक्ति केन्द्रों में लगभग 85 प्रतिशत युवाओं के नाम दर्ज हैं । यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि सिरसा और हिसार जिलों के सिविल अस्पताल के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार 95,863 लोगों ने ओ.पी.डी. का दौरा किया है । ये आंकड़ें तो केवल 2 ही जिलों के हैं ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, क्या ओ.पी.डी. का यह आंकड़ा केवल नशे से संबंधित है?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ओ.पी.डी. का यह आंकड़ा केवल नशे से संबंधित है । यह आंकड़ा केवल सिरसा और हिसार जिलों के सरकारी नशा मुक्ति केन्द्रों का है । इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिरसा और हिसार जिलों के सरकारी अस्पतालों में भी 28,283 का आंकड़ा तो अकेले महिलाओं का है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आप चाहें तो विभाग से जानकारी भी ले सकते हैं क्योंकि यह रिकॉर्ड की बात है । इस आंकड़े में से 2,765 लोग तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं । इसके अलावा सिविल अस्पताल, सिरसा के डॉक्टरों के अनुसार नशे के इलाज के लिए आने वाले 10 मरीजों में 5 मरीज तो महिलाएं होती हैं । अतः नशा केवल युवाओं और व्यक्तियों में ही नहीं बल्कि महिलाओं और कॉलेज में जाने वाली लड़कियों में भी पहुंच चुका है । इसी कारण वे इसका कारोबार भी कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, इस पर डिबेट नहीं होगी, इसलिए आप प्रश्न पूछिये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें सदन में बताई हैं मैं उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं कि इन्होंने बहुत–सी बातें सदन से क्यों छिपाई हैं ? इसके अलावा सरकार द्वारा यह नहीं बताया गया कि नशे की ओवरडोज से किस जिले में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? सदन में घुमा–फिराकर जवाब दिया गया है । सरकार ने जिला प्रशासन से यह जानकारी नहीं ली कि किस जिले में कितने लोगों के पोस्टमार्टम हुए और कितने नवयुवक नशे की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए । इसके अलावा जवाब में यह भी नहीं बताया गया कि हरियाणा सरकार के नार्कोटिक्स विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? अतः रिप्लाई में इसका भी ब्यौरा नहीं दिया गया । माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई में सिर्फ यही बताया है कि सम्पति जब्त की है। यमुनानगर में पिछले 2 साल से प्रतिबंधित एफेड्रिन ड्रग्स बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में रिप्लाई में कोई जिक्र नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह नहीं बताया कि संबंधित फैक्ट्री का मालिक कौन है और उसके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ? अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी को विस्तार से बताऊंगा कि संबंधित फैक्ट्री किसकी है, कितने सालों से चल रही है और कौन से कैमिकल से दवाइयां बनायी जाती हैं ? इस फैक्ट्री में दवाइयां बनाने के बाद उनको दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर आदि शहरों में भेजा जाता है। यहां पर लोग उन दवाइयों का इस्तेमाल रेव पार्टी में करते हैं। मेरे पास इस संबंध में पूरी डिटेल है और मैं उसको सदन के पटल पर भी रख दूंगा। मैंने बढ़ते हुए नशे के कारोबार के संबंध में वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, लेकिन सरकार ने मुझे आज तक उसकी जानकारी नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मुझे आज तक वर्ष 2019 में लिखे हुए पत्र का जवाब नहीं मिला है। इस बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि मैंने तो आपके

पत्र का जवाब दे दिया था, लेकिन मेरे पास आपकी तरफ से संबंधित पत्र का कोई ऑफिशियल आंसर नहीं आया है। अभी सरकार द्वारा जो रिप्लाई दिया गया है, उससे लगता है कि सरकार प्रदेश में बढते हुए नशे को रोकने के प्रति गम्भीर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यमुनानगर की संबंधित इन्डस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। यमुनानगर जिले के रादौर ब्लॉक के बापौली गांव में श्री मुरलीधर इन्डस्ट्रीज में प्लास्टिक पैंट में मिलाने के लिए क्लोरिनेटिड पैराफिन वैक्स व प्लास्टिसाइजर कैमिकल तैयार करने की अनुमति प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से ली गयी थी। यह अनुमति 23 अक्टूबर, 2020 को 10 सालों के लिए दी गयी थी। लेकिन इस फैक्ट्री में प्रतिबंधित एफेड्रिन नामक ड्रग्स बनायी जा रही थी जिसको दिल्ली और बॉम्बे इत्यादि जगहों पर रेव पार्टियों में नशे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें लगभग 133 करोड़ रुपये कीमत की 661.75 किलोग्राम एफेड्रिन तथा 5,200 किलोग्राम ड्रग्स बनाने का कच्चा माल पकड़ा गया है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार की नाक के नीचे प्रतिबंधित ड्रग्स का धंधा पिछले 2 सालों से चलता रहा। सरकार गहरी नींद में सोयी रही और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा रोहतक जिले के टिटौली गांव में नकली जहरीली शराब बनाने के अवैध धंधे का खुलासा हुआ था। यहां पर ब्रांडिड शराब की खाली बोतलें ढक्कन सहित जुटाकर नकली शराब भरी जाती है। यहां पर नकली शराब से भरी 1481 बोतलों का कैमिकल भी बरामद हुआ, लेकिन इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसके अलावा मेरे पास इस संबंध में सरकार की रिपोर्ट भी है। इसमें हरियाणा स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संबंधित आंकड़ें जारी किये हैं। हरियाणा स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया है कि पिछले 3 सालों में कितना गांझा पकड़ा गया है, कितनी अफीम पकड़ी गयी है, कितनी हिरोइन पकड़ी गयी है, कितनी प्रतिबंधित दवाइयां पकड़ी गयी हैं और कितना पोपी हस्क पकड़ा गया है ? यह जो टोटल माल

पकड़ा गया है, इसमें पिछले तीन सालों (वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2021) में कोई कमी नहीं आयी है। यानी यह आंकड़ा हर साल बढता गया है। इस संबंध में सरकार के पास भी आंकड़ें होंगे और अगर आंकड़ें नहीं हैं तो मैं इसके बारे में पढकर बता देता हूं कि इसमें कब– कब कितनी बढोतरी हुई है ? वर्ष 2019 में हरियाणा प्रदेश में 5,294 किलोग्राम गांझा पकड़ा गया था जोकि अगले साल 9,086 किलोग्राम पकड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि इसमें वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2020 में 1 साल के अन्दर डबल बढोतरी हुई है। इसके बाद यह वर्ष 2021 में 11,478 किलोग्राम पकड़ा गया है। इस प्रकार इसमें बढोतरी ही हुई है।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, यह तो पकड़ने में ही डबल हुआ है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यह डबल बढोतरी गांझा पकड़ने में हुई है। सरकार यह बताए कि इसको रोकने में कंट्रोल कहां हुआ है ? इसका मतलब यह है कि हरियाणा प्रदेश में इसकी सप्लाई बढ़ गयी है। इसकी सप्लाई बढने के कारण ही थोड़ा– बहुत माल पकड़ा गया है। यह माल पता नहीं कितना बिका है, उसका विवरण तो आगे बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा प्रदेश में ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से मौत का आंकड़ा भी बढा है। इसके बारे में भी सरकार ने रिप्लाई में बताया है। सरकार एक तरफ तो तथ्यों को छुपा रही है और दूसरी तरफ रिप्लाई देकर बता भी रही है। सरकार ने रिप्लाई में बताया है कि प्रदेश में अब तक वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2022 तक कुल 329 मौतें हुई हैं। ये सरकारी आंकड़ें हैं। मैं ये बातें अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में भी हरियाणा प्रदेश के बारे में चौंकाने वाले तथ्य हैं। उसके आंकड़े भेज देता हूं उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक सिरसा जिला के सिविल अस्पताल की ओ.पी.डी. के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पास हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के सिविल अस्पतालों की ओ.पी.डी. की लिस्ट है

लेकिन केवल एक सिरसा जिला ऐसा है जो नशे की चपेट में सबसे ज्यादा आया है इसलिए मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि सिरसा जिले में वर्ष 2017 में 5780 ओ.पी.डी. थी। वर्ष 2018 में बढ़कर 18780 ओ.पी.डी. हो गई। वर्ष 2019 में बढ़कर 30148 ओ.पी.डी. हो गई। वर्ष 2020 में बढ़कर 42136 ओ.पी.डी. हो गई। वर्ष 2022 में क्योंकि अभी इस साल का जुलाई महीना चल रहा है इसमें भी बढ़कर 54863 ओ. पी.डी. हो गई। इनमें डबवाली, ऐलनाबाद, कालांवाली और चौटाला के अस्पताल भी शामिल हैं। ऐसे बहुत सारे प्राईवेट अस्पताल सिरसा जिला में हैं, जो नशे छुड़वाने का काम करते है। अगर एक जिले की ऐवरज निकालकर देखें तो एक महीने में 1 लाख से ज्यादा लोग ओ.पी.डी. के लिए आते हैं। हरियाणा प्रदेश में 22 जिले हैं और 22 जिलों में अगर इसी तरह के हालात हैं तो फिर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संख्या 22 लाख के करीब होती है। हमारे प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा युवा हैं। अगर इसकी ऐवरेज आप निकालकर देखेंगे कि हमारे 20 परसैंट युवा आज भी इस नशे की चपेट में है। इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार जहां पर इस नशे को कंट्रोल करने की बात कहती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चौटाला साहब को कहना चाहूंगा कि अब इनको बोलते हुए काफी समय हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अब ये मेरी बात सुनने में दुखी क्यों हो रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः चौटाला साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को ठीक बात बता रहा हूं लेकिन माननीय मंत्री जी मेरी बातों को सुनकर दुखी होने लग जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आपने अपनी पूरी बात डिटेल में बता दी है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि मेरे अलावा और भी माननीय सदस्य इससे संबंधित क्वैश्चंज पूछेंगे तो माननीय मंत्री जी इन सबका जवाब इक्ट्ठे ही दे देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मैं पहले आपकी बात का जवाब दे देता हूं बाद में जो दूसरे माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रखेंगे, उनको मैं बाद में जवाब दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : मंत्री जी, आप सबका जवाब इक्ट्ठे ही दे देना अगर आप एक–एक माननीय सदस्य का जवाब देंगे तो आपको मुश्किल हो जायेगी इसलिए प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप माननीय मंत्री जी को बैठने के लिए नहीं कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी से दोस्ती है और हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वे मेरी बात को मान जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आप अपनी दोस्ती इस सदन से बाहर निभाने का काम करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मंत्री जी से दोस्ती पुरानी है और आपके यहां आने से पहले की हमारी दोनों की दोस्ती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, देखिये आप मेरी बात को सुनिये। चर्चा करने की समय सीमा होती है और निश्चित तौर पर जो आपने तथ्य बतायें हैं उन तथ्यों पर आपने अपनी बात सदन में रख दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः चौटाला जी, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है और मैंने इसका जवाब भी आपको दे दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : मंत्री जी, मैंने आपका जवाब सुन लिया है और मैंने उस जवाब को पढ़ा भी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः चौटाला जी, आपने मेरे जवाब को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा इसलिए प्लीज आप अब बैठ जाईये। मैंने जिलावार अपनी रिप्लाई में जवाब दिया है कि कितने रोगी रजिस्टर्ड हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार की सारी जानकारी अपने रिकॉर्ड के अनुसार ही बताते हैं । मैं माननीय सदस्य को दोबारा से रिप्लाई में जो लिखा हुआ है वह पढ़कर सुना देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने रिपोर्ट दी है उसमें केवल एक अस्पताल के आंकड़े के बारे में बताया गया है जैसे सिरसा जिले का आंकड़ा दिया है तो वह एक अस्पताल का है। आप हमें यह बताओ की प्राईवेट अस्पताल में एक दिन में कितनी ओ.पी.डी. हुई। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे पास प्राईवेट अस्पताल की ओ.पी.डी. की भी जानकारी होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः चौटाला जी, मैं आपको पूरी स्टेट के अस्पतालों की ओ.पी.डी. के बारे में बता रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : मंत्री जी, आप हमें पूरी स्टेट के अस्पतालों की ओ.पी.डी. के बारे में बताएं ताकि हमें पता चले कि हरियाणा में कितने नौजवान इस नशे की चपेट में आने से अपनी जान गवां चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं चौटाला जी को पूरी स्टेट के अस्पतालों की ओ. पी.डी. के बारे में बताना चाहूंगा। वर्ष 2015 में पंजीकृत 44643 रोगियों की संख्या थी, वर्ष 2016 में पंजीकृत 57995 रोगियों की संख्या थी, वर्ष 2017 में पंजीकृत 70082 रोगियों की संख्या थी, वर्ष 2018 में पंजीकृत 101599 रोगियों की संख्या थी, वर्ष 2019 में पंजीकृत 116311 रोगियों की संख्या थी, वर्ष 2020 में पंजीकृत 108426 रोगियों की संख्या थी और वर्ष 2021 में पंजीकृत 115587 रोगियों की संख्या थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि ओ.पी.डी. की संख्या तो बढ़ रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः चौटाला जी, हमारी सरकार नशे को रोकने के लिए काम कर रही है तभी अस्पतालों में ओ.पी.डी. की संख्या बढ रही है। अगर हमारी सरकार नशे को रोकने के लिए काम नहीं करेगी तो ओ.पी.डी. की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। हम नशा करने वालों को पकड़ रहे हैं तभी तो पंजीकृत रोगियों की संख्या ओ.पी.डी. में बढ़ रही है। अब आप ही बताओ कि क्या हम इनको न पकड़े? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, अब आप प्लीज बैठ जायें। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इस पर डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि यह कॉलिंग अटैंशन मोशन है। आपने अपना कॉलिंग अटैंशन मोशन पढ़ दिया है और आपने इस पर अपना प्रश्न भी पूछ लिया है इसलिए अब आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब सही नहीं मिला। मैं मंत्री जी से जवाब जानना चाहूंगा, यह मेरा अधिकार है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अभय जी, यह कालिंग अटैंशन मोशन का समय है। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। आप बहस न करें प्लीज आप बैठें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार मैंने ईयर वाइज रिकवरी का भी बताया कि 2015 में हमने 1660 केस रजिस्टर्ड किये और 2369 लोगों को अरेस्ट किया। 2016 में 2033 केस रजिस्टर्ड किये और 3205 लोगों को अरेस्ट किया। 2017 में 2247 केस रजिस्टर्ड किये और 2900 लोगों को अरेस्ट किया। 2018 में 2587 केस रजिस्टर्ड किये और 3445 लोगों को अरेस्ट किया। 2019 में 2677 केस रजिस्टर्ड किये और 3865 लोगों को अरेस्ट किया तथा 2020 में 3059 केस रजिस्टर्ड किये और 4941 लोगों को अरेस्ट किया गया।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सदन से बाहर जाने का अधिकार सभी को है। हमने काम किया है तभी आंकड़े बताये जा रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य अभय जी, आप इस तरह से कमैंट न करें। आप सीमा में रहकर अपनी बात रखें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक केस में जब ब्यान पढ़ा तब कहा कि नशे का कारोबार उड़ीसा से चलकर हरियाणा तक आ गया है। हम उन्हें उड़ीसा पकड़ने तो नहीं जा सकते मगर कोई हमारे प्रदेश में आकर यह काम कर रहा है तो हम उन्हें पकड़ने का काम कर रहे हैं। जिन बाहरी राज्यों के लोगों ने प्रदेश में आकर नशे का काम किया हमने उन्हें बड़े स्तर पर पकड़ा है। बाहरी प्रदेशों के पकड़े गये लोग जो हमारे प्रदेश में आकर ड्रग्स आदि नशीली दवाओं को बेचने का काम कर रहे थे उन लोगों को गुरुग्राम से 2020 में 15, 2021 में 57 तथा 2022 में 55, फरीदाबाद से 2020 में 29, 2021 में 31 तथा 2022 में 47, पंचकूला से 2020

16:00 बजे

में 29, 2021 में 49 तथा 2022 में 43, अंबाला में 2020 में 30, यमुनानगर में 2020 में 25 तथा 2021 में 29, कुरुक्षेत्र में 2020 में 35 तथा 2021 में 22, कैथल में वर्ष 2020 में 45 और वर्ष 2021 में भी 45, पानीपत में वर्ष 2020 में 30 और वर्ष 2021 में 32, करनाल में वर्ष 2020 में 19 और वर्ष 2021 में 45, रोहतक में वर्ष 2020 में 16 और वर्ष 2021 में 22, झज्जर में वर्ष 2020 में 02 और वर्ष 2021 में 25, सोनीपत में वर्ष 2020 में 21 और वर्ष 2021 में 19, दादरी में वर्ष 2020 में 04 और वर्ष 2021 में 06, भिवानी में करनाल में वर्ष 2020 में 07 और वर्ष 2021 में 03, हिसार में वर्ष 2020 में 32 और वर्ष 2021 में 26, जीन्द में वर्ष 2020 में 14 और वर्ष 2021 में 29, हांसी में वर्ष 2020 में 07 और वर्ष 2021 में 03, फतेहाबाद में वर्ष 2020 में 93 और वर्ष 2021 में 50, सिरसा में वर्ष 2020 में 220 और वर्ष 2021 में 129, रिवाड़ी में वर्ष 2020 में 11 और वर्ष 2021 में 06, नूंह में वर्ष 2020 में 09 और वर्ष 2021 में 02, पलवल में वर्ष 2020 में 13 और वर्ष 2021 में 11, नारनौल में वर्ष 2020 में 03 और वर्ष 2021 में 12, जी.आर.पी. ने वर्ष 2020 में पकड़े 11 और वर्ष 2021 में पकड़े 15 और एस.टी.एफ. ने वर्ष 2020 में पकड़े 67 और वर्ष 2021 में पकड़े 18 केस। सन, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह नशे का मामला तो है। मैंने भी इससे इनकार नहीं किया। इसकी रोकथाम के लिए हमने सैट–अप भी बनाया है। मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूं कि हमने एन.सी.बी. बनाई है। इसके अलावा हम नशे की रोकथाम के लिए ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक की कमेटियां बना रहे हैं। उसमें हम सभी लोगों को रख रहे हैं ताकि हमें सारी की सारी इनफर्मेशन प्राप्त हो सके। हमने ऐप्स बनाये हैं। हमने सॉफ्टवेयर बनाये हैं और इसके साथ–साथ लगतार हमारी पुलिस इस दिशा में काम कर रही है और मैंने इससे सम्बंधित डाटा और आंकड़ों की पूरी जानकारी सदन में दी है कि हर साल इसमें इम्प्रूवमैंट हो रही है। नशों पर पूर्ण रोकथाम लगाने की दिशा में हम सुधार की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं इस मामले में एक छोटा सा सुझाव मंत्री जी को दो चाहूंगा। मेरा इस मामले में यह सुझाव है कि आपके विभाग में स्टॉफ की बड़ी भारी कमी है सबसे पहले तो स्टॉफ की कमी को दूर किया जाये। इसके अलावा इस मामले में आप एक काम और यह करें कि नशे पर रोकथाम के लिए आप सख्त से सख्त कानून बनायें। ये जितना भी चिट्टे वाला, नशे की गोलियां वाला या सिंथैटिक नशा है इसमें किसी भी आदमी को जब पुलिस पकड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा वह व्यक्ति तीन से चार दिन ही जेल की सलाखों के पीछे रहता है। उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है। एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान है। उसमें अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कम से कम उसको दो या तीन साल की जेल में रहने के बाद कहीं जाकर के जमानत मिलती है इसलिए मेरा एक बार पुनः आपको यही कहना है कि आप हरियाणा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए सख्त से सख्त कानून बनायें। कानून बनाने के साथ–साथ चिट्टा पीने वाले को या गोली खाने वाले को पकड़ने की बजाय चिट्टा बेचने वाले को पकड़ो ताकि नशे के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सके।

श्री अनिज विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने यह सुझाव दिया है। हम इस पर विचार भी करेंगे कि अगर इस कानून को और सख्त किया जा सकता है तो हम इस कानून को और सख्त करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा स्टॉफ की शॉर्टेज की बात की गई है। यह मैं भी मानता हूं कि हमारे पास स्टॉफ की शार्टेज तो है। ओवरऑल पुलिस में स्टॉफ की शॉर्टेज है। मैं कुछ समय पहले मधुबन गया था। वहां पर भी यह बात उठाई गई थी कि हमारे पास स्टॉफ की शार्टेज है। मैंने उनको यह कहा कि जहां हो वहीं से काम करना शुरू करो। Those who wait for favourable chances to come, wait forever. You should it. मेरा यही कहना है कि जहां पर हो वहीं से

शुरू करो। चीजें आती जायेंगी आप आगे बढ़ते जाईए। I went in Madhuban और मैंने सारों को कहा कि आप पूरे हौंसले के साथ काम करिये। ठीक है हमारे पास कुछ चीजें कम हो सकती हैं। हमारे पास आदमी कम हो सकते हैं और साधन भी कम हो सकते हैं लेकिन हमारा हौंसला कम नहीं हो सकता। हम हौंसले के साथ नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इसके लिए सख्त कानून बनाएं ताकि लोग इस तरह की जुर्रत न कर सकें।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। मैं माननीय सदस्या को इतना ही कहना चाहूंगा कि हम इसको स्टडी करेंगे because everything is not under my control अगर सबकुछ मेरे बस में हुआ तो मैं इतना सख्त कानून बनाऊंगा कि कोई नशे के पास से भी नहीं निकलेगा। मैं इसका पक्षधर हूं और इसीलिए मैंने एन.सी.बी. बनाई है। श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जिन दिक्कतों की तरफ संकेत किया है वे दिक्कतें हैं, मैं मानता हूं। हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने काम रोका नहीं है। हम काम कर रहे हैं और मैंने काम की प्रोग्रैस सदन के समक्ष रखी है। मैंने सभी एस.पीज. को आदेश दे रखे हैं कि वे हर हफ्ते अपनी प्रोग्रैस रिपोर्ट मुझे भेजें कि उन्होंने कितनी स्मैक पकड़ी, कितनी अफीम पकड़ी तथा कितनी शराब पकड़ी है। जब मुझे पता चलता है कि किसी एस.पी. ने इस हफ्ते रिपोर्ट नहीं भेजी है तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन काल करता हूं।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि समस्या जताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्षः अमित जी, जो बातें पहले हो चुकी हैं उसके अलावा अगर कोई बात है तो वह आप पूछ सकते हैं।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ओढां आये थे तो उन्होंने स्वयं माना था कि समस्या है। जहां तक इस समस्या की गम्भीरता की बात है तो मैं इसी महीने की कुछ प्रैस कटिंग दिखाना चाहूंगा। एक अखबार में लिखा है कि तीन दिन में दो युवकों की मौत, ग्रामीण बोले नशा कर रहा है बर्बाद। एक अखबार में यह खबर छपी है कि गांव मसीता, डबवाली तथा गंगा के बाद सावंत खेड़ा में नशे की ओवरडोज के कारण युवक की मौत। ये एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर 4 मौतें हुई थी। एक अखबार में लिखा हुआ है कि हर दस मिनट में लगता है एक नशे का इंजैक्शन। इस प्रकार से ये कुछ प्रैस कटिंग हैं मैं इनको सदन के पटल पर रख दूंगा। श्री अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत से आंकड़े सदन के समक्ष रखे हैं इसके अलावा मैं एक आंकड़ा और रखना चाहूंगा जिस पर अभी चर्चा भी हो रही थी। सिरसा का जो ड्रग डि–एडिक्शन सैंटर है उसमें वर्ष 2015 में लगभग 1919 केस रजिस्टर हुए थे। वर्ष 2018 में उनमें 866 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो कर 18550 केस हो गये। इसी प्रकार से वर्ष 2019 में बढ़कर 28280 केस हो गये। इस वर्ष जुलाई तक के 7 महीनों में 16550 केस आ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर ओ.पी.डी. तथा आई.पी.डी. की बात की जाये तो सिरसा में 12 प्राइवेट डी–एडिक्शन सैंटर हैं वहां भी स्थिति इसी प्रकार की है। जहां तक गम्भीरता की बात है तो यह आंकड़ों में तो सिर्फ एक अंश मात्र है। हम वहां पर औपचारिक रूप से जाते रहते हैं तथा आप अखबारों में देख लीजिए या पत्रकारों से पूछ लीजिए, डबवाली हल्के या सिरसा के आसपास हर हफ्ते में एक या दो मौत हो रही हैं। अभी सरकार ने आई.पी.सी. की धारा 304 के तहत केस दर्ज करने की शुरूआत की है। सिरसा में जो 6 केस रजिस्टर हुए हैं उनमें से 5 केस डबवाली हल्के के हैं। इसी प्रकार से गंगा गांव की एक युवती की

भी ओवरडोज के कारण मृत्यु हुई है। उसके ऊपर भी उस हिसाब से मैं मानना चाहता हूं कि एच.आई.वी. जैसी बीमारी को समझने की भी बहुत जरूरत है। जो ये इंजैक्शंज लगाए जा रहे हैं उनसे एच.आई.वी. जैसी बीमारी का एक कुचक्र फैलता जा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि नशा अपने आप में एकांत में काम नहीं करता है। नशे को कोई ऐसा एन्वायरमैंट चाहिए, एक ऐसा सहायक वातावरण चाहिए जिसके अन्दर वह फलता–फूलता है। मैं मानता हूं कि सही मायने में नशे का मुख्य कारण बेरोजगारी व निराशा है जिसका सबसे बड़ा परिणाम कहीं न कहीं अपराध है। आप सभी ने कहावत सुनी होगी कि 'खाली दिमाग शैतान का घर।' अगर जेब खाली होगी, हाथ खाली होंगे और दिमाग पर निराशा का पर्दा होगा तो उसके खाली हाथ नशे का इंजैक्शन पकड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कल दो दिन तक यहां लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा हुई। लॉ एण्ड ऑर्डर में यह कहा गया है कि इस तरह की प्रवृति के लोग बेखोफ घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने की आवश्यकता है कि जिसकी रगों के अन्दर चिट्टे का नशा घूम रहा होगा/दौड़ रहा होगा तो उसके अन्दर ठीक और गलत की सुद्ध नहीं रहती। सही मायने में उसको न वर्दी का खोप होगा और न उसके ऊपर कानून का खोप होगा तो वह अपराध करेगा। 26.11.2021 को जो आतंकवादी मुम्बई में आए क्या आप मानते हैं कि उनमें इतना जिगरा था कि वे पूरे देश को हिलाकर रख देते। वे भी एल.एस.डी. और कोकिन के नशे के अन्दर थे। इसी तरह का माहोल आज हमारे यहां पर है जिससे युवा आज सड़कों पर आतंक मचाने के लिए उतरा हुआ है। मैं तो यह कहता हूं कि इसके अन्दर कहीं न कहीं नशे का बहुत बड़ा योगदान है इसलिए अगर हमें कानून व्यवस्था को दुरूस्त करना है तो नशे को रोकने की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा डबवाली और सिरसा जिला राजस्थान और पंजाब से सटा हुआ है इसलिए हम प्रशासनिक रूप से सशक्त हों ताकि कंजूमर, डीलर और मिडल मैन के नैटवर्क को तोड़ा जाए। इसके लिए मैं

मुख्यमंत्री जी से भी मिला था और मैंने सदन में भी इसकी मांग उठाई थी कि डबवाली को पुलिस जिला बनाया जाए लेकिन वह नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले ड्रग्स एडिक्शन की मांग उठाई थी कि डबवाली में ड्रग्स एडिक्शन सैंटर बनाया जाए लेकिन वह भी नहीं हुआ। मैंने युवाओं को खेलकूद के लिए प्रेरित करने के लिए खेल की व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए कहा था लेकिन वह भी नहीं हुआ। मैंने कृषि आधारित रोजगारों को स्थापित करने के लिए प्रोसैसिंग यूनिट लगाने के लिए कहा था लेकिन वह भी नहीं हुआ। इनके न होने का क्या करण है वह मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह बात जरूर कह सकता हूं कि हमें अपनी सोच में बदलाव करना होगा। चाहे आज मैं डबवाली से कांग्रेस का विधायक जरूर हूं लेकिन मैं जो मांग उठा रहा हूं वह सभी के लिए उठा रहा हूं। मैं केवल अपने लिए मांग नहीं उठा रहा हूं इसलिए बदलाव करना जरूरी है। मैं यहां खासतौर पर सत्ता पक्ष के सदस्यों से सुनता हूं कि हमारे कार्यकर्ता बखूबी पूरे तरीके से इलैक्शन मोड में रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम जो राष्ट्रवाद का झंडा लहरा रहे हैं, राष्ट्रवाद सही मायने में वह राष्ट्रवाद होगा जब हम इस नशे को जड़ से निकालकर युवाओं को बचाने का काम करेंगे। मैं आपके कार्यकर्ताओं के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप उनको राष्ट्रवाद के लिए इलैक्शन मोड से हटाकर सही मायने में संजीवनी मोड पर लेकर आइये। उनको घर–घर पहुंचाइये और उनको कहें कि इस नशे को दूर करने की जिम्मेवारी आप लागों की है। चाहे वह स्वयं सेवक हो और चाहे वह आपका कार्यकर्ता हो उनकी जिम्मेवारी लगाने का काम आपका होना चाहिए।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बखूबी कर रहे हैं। 'सेवा ही संगठन है' ये हमारा ऑर्गनाईजेशन है। हमने इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन करवाई, इतनी ज्यादा सेवाओं में खून देने का काम किया, टैस्ट कराने का काम किया। इस प्रकार से दुनिया भर के

सेवा के काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। यह हमें माननीय सदस्य से सीखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस नशे को प्रदेश से खत्म कर दें उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। हम यहां पर हमेशा कहते हैं और जिसका एक नारा भी दिया था कि 'न खाएंगे, न खाने देंगे।' उसका मतलब मैं नहीं जानता। मैं तो सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इस नारे को सार्थक कर दीजिए कि 'न लगाएंगे, न लगाने देंगे।' जो नशे के इंजैक्शन लगाए जा रहे हैं उसके लिए आप इस नारे को सार्थक कर दीजिए। उसके लिए सबसे पहले मैं यहां खड़ा होकर आपकी तारीफ करूंगा। अगर आप सही मायने में इस नारे को सार्थक करने में कामयाब हुए तो पुरानी सारी भूलचूक माफ। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से केवल दो ही प्रश्न करना चाहता हूं कि मैंने आपको जो आंकड़े दिये हैं वह चाहे ज्यादा हों, चाहे कम हों। उन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 के बाद नशे के पेसेंट तीन गुणा बढ़े हैं। उस समय सिरसा में 1919 नशे के पेसेंट्स थे और आज की तारीख में 28–30 हजार के आस–पास पेसेंट्स आ गये हैं। अगर वहां पर नशे के इतने पेसेंट्स बढ़े हैं तो हम पूछना चाहेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि नशे के इतने पेसेंट्स बढ़ गये। क्या कभी आपने इसकी छानबीन करने का काम किया है। इसमें मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि सात–आठ सालों में ऐसा क्या हुआ कि हमारे प्रदेश में इतना ज्यादा नशा बढ़ गया है। आखिर में मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा। हमारे पास हर चीज की तारीख है। हमारे पास तारीख है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जायेगी। हमारे पास तारीख है कि वर्ष 2022 तक हर घर में नल से जल होगा। एक तारीख और बता दी जाये कि इस

हरियाणा के युवाओं के उपर से नशे का जो काला साया है, वह कब तक हटेगा। यह तारीख भी आज सदन में बता दी जाये।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, अभी अमित सिहाग जी ने कहा कि वह तारीख बता दी जाये जिस दिन हरियाणा के युवाओं के उपर से नशे का काला साया हट जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हम सब हाथ मिलाकर साथ चलेंगे तथा जिस प्रकार से हमने ग्राउंड लैवल से लेकर स्टेट लैवल तक का नशे को रोकने के लिए जो एक ढ़ांचा तैयार किया है, मिलकर इस ढ़ांचे के साथ चलेंगे उस दिन यह नशा हरियाणा से भाग जायेगा। Forget everything. जो मैंने बताया है कि मिलकर और हाथ मिलाकर चलेंगे अर्थात हाथ से हाथ मिलाना, उस दिन यह नशा हरियाणा से खत्म हो जायेगा।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो हम नशे के खिलाफ इस मुहिम में पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं।

श्री शीशपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में नशे जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। सरकार के मंत्री जी ने भी बहुत शानदार तरीके से अपने आंकड़े पेश किए और हमारे विपक्ष के साथियों ने भी बहुत अच्छी–अच्छी बातें बताई हैं। मैं भी इसमें एक दो बातें जरूर जोड़ना चाहूंगा। जब वर्ष 2019 का विधान सभा का चुनाव हुआ, उसके बाद पहली विधान सभा से ही इस नशे के मुद्दे पर सदन में चर्चा होती आ रही है। मैं यह नहीं कहता कि सत्ता पक्ष इस विषय पर कोई काम नहीं कर रहा था या विपक्ष सचेत नही था। दोनों सचेत थे और जब उस वक्त यह विषय आया था तब उस समय मंत्री जी ने बड़ा मजबूती से आश्वासन दिया था कि हरियाणा में नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो बच्चे नशा कर रहे हैं, उनको नशा मुक्ति केन्द्रों के द्वारा राहत देकर उन्हें बचाने का काम किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के कार्यकाल को लगभग तीन साल होने वाले हैं लेकिन स्थिति और आंकड़ों को यदि हम देखें तो जिस प्रकार मंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से ओ.पी.डी. की रेश्यो बढ़ी है, वह अपने आप में एक चिंता का विषय है। वर्ष 2018 में ओ.पी.डी. में इन पेशेंट्स की संख्या 18000 थी, वर्ष 2019 में यह संख्या 28000 हो गई और ठीक इसी प्रकार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह संख्या तो वह है जिनको घर वाले पकड़कर ओ.पी.डी. तक लाने का काम कर रहे हैं। वास्तविक आंकड़ा तो अभी दिखाया ही नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इस नशे के कारोबार में लगे हुए हैं, उनका आंकड़ा भी सरकार को देने का काम करना चाहिए। सदन में बहुत शान–ओ–शोकत के साथ बताया जा रहा था कि नशे के कारोबार से जुड़े कितने ज्यादा लोगों को पकड़ने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई कंपीटीशन नहीं है। अगर हरियाणा खेल में नम्बर–1 पर है, शिक्षा के क्षेत्र में नम्बर–1 पर है तो नशा मुक्त हरियाणा के क्षेत्र में भी हरियाणा नम्बर–1 पर आना चाहिए। आखिरकार यह आंकड़ा कैसे कम होगा। अध्यक्ष महोदय, यदि हम नशे के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे तभी जाकर इस स्थिति में सुधार हो सकता है। अभी अभय सिंह जी ने भी इस बारे में सदन में बताया है। अध्यक्ष महोदय, चिंता सिर्फ इस बात की ही नहीं है कि इसमें युवा शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, इस कारोबार में 13 से 16 साल के बीच के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, अब तो इस नशे के कारोबार में युवतियां भी शामिल हो गई हैं। अभी पीछे सिरसा के अंदर इस स्थिति से संबंधित सदन में मेरा प्रश्न संख्या–52 लगा था और इस संदर्भ में मंत्री जी ने भी अपना व्याख्यान दिया था, उस संदर्भ में यह भी बताना चाहूंगा कि मई तक की जो ओ.पी.डी. है उसमें नशा पीड़ितों की संख्या 10095 तक पहुंच गई है।

श्री अध्यक्षः शीशपाल जी, ये सारे आंकड़ें तो सदन में पहले ही बतायें जा चुके हैं। अगर आप कोई नई बात बताना चाहते हैं, तो वह बतायें ?

श्री शीश पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, फीमेल का आंकड़ा नहीं आ पाया है, मैं वह आंकड़ा बताना चाहता हूँ। इसमें से 6494 मेल का आंकड़ा है और 3601 का आंकड़ा महिलाओं का है। अध्यक्ष महोदय, आंकड़ा बहुत बड़ा है और बहुत चिंतनीय है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मंत्री जी ने दो जवाब दिए है। पहले जो लिखित जवाब था उसमें तो इन्होंने माना कि नशे की वजह से कोई मौत नहीं हुई लेकिन जो बाद में जवाब आया उसमें माना कि बहुत सी रिपोर्टें अभी तक नहीं आई हैं। अध्यक्ष महोदय, नशे के कारण मौत होने का मैं कालांवाली का एक उदाहरण देना चाहूंगा। कालांवाली में 12 जून को एक ही दिन में नशे के कारण चार मौतें हुई। इससे संदर्भित रिपोर्ट तो बाद में आयेगी लेकिन मैं स्थिति स्पष्ट करते हुए बताना चाहूंगा कि नशे से जिनकी मौत हुई, कोई झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला, कोई नहर के किनारे पड़ा हुआ मिला। इंजेक्शन की सूई मृत शरीर के हाथ में लगी हुई थी और चिट्टे का पाउडर मृत शरीर के पास पड़ा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमें और क्या प्रमाण चाहिए कि यह नशे से मौतें नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, 'नशा मुक्त भारत' के नाम से एक कैम्पेन सरकार द्वारा चलाया गया है । फेसबुक पर इसकी जीरो रेटिंग है । इसे शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं जबकि यह अभियान ठीक तरीके से ऑपरेट भी नहीं हो रहा है । अतः सरकार बच्चों को कैसे बचाएगी ? सरकार के पास बच्चों को नशे से बचाने की कौन–सी स्कीम है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, आपका समय पूरा हो गया है और आप बातों को रिपीट कर रहे हो, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री शीशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी और जरूरी बातें बतानी हैं, इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, सदन में बोलने के टाइम की एक लिमिट भी होती है । आपको प्रश्न पूछना चाहिए था लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य एक तरफ तो नियमों की बात करते हैं और दूसरी तरफ नियमों की स्वयं ही उल्लंघना करते हैं । नियम के अनुसार एक दिन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1 घण्टे का समय निश्चित होता है । इसके अलावा नियमानुसार यदि एक ही दिन के लिए 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार किया गया हो तो फिर उन दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर आधा–आधा घण्टा चर्चा होनी चाहिए । आज पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होते हुए ही 1 घण्टा 22 मिनट का समय हो चुका है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के फर्स्ट सिग्नेट्री को उसे पढ़ने का मौका दिया जाता है और उसके बाद बाकी सिग्नेट्रीज उस पर केवल अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं । वे उस पर सदन में भाषण नहीं दे सकते । इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 44 मिनट्स तक तो फर्स्ट सिग्नेट्री ही बोलते रहे और उसके बाद अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये । अतः हमें कोई सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा।

श्री शीशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी और जरूरी बातें बतानी है, इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, सदन में बोलने के टाइम की एक लिमिट भी होती है। अतः आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री मेवा सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज नशे का कारोबार गांवों में परचुन या किरयाने की दुकानों, बीड़ी–सिगरेट की रेहड़ियों, चाय की दुकानों तक फैल चुका है । इसके अलावा दवाई विक्रेता नशा करने वालो को फ्री में नशीली दवाई देकर आते हैं । इसके लिए उनको कमीशन दिया जाता है । वे जितनी ज्यादा नशीली दवाई बेचते

हैं उनको उतना ही ज्यादा कमीशन मिलता है । अतः नौबत यहां तक आ चुकी है और स्थिति गंभीर है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, आप प्रश्न पूछिये ।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मेरे हल्के के गांव संघौर में वॉलीबाल का एक टूर्नामैंट हुआ था । टूर्नामैंट के खत्म होने पर वहां पर सैकड़ों की संख्या में खाली सीरिंज पाये गए । विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, आप प्रश्न पूछिये ।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल नशे तक ही सीमित नहीं है बल्कि क्राइम से भी जुड़ा हुआ है । हमारे एरिया में जो लड़के नशा करते हैं उन्होंने वहां के किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है । वे लोग रात के समय अनेक ट्यूबवैल्ज की तारें चोरी कर लेते हैं । विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछिये ।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न पर ही आ रहा हूं । मेरा कहना है कि नशे का सारा कारोबार पुलिस के संरक्षण में हो रहा है । इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है । सरकार पिछले 8 सालों से नवयुवकों को रोजगार देने में विफल रही है । (विघ्न) पिछले दिनों सरकार ने गांवों में व्यायामशालाएं बनाई थी और उनकी चारदीवारी की थी । इनके द्वारा सरकार ने पंचायतों की 3–3, 4–4 एकड़ जमीनें खराब कर दी क्योंकि आज उनमें न तो कोई कोच है, न ग्राउंडमैन है । वहां पर आवारा लड़के बैठे–बैठे सारा दिन बीड़ी–सिगरेट, शराब पीते रहते हैं । इन पर रोकथाम लगाई जानी चाहिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि आप मुझे भी सप्लीमैंट्री पूछने के लिए समय दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अब तक 5 सिग्नेट्रीज बोल चुके हैं । अगर इस तरह से सभी सिग्नेट्रीज बोलना चाहेंगे तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा ही खत्म नहीं होगी और सत्र के अन्य काम नहीं हो पाएंगे ।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः गीता जी, इस विषय पर पहले ही 5 माननीय सदस्य अपनी बात रख चुके हैं। इस पर माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, श्री शीशपाल सिंह, श्री अमित सिहाग और श्री मेवा सिंह जी बोल चुके हैं। प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी अपनी बात रखेंगे।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जुलाई के पहले सप्ताह में माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार की चण्डीगढ में मीटिंग हुई थी और उसमें उत्तर भारत के राज्य शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में ही अपनी बात कन्कल्यूड कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, ठीक है। आप 2 मिनट में ही अपनी बात कन्कल्यूड करें।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलते समय बीच में न टोका जाए। मैं केवल 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, ठीक है। अब आप अपनी बात शुरू करें।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की बैठक हुई और उसमें खासतौर से उत्तर भारत क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हरियाणा राज्य को लेकर विशेष तौर से कहा था। हरियाणा राज्य के अन्दर भी दिल्ली और पंजाब राज्य से सटे हुए जिलों के बारे में कहा था। इनके लिए खासतौर से हिदायत देकर गये थे। वे चण्डीगढ में भी जो नशा पकड़ा गया था, उसको जलाने के लिए आये थे। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सभी राज्यों में से केवल हरियाणा राज्य को ही इंडिकेट किया है। इसका मतलब यह है कि समस्या

बहुत गम्भीर है। यह समस्या इतनी गम्भीर हो चुकी है, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आज हम अपने बच्चों को पढाने के लिए हरियाणा प्रदेश में दाखिला नहीं करवा रहे हैं बल्कि नोएडा में दाखिल करवा रहे हैं क्योंकि यहां पर दहशत है कि स्कूल/कॉलेज में नशा मिल गया तो उससे न स्कूल बचेगा, न कॉलेज बचेगा और न यूनिवर्सिटी बचेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि घटना होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि घटना तो होगी, लेकिन घटना होने के बाद उस पर क्या एक्शन लिया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए बहुत कम समय दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी जो दिशा–निर्देश दे गये, उसमें जो जिले आपको स्पैशल तौर पर बताये गये थे उनमें हमारा फरीदाबाद भी है और गुरूग्राम भी है। इनके लिए सरकार ने क्या– क्या कार्य योजना तैयार की है ? जो आपने एन.सी.बी. बनायी है, उसमें जितने भी ऑफिसर्ज कम या ज्यादा लगे हैं क्या उनको कोई स्पैशल ट्रेनिंग दिलवायी गयी है ? क्या उनको एन.आई.ए. में भेजा है, सी.बी.आई. में भेजा है या उन विदेशों में भेजा है, जहां पर नशे के ज्यादा करोबार होते हैं ? इसमें हमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम कंधे से कंधा नहीं, हाथ से हाथ नहीं बल्कि दिल से दिल मिलाकर साथ देंगे कि आप नशा रोकने के लिए आगे बढकर काम करें और हम नशा रोकने के लिए आपका बिल्कुल साथ देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें दु:ख कहां पर होता है, मंत्री जी साथ तो मांगते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मुझे अपनी बात रखने दें क्योंकि मेरा बोलने का समय निकल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने माना है कि मैं 15 दरवाजों पर गया हूं। मेरे पास पैन ड्राइव है और मैं इसको सदन के पटल पर टेबल करूंगा। अब हाउस में स्क्रीन भी लग गयी है। अध्यक्ष महोदय, आपने माना है कि मैं बुस्टर पर गया हूं और ए.सी.पी. ने कहा है कि वह कोई संघीय अपराध नहीं है। इसमें

मेरा कहना यह है कि आपको जिन 2 माननीय सदस्यों पर विश्वास हो, उनको आप यह पैन ड्राइव दे दो और वे इसको देख लेंगे।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, यह विषय नहीं है, इसलिए आप केवल विशय पर ही बोलें।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह मेरा विषय है।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। चूंकि यह विषय नहीं है, इसलिए आपकी बातें इन्कल्यूड नहीं की जाएंगी।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आप विषय से अलग बोल रहे हैं, इसलिए इनकी बात को रिकार्ड न किया जाए। माननीय मंत्री जी, अगर आप इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।

Shri Anil Vij: Speaker Sir, by giving data I will try to show the gravity of the problem in the State. I am not trying to hide anything. I have also explained the remedial steps being taken by the Government though these are in the initial stage but they will reach somewhere. I would like to request every Member that you can oppose on other issues but on this issue we should all join hands and fight against this drug menace jointly because only then we can remove it from our State. I have given every answer to every question in my reply.

.....

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(ii)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

राज्य में सेम तथा चकबंदी की समस्या से संबंधित

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा राज्य में सेम तथा भूमि की चकबंदी की समस्या से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या– 35 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। अब श्रीमती किरण चौधरी, विधायक अपनी सूचना पढ़ेंगी। इसमें मेरा एक निवेदन है कि जो सूचना लिखी है, वही पढ़नी है। इसमें बहस बिल्कुल नहीं होगी। मैं इसके लिए अलाउ नहीं करूंगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो आपने इसके अलावा भी अपनी बात रखने के लिए सबको अलाउ किया है।

श्री अध्यक्षः किरण चौधरी, इसमें मेरे से गलती हुई है और मैं उसको मानता हूं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, अब मेरा अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बात रखने का समय आया है तब आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप मुझे तो अपनी बात रखने दें और चाहे आगे के लिए अलाउ न करें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, मैंने कह दिया है कि अब किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा थोड़ा बहुत तो अलग से बोलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज तो अलाउ कर दें। अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा प्रदेश में जल भराव एवं चकबंदी की समस्या बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि इस क्षेत्र के निम्न गांवों में जल भराव की समस्या विकरालरूप धारण कर चुकी है जिससे खेतों में पानी भरा हैं। कई गांवों की हरिजन बस्तियों एवं

अन्य क्षेत्रों में काफी अरसे से पानी भरा है जिसकी निकासी नहीं की जा रही है । गांवों के नाम मीरन, ढाणी दरियापुर, संड़वा, ईश्वरवाल, बिरान, बपौड़ा (बाल्मीकि बस्ती), दिनोद, गानरपुरा, दांग कलां, दांग खुर्द, सांगवान, भुरदाना, खनक इत्यादि। यह समस्या काफी समय से लंबित है। जिन किसानों के खेतों में पानी भरा है उनकी फसलें काफी समय से बर्बाद होती आ रही है। और गांवो और बस्तियों में जहा पानी खडा है वहां पर तरह तरह की बीमारियाँ पनप रही है। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों को आर्थिक नुकसान एवं कठिन जीवन यापन करना पड़ रहा है। तोशाम विधानसभा क्षेत्र के गांव मीरन, दरियापुर, संडवा, सरल लेघा, भनाना, जुई विचली, जुई खुर्द, गोलपुर, आसलवान मरेटा इत्यादि गांव में चकबंदी अभी तक नहीं हुई जिन गांव में यह कार्य चल रहा है सम्बन्धित कर्मचारियों की भारी कमी है। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूरे सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहती है कि सरकार का जल भराव की समस्या एवं चकबंदी की समस्या को शीघ्र अति शीघ्र हल करवाए यह कार्य केवल तोशाम विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। बल्कि पूरे राज्य में यह समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। उपरोक्त दोनों समस्याओं के लिए उचित बजट का प्रावधान भी किया जाए ताकि सम्बंधित विभाग शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या का समाधान कर सकें। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि सरकार इस सम्बन्ध मे सदन में अपना वक्तव्य दे।

वक्तव्य–

उप–मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

उप-मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यंत चौटाला) श्रीमान जी, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथासमय मुआवजा दिया जाता है।

सरकार द्वारा सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, शार्ट सर्किट, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, बिजली, शीत लहर/पाला, लू, भूस्खलन, बादल फटना तथा कीट हमले इत्यादि से प्रभावित हुए किसानों को शीघ्र वित्तीय सहायता के रूप में राहत प्रदान की जाती है। भारत सरकार के मानदण्डों अनुसार सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, आग, शीत लहर/पाला, भूस्खलन, बादल फटना और कीट हमले प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में **33** प्रतिशत से **100** प्रतिशत तक हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाता है जबकि राज्य सरकार के राहत मानदण्डों अनुसार

बाढ, आग, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, भारी बारिश, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में हुए नुकसान की सीमा **25** प्रतिशत से **100** प्रतिशत तक है। राज्य सरकार और भारत सरकार के मानदंडो की तुलनात्मक तालिका निम्न प्रकार से हैः-

<table>
<tr><td colspan="2">भारत सरकार के नार्मज</td><td colspan="2">हरियाणा राज्य के नार्मज</td></tr>
<tr><td colspan="2">सूखा, भूकम्प, बाढ़, आग, ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला, भूस्खलन, बादल फटना, चक्रवात, सुनामी, हिमस्खलन और कीट हमले</td><td colspan="2">बाढ़/जलभराव, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आग, भारी बारिश, ओलावृष्टि, कीट हमले तथा धूल भरी आंधी</td></tr>
<tr><td>खराबा</td><td>नार्मज</td><td>खराबा</td><td>नार्मज</td></tr>
<tr><td rowspan="8">जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो</td><td rowspan="8">6800/- रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात् 2753/-रूपये प्रति एकड बीजा हुआ असिंचित क्षेत्र और 13500/-रूपये प्रति हैक्टेयर अर्थात् 5466/- रूपये प्रति एकड बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र, न्यूनतम सहायता कम से कम 1000/- रूपये और बोए गए क्षेत्र तक सीमित</td><td>≥ 25 से > 33 तक</td><td>9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना)
7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)</td></tr>
<tr><td>≥ 33 से > 50 तक</td><td>9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना)
7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)</td></tr>
<tr><td>≥ 50 से > 75 तक</td><td>12000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना)
9000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)</td></tr>
<tr><td>≥ 75 से अधिक</td><td>15000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना)
12500/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)</td></tr>
<tr><td colspan="2">सूखा, शीत लहर/पाला, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना के केस में</td></tr>
<tr><td>खराबा</td><td>नार्मज</td></tr>
<tr><td>जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो</td><td>7000/- रूपये प्रति एकड बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र और 3500/- रूपये प्रति एकड असिंचित क्षेत्र</td></tr>
</table>

		प्रत्येक हिस्सेदार को कम से कम 500/- रूपये की सहायता तथा बोये गए क्षेत्र की शर्तो अनुसार

जल भराव तथा चकबंदी **की समस्या बारे टिप्पणी**

श्रीमान जी, उपायुक्त भिवानी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गांव मिरान, ढ़ाणी दरियापुर, सन्ड़वा, ईश्रवाल, बिरान, बपौडा, दिनोद, गानरपुरा, दांग कलां, दांग खुर्द, सागवान, भुरदाना, खनक आदि गांव में से केवल दांग कलां, दांग खुर्द, सागवान, बिरान, बापोड़ा व दिनोद के खेतों में तथा गानरपुरा व खनक की कुछ बस्ती में जल भराव है। जल भराव के कारण फसलों में खराबा तथा आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। जल भराव की समस्या बारे सिंचाई विभाग (मैकेनिकल) द्वारा पानी की निकासी के लिए प्रयास किए जा रहे है। फसलो के नुकसान का निर्धारण नियमित फसल निरिक्षण के समय किया जाएगा।

जहा तक तोशाम विधान सभा क्षेत्र के गांव मीरन, दरियापुर, सन्डवा, सरल, लेघा भनाना, जुई विचली, जुई खुर्द, गोलपुर, आसलवान मरेटा गांव का सम्बन्ध है, फील्ड रिपोर्ट के अनुसार केवल गोलपुरा, आसलवास मरहेटा की चकबन्दी हो चुकी है तथा गांव मीरन, दरियापुर, सन्डवा, सरल, लेघा भनाना, जुई विचली, जुई खुर्द में चकबन्दी का कार्य प्रगति पर है।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथासमय मुआवजा दिया जाता है। सरकार द्वारा सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, शॉर्ट सर्किट, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, बिजली, शीत लहर/पाला, लू, भूस्खलन, बादल फटना, कीट किसी भी प्रकार से फसल प्रभावित होती है तो उचित मुआवजा सरकार किसानों को देने का काम करती है। क्योंकि राज्य सरकार के राहत मानदंडों अनुसार बाढ़, आग, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, भारी बारिश, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में हुए नुकसान की सीमा 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के नुकसान का मुआवजा दिया जाता है।

पिछले विधान सभा सत्र में आंकड़े बताये गये थे जैसे कि 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक के किसान की फसल खराब होती है तो 9000 रुपये प्रति एकड़, 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के किसान की फसल खराब होती है तो 9000 रुपये प्रति एकड़, 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक के किसान की फसल खराब होती है तो 12000 रुपये प्रति एकड़ और अगर 75 प्रतिशत से अधिक की फसल खराब होती है तो 15000 रुपये प्रति एकड़ दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 33 प्रतिशत या इससे अधिक किसान की फसल सूखे की वजह से खराब होती है तो 7000 रुपये प्रति एकड़ बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र और 3500 रुपये प्रति एकड़ असिंचित क्षेत्र को मुआवजा दिया जाता है। जहां तक चकबंदी की बात है तो यह एक ऑन गोइंग प्रोसैस प्रि–इंडीपैंडेंस से पोस्ट इंडीपैंडेंस तक का है मगर मैं इसका आंकड़ा जरूर सांझा करना चाहूंगा क्योंकि माननीय सदस्या ने जिन गांवों के नाम लिये हैं। हरियाणा प्रदेश में आज के दिन 64 ही ऐसे गांव हैं जिनमें consolidation process चल रहा है। यह बात ठीक है कि एक समस्या पिछले दिनों देखने को जरूर मिली है। प्रदेश में कन्सॉलिडेशन विभाग में भर्ती पिछले दो दशकों से नहीं हुई है। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो रैग्यूलर कन्सॉलिडेशन प्रौसेस में इन्वॉल्ड थे लेकिन वे रिटायर हो गये हैं। अब सरकार ने एक प्रोविजन बनाया है कि जिन–जिन रिटायर अधिकारियों को कन्सॉलिडेशन आती है उन्हें जल्द ही कॉन्ट्रक्चुअल बेस पर पैंशन माइन्स पे के आधार पर भर्ती करके यह जिम्मेदारी दी जायेगी ताकि जो बचे हुए 64 गांव हैं उनकी चकबंदी हो सके। माननीय सदस्या ने तोशाम हल्के के गांवों के बारे में बताया। अभी यह प्राइमरी फेस है क्योंकि 5 तारीख से पूरे हरियाणा के अन्दर रैगूलर गिरदावरी शुरू हुई है। डिप्टी कमिश्नर द्वारा जैसे ही फसल खराबे की रिपोर्ट सरकार के पास आयेगी फसल बीमा योजना के जो कवर्ड किसान हैं उन लोगों को वहां कवर किया जायेगा और बाकी बचे हुए किसानों को सरकार प्रोविजन्स के तहत मुआवजा देगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा जिसमें मंत्री जी ने जो जवाब बताया उसके उल्ट सच्चाई यह है कि गांव मीरान, संडवा, ईश्रवाल, बीरण, बापौड़ा, दिनोद इनमें दिनोद गांव के बारे में पता नहीं मंत्री जी को बताया गया है या नहीं लेकिन दिनोद में फसल पूरी तरह से गुजरानी माइनर ओवरफ्लों होने के कारण खराब हो चुकी है जबकि जवाब आया है कि दिनोद गांव में फसल खराब नहीं हुई है। गानरपुरा, दांग कलां, दांग खुर्द, खानक और इनके अलावा छपार जोगीयान और बीरण में पानी अब तक खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में चरखी दादरी तथा भिवानी के भी 12–12 गांव है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, पूछना चाहूंगी कि हर साल पानी आता है और खराबा होता है जिसके कारण वहां बस्तियों में नहीं जा सकते हैं। हर साल यही कहानी बनती है। बारिश हर साल आयेगी और फिर यही हाल होंगे जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित और समय खराब होता है। इस समस्या के निदान का क्या प्रावधान किया जा रहा है यह बताया जाये। साथ ही मंत्री जी ने चकबंदी की बात कही है कि this is an ongoing process, no doubt about it. पिछले 7–8 सालों से यह प्रोसेस चल रहा है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत आहिस्ता–आहिस्ता चल रहा है। आज मैं भिवानी का हाल बताना चाहूंगी कि वहां एक तहसीलदार है वह कभी तोशाम जाता है और तोशाम जाये भी या नहीं जाये यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है जिसके कारण हालात यह हो गये कि आपस में झगड़े हो रहे हैं। जब तक कन्सॉलिडेशन पूरा नहीं होगा, चकबंदी पूरी नहीं होगी तब तक बात कैसे बनेगी। सरकार प्रोपर ऑफिसर्स को लगाकर समय सीमा के अन्दर इस काम को पूरा कराने के आदेश दें। फिर ongoing process का मतलब ही क्या हुआ। सरकार को एक समय सीमा तो ऑफिसरों को देनी चाहिए कि इतने दिनों में यह काम पूरा हो जाना चाहिए। मंत्री जी ऑफिसर्स को इस काम को पूरा करने की समय सीमा देंगे या नहीं यह मैं पूछना चाहूंगी।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया कि पानी भरने की समस्या है। इस पर मैं बताना चाहूंगा कि भिवानी में 1 जुलाई, 2022 से लेकर 7 जुलाई, 2022 तक पिछले वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत एक्स्ट्रा रेनफॉल और 15 जुलाई से 21 जुलाई तक 174 प्रतिशत एडिशनल रेनफॉल हुआ। जो जल भराव बारिश की वजह से होता है उसके लिए सरकार हर साल प्रोविजनली अरेंजमैंट Flood and Drought Committee के थ्रू रखती है। हमने पिछले साल भी 470 करोड़ रुपये एडिशनल बजट से इसके प्रोविजन में रखा था। वही कारण है कि हम इमीजेटली 22 इलैक्ट्रिकल पैम्पस माननीय सदस्या के क्षेत्र में लगा पाये। पम्पिग प्रोसिस ड्रेन्स, मैजर्स और माइनर्स को ओवरफ्लो नहीं कर सकता। क्योंकि ऑलरेडी एक इनसिडेंट घघर–हिसार ड्रेन को ज्यादा पम्पिंग की वजह से फेस कर लिया। अभी मेरे से पूर्व एक सदस्य ने वही बात रखी कि हिसार–घघर ड्रेन फतेहाबाद और सिरसा में जाकर पंक्चर हो गई जिसकी वजह से आज 5 गांव जल प्रभावित हैं तो इस तरह के रैप्रिकेशन भी आ सकते थे। लेकिन अब प्लांड तरीके से पम्पिंग हो रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस माध्यम से पानी को निकालेंगे। जहां तक माननीय सदस्या ने पूछा कि कब तक आपकी चकबंदी कम्पलीट हो जायेगी। इसको क्लीयर करने के लिए मैं उनके साथ एक लिस्ट सांझा करना चाहूंगा। मैंने पिछले वर्ष प्रदेश के सारे डिप्टी कमिशनर्ज के साथ एक मीटिंग की थी। हमारे केवल मात्र 8 ही जिलों में चकबन्दी का कार्य पैंडिंग है।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से यह कहना है कि भिवानी में तहसीलदार की नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि आज के दिन हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर्ज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। हम अपनी बड़ी–बड़ी तहसीलों में भी तहसीलदारों की पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक भिवानी का

सम्बन्ध है इस बारे में, मैं यह बताना चाहूंगा कि भिवानी में नायब तहसीलदार की चार की चार पोस्ट्स खाली थी हमने उन सभी को भरने का काम किया है। जैसे ही हमारे अण्डर ट्रेनिंग तहसीलदार ड्यूटी ज्वाईन करेंगे उनमें से मैं इमीजेटली एक को भिवानी में लगाने का काम करूंगा। दूसरी ओर हम इस बार एक चीज और करेंगे कि एडीशनल रेनफॉल के कारण इस बार जहां–जहां क्रॉप लॉसिज हुए हैं 20 से 25 अगस्त के बीच में जब भी हमें सैटेलाईज इमेजरी मिलेगी हम उस पूरे क्षेत्र का सैटेलाईज एमेजरी के तहत टैग–इन करेंगे ताकि एटलिस्ट हमें एग्जैक्ट लॉस का पता चल सके। कई बार यह होता है कि जैसे ही बारिश आई पटवारी ने तभी गिरदावरी कर दी। पहले हफ्ते में पौधा हरा होता है उसके बाद दूसरे या तीसरे हफ्ते में वह पीला पड़कर गल जाता है। बहुत बार यह देखने को मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 25 तारीख तक हम जियो टैगिंग के साथ–साथ सैटेलाईज इमेज को भी दोबारा रिकंसाईल कर लें जिससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। एक बात अमित सिहाग जी बता रहे थे कि प्राइवेट कम्पनी वाले नहीं दे पाते। इससे उसकी भी डबल चैकिंग हो जायेगी और सैटेलाईट इमेजिज के माध्यम से हम उसमें सुधार लाने का काम करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जब ये पानी को बाहर निकालते हैं तो ड्रेन्ज की बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाती है। मेरा यह कहना है कि वहां पर ड्रेन की समस्या नहीं है। यहां पर मैंने जो सारे के सारे गांवों के नाम गिनवाये हैं। तोशाम में इन गांवों के अंदर जो जोहड़ हैं वे ओवरफ्लो हो रहे हैं। वहां पर डी.सी. और एस.डी.एम. के पास बार–बार जाकर लोग गुहार लगाते हैं कि उनके वहां से पानी की निकासी नहीं हो रही है। इस पर वे हर बार यही आश्वासन देते हैं कि उनके वहां से पानी की जल्दी से जल्दी निकासी हो जायेगी। यहां से बहुत सारे पम्प्स वहां पर भेज दिये गये हैं। अध्यक्ष जी, मंत्री जी

कृपा करके यह पता करवायें कि इन गांवों के अंदर निकासी हो गई है या नहीं? जब वहां से पानी की निकासी होगी उसके बाद ही कोई बात बनेगी।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जोहड़ों के सम्बन्ध में बहुत अच्छी बात कही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारे पूरे प्रदेश में 14,000 पौण्ड्ज के जीर्णोद्वार के लिए हमने एच.आर.डी.एफ. का 800 करोड़ रूपया इस बार स्पैशली डॉयवर्ट किया है। पौण्ड्ज को दोबारा से खाली किया जायेगा। जो वहां पर क्ले आज एक तरह से टाईल का स्वरूप ले चुका है जिससे जमीन की पोर्शटविटी भी खत्म हो चुकी है उसको हम दुरूस्त करेंगे। इसके लिए हमने ऑलरेडी पूरे प्रदेश के अंदर अलग–अलग क्षेत्र में 6,000 पौंड्ज इस ऑनगोईंग प्रोसैस का पार्ट बन रहे हैं। माननीय सदस्या अगर इसे देखना चाहें तो पौंड अथॉरिटी की जो वैबसाइट है। इन 17 गांवों के पौंड्ज की भी किस–किस डेट से दोबारा डिगिंग और उसकी ब्युटिफिकेशन के साथ–साथ नई टैक्नोलॉजी की जो इम्पलीमैंटेशन है वे डेट्स उसमें अवेलेबल होंगी।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी डैमेजिज के नॉर्म्ज बताये हैं। Where the crop damage is less than 33 per cent and above, उसमें उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब डैमेज 25 परसैंट से 33 परसैंट है तो गेहूं, धान, कपास और गन्ने के लिए 9,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के तौर पर दिये जायेंगे and Rs. 7,000/- per acre for mustard and other crops. आगे कहते हैं कि 33 परसैंट से लेकर 50 परसैंट तक फसल के डैमेज होने पर भी जhey will give the same amount i.e. Rs 9,000/- per acre for wheat, paddy, cotton and sugarcance. Similarly, Rs 7,000/- acre for mustard and other crops will be given. जब फसल का खराबा ज्यादा है तो why the compensation is same.

अगर फसल का खराबा ज्यादा है तो किसान का कम्पनसेशन भी बढ़ाना चाहिए और किसान को ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या इस सदन की कई बार मैम्बर रही हैं। There used to be four categories i.e. 25 per cent to 33 per cent, 33 per cent to 50 per cent, 50 per cent to 75 per cent and above 75 per cent. In the last financial year we took a decision that, 25 परसैंट से 33 परसैंट और 33 परसैंट से 50 परसैंट को दो कैटेगिरी में न रखा जाये। वे कागजों में दो दिख रही हैं पर अब हरियाणा में 25 परसैंट से 50 परसैंट और 50 परसैंट से 75 परसैंट और 75 परसैंट से ऊपर ये तीन ही कैटेगरीज हैं और उनके अनुसार ही फसल के खराबे का मुआवजा प्रभावित किसान को दिया जाता है।

डॉ. अभय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा कंसोलिडेशन को लेकर एक सुझाव है। मेरा यह कहना है कि कंसोलिडेशन को हुए 50 साल का समय हो गया है। जो ऑफिसर्ज कंसोलिडेशन के बारे में जानकारी रखते थे वे या तो एक्सपॉयर हो गये हैं या फिर रिटायर हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम 20 से 30 ऑफिसर्ज को जो अभी एग्जिस्टिंग सरवाईव बचे हुए हैं रेवेन्ये डिपार्टमैंट उनसे अपने स्टॉफ को ट्रेनिंग दिलवाये क्योंकि कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम्ज आगे भी आती रहनी हैं। कहीं ऐसा न हो जाये कि कंसोलिडेशन के बारे में जानने वाला एक भी कर्मचारी/अधिकारी न बचे। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि पानी की पम्पिंग करते हुए ड्रेन ओवरफ्लो हो गई। क्या इस बात की जांच करवाई गई है कि ड्रेनों की सफाई करवाई गई है या नहीं क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ड्रेनों की सफाई नहीं करवाई गई है। कितनी ड्रेनों की सफाई करवाई गई है इसकी

जांच करवाई जाये क्योंकि मेरी मुख्ता जानकारी के अनुसार ड्रेनों की सफाई नहीं करवाई गई थी इसी कारण से पानी का भराव हुआ है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं। जहां पर सेलेनिटी है, जहां पर जल भराव होता है उसकी स्टडी करवाई जाये कि उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है ताकि हम उस जमीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। अभी हमारे साथी विधायक डॉ. अभय सिंह यादव जी भी कह रहे थे कि वहां पर जल भराव की समस्या है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक डॉ. अभय सिंह यादव जी ने एक बात कही है कि कंसोलिडेशन की जानकारी वाले लोग बहुत सीमित संख्या में रह गये हैं। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि आप विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो कंसोलिडेशन से संबंधित रिटायर्ड अधिकारियों से नये ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए सुझाव दे सके। इसके अलावा कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देता है तो उसको कम्पाइल करके कमेटी मुझ तक पहुंचाये तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्षः दुष्यंत जी, यह तो प्रशासनिक कार्य है इसलिए आप अपने स्तर पर ही कर लीजिए, इसके लिए विधान सभा की समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही है कि कितनी ड्रेनों की सफाई हुई है तो उसका डाटा मैं इनके कार्यालय में भिजवा दूंगा।

विधान सभा की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

लोक लेखा समिति की 83वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री वरूण चौधरी, विधायक, लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन वर्ष 2022–2023 के लिए लोक लेखा समिति की 83वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (श्री वरूण चौधरी, विधायक) : अध्यक्ष महोदय, मैं 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक क्षेत्रों एवं राज्य वित्तों पर लेखा परीक्षा की अनुपालना पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2022–2023 के लिए लोक लेखा समिति की 83वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

———

लोक लेखा समिति की 84वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री वरूण चौधरी, विधायक, लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन वर्ष 2022–2023 के लिए लोक लेखा समिति की 84वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (श्री वरूण चौधरी, विधायक) : अध्यक्ष महोदय, मैं 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2022–2023 के लिए लोक लेखा समिति की 84वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

.....

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई बधाईयां/प्रशंसा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मानसून सत्र में जो कार्यवधि तय हई थी उसी के अनुसार हम आज आखिरी दिन अपना कामकाज कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस बार के सत्र में कुछ नई चीजें शुरू हुई हैं। इस बार हमारा नैशनल ई–विधान ऐप्लीकेशन का सत्र शुरू हुआ है। मैं देख रहा था कि बहुत से विधायकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है तथा बहुत से विधायकों ने इसका उपयोग भी किया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह पहला सत्र था इसलिए इसमें कोई कमी रह गई हो तो उसको अगले सत्र में जरूर पूरा करवाया जाये तथा जो कठिनाई इस सत्र में आई हैं उनको दूर करने के लिए भी आप इस पूरी टीम को आवश्यक निर्देश भी दें। नियमों में बदलाव करके इस बार सत्र का समय प्रातः 11.00 बजे से लेकर सांय 6.00 बजे तक का जो समय बढ़ाया गया है इसका भी अनुभव अच्छा रहा है। इस बारे में जब मैंने अपनी पार्टी मीटिंग में विधायकों से चर्चा की तो बहुत से विधायकों ने इस बात को सराहा है। सुबह 11.00 बजे शुरू करते हैं और शाम को 6.00 बजे तक सत्र चलता है और बीच में एक घंटे का समय भोजनावकाश के लिए हो जाता है। इसके अलावा आपने विधान सभा की कैंटीन में जो कंट्रीब्यूट्री 100 रुपये में भोजन की व्यवस्था की है यह भी एक अच्छा प्रावधान है तथा माननीय विधायकों द्वारा इसकी भी लगातार सराहना हो रही है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है तथा उसके लिए हम उनको बधाई देने का एक प्रस्ताव पास कर चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे प्रदेश के 43 खिलाड़ी गये थे जिनमें से व्यक्तिगत स्पर्धा तथा टीम इवेंट में 29 खिलाड़ियों ने पदक हासिल करने

में अपनी भूमिका निभाई है। इनमें से एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहा है। इस प्रकार से इन 30 खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। इस संबंध में हमने विचार किया है कि 16.08.2022 को गुरूग्राम में इन सभी खिलाड़ियों के अभिनन्दन का कार्यक्रम सांय काल 5:00 बजे किया जाएगा। अपने में से भी जो लोग वहां पहुंच सकते हैं, वे पहुंचे। कल रक्षाबंधन है इसलिए मैं पूरे हाऊस को रक्षाबंधन की भी अग्रीम बधाई देना चाहूंगा। इस रक्षाबंधन के अवसर पर भी पहले की तरह ही अपनी बहनों के लिए आज दोपहर 12:00 बजे से कल दोपहर 12:00 बजे तक छोटे बच्चों व हमारी बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, इसमें मेरा एक निवेदन है कि रक्षाबंधन कल और परसों दो दिन मनाया जा रहा है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऑफिशियली तो रक्षाबंधन कल 11.08.2022 को ही घोषित है। उस नाते से जो पहले से प्रावधान है, वही हमने किया है। दिल्ली और चण्डीगढ़ की हरियाणा रोडवेज की बसों पर भी ये छूट लागू रहेगी। हम हर रोडवेज बसों में बहनों और उनके छोटे बच्चों के लिए कल पूरे दिन के लिए यात्रा फ्री करवाएंगे। ऐसा मैं निर्देश देता हूं। हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट इस समय को जरूर बढ़ा देगा। इसी के साथ मैंने एक निवेदन और करना है कि इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इसलिए इस कार्यक्रम की शुरूआत अमृत महोत्सव के नाम से की जा रही है और प्रदेश भर में पूरा वर्ष भर ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम चलेंगे, उसमें हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इस बार तीन दिन 13, 14, और 15 अगस्त को एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें हर घर झण्डा लहराने की बात का पूरे देश भर में आह्वान किया जाएगा। हम सब को भी उसमें अपनी–अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए इसलिए हम सब मिलकर इस देश के उत्सव व त्यौहार

में अपनी भूमिका निभाएंगे। तीन दिनों के सैशन में खास तौर पर जो जीरो हावर का प्रावधान बनाया गया है उसमें बहुत से विधायकों ने भाग लिया है।

.....

मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया संक्षिप्त वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, इस जीरो ऑवर में सभी विधायकों ने भाग लिया है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आज का जो रिकॉर्ड आया है उसमें चाहे पहले एक घण्टा हो और चाहे उसके बाद में भी जीरो ऑवर का समय दिया गया है उसमें 39 विधायक बोले हैं और उन्होंने अपने–अपने क्षेत्र की डिमांड के रूप में 155 बिन्दु सुझाव के रूप में और कोई समस्या के रूप में रखे हैं। वैसे तो इस सैशन में कोई उत्तर देने या बहुत चर्चा करने का विषय नहीं होता है लेकिन फिर भी जो भी विषय रखे जाते हैं उनको यहां बैठे डिपार्टमैंट के लोग नोट करते हैं और उन पर यथा संभव जो कार्यवाही करनी होती है वह वे करते हैं। फिर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं चाहे वह नीति संबंधी हैं, चाहे उसके अन्दर एक–दो स्पष्टीकरण हैं जो बीच–बीच में चर्चा में आते हैं। कई बार जो जानकारी नहीं होती है उसमें से भी चर्चा निकलती है। ऐसे कुछ विषय मैं जरूर रखना चाहूंगा। सभी के उत्तर देना तो संभव नहीं है क्योंकि सबको आज जल्दी जाना भी का है क्योंकि हुड्डा साहब भी कह रहे थे कि क्या आज चार बजे तक सदन की कार्यवाही को समाप्त कर लेंगे? इसलिए मैं भी अपनी बात को बहुत संक्षेप में और छोटे में ही रखूंगा। वैसे तो इन विषयों को लेकर पूरे मंत्रीमंडल, पूरी सरकार की जवाबदेही है। अगर कभी भी कोई भी विधायक हमारे पास आकर अपनी कोई बात रखतें हैं तो उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो वैसे भी सभी सदस्यों से मिलने में कभी कोई संकोच नहीं किया है। सप्ताह में हमने कभी दो घंटे कभी चार घंटे सभी विधायकों के मिलने का

रिजर्व समय रखा होता है। उस समय जो भी विधायक हमसे मिलने के लिए आता है हम उससे मिलते हैं क्योंकि आपस में मिल जुलकर चलने में काफी लाभ होता है और इस बार तो माहौल ही एक–दूसरे से मिल जुलकर चलने का है।

" मुझे परखना हो, तो मेरे पास चले आना।
ये यहां–वहां की खबरें, तुम्हें बदगुमां कर देंगी।"

इसलिए अच्छा यही है कि हम मिल जुलकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। एक विषय के संदर्भ में मैंने कल कहा था कि जब मैं अपना उत्तर दूंगा तो उस समय इस विषय को जरूर रखूंगा। अभी जय सिंह मामले में शामलात देह जमीन के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, यह वह विषय है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो हम सबने लगभग पढ़ ही लिया होगा, फिर भी उसके स्पष्टीकरण के लिए मैं सदन में सारी बातें बताना चाहूंगा। बहुत सी उलझनें जो इस निर्णय के कारण से हुई हैं, हम उन सब उलझनों को सुनिश्चित करने के लिए इस निर्णय का अध्ययन भी कर रहे हैं। इस निर्णय में कहा गया है अर्थात निर्णय की गाइडलाइन है कि जो भी प्रदेश सरकारें शामलात देह जमीन के संदर्भ में कोई पॉलिसी बनाना चाहे या कोई नियम व कानून बनाना चाहे तो इस फ्रेमवर्क के अंदर बना सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष और उचित तरीके से इस कानून का निर्णय लागू हो जाये इसके लिए हम पूरा अध्ययन करा रहे हैं। हमें भूमि का अवैध हस्तांतरण भी रोकना है क्योंकि एक निर्णय यह भी होगा कि जो शामलात देह जमीन है, वह जमीन अब पंचायत की जमीन होगी और किसी की व्यक्तिगत नहीं होगी लेकिन पहले से कुछ ऐसी जमीनों का प्राइवेट लोगों के नाम इंतकाल चढ़ा हुआ है। अगर हम अभी से इस बात का ध्यान नहीं करेंगे तो आगे चलकर इस जमीन की फ्रदर ट्रांजैक्शन भी ये लोग कर जायेंगे और इस प्रकार यह जमीन कभी इसके पास जायेगी और कभी उसके पास जायेगी। ऐसी अवस्था में कल यदि विवाद बढ़ेंगे तो फिर जो व्यक्ति बीच से निकल

गया है, वह कह देगा कि मेरे पास तो इस जमीन का अखित्यार नहीं है यह फलां व्यक्ति के पास चली गई है। इस संदर्भ में एक अंतरिम सूचना निकाली गई है कि ऐसी जमीनें, जिनके संदर्भ में यह विषय आया है कि ये सारी जमीनें देह–शामलात हैं या फिर जो–जो शामलात के प्रकार उसमें ड़ाले गए हैं, उन सबका एक बार इंतकाल जल्दी से जल्दी पंचायत के नाम किया जाये लेकिन हम इस जमीन को अभी ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह जो देह शामलात की जमीन है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि देह शामलात जमीन सबसे पहले प्रोराटा बेसिज पर बांटी गई थी और बहुत सारी जमीनें यूज भी नहीं हुई। इसका एक ही तरीका है कि कंसोलिडेशन एक्ट के सैक्शन–23 में सरकार अमैंडमैंट लेकर आये ताकि इन सारी चीजों का समाधान निकल सके। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इससे लोगों में आपस में झगड़े होने की नौबत आ जायेगी। इंतकाल का मतलब तो यह होगा कि समझो झगड़े छिड़ गए। तुरंत प्रभाव से इंतकाल रूकना चाहिए। म्यूटेशन अभी नहीं होनी चाहिए जब तक पूरी तरह से सारे विषय की जांच पड़ताल न हो जाये। अगर सरकार कंसोलिडेशन एक्ट में अमैंडमैंट लेकर आ रही है तो म्यूटेशन भी उसके बाद ही करना चाहिए क्योंकि जो देह शामलात जमीन अनयूज्ड रह गई थी, उस जमीन पर तो 50–60 साल से लोग बैठे हुए हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जो बात भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं, वह बात भी मैं बता रहा हूँ और इसके साथ दूसरी बात भी बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमने जो आर्डर निकाला था उसके उपर हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया है लेकिन यह आर्डर क्यों निकाला था, अब उसके बारे में बता रहा हूँ। आज मान लो देह शामलात जमीन जोकि अब पंचायत की जमीन है, की म्यूटेशन किसी के नाम हो गई और यह सिद्ध हो गया कि यह जमीन पंचायत की है लेकिन उससे पहले म्यूटेशन किसी प्राइवेट

व्यक्ति के नाम है तो ऐसी सूरत में अगर हम प्राइवेट व्यक्ति को आज ही कंट्रोल करने का काम नहीं करेंगे तो वह व्यक्ति इस जमीन को आगे बेच देगा और हमारा ऐसी अवस्था में हमारे पास कोई डाटा नहीं रहेगा इसलिए जिन जमीनों पर यह विषय संभावित रूप से लागू होने की बात है, उसको कैसे रोका जाये यह देखने वाली बात है। इसमें जो आगे सेल–परचेज की संभावना है अर्थात कुछ प्राइवेट लोग जिनकी यह जमीन भी नहीं है, वे लोग इस जमीन को बेचकर बाहर निकल जायेंगे, इस प्रकार की संभावनाओं को रोकने के लिए यह सारे प्रावधान किए जा रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जब प्रोराटा कट लगा था तब यह शामलात देह जमीन दी गई थी। अगर सरकार म्यूटेशन करा देगी तो मान लो कोई व्यक्ति इस जमीन पर पिछले 50–60 साल से बैठा हुआ है तो उन लोगों को दिक्कत आयेगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस सारे विषय को रि–एग्जामिन करने की जरूरत है। इसमें ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य संबंधित जमीन से जुड़ा एक्ट पढ़ेंगे तो पायेंगे कि इस एक्ट के मुताबिक तीन तरह की जमीनें दी गई थी। यह तीनों तरह की जमीन प्रोराटा कट लगाने के बाद भी थी। जहां तक जल्दी की बात कही जा रही है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अभी तो सरकार ने एक तरह से रोक लगाने का ही काम किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोक लगाने की बात कह रहे हैं जबकि यह काम तो शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर के पास लैटर चला गया है और यह काम शुरू हो चुका है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इंतकाल होने से मलकियत नहीं बदलती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि इंतकाल होने से मलकियन नहीं बदलती लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे लोगों में झगड़े शुरू हो जायेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, सरकार को जनता की मुश्किलें बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस विषय पर इसीलिए वक्तव्य दे रहा हूँ ताकि झगड़े न हो। मेरे विपक्ष के साथियों को मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए यदि बावजूद इसके इनकी कोई शंका रह जाती है तो ये लोग मेरे पास आ सकते हैं, मैं इनकी सारी शंका का निवारण कर दूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हमने सारा अध्ययन किया है, अगर ऐसा होगा तो लोगों को बहुत दिक्कतें आयेंगी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने भी यह सारा काम किया है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमें अध्ययन करना नहीं आता है। मुझे भी अध्ययन करना आता है लेकिन पहले सारी बातें सुन लेनी चाहिएं। तीन तरह की यह जमीन है। जो भूमि राजस्व रिकार्ड में शामलात देह दर्ज है उसकी मलकियत पंचायत की रहेगी एक

17:00 बजे

निर्णय तो यह हुआ है। दूसरा निर्णय यह हुआ है कि जो भूमि चकबन्दी के दौरान बिस्वे काटकर सामूहिक कार्यों के लिए आरक्षित की गई थी और वह भूमि बिस्वेदारों की सीलिंग सीमा से बाहर है तो उस भूमि पर पंचायत की मलकीयत रहेगी । इसी तरह से जो भूमि बिस्वेदारों की भूमि में से चकबन्दी के दौरान बिस्वे काटकर सामूहिक कार्यों के लिए सुरक्षित की गई थी और वह भूमि बिस्वेदारों की सीलिंग सीमा के भीतर है तो उस भूमि का प्रबंधन व नियंत्रण संबंधित पंयाचत के पास रहेगा । यह एक बहुत बड़ा विषय है । आज इसमें से बहुत–सी चीजें बाहर निकल गई हैं । अगर आज हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो भविष्य में इन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं

रहेगा । हमें नहीं पता कि नोटिफिकेशन एक दिन में आएगी या 6 महीने में आएगी या एक साल में आएगी और इस दौरान क्या–क्या अन्य कार्य होगा । अतः जो जमीन जहां है फिलहाल उसको भी कंट्रोल करना भी जरूरी है । म्यूटेशन का विषय कलैक्टर के हाथ में है । जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी उस दिन पटवारियों को लगाकर उसे दूसरी तरफ कर देंगे । मेरा कहना है कि म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन नहीं होती है । म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन से अलग होती है । एक्ट विशेष में जो एक्सैप्शन है उसका हमें अपने नोटिफिकेशन में प्रावधान करना पड़ेगा । इस विषय को लेकर आज भी मेरे पास कई लोग आये थे । उस विषय के संबंध में मैंने अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया है । नदी के किनारे की जमीन पानी के बहाव के बदलने के कारण नदी में चली जाती है । उस दौरान कभी–कभी तो पूरे गांव की ही जमीन नदी में चली जाती है । इसके बाद जब कभी नदी का पानी अपना रास्ता बदलता है तो वह जमीन पुनः निकल जाती है । नदी से निकली हुई उस जमीन को बुर्दी बरामद कहा जाता है । बुर्दी बरामद जमीन को भी लोगों को देने के लिए नियमानुसार पहले उस जमीन को शामलात देह में दर्ज किया जाता है । इसके बाद यह हिसाब लगाया जाता है कि किसान की कितनी जमीन नदी में गई थी और वापस कितनी जमीन आई है । जितनी जमीन नदी में गई थी अगर उतनी ही या उससे ज्यादा जमीन वापस आ जाए तो किसान की जितनी जमीन गई थी वह उसको वापस दे दी जाती है । अगर किसान की जमीन नदी में ज्यादा गई हो और वापस कम आये तो फिर किसानों को pro rata basis पर जमीन दी जाती है । मैं बताना चाहता हूं कि उस जमीन को एक बार शामलात देह में दर्ज किया जाता है । अब कहीं ऐसा न हो कि उस शामलात देह को भी पंचायतों के नाम कर दिया जाए तो उसको भी हमें बचाना पड़ेगा क्योंकि वह जमीन तो किसानों की है । उस जमीन को किसानों को देने के प्रोसैस में एक बार शामलात देह में दर्ज किया गया है । हम अपने नोटिफिकेशन में भी यह प्रावधान

करेंगे । मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में प्रोसीजरल फैक्ट्स नहीं लिखे गए हैं । ऐसी सभी जमीनें जिनकी कलैक्शन चकबन्दी के दौरान की गई थी उसे सरप्लस जमीन कहा जाता है । शामलात जमीन को हम सरप्लस जमीन भी कह देते हैं और बचत की जमीन भी कह देते हैं । इसमें किसी का एक मरला हिस्सा काट लिया गया तो किसी का दो मरला हिस्सा काट लिया गया । अतः गांव वाले जमीन का जितना भी हिस्सा कटवाते हैं उतना ही हिस्सा काट लिया जाता है । गांव के सभी सार्वजनिक कार्यों के लिए जमीन रखने के बाद एक किल्ला या दो किल्ले जमीन बच जाती है । पहले यह होता था कि बचत की जमीन भी उन्हीं की रहती थी जिन्होंने वह जमीन दी थी । अब स्पष्ट कर दिया गया है कि चकबन्दी के दौरान एक बार जिसकी जमीन कट गई और उसके बाद जो जमीन बच गई अब वह पंचायत के नाम दर्ज होगी । अब उस जमीन के वापस बंटने का रास्ता बंद हो गया है वरना इसमें बहुत झगड़े होते हैं । बचत की जमीन (सरप्लस जमीन) और शामलात देह जमीन अब पंचायतों के पास आ गई हैं । अब हमें इन जमीनों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा । एक्ट में बहुत सालों से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जो जमीन जिस व्यक्ति की है वह उसको मिल जाए । यह प्रयत्न हुड्डा साहब की सरकार के समय भी हुआ, भजन लाल जी की सरकार के समय भी हुआ लेकिन हर बार यह एक्ट कोर्ट में जाकर शट डाउन हो गया । अब हमें कानून में कोई ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा जिससे हम किसानों को उचित तरीके से जमीन भी दे पाएं । इसके लिए हमें कब्जाधारियों को पैसे भी देने पड़ सकते हैं क्योंकि जिन लोगों का 50 साल से जमीन के एक भाग पर कब्जा है उनसे जमीन लेना आसान काम नहीं है । यह बात मुझे अच्छी तरह से पता है । अतः बहुत–सी जमीनें ऐसी हैं जो भारत–पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान की ओर से भारत में आये हुए लोगों को खेती करने/सुधार करने/जुताई करने के लिए दी गई थी । वे शामलात देह

जमीनें और पंचायत की जमीनें थी जोकि बंजर थी । वे लोग उन जमीनों पर पिछले 60–70 साल से खेती कर रहे हैं । यह बात ठीक है कि आज के दिन वे लोग उन जमीनों को ठेके पर भी देते हैं और उसमें से थोड़ा–बहुत पैसा सरकार भी लेती है । एक बार उन जमीनों की ऑक्शनिंग का ऑर्डर भी आया था लेकिन हमको उसे रोकना पड़ा । इसका कारण यह था कि वे लोग उन जमीनों पर पिछले 60–70 साल से खेती कर रहे हैं और अगर वह जमीन ठेके पर उनको नहीं मिली तो यह अच्छी बात नहीं होगी । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसमें धौलीदार, पाटीदार आदि भी आएंगे ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक अलग विषय है । अगर हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो बात क्लीयर नहीं हो पाएगी । अतः अभी पंचायती जमीनों को किसी को देने/बांटने के लिए मना किया गया है । कानून के मुताबिक अभी हम पंचायती जमीनों को बेच नहीं सकते । यह कानून अर्बन लोकल बॉडीज में शहरों पर लागू नहीं है क्योंकि आज भी अर्बन लोकल बॉडीज में सामूहिक जमीनों को बेचा जा सकता है। इसके लिए प्रावधान बना हुआ है। कानून में यह लिखा हुआ है कि पंचायत की जमीन को नहीं बेच सकते। पंचायत की जमीन को लीज पर दे सकते हैं, परन्तु उसको बेच नहीं सकते। हमें इसके लिए बैठकर प्रावधान करना पड़ेगा और उसमें लीगल राय भी लेंगे कि क्या रास्ता निकल सकता है ? सरकार चाहती है कि लोगों को कोई तक्लीफ न हो। इसके पीछे हमारा केवल इतना ही मतलब है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस विषय के संबंध में सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के डिप्टी कमिशनर्ज को लैटर भेजा गया है और वे उस पर बहुत तेजी से कार्यवाही कर रहे हैं। इससे लोगों में आपस में टैंशन पैदा हो रही है। सरकार इस बात पर ध्यान दे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की संबंधित जमीनों का इन्तकाल बदलता है तो उससे किसी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। इससे मलकियत नहीं बदल रहे हैं। म्यूटेशन चेंज कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर संबंधित जमीनों का म्यूटेशन नहीं करवाया तो आज जिसके कब्जे में सबंधित जमीन है, वह उसको बेच देगा। म्यूटेशन करवाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित जमीन एक प्रकार से लिटिगेशन की जमीन बन जाएगी और वह कानून के हिसाब से जिसके पास जानी होगी, उसके पास चली जाएगी। जिसको संबंधित जमीन देनी होगी, उससे पैसा लेकर रजिस्ट्री करवा देंगे और फिर म्यूटेशन करवा देंगे। म्यूटेशन करवाने में देर नहीं लगती है। यह एक दिन का ही काम है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि Jai Singh & Others Vs. State of Haryana & Others वाले केस में सरकार का माननीय कोर्ट में क्या स्टैंड रहा ? चूंकि यह केस हरियाणा सरकार से ही संबंधित है। मेरा कहना यह है कि सरकार संबंधित केस को देखे। मैं इस बात की तफसील में नहीं जाना चाहता। इस केस में क्यूरेटिव से कोई लाभ नहीं है। क्या सरकार संबंधित केस में रिव्यू में जाने की सोच रही है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अभी इस केस में राय ले रहे हैं। इसमें हमारी लीगल कमेटी राय देगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इसमें सरकार को लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही संबंधित लैटर जारी करना चाहिए था।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि इतने समय के अन्तराल में तो संबंधित जमीनों को लोग बेच देते।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले 100 सालों से संबंधित जमीनें नहीं बिकी तो अब कैसे बिक जाएंगी ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को यह खतरा है कि कहीं संबंधित जमीन उनके हाथ से न निकल जाए वे लोग उन जमीनों को बेच देते।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अभी इस काम को रूकवा दें क्योंकि इससे गांवों में लोगों का झगड़ा हो सकता है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बातना चाहूंगा कि इससे उनको तो चिन्ता हो सकती है जो शामलात देह की जमीनें खरीदकर उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम उनको वापिस लेने की बात नहीं कह रहे हैं। हमनें उनकी म्यूटेशन इसलिए रद्द की है ताकि संबंधित जमीनें को आगे न बेच सकें, इसमें सिर्फ यही बात है और कोई नयी बात नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि सरकार संबंधित जमीनों की रजिस्ट्री बैन कर देगी तो उनको आगे कोई नहीं बेच सकेगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि सरकार सारी रजिस्ट्रीज बन्द नहीं कर सकती क्योंकि पहले उनकी पहचान करनी पड़ेगी।

पंडित मूलचन्द शर्माः अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर के बीच में 300 एकड़ जमीन फ्रॉड करके ली गयी है, इसलिए उनका म्यूटेशन रद्द होना चाहिए।

श्री रणवीर गंगवाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार नया एक्ट ला रही है तो इसमें उन लोगों को भी

शामिल किया जाए जो गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। चूंकि जब कोई नया सरपंच बनता है और उन्होंने उसको वोट नहीं दिये हैं तो वह कह देता है कि आप संबंधित जमीन पर मिट्टी के बर्तन क्यों बना रहे हैं ? आप यहां से चले जाएं। यह समस्या बहुत से गांवों में है। जब सरकार नया एक्ट लाए तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि उन लोगों की भी यह बहुत पुरानी समस्या है। इस समस्या का भी समाधान होना चाहिए। बेशक चाहे संबंधित जमीन उन लोगों के बजाए गवर्नमैंट के नाम पर हो, लेकिन इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि कोई भी सरपंच उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचा सके।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, एक विषय यह भी आया है कि हम समय– समय पर लोगों की डिमांड के हिसाब से पंचायत को नगरपालिका और नगरपालिका को पंचायत बनाते हैं। यह विषय पिछले दिनों से काफी चर्चा में रहा है। खासतौर से अगर 3–4 गांवों के नाम बताने हों तो उनमें बास, सिसाय, बाढ़ड़ा और आदमपुर गांवों की चर्चा हुई है। इस प्रकार के कुछ गांवों के संबंध में हमने निर्णय भी बदलने पड़े हैं और कुछ गांवों के संबंध में निर्णय बदलने पैंडिंग पड़े हैं। जैसे इस विषय पर कल माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी ने भी अपनी बात रखी थी। इसके लिए हम सर्वे करवा रहे हैं और उस सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से ही निर्णय लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसके लिए हमने डी.सी. को सर्वे करवाने के लिए कहा हुआ है। पहले भी सर्वे के आधार पर ही बास, सिसाय और आदमपुर गांवों के बारे में निर्णय लिए हैं। इस प्रकार संबंधित गांवों का भी सर्वे करवाकर निर्णय कर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार संबंधित केस के बारे में माननीय कोर्ट में रिव्यू के लिए जाएगी या नहीं ? इसके बारे में बताया जाए।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम इस पर लीगल राय ले रहे हैं। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। इस विषय पर हमने विचार किया है कि अभी जो डी.सी. की रिपोर्ट आयेगी तो हम बाढ़डा का फैसला उसी तरह से करेंगे यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बाकी तीनों जगहों का सिसाय, बास और आदमपुर का फैसला हो चुका है। एक विषय पर हम सोच विचार कर रहे हैं कि हम सदन में एक बिल लेकर आये और इसकी परमानेंट व्यव्यस्था करने का काम किया जाये कि जब भी पंचायत को नगरपालिका में जाना है या नगरपालिका को पंचायत बनवाना है तो इसके लिए एक बिल सदन में लाया जाये और बिल लाकर कोई referendum का सिस्टम बनाया जाये ताकि लोगों की आम राय लेने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सके। उसके बाद कुछ लोगों का मत हो जाता है कि ये कर दो और कुछ लोगों का मत हो जाता है कि वो कर दो और कईं बार ऐसा भी होता है कि प्रभावित करने वाली प्रक्रिया का प्रयोग करके राजनीतिक आदमी से या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन से काम कराने की भी एक सोच रखी जाती है और इस सोच का कहीं न कही प्रभाव पड़ भी जाता है। कई ऐसे जानकार होते हैं, उसके साथ उसका उठना बैठना होता है तो वह उसकी बात को मान लेता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार एक्ट के तहत referendum का सिस्टम बनाने के लिए गांव के लोगों की आम राय लेगी और हम उसी राय के अनुसार काम करेंगे। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें सरपंच का पक्ष काफी होगा।

श्री मनोहर लाल : गौतम जी, मैं आगे वही बात बता रहा हूं कि हम इसमें एक ऐसा प्रावधान करने का काम करेंगे क्योंकि अपने ही हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, वे जैसा चाहेंगे, हम वैसा ही प्रावधान करने का काम करेंगे। एक विषय सदन में ''चिराग

योजना'' का उठा था। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं है। मैं उन बातों को सदन में इसलिए स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि ये सामान्य समस्याएं हैं। रूटिन के जो विषय होते हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा लेकिन हमने ''चिराग योजना'' को बनाया है। इसका क्या प्रावधान है, मैं इसके बारे में सदन को जानकारी देना चाहूंगा। पहले हमारे जितने भी सामान्य स्कूल थे, उनमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। इन स्कूलों में जो पहले सुविधाएं दी जाती थी, अभी भी इनमें वहीं सुविधाएं दी जा रही हैं। एक हमने ''संस्कृति मॉडल स्कूल'' शुरू किया है और यह स्कूल हमने ऑन डिमांड शुरू किया है। हमने इन स्कूलों को ऑन डिमांड उन्हीं जगहों पर शुरू करने का काम किया है, जहां पर कहीं नजदीक में दो स्कूल हैं। उनमें से नजदीक वाले एक स्कूल को ''संस्कृति मॉडल स्कूल'' बनाने का काम करेंगे। जहां पर आसपास कोई स्कूल नहीं है तो वहां पर ''संस्कृति मॉडल स्कूल'' को शुरू नहीं करेंगे ताकि हमारा राईट टू सर्विस एजूकेशन का जो प्रावधान है, वह भी इसके साथ–साथ चलता रहे और हर किसी को नजदीक के स्कूल में फ्री शिक्षा देने का जो हमारी सरकार का प्रावधान है वह भी बना रहे। जहां तक सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और प्राईवेट स्कूलों की पढ़ाई मे अंतर की बात है तो यह बात हम सभी को ज्ञात है। कुछ परिवारों से हमें यह डिमांड आई थी कि हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई करवाई जाये, तब यह विषय हमारे सामने आया था। हमारे पास सरकारी स्कूलों को लेकर यह डिमांड आई है कि ''संस्कृति मॉडल स्कूल'' के नाम से टीचर का अलग काडर किया जाये। हम अभी इसके प्रावधान करने के प्रोसैस में लगे हुए हैं। हम इन चीजों को धीरे–धीरे अमल में ला रहे हैं। उसमें भी जिन परिवारों की आमदनी 1 लाख 80 हजार रुपये तक है क्योंकि हमने इसमें बी. पी.एल. परिवार वालों की इंकम की लिमिट बढ़ाई है इसलिए जिन परिवारों की 1 लाख 80 हजार रुपये इंकम है तो हम उन विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं लेंगे। यदि

किसी परिवार की एक लाख 80 हजार रुपये से ज्यादा इंकम है तो उस विद्यार्थी से नोमिनल फीस के प्रावधान आधारित हमारी सरकार ने एक छात्र फंड बनाया है, उस फंड को भी हम वहां पर रख रहे हैं ताकि वह फंड स्कूल के काम आ सके लेकिन जिन परिवारों की आय इससे अधिक है तो उन परिवारों के बच्चों से 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये और 1100 रुपये तक फीस ली जायेगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि केवल इन्हीं परिवारों के बच्चों से फीस ली जायेगी जिन परिवारों की सालाना इंकम 1 लाख 80 हजार रुपये से ज्यादा है। प्रदेश में अभी ऐसे 138 स्कूल चलाये गये हैं। हमारी सरकार की 500 स्कूल चलाने की योजना है। कई हमारे माननीय सदस्यों ने इन स्कूलों को चलाने की डिमांड की है, उनकी डिमांड पर विचार किया जा रहा है। यह बात कम्पलसरी नहीं है कि उन स्कूलों को खोला जाये और उन्हीं स्कूलों में प्रदेश के सभी बच्चे पढ़ने के लिए जायें। दूसरी बात यह है कि यह जो ''चिराग योजना'' है। इस योजना में हमने यह काम किया है कि कुछ परिवार हमें यह बात कहते हैं कि हमारे यहां पर प्राईवेट स्कूल हैं। हम अपने बच्चों को उन प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं परन्तु हम गरीब है जिसके कारण हम इन प्राईवेट स्कूलों की फीस नहीं भर सकते हैं। हमारी सरकार ने इन गरीब लोगों के लिए यह काम किया है कि जिन परिवारों की इंकम 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है और अगर वे परिवार अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और प्राईवेट स्कूल भी ''चिराग योजना'' में आना चाहते हैं तो हमने उनसे भी ऑप्शन/कंसेंट ली है। हमने इन प्राइवेट स्कूलों से क्या ऑप्शन/कंसेंट ली है, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि अगर प्राईवेट स्कूल गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे तो हमारी सरकार प्राईवेट स्कूलों को कम्पनसेट देने का काम करेगी लेकिन इन प्राईवेट स्कूलों की फीस सरकार के नियमों के मुताबिक 700 रुपये, 900 रुपये और 1100 रुपये होगी। मैं यह भी बताना

चाहूंगा कि हमारी सरकार 5वीं कक्षा तक के बच्चे की 700 रुपये फीस भरेगी, 8वीं कक्षा तक के बच्चे की 900 रुपये फीस भरेगी और 12वीं कक्षा तक के बच्चे की 1200 रुपये फीस भरेगी। हमने इस प्रकार से प्राईवेट स्कूलों के सामने 3 रेट रखे हैं। हमारी सरकार इन तीनों रेट्स का पैसा गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए खर्च करेगी। अगर मान लो प्राईवेट स्कूल की फीस इनसे ज्यादा है तो वह बढ़ी हुई फीस परिवार वालों से लेना चाहेगा तो ले लेगा, अगर परिवार वाले उस फीस को देना चाहेगा तो दे देंगे या फिर प्राईवेट स्कूल वाले उस विद्यार्थी को एडमीशन देना चाहेगा तो दे देगा अगर उस विद्यार्थी को एडमीशन नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। इसमें 300 स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने अभी अपनी कंसेंट दी है और इस साल 2700 विद्यार्थियों ने इन स्कूलों में एडमीशन ले लिया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी प्राईवेट स्कूलों में एडमीशन लेना चाहता है तो वह ले सकता है अगर वह एडमीशन नहीं लेना चाहता है तो उसकी मर्जी है। पहले वाला हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, वह एज इट इज है। अब हमारे 'माडल संस्कृति स्कूल्ज'' सी.बी.एस.सी. से एफिलियेटिड हैं। अगर कोई सी.बी.एस.सी. पैटर्न से पढ़ाई करना चाहता है तो वह भी कर सकता है और अगर कोई हरियाणा स्कूल एजूकेशन बोर्ड के पैटर्न से पढ़ाई करना चाहता है तो हरियाणा स्कूल एजूकेशन बोर्ड के पैटर्न से पढ़ाई कर सकता है। मतलब हर प्रावधान मौजूद है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, चिराग योजना के कारण से सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जायेगा। ऐसे तो हमारे सरकारी स्कूल बंद हो जायेंगे।

मनोहर लाल (मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चिराग योजना से कोई स्कूल बंद नहीं होगी। प्रदेश में 14 हजार सरकारी स्कूल हैं। चिराग योजना के तहत अभी तक केवल 2700 बच्चे गये हैं। जो गरीब अभिभावक

अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ हैं आखिर उनकी इच्छा का भी तो कुछ सम्मान होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 38,000 टीचरों के रिक्त पद हैं, उनको कब तक भरा जायेगा। अगर रिक्त पदों को भरा ही नहीं जायेगा तो बिना टीचरों के सरकारी स्कूल में पढ़ने कौन जायेगा?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि टीचर भर्ती दूसरा विषय है। इसका भी समाधान किया जायेगा। लेकिन आज जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि सरकारी स्कूलों से फीस ली जा रही है और प्राइवेट स्कूलों में सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है। इस गलतफहमी पर मैं कहना चाहूंगा कि जिन अभिभावकों की आय 1,80,000/– रूपये से कम हैं उन गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने पर चिराग योजना के तहत फीस के लिए पैसा दिया जाता है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से नियम 134ए के बारे में पूछना चाहूंगा?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नियम 134ए को समझने के लिए आर.टी.ई. और नियम 134ए इन दोनों को समझना पड़ेगा। नियम 134ए प्रदेश में आर.टी.ई. आने के पहले लागू किया गया था। उसके बाद में जब आर.टी.ई. आयी तो इसे लागू किया गया क्योंकि नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों को केवल 10 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश देने का प्रावधान था, लेकिन अब आर.टी.ई. लागू हो जाने से निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश देने का प्रावधान है। नियम 134ए के बजाय गरीब अभिभावकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर.टी.ई. ज्यादा

फायदेमंद है, इसलिए गरीब अभिभावकों के बच्चों के लाभ के लिए इसे लागू किया गया है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि प्रदेश में जो अंग्रेजी माध्यम के सी.बी.एस.सी. स्कूल हैं उनमें टीचर्स की कोई नई भर्ती नहीं की है। दूसरी तरफ जहां पर मॉडल संस्कृति स्कूल को सी. बी.एस.सी. से एफिलियट कर दिया गया वहां के बहुत से बच्चे हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, वो स्कूल से डीबार भी हो गये। लेकिन उनके नजदीक कोई दूसरी स्कूल न होने के कारण उन्हें कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। मेरा दूसरा विषय चिराग योजना से है अगर बच्चे चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में चले जायेंगे तो जो सरकारी स्कूलों के बच्चों की सैंक्शन स्ट्रैंथ है वह और भी कम हो जायेगी और वहां पहले से टीचर्स की कमी है इसके कारण वहां जो पोस्ट्स सैंक्शन हैं वे भी खत्म हो जायेंगी। आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि चिराग योजना के तहत अभी तक 2700 बच्चे निजी स्कूलों में गये हैं। जब सरकार स्कूलों को स्ट्रैंथन कर रही है तब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का ऑपन ऑफर क्यों दिया जा रहा है? सरकारी स्कूलों में हर तबके का बच्चा पढ़ने जाता है। यह ठीक है कि चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए सरकार ने 1,80,000/– रुपये की आय सीमा लगायी है, लेकिन जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून आ गया है कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है तो सरकार सभी बच्चों की फीस माफ करे। फिर चाहे बच्चा मॉडल संस्कृति स्कूल में एडमिशन ले या कोई जनरल स्कूल में एडमिशन ले। आज प्रदेश में चिराग योजना की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा असमंजस की बनी हुई है। जिसके कारण हम सरकारी स्कूलों को बंद करने की ओर जा रहे हैं, हरियाणा स्कूल बोर्ड, भिवानी को बंद करने की ओर जा रहे हैं। चिराग योजना में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या पोर्टल पर बहुत कम बतायी

जा रही है, लेकिन बाहर यही चर्चा चल रही है कि लाखों बच्चे पोर्टल पर अप्लाई करके निजी स्कूलों में गये हैं। सरकार ने आरोही मॉडल स्कूल बनाकर 2017 में कहा था कि वहां पढ़ाने वाले टीचरों को पक्का कर देंगे। जब पी.जी.टी में उनकी भर्ती हुई तब भी उन टीचरों ने जॉइन नहीं किया क्योंकि सरकार ने कहा था कि पॉलिसी के अनुसार उनको पक्का कर दिया जायेगा और वे पक्के कैडर में आ जायेंगे। इसी तरह आरोही मॉडल स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भी बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि जब स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा फंड है तो क्यों नहीं सरकार उस फंड से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज को स्ट्रैंथन करें? जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है उस पर भी संज्ञान लिया जाये यह मामला भी हमने उठाया था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एडमिशन के समय दे दे तो बच्चे अपनी पढ़ाई रैगूलर कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने ऐसे कहा कि उन्हे फर्स्ट सैमेस्टर की स्कॉलरशिप तो मिल गई लेकिन जैसे ही उनका सैकिण्ड सैमेस्टर आया उन्हें 2018–19–20–21–22 से यह स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है क्योंकि पहले शिड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमैंट द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डिस्बर्स की जाती थी। There was a change in the policy और उसके बाद अब विभिन्न विभागों जैसे एजूकेशन, हैल्थ या टैक्नीकल एजूकेशन डिपार्टमैंट्स इत्यादि के पास यह पैसा चला गया। इस मामले में कोई भी नोडल डिपार्टमैंट नहीं रहा इससे जो बच्चे नर्सिंग और दूसरे माध्यमों से पढ़ रहे हैं उन्होंने बहुत सारे मैसेजिज भेजे हुए हैं कि उनको नैक्सट सैमेस्टर की स्कॉलरशिप नहीं मिली है जिसकी वजह से उनके एडमिशंज कैंसिल हो गये। इसको ध्यान में रखते हुए मेरी शिक्षा मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि इसका संज्ञान लेते हुए some nodal Department should be made responsible for it.

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने अभी सदन में चिरान योजना और 134–ए पर चर्चा की है। 134–ए के बारे में ऐसा था कि एक ही योजना को लागू किया जा सकता था चाहे 134–ए चला ली जाये या आर.टी.ई. चला लें। अब 134–ए को समाप्त कर दिया गया है और आर.टी.ई. को लागू कर दिया है। आर.टी.ई. को इसलिए लागू किया क्योंकि हम उसमें 25 बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं और इसमें 60 परसैंट पैसा सैंट्रल गवर्नमैंट देती है। हमें केवल 40 परसैंट पैसा देना होता है। इसके विपरीत 134–ए में सारे का सारा पैसा राज्य सरकार को देना होता था इसलिए हमने विचार किया कि आर.टी.ई. को लागू किया जाये। आर. टी.ई. योजना पहली क्लॉस से लागू होगी। जिस बच्चे ने जिस स्कूल में एडमिशन लिया होगा वह बच्चा आठवीं क्लॉस तक उसी स्कूल में रहेगा। उसके बाद यह समस्या सामने आई कि जैसे ही हमने 134–ए को समाप्त किया कुछ लोगों ने हमें यह कहा कि आपने 134–ए तो समाप्त कर दिया हम कहां जायें क्योंकि हमारे बच्चों का तो आपने एडमिशन करवा दिया। अब उनकी फीस कौन देगा? उसके बाद एक संवेदनशील सरकार ने इस बात पर विचार किया कि उनकी बात ठीक है। फिर सरकार ने कहा कि दूसरी क्लॉस से लेकर बाहरवीं तक हम एडमिशन तो कर सकते हैं लेकिन हम 134–ए के तहत एडमिशन नहीं कर सकते। हमें कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उसके पश्चात् हमने कुछ स्कूलों से कहा कि आप उन बच्चों को एडमिशन दे दो हम आपको थोड़ी फीस बढ़ाकर देंगे। फिर हमने सारे स्कूलों को ऑफर दिया कि पहले जहां हम तीन सौ रुपये फीस दे रहे थे अब हम 700 रुपये फीस देंगे, जहां हम पहले 500 रुपये फीस दे रहे थे वहां अब हम 900 रुपये फीस देंगे, जहां हम पहले 700 रुपये फीस दे रहे थे वहां अब हम 1100 रुपये फीस दे देंगे। अगर आप हमारे बच्चों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं तो हम बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। प्रदेश में 361 स्कूल ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि हम

आपके बच्चों को दाखिला दे देंगे। उन्होंने हमें सीटों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास 27,000 के आसपास सीटें हैं अगर हमारे बच्चे वहां एडमिशन लेंगे तो वे उनको एजूकेट कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, कि 2700 बच्चों ने वहां एडमिशन लिया है लेकिन मेरी जानकारी में तो 1668 बच्चे ही हैं, इतने ही बच्चों ने एडमिशन लिया है यह कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं है जितना लोगों ने शोर मचाया था। जहां तक टीचर्ज की बात है कल यहां पर एक क्वैशचन भी लगा था मैंने उसका जवाब देना था लेकिन वह क्वैशचन पुट नहीं हो पाया था। यह जो संख्या है कि इतने टीचर्ज कम हैं यह पुरानी है और पिछले साल की है। अभी हमने ट्रांसफर और रेशनेलाईजेशन दोनों को ही खोल दिया है। एक तो बच्चे कम या ज्यादा होते रहते हैं। पिछली बार हमारे पास 25 लाख थे और अबकी बार 24 लाख हैं। इस प्रकार से बच्चों की संख्या कम/ज्यादा होती रहती है। अब हमने रेशनेलाईजेशन शुरू किया। अब हमारा अनुमान यह है कि जो शॉर्टेज है वह केवल मात्र 15 हजार टीचर्ज की ही रहेगी। उनमें से हमने 7800 टीचर्ज की रिक्वीजिशन कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन बढ़ रहे हैं लेकिन इसके विपरीत सरकार टीचर्ज की संख्या को घटा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, मैं हुड्डा जी और पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि आज की डेट में 24 लाख से कुछ कम बच्चे सरकारी स्कूल्ज में हैं। अगर हम one is to thirty का भी लगा लें और 30 से भाग करेंगे तो 80 हजार टीचर बनते हैं। एक दम सारे 30 होंगे ऐसा नहीं है। कहीं 20 बच्चे होंगे, कहीं 18 बच्चे होंगे, कहीं 22 बच्चे होंगे और कहीं 25 बच्चे होंगे। इस नाते से हम 10 से 15 हजार और भी लगा लें तो यह संख्या 90 और 95 हजार

से ज्यादा नहीं है। आज हमारे टीचर्ज की सैंक्शंड पोस्टें 1,26,000 हैं। ये पोस्टें क्यों सैंक्शंड करवाई जाती हैं, कब करवाई जाती हैं और किस इंट्रैस्ट से करवाई जाती हैं यह एक अलग कहानी है लेकिन हम रेशनेलाईजेशन करेंगे। रेशनेलाईजेशन में बच्चों के 1:30 के नॉर्म को पूरा रखा जायेगा। हम इस नॉर्म को 1:30 नहीं करेंगे। यह नॉर्म 1:25 हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। एक बार गैस्ट टीचर्ज की समस्या आई थी। हमने उनको एडजस्ट करने के लिए एक एफीडैविट कोर्ट में दिया कि इस साल हम 1:25 का नॉर्म करते हैं लेकिन सारे देश में 1:30 का नॉर्म है तो हमारे यहां 1:25 का नॉर्म कब तक चलता रहेगा? हमें अपना सारा सिस्टम भी देखना है। हमारा per student जो खर्च है वह सारे देश में सभी प्रान्तों में सबसे ज्यादा है इसलिए हमें वह भी देखना है। जो प्राइवेट स्कूल वाले ये शोर मचाते हैं कि हमें इतनी फीस दो क्योंकि उनके यहां प्रावधान है कि या तो जो प्रति बच्चा सरकारी खर्च है वह दिया जाये या फिर जितनी उनकी फीस है वह दी जाये। उनकी फीस भी 2000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 24,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाती है। हमारा खर्चा और भी ज्यादा बैठता है इसलिए हमें सारा सिस्टम सम्यक रूप से देख कर चलना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे के अभिभावकों की अपनी भी इच्छा होती है कि वे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम बच्चे की मदद अवश्य करेंगे। आज हमारे प्रदेश में प्राथमिक स्कूल से लेकर सीनियर सैकेंड्री स्कूल तक 14 हजार से अधिक स्कूल हैं और उनकी संख्या इतनी कैसे बना रखी है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए एक गांव में एक सीनियर सैकेंड्री स्कूल है तो उसी बिल्डिंग में एक प्राइमरी हैड लगा कर एक प्राइमरी स्कूल बना दिया गया है। उसी बिल्डिंग में एक मिडल स्कूल बना रखा है, उसी में 2 कक्षाओं का हाई स्कूल तथा उसी बिल्डिंग में 2 कक्षाओं का सीनियर सैकेंड्री स्कूल बनाया हुआ है। इस प्रकार से एक ही स्कूल में 4 स्कूल बना रखे हैं।

इस सारे सिस्टम को देखना पड़ेगा। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। जो हाइयेस्ट क्लास होती थी उसी के अनुसार डैजिग्नेशन का हैड टीचर, हैडमास्टर या प्रिंसिपल होता था। अब हमने एक ही बिल्डिंग में चार–चार पोस्ट बना रखी हैं। एक ही बिल्डिंग में स्कूल है तो हम एक हैड बना कर काम चला सकते हैं तथा बाकियों के इंचार्ज बना सकते हैं लेकिन उसको स्कूल तो एक ही माना जाना चाहिए। उनको 4 स्कूल मान कर हमने 14 हजार से अधिक स्कूल बना रखे हैं। यह विषय रिफॉर्म्स का है और हम बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के रिफॉर्म्स करेंगे। जहां तक संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की बात है तो हम सभी संस्कृति मॉडल स्कूलों को एक साथ नहीं बना सकते हैं लेकिन धीरे–धीरे जितने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने हैं वे बन जायेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में प्रि–नर्सरी, मिडल तथा हाई स्कूल अलग–अलग होते हैं उसी प्रकार से सरकारी स्कूलों में भी अलग–अलग हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि एक ही स्कूल की बिल्डिंग में तो अलग–अलग स्कूल नहीं बनाये जा सकते। इस प्रकार से अगर हर कक्षा का अलग नाम रखना शुरू कर दिया जाये तो 12 स्कूल थोड़े ही हो जायेंगे? अब इसमें दूसरा विषय कुछ स्कूलों को बंद करने का आता है। स्कूलों को बंद करने का काम हम विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से करते हैं। मान लीजिए कहीं पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा थी तो स्कूल खुल गया और बाद में किसी कारण बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गये या बच्चों की संख्या किसी कारण से कम रह गई तो बच्चों की लिमिट तो हमको रखनी पड़ेगी कि इस लिमिट से कम बच्चे हो जायेंगे तो हमें स्कूल नहीं चलाना है। हां उन बच्चों के लिए पास के स्कूल में व्यवस्था कर दी जायेगी तथा आर.टी.ई. के तहत उनके लिए परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। आर.

टी.ई. कहता है कि अगर बच्चा एक किलोमीटर से अधिक दूर किसी स्कूल में जायेगा तो उसकी परिवहन की व्यवस्था सरकार करेगी और वह व्यवस्था हम उपलब्ध करवा रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि देहात के बच्चों विशेष कर लड़कियों के लिए कॉलेज तक आने–जाने के लिए जो व्यवस्था की थी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हमने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की लेकिन हमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली। आर.टी.ई. में इस व्यवस्था का प्रावधान है और यहां पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं तो यह जानकारी सदन के पटल पर रखवा दी जाये कि कहां–कहां पर बसें चल रही हैं ताकि हम अपने क्षेत्र के बच्चों को बता दें और वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े हम अगले सत्र में सदन के पटल पर रखवा देंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पास इतनी जानकारी तो इस समय उपलब्ध होगी कि कितनी बसें चल रही हैं, वह जानकारी वे सदन को आज ही दे सकते हैं।

श्री अध्यक्षः गीता जी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है अगले सत्र में यह जानकारी दे देंगे इसलिए आप बीच में व्यवधान न डालें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमारे कोसली से विधायक, श्री लक्ष्मण यादव जी ने कल लूला अहीर का विषय उठाया था कि लूला अहीर में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां का रीजनल सैन्टर है उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाये। विचारविमर्श के बाद वे इस बात पर सहमत हो गये थे कि इसको कॉलेज बना दिया जाये। हमने उसके लिए सहमति भी दे दी थी लेकिन अब माननीय विधायक का

कहना है कि उसको रीजनल सैंटर ही रहने दिया जाये तो हमने उसके लिए भी सहमति दे दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के दो रीजनल सैंटर नरवाना और लूला अहीर जो कि आजकल कृष्णगढ़ हो गया है, में बने थे और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उनको रीजनल सैंटर ही रहने दिया जाये। इससे लोगों को बहुत सुविधा होती है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष की बात का सम्मान करते हुए यह घोषणा करता हूं कि इस रीजनल सैंटर को हम रीजनल सैंटर ही रखेंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई) अध्यक्ष महोदय, एक विषय लोगों के नुकसान का आया था जिसमें आग लगने या मकान गिरने के कारण हुए नुकसान का डिजास्टर मैनेजमैंट में प्रावधान किया हुआ था। उसमें अगर आग लगने से नुकसान होता है तो उसके पैरामीटर हमने बदल दिये थे। पहले उसके पैरा मीटर थे कि फलां कारण से आग लगती है तो डिजास्टर मैनेजमैंट से पैसा मिलेगा। अब हमने तय किया है कि आग का नुकसान तो आग से ही हुआ है चाहे वह किसी भी कारण से लगे। वह आग बिजली की सॉर्ट सर्किट से लग सकती है या कोई और चिंगारी से लग सकती है। चाहे वह आग किसी भी कारण से लगी है तो उस आग के नुकसान की भरपाई नॉर्म्स के अनुसार डिपार्टमैंट द्वारा डिजास्टर मैनेजमैंट से की जाएगी। ऐसे ही जो मकान गिरते हैं उनके लिए भी यही किया हुआ है कि अगर मकान बाढ़ घोषित एरिया में गिरते हैं तो उनकी पूरी भरपाई तो नहीं होती है लेकिन कुछ कम्पनसेशन दिया जाता है। अब हम उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं जिससे जिन गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है अगर उनके मकान बाढ़ के कारण से, ज्यादा बरसात होने से या मकान के पास पानी भर जाने के कारण दीवारें कच्ची होने से गिर जाते हैं तो उनकी भरपाई की जा सके। कल एक विषय भूमि सुधार का भी

आया था जिसके संबंध में बताया गया है कि लगभग 10 लाख एकड़ जमीन में वाटर लॉगिंग होता है जहां भूमि सुधार की जरूरत है। इस संबंध में हमने जो हर साल एक लाख एकड़ भूमि में सुधार लाने की बात कही है उसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल में अभी तक किसानों ने स्वयं 20997 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण कराने की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है कि हमने सरकार की ओर से यह कहा है कि हम पूरा पैसा खर्च करेंगे उसमें थोड़ी कन्ट्रीब्यूशन हम किसान से भी लेंगे। अगर किसान इसमें कन्ट्रीब्यूशन करता है तो इसका मतलब उसमें किसान की सहमती है। अगर 21 हजार एकड़ भूमि का पंजीकरण हो गया है तो मुझे लगता है कि हम यह पंजीकरण एक लाख एकड़ भूमि तक पहुंचा लेंगे ताकि इसमें भूमि सुधार लाया जा सके। चाहे उसमें पानी की ड्रेनेज का है, मिट्टी भरत का है या उस भूमि की लवणिय–क्षारीय क्षमता है तो उसमें कैमिकल सिस्टम से जो सुधार करना है वह हम करेंगे। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों से भूमि सुधार के लिए बहुत ज्यादा कन्ट्रीब्यूशन ले रही है जो कि ठीक नहीं है। कई किसान तो बहुत थोड़ी फसल लगाते हैं इसलिए आप किसानों का कन्ट्रीब्यूशन कम कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, किसान फसल चाहे थोड़ी लगाए या ज्यादा लगाए। अभी तो यह कन्ट्रीब्यूशन सब को ज्यादा लगेगी लेकिन आज जिस जमीन में से किसान सालों साल से फसल नहीं उठा पाता है। अगर उस जमीन को उर्वरक करने के लिए हम किसान से थोड़ा कन्ट्रीबयूशन ले रहे हैं तो उसमें किसान की भूमि में उपज भी तो होगी और वह उपज सरकार की नहीं होगी वह उपज किसान की ही होगी। उसको देखते हुए हम किसान से कन्ट्रीब्यूशन कम ही ले रहे हैं कोई ज्यादा

नहीं ले रहे हैं। अगर कन्ट्रीब्यूट्री सिस्टम से ये चीजें चलेंगी तो उसका दुरूपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो यह कच्चे मकानों का जिक्र किया है कि जिन गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है अगर उनके मकान बरसात के कारण गिरते हैं तो सरकार उनको कम्पनसेशन देने की पॉलिसी बना रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय बरसात से जो नुकसान हुआ है उस संबंध में मैं अपनी विधान सभा के बारे में बता सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में बरसात का पानी भर जाने के कारण अनेक पक्के मकानों में दरारें आकर गिर गये हैं। उन किसानों की फसल भी तबाह हो गई और घर भी तबाह हो गये। उसके लिए भी कोई स्पेशल पॉलिसी बनाई जाए क्योंकि आजकल किसी का कच्चा मकान तो रहा ही नहीं है, सबके पक्के मकान बने हुए हैं। आप चाहे वहां पटवारी से स्पेशल गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट ले लीजिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे मकानों के मालिकों को लोन देने का प्रावधान कर देंगे। इसी के साथ अग्निपथ योजना का एक विषय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह विषय भी किसी न किसी रूप में यहां आया है और यहां से पहले भी आता रहता है। देखिये मत भिन्नता हो सकती है। हर किसी के दिमाग में अपना–अपना मत चलता रहता है। जैसे कोई पांच लोग ऐसे थे जिनको दिखाई नहीं देता था उनके सामने हाथी आ गया तो किसी ने कहा कि आपके सामने हाथी खड़ा है क्या आप बता सकते हैं कि हाथी कैसा है? अब उनको कुछ दिखाई दे तो बताएं कि कैसा है? जब उन्होंने हाथी को हाथ लगाकर देखा तो किसी का हाथ टांग पर लग जाता है तो वह कहता है कि खंभे जैसा, किसी का हाथ पूंछ पर लग जाता है तो वह कहता है कि रस्सी जैसा है। कुल मिलाकर जिसको जैसा ध्यान में आता है वैसा बोलना शुरू करता है। इसमें कुछ राजनीति कारण भी होते हैं कि कुछ विरोध करना है तो

करना ही है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि इस कदम को प्रमुख रक्षा की दिशा में एक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 4 साल के बाद जो 75 परसेंट लोग वापिस आयेंगे, उनके लिए अर्द्ध सैनिक बलों में तथा असम राइफल्ज में 10 परसेंट की रिक्तियों का आरक्षण देने का काम किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट सैक्टर ने भी और यहां तक की कारपोरेट जगत ने भी कहा है कि जो ये लोग वापिस आयेंगे, उन्हें वे भी सिलेक्ट करके अपने यहां जॉब पर रखने का काम करेंगे। अग्निवीर क्लॉस–3 लैवल के होंगे। मैं अपनी ओर से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे सब लोग जो हरियाणा सरकार की नौकरी में आना चाहेंगे उनको हमारी सरकार गारेंटिड नौकरी देने का काम करेगी, यह प्रावधान हम करने जा रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी मुख्यमंत्री महोदय का बयान पढ़ा था कि जो बच्चे अग्निवीर की पोस्ट्स के लिए जायेंगे, उनको सरकार नौकरी देने का काम करेगी। इन अग्निवीरों में 75 परसेंट बच्चे 4 साल के बाद वापिस आ जायेंगे। सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि इन बच्चों को पहले ही सरकारी नौकरी में भर्ती कर लिया जाये और बाद में इनको 4 साल के लिए ऑन डेप्यूटेशन सेना में भेज दिया जाये ताकि जब ये बच्चे 4 साल के बाद सेना से वापिस आयें तो कम से कम इनका भविष्य तो सुरक्षित हो जाये। यूं तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की हुई है लेकिन कितने एक्स सर्विसमैनों को नौकरी मिली है ? यदि 27000 एक्स सर्विसमैन हैं तो उनमें से 1.80 परसेंट को भी नौकरी नहीं दी जा रही है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अलग अलग प्रावधान अलग अलग तरीके से किये जाते हैं यह बात हुड्डा साहब को भी जान लेनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं तो सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे साथ पढ़े हुए कम से कम 30 साथी आज सेना में जनरल हैं। मैं उनसे बात करने पर बता रहा हूँ कि यह योजना न तो देश के हित में है और न युवाओं के हित में है। मैं किसी राजनीति के विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो असलियत पर बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ विषय पर फोकस करके बात कहना चाहता हूँ कि सरकार ने एश्योर किया है कि सब अग्निवीरों को नौकरी देने का काम किया जायेगा तो इन युवाओं को पहले ही नौकरी दे दी जाये। ये नौकरी में सिलेक्ट हुए और 4 साल के लिए ऑन डेप्यूटेशन इनको सेना में भेज दो उसके बाद आकर ये फिर अपनी नौकरी ज्वॉयन कर लें ताकि इनका भविष्य तो सुरक्षित रहे। चार साल के बाद तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि सरकार ने नौकरी देनी ही है और हरियाणा सरकार की नौकरी देने की कमिटमैंट है तो इन युवाओं को पहले ही नौकरी दे दी जानी चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सबकी अलग अलग राय होती है। अब सबकी राय एक तो नहीं हो सकती। अभी हमारी इसी पारी में ही हम इसकी भी पॉलिसी बनायेंगे। इन लोगों को अगर कोई वहम है, तो मैं समझता हूँ कि वह वहम इन लोगों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि पारी तो अगली भी हमारी ही है। **(इस समय सदन मेजों की थपथपाहट से गूंज उठा)** फिर भी हुड्डा साहब आप लोगों का वहम दूर करने के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम अपनी सरकार की इसी पारी में इस संदर्भ में भी पॉलिसी बनायेंगे कि ऐसे लोगों को जो अग्निवीर के 4 साल पूर्ण करने के बाद वापिस आयेंगे, उनको हम अपने यहां नौकरी जरूर देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं एक शेर जरूर सुनाना चाहूंगा किः–

जो सौंपा था– वह दौर एक खुशहाली का था
जो आपने थोपा है–वह दौर एक बदहाली का है।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की तरफ से मेजें थपथपाई गई।)

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, इस मौक पर मैं भी एक जरूरी बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि डैथ केसिज में यह प्रावधान किया हुआ है कि यदि कोई कर्मचारी सर्विस के दौरान मर जाता है तो उसकी पत्नी/पति को या तो तनख्वाह दी जायेगी जितना वह मृत्यु की तिथि तक ले रहा है या ले रही है या फिर रोजगार देने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में जिनका पति गुजर गया, ऐसी पत्नियों ने दरख्वास्त दी हुई है और 4 साल का एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका नम्बर नहीं आया है और वेटिंग लिस्ट भी इतनी बड़ी है कि आने वाले 10 साल तक भी उनका नम्बर आने की कोई गारंटी नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हम अपने यहां इनोवेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हमें तो इनोवेशन की स्टेट के नाते से देश भर में तीसरा स्थान भी प्राप्त है। यहां पर हम इतने इनोवेशन करते हैं, नए–नए पोर्टल तैयार करते हैं, इनके साथ ही हमने यह भी किया है कि जो हमारी लोकल सैल्फ गवर्नमैंट की इकाईयां हैं जैसे नगरपालिकायें, नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद, पंचायतें और पंचायत समितियां इनके जो फंड्स हैं, पहले भी स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से रिकमंड होते थे और सैंटर्ल फाइनेंस कमीशन भी अपना शेयर देता था लेकिन कितना जाता था और कितना नहीं जाता था, यह कोई नहीं जानता था। खाना पूर्ति भी होती थी और साथ में अलग–अलग तरीके की पॉलिसीज/स्कीमें बनती थी, डिमांड भी चलती

रहती थी, विधायक भी आते रहते थे, सरपंच भी आते रहते थे, हमारे पार्षद व चेयरमैन भी आते रहते थे कि उनको इतना फंड दे दो–इतना फंड दे दो ऐसा कहा करते थे लेकिन अब हमने इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक विकास निधि पट नाम का पोर्टल बना दिया है। वह पोर्टल सबके लिए ओपन है । इस पोर्टल के द्वारा अब हम हर एक पंचायत और हर एक नगरीय इकाई को एक फॉर्मूले के हिसाब से पैसा देंगे । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार का काम पोर्टल्स के माध्यम से ही किया जाना है तो फिर ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी ? प्रदेश के युवओं को रोजगार की जरूरत है और सरकार नये–नये पोर्टल्स शुरू कर रही है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि युवाओं को पोर्टल्स के माध्यम से भी रोजगार मिलता है । ऐसा नहीं है कि इससे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। इस पोर्टल में पंचायतों और नगर निकायों को दिया जाने वाला स्टेट फाइनैंस का फंड, सैंटर्ल फाइनैंस का फंड, स्टाम्प ड्यूटी का सरकार द्वारा उनको दिया जाने वाला हिस्सा और उनकी स्वयं की इंकम दर्ज होती है । हालांकि अपनी इंकम को वे स्वयं लिखकर हमारे पास भेजते हैं । इसके अलावा केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न स्कीम्ज के माध्यम से मिलने वाली ग्रांट्स के पैसे को पोर्टल में दर्ज किया जाता है । इसके साथ–साथ हर महीने उनके द्वारा बताये गये कमिटेड एक्सपैंसिज हैडक्वार्टर से भेजने को भी सुनिश्चित किया जाता है ताकि सभी को समय पर सैलरी दी जा सके और बिल आदि भरे जा सकें । इसके बाद बाकी पैसा उनको 4 किस्तों में दिया जाता है । पहले और दूसरे क्वार्टर्ज में 30–30 परसैंट पैसा और तीसरे एवं चौथे क्वार्टर्ज में 20–20 परसैंट पैसा दिया जाता है । अगर किसी क्वार्टर में पैसे की कमी रह जाए तो उसे अगले क्वार्टर में दे दिया जाता है । इस तरह से साल–भर में पूरा पैसा दे दिया जाता है । हम दिसम्बर के महीने में आंकलन करते हैं कि कहीं

किसी इकाई को कम पैसा तो नहीं दिया गया है जिससे उसके काम ही पूरे न हो रहे हों । अतः उनको किसी अतिरिक्त योजना के लिए सदन में अतिरिक्त फंड पास करवाकर दिया जाता है । मेरा कहना है कि इन इकाईयों के लिए जब भी कोई विधायक फंड की मांग करे तो वे सबसे पहले उन इकाईयों का बजट और पैसे खर्च करने का सिस्टम अवश्य देखें । वे देखें कि संबंधित एम.सी. के पास सरकार से कितना पैसा आना था, कितना पैसा आ चुका है, कितना पैसा खर्च हो गया आदि । किसी भी एम.सी. के लिए पैसा मांगने से पहले उसके पास पहले गया हुआ पैसा खर्च होना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही पैसा देना न्यायसंगत है । अगर पहले का दिया हुआ पैसा खर्च नहीं हुआ और अप्रैल माह में ही पैसे के लिए चिट्ठी लिखनी शुरू हो जाए कि फलां एम.सी. के लिए 10 करोड़ रुपये दे दो तो यह बात ठीक नहीं है । अगर सिस्टमैटिक ढंग से काम करेंगे तो फंड की सरकार के पास कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं करेंगे तो फंड के लिए जवाब 'नहीं' में मिलेगा । मेरा कहना है कि हमें सिस्टम से ही आगे बढ़ना चाहिए । मैंने संक्षेप में लगभग सभी विषयों को सदन के समक्ष रख दिया है । (विघ्न) हो सकता है कि कुछ विषय रह गये हों । सभी विषयों को सदन में कवर नहीं किया जा सकता । 155 विषय तो सदन में आज ही आये हैं । मुझे जितने विषय ध्यान आयें मैंने उनको सदन में रखा है । फिर भी अगर किसी को मुझसे कोई विशेष बात पूछनी हो तो मैं उसका जवाब भी दे दूंगा । मैं एक बात विशेष तौर पर बताना चाहता हूं और इसके लिए अध्यक्ष महोदय का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा विधान सभा में प्रश्न भेजे जाते हैं ठीक उसी प्रकार से हर मैम्बर हर महीने 3 प्रश्न भेज सकता है और जब विभागों से उनके जवाब प्राप्त हो जाएंगे तो फिर उनको मैम्बर्ज को भेज दिया जाएगा । इसकी शुरूआत होने के बाद से लेकर अब तक कुल 42 प्रश्न रिसीव हो चुके हैं जिनमें से 35 प्रश्न एडमिट हुए हैं और 20 प्रश्नों के

रिप्लाई रिसीव हो चुके हैं जोकि मैम्बर्ज को भेज दिये गये हैं । मेरा कहना है कि प्रत्येक मैम्बर को प्रत्येक माह 3 प्रश्न पूछने का जो प्रिविलेज मिला है वे उसका प्रयोग अवश्य करें । आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद । बहुत–बहुत आभार । जय हिन्द ।

.....

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं –

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या पी.एफ.–16(ख)/2022/14527, दिनांकित 27 मई, 2022 ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018–2019 के लिए हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड की 37 वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2019–2020 के लिए हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक विकास निगम लिमिटेड की 38 वीं वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियों, वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियों, वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट ।

जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018–2019 के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कार्य प्रणाली पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के ऊर्जा एवं शक्ति, उद्योग एवं वाणिज्य तथा शहरी विकास समूह की अनुपालना लेखा परीक्षा पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट ।

.....

विधायी कार्य

(1) विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक

1. दि हरियाणा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉजिज 2 से 19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 19 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्युल 4 और 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि शिड्युल 4 और 5 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ ।)

---

2. दि हरियाणा वाटर रिसोर्सिज (कंजर्वेशन, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट) अथॉरिटी (सैकिण्ड अमेंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसमें सैक्शन 18 के सब सैक्शन (ii) को क्यों डिलीट करना चाहते हैं ? इसके पीछे क्या कारण है ? इसको डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ गयी है ? इसको कलैरिफाई करें।

श्री वरुण चौधरी (मुलाना): अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया है कि सैक्शन 18 को बदला जा रहा है। बल्कि इसमें यह बात है कि सैक्शन 18 के सब सैक्शन (ii) को हटाया जा रहा है। इसमें सैक्शन 18 को तो बदला ही नहीं जा रहा है। सैक्शन 18 तो वैसा ही है, जैसा पहले था। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कैसे– कैसे

विधेयक लाये जा रहे हैं ? अगर ये विधेयक 5 दिन पहले विधान सभा में नहीं आएंगे तो इसी तरह के ही विधेयक आएंगे जिनके बारे में न तो माननीय मंत्री जी को पता होगा और न ही माननीय सदस्यों को पता होगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा कहना यह है कि आप इस प्रथा को रोकें। चूंकि आपने इसके बारे में पहले भी कहा था।

श्री अध्यक्ष : मेरा विशेष तौर पर सभी अधिकारियों से निवेदन है कि विधान सभा का सत्र शुरू होने से 5 दिन पहले अगर कोई विधेयक नहीं आयेगा तो वह विधेयक असैप्ट नहीं होगा। सदन में उपस्थित सभी अधिकारी इस बात को नोट कर लें। आर.एस.

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में क्लीयर करना चाहता हूं। जो पिछली बार विधेयक था उसके सैक्शन–18 के सब–सैक्शन 1 और सब–सैक्शन 2 दो थे। सब–सैक्शन–1 में प्राधिकरण को अधिकार है बल्क एवं संशोधित अपजल हेतू टैरिफ यानि जिसको बल्क में पानी का जो रेट देना था वह कर सकते हैं या संशोधित जल अर्थात् जो ट्रीटिड वॉटर है उसके रेट को रिहर्ट कर सकते हैं। सब–सैक्शन 2 में household, industry, commercial, establishment or retail rates of individual households इनका रेट भी वे तय कर सकते थे लेकिन एतराज आया कि हाउसहोल्ड के रेट्स तय करने का अधिकार भी अगर उनको दे दिया गया तो उस स्थिति में अथॉरिटी के लोग कुछ रेट तय कर सकते हैं इसलिए बल्क रेट तो म्युनिसिपैलिटी का होगा या किसी भी संस्था जैसे एच.एस.वी. पी. या एच.एस.आई.आई.डी.सी. का होगा लेकिन आगे रिटेल के जो रेट हैं किसी इण्डस्ट्री को देना है वह डिपार्टमैंट तय करेगा। हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। हम उन रेट्स के हिसाब से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर कुछ देना होगा तो डिपार्टमैंट अपने बजट में से देगा। उनके पास वह अधिकार न रहे इसलिए उसको डिलीट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबन्धन) प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

.....

(3) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री जगबीर सिंह मलिक (टोहाना) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल से संबंधित मेरे एक दो ऑब्जैक्शंज हैं। मैं यह बात सरकार के फायदे के लिए बता रहा हूं। इस बिल के मुताबिक कारपोरेशन के अंदर कोई पशु नहीं रख सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, यह बिल सलैक्ट कमेटी से विचार विमर्श होने के बाद ही सदन में लाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक कमी रह गई है। अगर कोई अपने घर पर पशु रखेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा लेकिन दूसरी तरफ शहर में पैट एनिमल रखने पर लाईसैंस लेना पड़ेगा। सड़कों पर आवारा पशु और स्ट्रे डॉग्ज घूमते रहते हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा क्योंकि इनके कारण हर रोज

एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। यह बात हमें भी पता है कि शहर में पशु रखना वर्जित है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, इनके लिए अलग से बिल आयेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में किसी न किसी की जिम्मेवारी तय की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह प्रॉब्लम पिछले 70 वर्षों से चली आ रही है। हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। मलिक साहब, इसके अलावा आपने यह बात इस बिल से हटकर की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, शहर में दूध देने वाले पशु रखना वर्जित है लेकिन जो आवारा पशु रोडज पर घूम सकते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दूध की बात गऊशाला में करें। हमारी सरकार ने पशुओं के लिए गो अभ्यारण बनाये हैं और इनके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम भी किए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक इस तरह की प्रॉब्लम्ज को दूर करने के लिए ही लाया गया है। शहरों में डेयरियां और असीमित पशुओं को रखकर व्यापार किया जा रहा है, उसके कारण ही पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में प्रोविजन रखा जाये क्योंकि दूसरी तरफ सरकार किसी न किसी तरह की रोजाना पैनल्टी लगाती रहती है लेकिन सड़कों पर जो आवारा पशु घूमते हैं, सरकार इनकी जिम्मेवारी लेने से बचना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं, उनका लाईसैंस कौन लेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, गांवों में लाईसैंस लेना अनिवार्य नहीं है। शहर में लाईसैंस लेना अनिवार्य है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : मलिक साहब, वहां की जो कमेटी है या निगम है। वह डिसाइड कर सकता है कि जो पेरीफेरी मार्जन है या एक–दो पशु डॉमैस्टिक यूज के लिए रखना चाहते हैं तो उनको छूट का प्रावधान है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, पेरीफेरी मार्जन से बाहर जो गांव नये ऐड हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : मलिक साहब, हमने इनके लिए प्रावधान किया है और वहां की कमेटी को फैसला करने की अनुमति है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, शहर में जो दूध वाली डेयरियां बनी हुई हैं और दूध सप्लाई करते हैं उनका रोजगार भी खत्म कर दिया गया है।

डॉ. कमल गुप्ता : मलिक साहब, निगम या कमेटी में जो नये गांव आयेंगे। वहां का निगम या कमेटी इन गांवों के बारे में फैसला ले सकती है। वह कमेटी या निगम उनको कुछ समय के लिए छूट भी दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो नये गांव कारपोरेशन में आएंगे उनको इस बिल में छूट देने का प्रावधान है और कितने समय के लिए है उसके लिए भी इसमें प्रावधान है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन विधयेक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लाजिज–2 से 10

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉजिज–2 से 10 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

डॉ. कमल गुप्ता (शहरी स्थानीय निकाय मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधयेक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि जो नये गांव कारपोरेशन में आये हैं। यह मामला पीछे भी देखने को मिला है कि वहां पर पशुओं को रखने की जगह होती थी और जब वे गांव शहर में आ जाते हैं तो उन पर कॉमर्शियल टैक्स लगाये जाते हैं। क्या आने वाले समय में जैसे हिसार में बहुत लंबे समय से एक अनाउंसमैंट है कि वहां पर शहर के बाहर एक डेयरी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनायेंगे, वह पैंडिंग नहीं है। मगर आज शहर में पैनल्टी लगायी जा रही है। क्या इस बिल के आने के बाद यह प्रोविजन रहेगा या डिलिट हो जायेगा कि शहर में किसी के पास हाऊस के अन्दर एनिमल है क्या वह परमिटेड रहेंगे या नहीं इसको जरूर क्लीयर किया जाये।

डॉ. कमल गुप्ता: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो एनिमल डोमिस्टक यूज के लिए हैं वें विद परमिशन रखे जा सकते हैं। जो गांव निगम के अन्दर आ गये हैं लेकिन उनकी स्थिति गांव जैसी है। उनके लिए निगम का हाऊस प्रस्ताव पास करके उसकी समय सीमा बढ़ा सकता है और उसको इसकी एक्जामिनेशन दे सकता है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या एनिमल को विद परमशीन रखा जा सकता है ?

डॉ. कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हां बिल में ऐसा प्रावधान है कि उन्हें विद परमिशन रखा जा सकता है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह क्लैरिफिकेशन चाहता हूं जैसे कि एन.डी.एम.सी.(नई दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन) है वहां पर हाऊस नहीं होता है, वहां ऑफिसर्स होते हैं वहां इस पर क्लीयर बैन है कि वहां पर कोई भी एनिमल नहीं रख सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य चौटाला जी, ऐसा प्रावधान चंडीगढ़ में भी है लेकिन यह सिर्फ दो कनाल मकान से ऊपर वाली जगह पर ही अलाउड है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ में तो यह प्रावधान हमने कर रखा है। लेकिन आज के दिन बहुत सी ऐसी कारपोरेशंस बनी हैं जिनके अन्दर पहले लोगों के पास घर के अन्दर एनिमल होते थे उसके लिए प्रावधान है। क्या राज्य सरकार इसमें ऐसा प्रोविजन देगी या It is totally dependent on the Corporation and their House कि एनिमल रखने के लिए कारपोरेशन अथवा हाऊस में रैज्योलूशन दे सके?

Dr. Kamal Gupta: Sir, section 4 of the Bill says that-

"Provided further that villages falling in the outer periphery included in the limits of Corporation and the period for keeping milch animals on the basis of change in demographic profile of such areas shall be decided by the concerned Corporation by way of resolution. The Corporation shall also provide reasonable time for rehabilitation of animals from prohibited area to permitted area by its resolution:"

18:00 बजे

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रॉविजन की मंत्री जी बात कर रहे हैं यह उन गांवों के लिए है जो कारपोरेशन में नए एड हुए हैं न कि ओल्ड सिटी के लिए है। पुराने शहरों में भी कोई व्यक्ति पर्सनल यूज के लिए दुधारू पशु रख सकता है। डेयरी वहां पर भी नहीं बनाई जा सकती। इसमें लिखा है कि villages falling in outer periphery यानि जो गांव आऊटर पैरीफेरी में आते हैं यह नियम उनमें लागू है। इसके लिए लाईसैंस की भी जरूरत नहीं है।

डॉ. कमल गुप्ता : स्पीकर सर, यही मैं कह रहा हूं कि डोमैस्टिक यूज के लिए पशु रखना अलाऊड है अदरवाईज अलाऊड नहीं है। मेरा यह भी कहना है कि यह भी included in the limit of Corporation लागू होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

छुछकवास बाई पास से संबंधित मामला उठाना

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कुछ क्लैरीफिकेशन चाहती हूं। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि साल्हावास बाई पास के लिए जमीन एक्विजीशन के लिए सरकार ने 10 करोड़ 79 लाख रुपये जारी कर दिये हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि यह राशि छुछकवास बाई पास के लिए है या साल्हावास बाई पास के लिए है।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि वैसे तो इस बात का स्पष्टीकरण कल भी दे दिया गया था लेकिन मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देता हूं कि छुछकवास बाई पास के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 10,79,25,000/– की राशि जारी की गई है और इस राशि से उक्त जमीन का अधिग्रहण हो जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, इस कार्य के लिए मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।

.....

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(4) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज 2 से 10

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 10 विधेयक का पार्ट बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।)

(ii) प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक

दि हरियाणा पुलिस (अमेंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृहमंत्री हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि इस विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 प्रस्तुत करता हूं–

मैं यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना, अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक आज ही आया है और आज ही इसे आप पास कर रहे हैं। इसके अन्दर जो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को इस सदन में कह–कह कर बनवाया गया था आज उसको घटाया जा रहा है। पहले सुओ मोटो

से भी किसी मामले को उठाया जा सकता था लेकिन अब उसको बन्द किया जा रहा है कि अब सुओ मोटो से कोई भी मामला नहीं जांच सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि ऐसा करने से पुलिस की कितनी शिकायतें आएंगी। लोग तो पहले ही दबाव में रहते हैं फिर कौन पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत देगा। इस प्रकार से जब वे स्वप्रेरणा से कोई जांच कर ही नहीं पाएंगे तो उसके दायरे को घटाना क्यों जरूरी है? उसके दायरे को घटाना नहीं चाहिए बल्कि उसके दायरे को तो बढ़ाना चाहिए। अगर कोई शिकायत आई है तो प्राधिकरण अपनी जांच करे। वह सही है तो सही पाया जाए, अगर गलत है तो गलत पाया जाए, उसमें कोई बात नहीं लेकिन उसके दायरे को घटाने का क्या औचित्य है? पहले तो बड़ी मुश्किल से यह प्राधिकरण बना है और अब आप इसके दायरे को घटा रहे हैं इसलिए इसके दायरे को घटाना नहीं चाहिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, विधायक साथी जो बात कह रहे हैं कि कोई तो शिकायतकर्ता होना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, वह ऑफेंस होता है। मैं नोटिस करता हूं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, किसी की शिकायत तो होनी चाहिए। मैं खुद हर हफ्ते कई केस भेजता हूं। मैं लोगों की शिकायतें सुनता हूं और मैं खुद कई केस भेजता हूं। कोई तो शिकायतकर्ता होना चाहिए। जो हर्ट हुआ है वह शिकायत भेजे। कोई तो शिकायत भेजे।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट भी सुओ मोटो लेता है, सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो लेता है तो प्राधिकरण ने सुओ मोटो ले लिया तो क्या आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि यह विधेयक डैफर किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, किसी भी अधिकार की कुछ सीमायें होती हैं। कोई भी अधिकार यदि असीमित रूप से किसी को दे दिया जाये तो उसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा हो जायेंगे। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो चलती हैं, व्हाट्सअप चलते हैं और उन पर तरह तरह की ज्यादतियां दिखाई जाती हैं। कुछ घटनायें जिनकी कोई आथंटिकेशन नहीं होती है, उन पर किसी ने सुओ–मोटो का फायदा लेकर किसी को उठाकर लंबी लाइन में लगा दिया तो क्या यह ठीक होगा ?

श्री अध्यक्षः मुख्यमंत्री जी, सुओ–मोटो तो अथोरिटी ने लेना है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ठीक है सुओ–मोटो अथोरिटी ने लेना है लेकिन अथोरिटी के लिए भी तो इस प्रकार के अधिकार, आखिरकार स्टेट ही बना रही है। यह कोई ज्यूडिशरी का सिस्टम नहीं है। ज्यूडिशरी एक अलग चीज होती है। यह लेजिस्लेशन का एक हिस्सा है और इसमें जो पुलिस की ज्यादतियों की शिकायतें मिलती हैं, उसकी जांच करने के लिए यह अथारिटी बनाई गई है और इसको लेजिसलेचर पास कर रहा है। इस लेजिसलेचर के नाते या फिर हम सरकार के नाते अपने ही किसी अंग को इस प्रकार की अनलिमिटेड पावर्ज, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, पर यदि कोई संज्ञान ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है। कल को मान लो किसी ने कोई बात अखबार में डाली, वैसे सदन में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अखबार भी लाये जाते हैं लेकिन अखबार की खबर को हम एक सहारा तो मान सकते हैं लेकिन अखबार की खबर को आधार मानकर कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते है इसलिए यह जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही कंप्लेनेंट हो, सरकार भी कंप्लेनेंट हो सकती है, मंत्री भी कंप्लेनेंट हो सकता है और विधायक भी कंप्लेनेंट हो सकता है। सब कंप्लेनेंट होते हैं। कंप्लेनट करने वाला यदि कोई जिम्मेदार आदमी होगा और वह कहेगा कि यह गलती हुई है तो उस गलती को देख लिया जायेगा, इसके लिए

तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एक प्रावधान हम इसमें यह भी कर रहे हैं कि इसके अंदर पहले लिखा हुआ था कि बलात्कार या इस प्रकार का प्रयत्न अर्थात attempt to rape अब यह attempt to rape एक ऐसा विषय है जिसका कोई प्रमाण ही नहीं होता है। रेप का तो प्रमाण होता है लेकिन attempt to rape का कोई प्रमाण नहीं होता है और ऐसा केस किसी के खिलाफ भी डाला जा सकता है और फिर अथारिटी उस केस को लटकाये फिरेगी तो क्या यह ठीक रहेगा ?

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, attempt to rape का तो अब भी प्रोविजन है तो क्या इस तरह के केसिज में सरकार अथारिटी को कोई अधिकार दे रही है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, attempt to rape के केस में सरकार अथारिटी को कोई अधिकार नहीं दे रही है, केवल बलात्कार के केस में दे रही है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, आखिरकार सरकार पुलिस वालों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है ?

श्री राम कुमार गौतमः स्पीकर सर, पुलिस को सुओ–मोटो पावर नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आप प्लीज बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उनको उनकी बात पूरी कर लेने दें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मलिक जी ने कहा कि सरकार पुलिस को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि सरकार को किसी को बचाना नहीं है लेकिन कभी भी सुओ–मोटो अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं देनी चाहिए। हमारे हाउस की भी अनलिमिटेड पावर नहीं हैं। हम भी कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तो इसके बाद वह राज्यपाल के पास जाता है, वहां उसके उपर अध्ययन होता है। इसके बाद राज्यपाल महोदय उस प्रस्ताव के उपर साइन करते हैं। अगर राज्यपाल साइन न करें तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है यानी के बहुत से प्रावधान हैं, इसलिए किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं देनी चाहिए।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण को जांच ही तो करनी है ?

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये। पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आम आदमी को अधिकार मिलना चाहिए। सरकार इस पर पाबंदी क्यों लगाना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाये ताकि पूरे ढंग से इस पर चर्चा हो और आम आदमी को भी शिकायत का कोई अधिकार मिले क्योंकि जिस तरह की बात की जा रही है, कल को अध्यक्ष महोदय यह आपके खिलाफ भी प्रयोग हो सकता है। यह हम सबके लिए जरूरी है और आम जनता के लिए भी जरूरी है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा तो प्रयास यह है कि आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए। यदि यह प्रावधान हटा लिया जायेगा तो जो एक आदमी गरीब है, वह कैसे पुलिस के खिलाफ शिकायत कर पायेगा ? उस गरीब आदमी के लिए अपनी बात रखने का कोई मंच तो हो ? अध्यक्ष महोदय, पुलिस वाले के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता यह हम सबको मालूम है। अगर करता है तो उस आदमी को मारा जाता है और वकील तक का खामियाजा भी उस आदमी को झेलना पड़ जाता है।

श्री वरूण चौधरीः स्पीकर सर, प्राधिकरण ने सिर्फ जांच करनी है, कोई सजा नहीं सुनानी है तो ऐसी अवस्था में प्राधिकरण को जांच करने से क्यों रोका जा रहा है। पुलिस के आगे बहुत से लोग अपनी शिकायत नहीं देते है। प्राधिकरण अपने आप मामले की जांच ही तो करेगा और ऐसे में उस प्राधिकरण को जांच करने से भी रोका जा रहा है ? आखिरकार इस प्राधिकरण को जांच करने से क्यों रोका जा रहा है ? उसके बाद फिर सुओ–मोटो पर पाबंदी ? आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है ? स्पीकर सर, यह बिल डैफर होना चाहिए। यही नहीं यह बिल सेम डे लाया जा रहा है। उस पर भी प्राधिकरण की शक्तियों को घटाया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दबाजी है और मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि इस प्राधिकरण ने ऐसी कितनी जांच

कर ली और कितनी जांच ऐसी आ गई कि सरकार को लगने लगा कि इस प्राधिकरण ने गलत जांच करनी शुरू कर दी है। मंत्री जी, इस बात को बता दें कि आखिरकार इस प्राधिकरण के पास कितने केसिज आए हैं ? इस प्राधिकरण को बने हुए मुश्किल से एक साल का समय हुआ है और बावजूद इसके इस पर तरह–तरह की रोक लगाकर इसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि माननीय सदस्य के जो विचार आए हैं और उनमें कईं ऐसी चीजें सामने निकलकर आई हैं जोकि आब्जेक्शनेबल हैं। अतः इसका अगर कोई प्रोविजन सिलेक्ट कमेटी का बन जाये तो बेहतर ही है। सारे सदस्य इस पर चर्चा कर लेंगे और सबकी सहमति के बाद नैकस्ट सैशन में दोबारा से इस बिल को टेक अप कर लिया जायेगा।

श्री वरूण चौधरी: स्पीकर सर, वास्तव में ऐसा ही किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अभी माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचार के लिए प्रवर समिति को भेजा जाए।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:–

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक को विचार के लिए प्रवर समिति को भेजा जाए।

मैं यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :–

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को सदन में विभिन्न दलों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रवर समिति का गठन करने के लिए प्राधिकृत करता है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः–

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक को विचार के लिए प्रवर समिति को भेजा जाए।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :–

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को सदन में विभिन्न दलों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रवर समिति का गठन करने के लिए प्राधिकृत करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न हैः–

कि हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक को विचार के लिए प्रवर समिति को भेजा जाए।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :–

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को सदन में विभिन्न दलों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रवर समिति का गठन करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(विधेयक प्रवर समिति को रैफर हुआ।)

.....

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज हमारे लिए यह बड़े हर्ष की बात है कि पूर्व विधायक श्री फूल सिंह खेड़ी सदन की विशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं । मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

.....

सदन के सदस्यगण जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व जन्मे थे, का अभिनन्दन

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश 15 अगस्त, 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है । इस सदन में 3 माननीय सदस्य (डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्री रणजीत सिंह और श्री राम कुमार गौतम) ऐसे हैं जिनका जन्म आजादी प्राप्त करने से पहले हुआ था । मैं चाहूंगा कि हरियाणा विधान सभा इन तीनों सदस्यों को सम्मानित करे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से इन तीनों माननीय सदस्यों (डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, श्री रणजीत सिंह और श्री राम कुमार गौतम) को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है ।

***18:23 बजे**

(तत्पश्चात् सभा अनिश्चित काल के लिए *स्थगित हुई।)